RURAL DEVELOPMENT AND SOCIAL CHANGE : A CASE STUDY OF BHANPUR TAHSIL DISTRICT BASTI U. P.

THESIS

Submitted for the degree of

DOCTOR OF PHILOSOPHY

IN

GEOGRAPHY

Under the supervision of

Dr. Kum Kum Roy
Professor in Geography
University of Allahabad

Prof. Kum Kum Roy
Deptt of Geography
University of Allahabad

9, H I G , Flats, A D A Colony,
Mumfordganj, Allahabad - 211002
Ph 640968

This is to certify that Shri Pramod Kumar Upadhyay has worked for the full period prescribed under D. Phil ordinances of Allahabad University, Allahabad, under my supervision. It is recommended that his D. Phil thesis entitled : "Rural Development and Social Change : A Case Study of Bhanpur Tehsil. District Basti. U.P.", which embodies the results of his personal investigations, may be submitted for evaluation.

Dated

Prof.(Dr.)Kumkum
(supervisor)

परम पूज्य चाचा जी

श्री सन्त राम उपाध्याय

को

समर्पित

साभार

सर्वप्रथम इस शोध प्रबन्ध की निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिये वन्दनीय, परम श्रद्धेया डॉ0 कुमकुम रॉय, प्रोफेसर भूगोल विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति नतमस्तक हूँ जिन्होने मेरे पथ प्रर्दशन का गुरूतर भार स्वीकार कर मुझे शोध–कार्य करने हेतु अभिप्रेरणा प्रदान की। आपके उत्तम निर्देशन, उदात्त विचार एव अप्रतिम सहयेाग के परिणामस्वरूप ही मै इस कार्य को पूर्ण कर सका हूँ। आपकी प्रज्ञा–ज्योति से मेरे शोधमार्ग मे आया तिमिर सरलतया दूर होता गया जिसके परिणामस्वरूप मै इस दुस्तर अम्बुधि का सहजता से उत्तरण कर सका हूँ।

शोध से सम्बन्धित समस्याओ के निवारण मे प्रदत्त अमूल्य योगदान हेतु मै परमपूज्य गुरूवर डॉ0 आर0सी0 तिवारी, प्रोफेसर भूगोल विभाग तथा शोध कार्य मे प्रदत्त विभागीय सुविधाओ हेतु विकास पुरूष डॉ0 सविन्द्र सिह विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रति श्रद्धावनत हूँ। डॉ0 एच0 एन मिश्र प्रोफेसर भूगोल विभाग का मै अर्न्तमन से आभारी हूँ जिन्होने अपने उत्तम सुझावो द्वारा मेरे मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया। मै विभाग के उन समस्त गुरूवृन्दो को जिन्होने अपने ज्ञान और व्यक्तित्व–प्रकाश से मेरा अन्धतम मार्ग आलोकित किया उसके लिये मेरे जीवन की श्रद्धा उनके चरणो मे समर्पित है। मित्र अनुपम पाण्डेय (प्रवक्ता भूगोल विभाग) का सहयोग आपेक्षित रहा तथा विभाग के समस्त कर्मचारियो का आभारी हूँ जिन्होने शोध कार्य मे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान किया।

अप्रतिम व्यक्तित्व के धनी, कर्मठता के प्रतीक, परमादरणीय चाचा श्री सन्तराम उपाध्याय (प्रवक्ता दि0इ0, कालेज, रूधौली, बस्ती) एव धार्मिक आस्था से परिपूर्ण चाची श्रीमती सावित्री देवी से प्राप्त अनन्य सहयोग के लिये आभार व्यक्त करना मेरी सामर्थ्य से परे है क्योकि इनके द्वारा प्रदत्त सहयोग को शब्दो मे अभिव्यक्त करना असम्भव है। जहॉ परम पूज्य पिता श्री हरीराम उपाध्याय एव ममतामयी माता श्रीमती शान्ती देवी का निश्चल स्वभाव सहृद प्रेम मुझे प्रगति की प्रेरणा देता रहा वही अग्रज श्री अनिल कुमार उपाध्याय, श्री सुशील कुमार उपाध्याय तथा श्री अनिरूद्ध मिश्रा का सदैव ऋणी रहूँगा जिन्होने अपने व्यस्तम समय मे भी शोध कार्य से सम्बन्धित तथ्यो के सग्रहण मे सहयोग प्रदान किया।

शोध कार्य मे अनन्य सहयोग के लिये डॉ0 कमलेश्वर त्रिपाठी (भूगोल विभागाध्यक्ष किसान डिग्री कालेज, बस्ती) डॉ0 आर0के0 पाठक (विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग ए0पी0एन0 डिग्री कालेज, बस्ती) डॉ0 एस0एन0 मिश्रा, ए0एन0 चौधरी, डॉ0 रघुनाथ चौधरी, श्री दीपक उपाध्याय एव श्री एम0आर0 वर्मा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

तहसील, जनपद एव जनपद के विभिन्न भागो मे स्थित कार्यालयो से आवश्यक अभिलेख एव तथ्य युक्त साम्रगी उपलब्ध कराने मे जिलाधिकारी, सख्याधिकारी, सूचनाधिकारी, उपजिलाधिकारी, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग, सहित सभी ग्राम प्रधानो, ग्राम वासियो को जिन्होने शोध कार्य मे सहायता प्रदान की उसके लिए उन्हे धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण तथा आकडा सग्रहण मे सहयोग हेतु श्री प्रमोद कुमार पाठक, श्री अजय कुमार द्विवेदी, श्री विजय प्रताप उपाध्याय, श्री जर्नादन प्रसाद मिश्रा, श्री पारसनाथ चौधरी, श्री शिव कुमार पाण्डेय, श्री राजेश कुमार पाण्डेय एव श्री बी0एल0 वर्मा का हृदय से मै आभारी हूँ। आकडा सग्रहण, आरेखण एव शोध कार्य मे सहयोगी रहे मित्र शिवेन्द्र अग्रहरि, भूपेन्द्र तिवारी, प्रशान्त एव अपनी सम्पूर्ण शक्ति से समर्पित सेवाये देने के लिये अनुज समतुल्य उमाशकर सिह को सधन्यवाद देता हूँ।

समादरणीय अग्रज श्री राजू शुक्ला, बडे भैया श्री बिनोद कुमार उपाध्याय (अधिवक्ता उच्च न्यायालय, इलाहाबाद), श्री आशुतोष तिवारी (अधिवक्ता, उच्च न्यायलय इलाहाबाद), श्री बलराम सिह, श्री धमेन्द्र सिह, श्री जितेन्द्र सिह, श्री समीउल्लाह सहित सभी शुभेच्छुओ का मै हृदय से आभारी हूँ जिन्होने मुझे शोध कार्य के प्रति प्रेरणा प्रदान करते रहे। मेरे सर्वप्रिय अनुज पवन उपाध्याय का अहर्निश सहयोग तथा छोटे भाई मनोज का प्रेम मुझे क्रियाशील रखा।

मै गुरूपति स्वर्गीय श्री धीरज कुमार रॉय के दिवगत आत्मा के प्रति नतमस्तक हूँ जिनके उत्तम कृत्य एव विचार मेरा मनोबल बढाते रहे है। गुरूपुत्र संदीप रॉय एव पुत्री शिल्पी रॉय को ओजस्वी तथा प्रगति हेतु शुभकामना प्रदान करना अपना पावन कर्तव्य समझता हूँ।
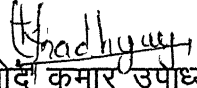
अभिन्न मित्रों मे सजीव बाजपेयी, नवीन द्विवेदी, अवनीश सिह, पीयूष पाण्डेय, आलोक त्रिपाठी, सतीश चन्द मौर्य, सुरेश, बिमलेन्द्र, सुनील, मनीष एव राकेश श्रीवास्तव को धन्यवाद देता हूँ, जिनका सहयोग सदैव मिलता रहा। शोध मित्रों में सर्वश्री अनिल

शुक्ला, सजय मिश्रा, प्रदीप सिह, ए0आर0 त्रिपाठी, विनय रॉय, आर0पी0 यादव, मनोज सिह, पूनम कुशवाहा, मजू सिह, को मै धन्यवाद देता हूँ। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शोध कार्य मे सहयोग देने वाले अनुजो मे परितोष तिवारी, विवेक सिह, करूणेश शुक्ला, राजेश मौर्या, रानू एव सोनू को मै सहृदय आर्शीवाद देता हूँ।

आदरणीय बडी भाभी श्रीमती रीता एव उषा उपाध्याय का अनन्य प्रेम प्रेरक रहा वही पुत्र लोकेश, रूपेश एव देवेश की चचलता मुझे कर्म के प्रति क्रियाशील रखी।

मानचित्रण कार्य हेतु डॉ0 राजमणि त्रिपाठी, कम्प्यूटर मालिक डॉ0 रफी उल्लाह का सहयोग तथा द्रुतगति टाइप के लिये दिलीप दुबे एव आरेखन हेतु जिया भाई को धन्यवाद देता हूँ जिन्होने शोध प्रबन्ध पूर्ण होने मे सहायता प्रदान की।

Upadhyay

प्रमोद कुमार उपाध्याय

19 नवम्बर,

कार्तिक पूर्णिमा,

2002

अनुक्रमणिका

पृष्ठ सख्या

आभार

List of Figures XIV

चित्रों की सूची XV

तालिका क्रमांकों की सूची XVI, XVII

अध्याय–1

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन : संकल्पना 1–53

प्रस्तावना

1.1 ग्रामीण विकास : अर्थ एवं परिभाषा

1 1 1 ग्राम एक सामाजिक इकाई के रूप मे

1 1 2 विकास की सकल्पना एव उद्देश्य

1 1 3 ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कारक

1.2 भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक सिंहावलोकन

1 2 1 स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रामीण विकास

1 2 2 स्वात्रन्योत्तर ग्रामीण विकास

1.3 पंचवर्षीय योजनाएं और ग्रामीण विकास

1 3 1 ग्रामीण विकास की योजनाओ के स्वरूप मे परिवर्तन

1 3 2 नियेाजित ग्रामीण विकास और सूक्ष्म स्तरीय नियोजन

1.4 सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा

1.5 ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन

1.6. ग्रामीण विकास और सामाजिक रूपान्तरण की प्रकृति एवं दिशा

1.7 वर्तमान अध्ययन के उद्देश्य

1.8 शोध–विधितंत्र

181 आकडो का सग्रहण

182 शोध विधितत्र का विश्लेषण एव व्याख्या

अध्याय–2

भौतिक प्रतिरूप 54–77

2.1 स्थिति एवं विस्तार

2.2 उच्चावच्च एवं संरचना

2.3 अपवाह प्रणाली तथा जलाशय :–

231 कुआनो नदी

232 कठिनइया नदी

233 आमी नदी

234 नाले एव तालाब

2.4 जलवायु :–

241 तापमान

242 वर्षा

243 सापेक्षिक आद्रता

244 वायुदाब एव पवन

2.5 मृदा :–

251 बलुई मिट्टी

252 बलुई दोमट मिट्टी

253 मटियार दोमट मिट्टी

254 लवण युक्त 'रेह' या ऊसर मिट्‌टी

255 भूमिगत जल

2.6 भ्वाकृतिक प्रदेश

2.7. प्राकृतिक वनस्पति

2.8 खनिज सम्पदा

अध्याय–3

जनसंख्या प्रतिरूप **78—123**

प्रस्तावना

3.1 जनसख्या विवरण

3.2 जनसंख्या वृद्धि

3.3 जनसंख्या वितरण प्रतिरूप

3.4 जनसंख्या घनत्व :—

341 अति न्यून जनसख्या घनत्व क्षेत्र

342 निम्न जनसख्या घनत्व क्षेत्र

3.43 मध्यम जनसख्या घनत्व क्षेत्र

344 उच्च जनसख्या घनत्व क्षेत्र

345 अत्यन्त उच्च जनसंख्या घनत्व क्षेत्र

3.5. आयु–लिंग संरचना

3.6 साक्षरता

3.7 व्यावसायिक संरचना :—

3.7.1. कार्यरत एव अकार्यरत जनसख्या

3 7 2 1 कृषक

3 7 2 2 कृषि श्रमिक

3 7 2 3 उद्योग एव निर्माण

3 7 2 4 अन्य कार्यो मे लगी जनसख्या

3 8 जनसंख्या—ग्रामीण विकास एव सामाजिक परिवर्तन

अध्याय—4

कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तन 124—17

प्रस्तावना

4.1 भूमि उपयोग

4.2 शस्य प्रतिरूप

4 3 शस्य क्रम

4.4. अध्ययन क्षेत्र में कृषि की आधारभूत सुविधाओं की स्थिति

4 4 1 सिचाई

(अ) नहर

(ब) नलकूप

(स) कूए

(द) तालाब एव अन्य साधन

4 4 2 उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं

4.4.3 कृषि यन्त्र एव उपकरण

4.4.4. पशु ससाधन

4.4 5. पशु चिकित्सालय एव अन्य सेवाये

4 5 **कृषि मे अभिनव विकास की प्रवृत्तिया**

4 5 1 वाणिज्यिक फसलो के क्षेत्रफल मे वृद्धि

4 5 2 बागवानी मे वृद्धि

4 5 3 नलकूपो की सख्या से वृद्धि

4 5 4 रासायनिक उर्वरको का अधिक प्रयोग

4 5 5 कृषि का यन्त्रीकरण

4 5 6 कृषि जोत आकार मे ह्रास

4 6 **कृषि समस्यायें :–**

4 6 1 मौसमी परिवर्तन

4 6 2 भूक्षरण

4 6 3 अव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति

4 6 4 अज्ञानता एव निर्धनता

4 6 5 कृषि उत्पाद विपणन एव कृषि ऋण

4 7. **कृषि विकासार्थ नियोजन**

अध्याय–5

ग्रामीण यातायात, संचार व्यवस्था एवं सेवा केन्द्र 172–209

प्रस्तावना

5.1. **परिवहन तंत्र का स्थानिक प्रतिरूप**

5 1 1 सडक मार्ग

5.1 1.1 सडक यातायात प्रवाह

5.1.1.2 सडक सम्बद्धता

5 2 यातयात नियोजन

5 3 संचार प्रतिरूप

5 3 1 डाकघर

5 3 2 तारघर

5 3 3 दूरभाष

5 3 4 अन्य सचार साधन

5 4 संचार नियेाजन

5 5 यातायात एवं संचार माध्यमों का ग्रामीण विकास तथा सामाजिक परिवर्तन पर प्रभाव

5.6 सेवा केन्द्र का अभिप्राय

5 7 सेवा कार्य एवं केन्द्रीयता मान

5 8 सेवा केन्द्रों का निर्धारण

5 9 सेवा केन्द्रो की केन्द्रीयता

5 10 सेवा केन्द्रों का स्थानिक वितरण प्रतिरूप

5 10 1 सेवा क्षेत्र

5 10 2 प्रस्तावित सेवा कार्य

5.11 सेवा केन्द्र, ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन

अध्याय–6

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में उद्योग एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका

प्रस्तावना 210–239

6.1 उद्योग का वर्गीकरण

612 लघु स्तरीय उद्योग

613 पूरक उद्योग

614 अति लद्यु उद्योग

615 खादी एव ग्रामोद्योग

6 2. औद्योगिक प्रतिरूप

6 3 उद्योग अवस्थापन तथा कार्यक्रम

631 जिला उद्योग केन्द्र योजना

632 एकल मेज व्यवस्था

633 स्वरोजगार बन्धु योजना

634 उद्यमिता विकास कार्यक्रम

635 उद्योग बन्धु

636 उ0प्र0 लघु उद्योग आधुनिकीकरण योजना

636 बीमार एव लघुत्तर औद्योगिक इकाइयो का पुर्नवासन

638 कलस्टर योजना

6.4 उद्योग संबंधी प्रमुख संस्थायें एवं विभाग

6.5 औद्योगिक समस्यायें

6 5.1 खनिजो का अभाव

6.5 2 तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव

6.5.3 औद्योगिक औद्योगिक उत्पादो का वितरण

6.5.4 ऊर्जा, परिवहन एवं सचार साधनो का अभाव

6.5.5 साक्षरता की कमी

6 6 **औद्योगीकरण की अभिनव प्रवृत्तियॉ एव औद्योगिक नियोजन**

6 7 **औद्योगिक सम्भाव्यता एव प्रस्तावित उद्योग**

6 7 1 कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग

6 7 2 पशु एव पशु आधारित उद्योग

6 7 3 वनोत्पाद आधारित उद्योग

6 7 4 मॉग पर आधारित उद्योग

6 8 **औद्योगिक विकास एवं सामाजिक परविर्तन**

6 8 1 सामाजिक जीवन मे परिवर्तन

6 8 2 पारिवारिक जीवन मे परिवर्तन

6 8 3 धार्मिक जीवन मे परिवर्तन

6 8 4 राजनीतिक एव सास्कृतिक जीवन मे परिवर्तन

अध्याय–7

ग्रामीण विकास की प्रमुख [illegible] सुविधायें एवं समस्यायें

प्रस्तावना **240–272**

7.1 **शिक्षा**

7 1 1 शिक्षा का वर्तमान प्रतिरूप

7 1 2 प्राथमिक शिक्षा

7 1 3 माध्यमिक शिक्षा

7 1.4 उच्च शिक्षा

7 1 5 प्राविधिक शिक्षा

7 1 6 अनुसूचित जाति शिक्षा

7 1.7 स्त्री शिक्षा

7 2 शिक्षा की समस्यायें

7 2 1 बेरोजगारी

7 2 2 निर्धनता एव अवसरो का अभाव

7 3 ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु नियेाजन

7 4 ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्यायें एवं निवारणार्थ सुझाव

7 4 1 प्रदूषित ग्रामीण पर्यावरण

7 4 2 दूषित पेयजल

7 4 3 सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाये

7 4 4 नशीले पदार्थो के प्रति बढती अभिरूचि

7 4 5 स्ववास्थ्य सुविधाओ की कमी

7 4 6 ग्रामीण रूढिवादिता

7 5 पेयजल सुविधा

7.6 बैंक

7 7 विद्युत आपूर्ति

7.8 नागरिक सुरक्षा

7.9 सामाजिक समस्याऐं

7 9 1 दहेज प्रथा

7 9 2 जाति व्यवस्था

7 9.3 अस्पृश्यता

7.9 4 पर्दा प्रथा

7 9.5 बाल विवाह

अध्याय–8

ग्रामीण विकास के स्तर और सामाजिक परिवर्तन

प्रस्तावना 273–292

8 1 ग्रामीण विकास के सूचकांक

8 2 ग्रामीण विकास के स्तर

8 2 1 कृषि विकास

8 2 2 ग्रामीण शैक्षणिक विकास

8 2 3 ग्रामीण स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण सुविधाओ का विकास

8 2 4 ग्रामीण यातायात एव सचार साधनो का विकास

8 2 5 ग्रामीण औद्योगिक विकास

8 3 समेकित ग्रामीण विकास स्तर

8 3 1 विकसित ग्रामीण क्षेत्र

8 3 2 विकासशील ग्रामीण क्षेत्र

8 3 3 अविकसित ग्रामीण क्षेत्र

8.4 ग्रामीण सामाजिक जीवन में परिवर्तन

8.5 सामाजिक जीवन पद्धति में परिवर्तन

8.5 1 ग्रामीण पारिवारिक सरचना मे परिवर्तन

8 5 2 वैवाहिक परम्परा मे परिवर्तन

8 5.3 जाति व्यवस्था

8 5.4 आहार मे परिवर्तन

8 5.5 परिधान में परिवर्तन

8 5 6 आवास व्यवस्था में परिवर्तन

8 5 7 ग्रामीण सामुदायिक जीवन

8.6 **धार्मिक क्रिया कलापों में परिवर्तन**

8.7 **ग्रामीण मनोवृत्ति एवं सामाजिक मूल्यों मे परिवर्तन**

8.8 **अध्ययन क्षेत्र के उन्नयन हेतु सुझाव**

अध्याय–9

ग्रामीण विकास नियोजन **293–311**

प्रस्तावना

9 1 **ग्रामीण विकास नियोजन हेतु कार्यक्रम**

9 1 1 सामुदायिक विकास कार्यक्रम

9 1 2 गहन कृषि विकास कार्यक्रम

9 1 3 लघु कृषक विकास कार्यक्रम

9 1 4 सीमात कृषिक एव कृषिक श्रमिक कार्यक्रम

9 1 5 पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

9 1 6 कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम

9 1 7 विशिष्ट पशु उत्पादन कार्यक्रम

9 1 8 कार्य बदले अनाज भोजन कार्यक्रम

91 9 नकद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

9 1.10 सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

9.1 11 मरूभूमि विकास कार्यक्रम

9.1 12 जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम

9.1 13 समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम

9.1.14 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

9 1 15 स्वरोजगार हेतु ग्रामीण नवयुवको का प्रशिक्षण

9 1 16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

9 1 17 ग्रामीण क्षेत्रो मे स्त्रियो और बच्चे के लिये विकास कार्यक्रम

9 1 18 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम

9 1 19 जवाहर रोजगार योजना

9 1 20 इन्दिरा आवास योजना

9 1 21 मिलियन कुआ योजना

9 1 22 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

9 1 23 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना

9.2 उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास की अद्यतन योजनायें

9 2 1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

9 2 2 जवाहर ग्राम सवृद्धि योजना

9 2 3 ग्रामीण आवास योजना

9 2 4 प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना

9 2 5 प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना

9 2 6 प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)

9 2 7 प्रधानमत्री ग्रामोदय येाजना (ग्रामीण पेयजल)

9 2 8 ग्रामीण पेयजल योजना

9 2 9 अम्बेडकर विशेष रेाजगार येाजना

9.2.10 रोजगार छतरी योजना

9.2 11 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान

9 2 12 पोषण परियेाजना

9 3 **ग्रामीण विकास नियोजन में पंचायती राज की भूमिका**

9 3 1 73वॉ सविधान सशोधन अधिनियम

9 3 2 विकास पर पचायती राज का प्रभाव

9 3 3 मूल्याकन

9 3 4 निष्कर्ष

साराश तथा निष्कर्ष 312—322

परिशिष्ट

LIST OF FIGURES

FIG NO.	TITLE	Page No.
2 1	Location Map Tahsil Bhanpur, District Basti	55
2 2	Drainage System	60
2 3	Climate	66
	(A) Temperature	
	(B) Hyther Graph	
	(C) Climograph	
	(D) Pressure	
2 4	Soils	70
2 5	Physiographic division	74
3 3	Distribution of population, 2001	89
3 6	Population density, 2001	98
3 7	Sex-ratio Map, 2001	100
3 9	Rural literacy, 1991	107
3 10	Distribution of S C Population 1991	110
4 2	Land Use pattern, 1998-99	130
4 5	Source of Irrigation	142
4 6	Distribution of Cannals & Tube-wells	145
5 1	Transport Network, 2001	176
5 2	Spatial pattern of P O, P S and P.T.O	189
5 3	Service Centre	201
6 1	Proposed Industries	236
7.1	Education facilities	249
7 2	Banking facilities	261
8.1.	Trends in level of Rural development	280
1	Village location map	

आरेखों की सूची

चित्र सख्या–3 1	भानुपर तहसील	जनसख्या विवरण	82
चित्र सख्या–3 2	भानपुर तहसील	जनसख्या वृद्धि	84
चित्र सख्या–3 4	भानपुर तहसील	जनसख्या घनत्व	92
चित्र सख्या–3 5	भानपुर तहसील	जनसख्या घनत्व	96
चित्र सख्या–3 8	भानगुर तहसील	साक्षरता	105
चित्र सख्या–3 11	भानुपर तहसील	व्यवसायिक सरचना	115
चित्र सख्या 3 12	भानपुर तहसील	कार्यरत जनसख्या	119
चित्र सख्या 4 1	भानपुर तहसील	भूमि उपयेाग का विवरण	126
चित्र सख्या 4 3	भानपुर तहसील	रबी के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र (1988–99)	134
चित्र सख्या 4 4	भानपुर तहसील	खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र	138
चित्र सख्या 4 7	भानपुर तहसील	उर्वरक विवरण	150
चित्र सख्या 4 8	भानपुर तहसील	पशु ससाधन (2000–2001)	155

तालिका क्रमांक : सूची

(1) तालिका क्रमाक–2 1 भानपुर तहसील प्रशासनिक सगठन

(2) तालिका क्रमाक–2 2 भानपुर तहसील सामान्य तापमान

(3) तालिका क्रमाक–2 3 भानपुर तहसील वायुदाब

(4) तालिका क्रमाक–3 1 भानपुर तहसील आबाद ग्रामो का विवरण

(5) तालिका क्रमाक–3 2 भानपुर तहसील जनसख्या विवरण

(6) तालिका क्रमाक–3 3 (A) भानपुर तहसील जनसख्या वृद्धि

(7) तालिका क्रमाक–3 3 (B) बस्ती जनपद जनसख्या वृद्धि

(8) तालिका क्रमाक–3 4 भानपुर तहसील जनसख्या वितरण

(9) तालिका क्रमाक–3 5 भानपुर तहसील जनसख्या घनत्व

(10) तालिका क्रमाक–3 6 न्याय पचायतवार जनसख्या घनत्व

(11) तालिका क्रमाक–3 7 भानपुर तहसील यौनानुपात

(12) तालिका क्रमाक–3 8 भानपुर तहसील साक्षरता

(13) तालिका क्रमाक–3 9 भानपुर तहसील अनुसूचित जाति का विवरण

(14) तालिका क्रमाक–3 10 भानपुर तहसील विभिन्न कक्षाओ मे छात्र/छात्राओ की स्थिति

(15) तालिका क्रमाक–3 11 भानपुर तहसील व्यवसायिक जनसरचना

(16) तालिका क्रमाक–3 12 भानपुर तहसील कार्यरत जनसख्या का विवरण

(17) तालिका क्रमाक–4.1 भानपुर तहसील भूमि उपयोग का विवरण

(18) तालिका क्रमाक–4.2 भानपुर तहसील विकास खण्ड मे भूमि उपयोग का विवरण

(19) तालिका क्रमाक–4 3 भानपुर तहसील रबी के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र

(20) तालिका क्रमाक–4.4 भानपुर तहसील खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र

(21) तालिका क्रमाक–4 5 भानपुर तहसील स्रोतानुसार सिचित क्षेत्र

(22) तालिका क्रमाक–4 6 भानपुर तहसील सिचाई साधन का विवरण (1999–00)

(23) तालिका क्रमाक–4 7 भानपुर तहसील उर्वरक विवरण

(24) तालिका क्रमाक–4 8 भानपुर तहसील पशु ससाधन

(25) तालिका क्रमाक–4 9 भानपुर तहसील क्रियात्मक भूमिजोत का विवरण

(26) तालिका क्रमाक–5 1 भानपुर तहसील प्रमुख सडक मार्ग

(27) तालिका क्रमाक–5 2 भानपुर तहसील पक्की सडको की लम्बाई

(28) तालिका क्रमाक–5 3 भानपुर तहसील सडक घनत्व

(29) तालिका क्रमाक–5 4 भानपुर तहसील सडक सम्बद्धता

(30) तालिका क्रमाक–5 5 भानपुर तहसील यातायात एव सचार सेवाओ का प्रतिरूप

(31) तालिका क्रमाक–5 6 भानपुर तहसील यातायात एव सचार सुविधाओ का वितरण

(32) तालिका क्रमाक–5 7 भानपुर तहसील सेवा कार्यो का तुलनात्मक मान

(33) तालिका क्रमाक–7 1 भानपुर तहसील मान्यता प्राप्त शिक्षण सस्थाए

(34) तालिका क्रमाक–7 2 भानपुर तहसील शिक्षण सस्थाओ का विवरण 2002

(35) तालिका क्रमाक–7 3 भानुपर तहसील बैक शाखाओ की सूची

अध्याय—1

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन : संकल्पना

प्रस्तावना :—

ग्रामीण क्षेत्र विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्यायिक समस्याओ से घिरा हुआ है। यह निर्धनता, बेरोजगारी, अशिक्षा, कुपोषण असुरक्षा, भ्रष्टाचार, जातिवाद, रूढिवादिता तथा विविध अवसरचनात्मक सुविधाओ की कमी तथा बाढ, सूखा एव अन्यान्य प्राकृतिक विपदाओ से निरन्तर जूझ रहा है। इसकी निर्धनता का मूल कारण जनसख्या विस्फोट, निम्न उत्पादकता, व्यवसायिक शिथिलता तथा रोजगार का अभाव है। इस देश की लगभग 74% जनसख्या कृषि कार्य मे सलग्न है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है एव इससे सम्बन्धित क्रियाकलापो मे विकास द्वारा भारतीय ग्रामो को समृद्ध बनाया जा सकता है। हमे इस देश मे ग्रामीण सस्कृति के चरमोत्कर्ष पर विकास का लक्ष्य रखना है। सम्प्रति ग्रामवासियो मे नगरो की ओर पलायन की प्रवृत्ति दृष्टिगत होती है। ग्रामीण जनसख्या मे गरीबी एव बेरोजगारी का निराकरण, ग्रामीणो को नगरो मे भेजना ही नही है। अधिक आय एव सम्पूर्ण रोजगार के अवसर तथा साधन ग्रामो मे ही उपलब्ध कराये जा सकते हैं केवल उनके उचित विकास की आवश्यकता है।

भारतवर्ष गॉवो का देश है। किसी समय भारतीय ग्रामो मे दूध की नदियॉ बहती थी लेकिन स्थिति परिवर्तित हो गयी है और नगरीय क्षेत्रो की सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था मे जो असन्तुलन दृष्टिगोचर हो रहा है काफी हद तक वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी असन्तुलित बना रहा है। इस असन्तुलन को कम

करने के लिए, सर्वांगीण तथा समुचित ग्रामीण विकास की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास की आवश्यकता समझते हुए समय–समय पर विभिन्न उपायो तथा कार्यक्रमो को अपनाया गया है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मे क्षेत्रीय विषमता और असन्तुलन पूर्ण रूप से व्याप्त है तथा असन्तुलित आर्थिक विकास योजना के कारण यह यह स्थिति और दुरूह बन गयी है।

निर्धनता उन्मूलन और आर्थिक विषमताओ को दूर करना भारत मे नियोजित विकास का स्थायी लक्ष्य रहा है। देश की तीन –चौथाई जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे निवास करती है अत ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी मिटाना राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिये अनिवार्य है। भारत सरकार पचवर्षीय योजनाओ के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो के विकास को प्राथमिकता दे रही है। गरीबी दूर करने के अनवरत प्रयासो के बाद भी अभी भारी सख्या मे लोग निर्धनताग्रस्त है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य केवल आर्थिक विकास नही, बल्कि प्रगति के साथ–साथ सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना भी है।

गॉव मे रहने वाले निर्धन व्यक्ति को अपना जीवन स्तर सुधारने, अपनी क्षमताओ का इष्टतम उपयोग करने, तथा पूरी गरिमा के साथ देश की लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मे भागीदारी के अवसर मिलने चाहिये। देश की वर्तमान स्थिति इस बात का द्योतक है कि आर्थिक विकास जहॉ एक तरफ समाज के एक वर्ग को भौतिकवादी, सर्वसुविधासम्पन्न बनाता है, वही दूसरी तरफ एक वर्ग शोषण का शिकार होता है और उसकी अपनी मूलभूत आवश्यकताओ की पूर्ति भी नही हो पाती जिससे आर्थिक विषमता और सामाजिक विषमता को प्रश्रय मिलता है परिणामस्वरूप सामाजिक मूल्यों एव नैतिकता मे गिरावट आती है।

ग्रामीण क्षेत्रो के सम्यक विकास हेतु भारत सरकार द्वारा प्रथम पचवर्षीय योजना से लेकर वर्तमान दसवी पचवर्षीय योजना तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये है। कार्यान्वित उपायो से अनुकूल अन्तर तो आया है लेकिन चुनौती इतनी कडी है कि ग्रामीण क्षेत्रो का अपेक्षित विकास नही हो सका है। भारतीय गावो की जीवन शैली, रहन–सहन, आर्थिक गतिविधि और मानसिकता मे तेजी से परिवर्तन हो रहे है। शिक्षा के त्वरित प्रसार अभूतपूर्व सचार क्रान्ति और कारगर समाचार माध्यमो के सर्वव्यापी प्रभाव से अब ग्रामवासी भी अछूते नही रहे है।

अगली सदी मे समय और तेजी से बदलेगा। रहन–सहन के स्तर मे सुधार और शिक्षा के प्रसार के कारण ग्रामवासियो की भी त्वरित सचार साधनो की अपेक्षाये बढेगी। श्रम और कृषि उपज का मूल्य बढेगा, और रोजगार विनियोजन की शैली भी तेजी से बढलेगी। अधिकाश उद्योगो का विकेन्द्रीकरण होगा। गॉव मे उद्यम स्थापित किये जायेगे। क्योकि वही सस्ता श्रम, कम खर्चीली जगह और किफायती दरो पर कच्चा माल मिलेगा। स्थानीय उद्योगो का भी विकास होगा। ग्रामीण हस्तशिल्प और पारम्परिक व्यवसायो की नयी तकनीको के समावेश से प्रगति होगी।

अगली सदी मे गॉवो मे मकान बनाने की शैली बदल जायेगी। सौर्य–ऊर्जा घरेलू कार्यो मे खूब इस्तेमाल की जाने लगेगी। हर घरो मे छतो पर सौर्य ऊर्जा पैनल लगाये जायेगे। जरूरत की अधिकाश बिजली स्थानीय प्रयासो से प्राप्त की जायेगी। हर गॉव आर्थिक गतिविधियो का केन्द्र बनेगा। खेती का स्वरूप बदलकर व्यापारिक बन जायेगा। सघन कृषि के नये–नये रूप प्रचलित होगे। कृषि व्यवसाय भी एक आर्थिक उघम का रूप ले लेगा। गॉवो के आधुनिक

और ऊर्जा कुशल उपकरणो का इस्तेमाल बहुत बढ जायेगा। कम्प्यूटर, आधुनिक फोन, मोबाइल तथा अन्य सचार साधन गॉवो के जीवन का अग बन जायेगे।

विगत वर्षो का अनुभव बताता है कि अब तक ग्रामीण विकास के लिये जो योजनाए चली है और उन पर जो व्यय हुआ है उसका उतना लाभ ग्रामीण स्तर पर नही मिला जितना मिलना चाहिए था। विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के माध्यम से मिलने वाले अवसरो और योजनाओ की जानकारी उन निर्धन और काम की तलाश मे भटकने वालो को नही थी जिनके लाभ के लिये इन योजनाओ को लागू किया गया था।

इस सन्दर्भ मे उल्लेखनीय पहलू यह है कि योजनाओ के क्रियान्वयन मे राज्यो की भूमिका केन्द्रीय होती है। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के कामकाज की नवीनतम समीक्षा से यह तथ्य प्रकाश मे आया है कि अनेक जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण ऐसे है जो अपने राज्यों मे विकास कार्यक्रमो के लिये आबटित धनराशि का उपयोग नही कर पाये है। क्रियान्वयन के आकलन से यह भी पता चला है कि चालू वित्त वर्ष मे कई राज्यो ने विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओ के लिये निर्धारित राशि की पहली किश्त भी नही मागी है।

दसवी योजना के दृष्टिकोण पत्र मे कहा गया है कि ग्रामीण विकास के लिये अब तक चलाये गये कार्यक्रमो की समीक्षा मे इनके क्रियान्वयन मे अनेक कमिया सामने आयी है। इनमे एक आधारभूत कमी यह थी कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ससाधनो का उपयोग करने तथा इन योजनाओ को सही प्रकार से सचालित करने का कोई कारगर सस्थागत तन्त्र नही था। इस आधारभूत अक्षमता

का निराकरण पचायती राज सस्थानो को और शक्ति सम्पन्न बना कर और उन्हे ग्रामीण विकास योजनाओ का दायित्व सौपकर किया जा सकता है।

अत भारत के सम्यक विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रो मे ऐसे नियोजन की आवश्यकता है जिससे स्थानीय ससाधनो के अनुकूलतम उपयोग द्वारा निर्धन ग्रामीण समाज का अधिकतम आर्थिक एव सामाजिक विकास सुनिश्चित हो सके।

1 1 ग्रामीण विकास : अर्थ एवं परिभाषा :—

ग्रामीण विकास दो शब्दो से मिलकर बना है जहाँ ग्रामीण का तात्पर्य ग्राम एव विकास का तात्पर्य सकारात्मक परिवर्तन से है। ग्राम की अपनी कुछ विशिष्टताये होती है जिनके कारण वे सास्कृतिक प्रतिमानो, जीवन प्रणाली, अर्थव्यवस्था और रोजगार एव सामाजिक सम्बन्धो के सदर्भ मे नगर से भिन्न होता है। प्रशासन की लघुत्तम इकाई ग्राम होती है जिसके अर्थतन्त्र का मुख्य आधार कृषि होता है, जिसमे अधिकाश जनसख्या सलग्न रहती है। 'ग्रामीण' शब्द उस क्षेत्र का द्योतक है जहाँ जनसख्या गॉवो मे निवास करती है। जिनमे प्राथमिक आर्थिक क्रियाओ की प्रमुखता होती है। व्यवसाय के रूप मे लोग कृषि—पशुपालन से सम्बन्धित क्रियाओ पर निर्भर होते है।

भारत मूलत गॉवो का देश है क्योकि इसमे 6 लाख से अधिक गॉव है। भारत के सामाजिक जीवन की तीन निर्णायक संस्थाये, गॉव, जाति, और सयुक्त परिवार है। इन्होने न केवल विदेशी आक्रमण और आन्तरिक विरोधाभासों से उत्पन्न आघातो को ही झेला है बल्कि सामाजिक और सास्कृतिक परिवर्तनो की ताकतो को आत्मसात किया है और सम्मुख आयी हुई आवश्यकताओं और चेतावनियो के अनुसार अपने आप को ढाल भी लिया है।

डॉ0 मजूमदार गॉव को एक जीवन विधि एव एक अवधारणा के रूप मे परिभाषित करते है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से 'ग्राम' वह क्षेत्र है जहॉ प्राथमिक सम्बन्ध, हम की भावना, तथा सामुदायिक भावना विषेशत पायी जाती है।

''एक परिवार से बडा सम्बन्धित एव असम्बन्धित लोगो का समूह जो एक बडे मकान अथवा निवास के अनेक स्थानो पर रहता हो, घनिष्ठ सम्बन्धो मे आबद्ध हो तथा कृषि योग्य भूमि पर मूलरूप से सयुक्त रूप मे कृषि करता हो, ग्राम कहलाता है, [- Encylopaedıa of Socıal Scıence vol X V , 1949] ।

1.1.1 गॉव एक [illegible] इकाई के रूप में : –

फ्रासीसी समाजशास्त्री लुई ड्यूमो ने ग्रामीण समुदाय शब्द के तीन अर्थ बतालाये है (1) राजनैतिक समाज के रूप मे (2) भूमि के सह–स्वामियो की इकाई के रूप मे (3) परम्परागत अर्थव्यवस्था और राजनैतिक व्यवस्था के प्रतीक (भारतीय देश–भक्ति का आदर्श वाक्य) के रूप मे। इस मत के अनुसार भारत मे ग्रामीण समुदाय भारत की राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था का अग रहा है। एक गाव मात्र एक स्थान, घरो, गालियो और खेतो का पुज ही नही है। ये प्रतिक्रियाये इसलिये उभरकर आई क्योकि भारतीय गॉवो की स्वतन्त्रता व स्वावलम्बन को बढा–चढाकर प्रस्तुत किया गया। आज भी गॉव एक सबद्ध क्षेत्रीय इकाई के रूप मे है। परन्तु गॉवो मे ग्रामीण पहचान, एकता और निष्ठा की भावना, जाति और समुदाय की भावना से कही ऊपर है। गॉव के अन्दर और अन्य गॉवो के साथ गुटबन्दी तथा सघर्ष आम बात है। भूमि सुधारो, पचायतीराज, सस्कृतिकरण और अन्य रचनात्मक तथा सास्कृतिक परिवर्तनो द्वारा गॉव की सामाजिक, सरचना और गॉव के बृहद संसार के साथ सम्बन्धो मे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये है।

मैडेलबॉम ने कहा है कि एक गॉव स्पष्ट रूप से इसके निवासियो के लिये एक महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सामाजिक इकाई है। वे लोग बृहद समाज की गतिविधियो मे भाग लेते है और सभ्यता के प्रतिमान मे भागीदार है। अध्ययनो के उद्देश्य से कुछ हालतो मे गाव को विलग किया जा सकता है परन्तु अन्य हालत मे हम ऐसा नही कर सकते। इसीलिये गाव का अध्ययन इसके स्थानीय परिवेश और बृहद परिपेक्ष्य दोनो ही दृष्टिकोण से करने की आवश्यकता है।

विभिन्न विद्वानो ने 'ग्रामीण शब्द की अनेक व्याख्याये प्रस्तुत की है। कुछ लोगो ने इसे सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछडा बताया है तो कुछ ने कृषि व्यवसाय को प्रमुखता दी है। वही कुछ लोग जनसख्या को निर्धारक मानते है। 'ग्रामीण' की व्याख्या 'नगरीय' शब्द के विपरीत की गयी है। अर्थात् नगरीय विशेषताओ के विपरीत विशेषताओ वाला क्षेत्र ग्रामीण है। किन्तु इन सभी व्याख्याओ मे किसी न किसी प्रकार की कमी है। पिछडे व्यक्ति नगरो मे भी निवास करते है।

के0एन0 श्रीवास्तव ने 'ग्रामीण' एव 'नगरीय' की व्याख्या मनुष्य और उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अन्त क्रिया के आधार पर की है। "एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहॉ लोग किसी प्राथमिक उद्योग मे लगे हो, अर्थात प्रकृति के सहयोग से वे वस्तुओ का प्रथम बार उत्पादन वाले हो, (के0एन0 श्रीवास्तव 1971)।

पॉल एच0 लैण्डिस– ने 'ग्रामीण' शब्द की व्याख्या मे तीन बातो को विशेष महत्व दिया है। (1) प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता, (2) सीमित आकार (3) घनिष्ठ और प्राकृतिक सम्बन्ध

"ग्रामीण वह क्षेत्र है जिसके निवासी प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर हो, जिसका आकार सीमित हो और जिनसे घनिष्ठ एव प्राथमिक सम्बन्ध पाये जाते हो," (Paul H Landıs P 18) ।

वरट्राण्ड ने 'ग्रामीणता' के निर्धारण मे दो आधारो (1) कृषि द्वारा आय अथवा जीवनयापन (2) कम घनत्व वाला जनसख्या क्षेत्र, को प्रमुख माना है," (Bertrand, P P 9,10) ।

सक्षेप मे 'ग्रामीण' शब्द के प्रयोग मे जो बाते मुख्य है वे है

(1) प्रकृति पर प्रत्यक्ष निर्भरता

(2) सीमित आकार

(3) धार्मिक और प्राथमिक सम्बन्धो की प्रधानता

(4) कृषि द्वारा जीवनयापन

(5) जनसख्या का कम घनत्व

भारतीय ग्रामीण समाज की प्रमुख विशेषताओ मे सयुक्त परिवार, कृषि प्रमुख व्यवसाय, जाति प्रथा, जजमानी प्रथा, ग्राम पचायत, भाग्यवादी, सरल एव सादा जीवन, जनमत का अधिक महत्व, सामाजिक समरूपता, प्रथाओ और धर्म का महत्व, स्त्रियो की निम्न स्थिति, अशिक्षा, आत्मनिर्भरता आदि स्पष्ट परिलक्षित होता है।

1.1.2. विकास की संकल्पना एवं उद्देश्य :–

विकास एक प्रक्रिया है जो प्रगति का सूचक है, किसी भी तत्व मे गुणात्मक मात्रात्मक तथा कल्याणपरक सकारात्मक परिवर्तन ही विकास है। विकास से अभिप्राय जीवन के भौतिक स्तर में समग्र रचनात्मक परिवर्तन से है।

इसलिये विकास के लिये केवल आर्थिक सवृद्धि ही नही बल्कि आर्थिक सवृद्धि के लाभो का न्यायोचित वितरण भी आवश्यक है। दूसरे शब्दो मे 'विकास का अर्थ न्यायमुक्त सवृद्धि से है। इसका अर्थ है कि बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास व कल्याण द्वारा जीवन स्तर मे सुधार।

विकास के मूल तत्व –

(1) असमानता व निर्धनता का उन्मूलन ।

(2) लोगो के भौतिक कल्याण मे वृद्धि ।

(3) सामाजिक स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास कल्याण आदि मे वृद्धि।

(4) क्षेत्र या देश मे विभिन्न जनसमूहो के बीच विकास के लाभो का न्यायोचित वितरण।

(5) ऐसे सस्थागत ढॉचे का निर्माण करना जिसमे निर्णय लेने के सभी स्तरों के योगदान की अनुमति हो। विकास के लिये सभी को समान अवसर प्राप्त हो तथा असमानताये दूर हो।

आर्थिक सवृद्धि और विकास की सकल्पना मे मूलभूत अन्तर है जहॉ आर्थिक सवृद्धि से अभिप्राय अर्थव्यवस्था मे उत्पादित सभी वस्तु और के मूल्य और सेवाओ के मूल्य मे वृद्धि से है। जबकि विकास का अर्थ भौतिक कल्याण मे लगातार सुधार, विशेष रूप से उन लोगो के, जो निर्धन है और निर्धनता के कुचक्र मे फॅसे हुये है तथा अशिक्षित है और जिनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी हालत अच्छी नही है।

विकास की अवधारणा एक नूतन आयाम है, जबकि प्रगति की अवधारणा प्रबोध और औद्योगिक क्रान्ति से जुडी हुई है। विकास की प्रकृति सन्दर्भात्मक और सापेक्षिक है। प्रगति की प्रकृति सामान्य है और औचित्यात्मक कारको पर आधारित

है। योगेन्द्र सिह के अनुसार "समाज के सदस्यो मे वाछनीय दिशा मे नियोजित सामाजिक परिवर्तन लाने के उपाय को विकास कहते है। अत विकास की धारणा सामाजिक – सास्कृतिक पृष्ठभूमि और राजनैतिक और भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर प्रत्येक समाज मे भिन्न–भिन्न पायी जाती है।"

"विकास एक सम्मिश्र अवधारणा है।" समाज के विकास मे लगातार कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि विभिन्न क्षेत्रो मे प्रगति को गिना जाता है। विकास मे कमजोर वर्गो, स्त्रियो, और बच्चो, बीमार, बेरोजगार और वृद्ध लोग और अल्पसख्यको के कल्याण को भी शामिल करते है। विभिन्न नीतियो और कार्यक्रमो का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो, अनुसूचित जातियो, जनजातियो, महिलाओ, कृषि मजदूरो और औद्योगिक श्रमिको के कल्याण का है।

अत विकास एक मूल्य–धारित व्याख्या है। यह एक समाज, क्षेत्र और जनता की सामाजिक सास्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओ से सम्बद्ध है। विकास (परिवर्तन) की चार कसौटिया है। पैमाना, क्षमता, पारस्परिकता और स्वतन्त्रता मे वृद्धि। विकास के लिये पैमाना मुख्य कसौटी है। इसीलिये विकास एक रेखीय है। इस प्रकार विकास का अभिप्राय एक सामाजिक प्रघटना के पूर्णत्तर वृद्धिरूपी उद्विकास से है।

गुन्नार मिर्डल ने अपनी पुस्तक "एशियन ड्रामा" में यह मत प्रकट किया है कि आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र मे विकास का अर्थ "आधुनिकीकरण के आदर्शो को सामाजिक जीवन मे उतारने से है।" मिर्डल लिखते हैं "विकास का अर्थ सामाजिक व्यवस्था मे उन अनेक अवाछनीय अवस्थाओ का सुधार करना है जिनके कारण अल्पविकास की स्थिति बनी हुई है।"

विकास, जो कि बुद्धिसगत तरीको से तालमेल बैठाते हुए नीतिपरक उपायो की एक व्यवस्था है, नियोजन के द्वारा सम्भव बनाया जा सकता है।

ग्रामीण विकास के सन्दर्भ मे गॉधी जी ऐसे ग्राम समुदाय की कल्पना करते थे जो स्वय समर्थ हो, स्वशासी हो, व आत्मनिर्भर हो, जहॉ प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताये पूरी हो और लोग सद्भाव तथा सहयेाग के वातावरण मे रहे। सक्षेप मे गॉधी जी ऐसे ग्राम समुदाय की कल्पना करते थे जिसे राजनीतिक स्वायत्ता प्राप्त हो, जो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो, सामाजिक समानता पर आधारित हो और जहॉ शोषण न हो।

ग्राम विकास का उद्देश्य –

(1) ग्राम क्षेत्रो के लोगो के जीवन स्तर को ऊपर उठाना।

(2) ग्राम सस्थाये बनाना और मजबूत करना, जो लोगो को ग्राम विकास मे भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करेगी।

(3) ग्राम क्षेत्रो के उत्पादन मे वृद्धि करना।

"ग्रामीण विकास एक प्रक्रिया है जिसका लक्ष्य नगरीय क्षेत्रो से बाहर रहने वाले लोगो का सम्मिलित प्रयास से विकास करना है" (कॉप 1972)।

"ग्रामीण विकास निर्धन ग्रामीण स्त्री–पुरूष तथा उनके पाल्यो की इच्छाओ एव आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु उन्हे योग्य बनाने की व्यूह रचना है" (चैम्बर्स, 1983)"।

"ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्र मे गुणात्मक एव मात्रात्मक दोनो दृष्टिकोणो से घनात्मक परिवर्तन से है" (मिश्र एवं सुन्दरम् 1979)।

असमानताओ, गरीबी, ससाधनो के समुचित उपयोग से सबधित नही है वरन् निम्न कृषि उत्पादकता, स्थिर या घटती कृषि उत्पादकता (एशिया एव अफ्रीका) कुछ क्षेत्रो मे ससाधनो की कमी, मानव ससाधन मे गुणवत्ता की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओ का अभाव, कृषि पर आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, अवस्थापना सुविधाओ और निवेश मे कमी तथा रोजगार के अवसरो मे कमी भी कई समस्याओ के मूल जड मे है। तेजी से बढती जनसख्या तथा भूमि तक सीमित पहुँच भी ग्रामीण विकास मे बाधक है।

मूरे के शब्दो मे ग्रामीण विकास सम्पूर्ण जनसख्या, जो स्पष्टत नगरीय क्षेत्र से बाहर रहती है, के लिए सामाजिक कल्याण एव भौतिक पदार्थो मे सुधार की एक प्रक्रिया है। ग्रामीण विकास प्रकृति से अन्तर्विषयक एव क्रियान्वयन की दृष्टि से बहुखण्डीय है। जिसको अनेकानेक उद्देश्यो की पूर्ति हेतु लागू किया जा सकता है। ऐसे उद्देश्यो मे आर्थिक उत्पादन, रोजगार एव आय का समान वितरण, विकास प्रक्रिया मे जनता की भागीदारी, आधुनिक निवेशो और सेवाओ की अधिकाधिक उपलब्धता, आत्मनिर्भरता, वातावरण जागृति आदि प्रमुख है।

भारत मे सतुलित ग्रामीण विकास नियेाजन की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित तथ्यो पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है –

1 कृषि विकास

2 भूमि सुधार

3 ग्रामीण क्षेत्रो मे औद्योगीकरण

4 अवस्थापना सुविधाओ का सुदृढ जाल

5 ससाधन विकास

6 बुनियादी सुविधाओं का विकास

7 ग्रामीण दबाव मे कमी लाना

8 स्थान का समुचित प्रबन्धन

9 ग्रामीण विकास के विभिन्न घटको मे समन्वय

10 क्षेत्रीय अधिवास सश्लिष्टो का सृजन

11 गरीबी उन्मूलन क्षेत्रो के कार्यक्रमो को प्रभावी बनाना।

1.1.3. ग्रामीण विकास को प्रभावित करने वाले कारक

हमारे सबसे प्रिय लक्ष्य हमसे आज भी उतने ही दूर है, जितने वे तब थे जब हमने योजनाबद्ध विकास की अपनी यात्रा प्रारम्भ की थी, ग्रामीण विकास को बाधित करने वाले कारक निम्न है –

(क) ग्रामीण एव नगरीय क्षेत्रो का बढता हुआ अन्तर्विरोध एव आर्थिक द्वैतवाद

(ख) भारतीय ग्रामो मे अमीर एव गरीब की खाई बढाने वाली वर्ग सरचना का बना रहना

(ग) वर्तमान कृषि सरचना एव तन्निहित पारस्परिक सबध

(घ) स्पष्ट ग्रामीण विकास नीतियो का राष्ट्रीय स्तर पर अभाव

(ङ) आन्तरिक एव स्थानीय विकास स्रोतो के समुचित उपयोग करने मे असफलता

(च) विदेशी तकनीकी एव आर्थिक निर्भरता

(छ) देशी तकनीको का अभाव तथा विदेशी तकनीकी, जो भारतीय परिप्रेक्ष्य मे अनुपयोगी है, का प्रयोग

(ज) औद्योगिक एव कृषि सबधी नीतियो मे वाछित समीकरण का अभाव

(झ) भूमि संबधी सुधारो को कार्यान्वित करने मे असफलता

(ट) विकास प्रक्रियाओ का एकांगी होना

(ठ) विकासोप्रयोगी राजनीतिक चेतना एव नेतृत्व का अभाव

(ड) कमजोर वर्गों के हितो वाली सस्थाओ का अभाव तथा

(ढ) क्षेत्रीय एव स्थानीय प्रकृति के अनुरूप योजनाओ का अभाव।

1.2. भारत में ग्रामीण विकास का ऐतिहासिक निरूपण

1.2.1. स्वतन्त्रता से पूर्व ग्रामीण विकास

भारत मे ग्रामीण विकास की प्रक्रिया बीसवी सदी मे प्रारम्भ हुई। स्वतन्त्रता के पूर्व ग्रामीण विकास के लिए 1901 मे सिचाई आयेाग, 1927 मे शाही कृषि आयेाग एव 1932 मे खाद्य उत्पादन सभा आदि का गठन कर एक सामान्य प्रयास किया गया। ये कार्यक्रम एकागी प्रकृति के थे। साथ ही दोष–पूर्ण भू–धारण पद्धति मे वास्तविक कृषक जोत का स्वामी न था। अतएव वह जोत मे किसी स्थायी सुधार के प्रति उदासीन था। भारतीय ग्रामोद्योगो की ढुलमुल नीति के कारण ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था जर्जर हो गयी। उद्योगो मे ह्रास के कारण अधिसख्यक जनता कृषि पर आधारित हो गयी। फलत कृषि भूमि पर दबाव बढा है। भू–स्वामित्व की दुर्नीति और दोषपूर्ण लगान निर्धारण पद्धति आदि से जनता गरीबी, बेरोजगारी और ऋण मे दबती गयी। आर्थिक विपन्नता बढी। समाज मे कमजोर वर्ग की वृद्धि हुई। भारतीय ग्राम पिछडते चले गये और सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक एव राजनैतिक द्वैतवाद बढता गया, (दूबे तथा सिह 1985)।

ग्रामीण पुनर्निमाण के लिए 1921 से 1930 का दशक सबसे महत्वपूर्ण रहा। इस समय 'श्रीनिकेतन इन्स्टीटयूट आफ रूरल रिकान्स्टक्शन' श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 मे स्थापित किया गया। मि0 एमहर्स्ट के निर्देशन मे इस सस्थान ने ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य प्रारम्भ किया। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणो मे पूर्णरूपेण नवजीवन का सचार, ग्रामीणो मे आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, सस्कृति का परिज्ञान एव उपलब्ध ससाधनो, के सम्यक् उपयोग द्वारा भौतिक, आध्यात्मिक एव आर्थिक दशाओ मे सुधार रहा। टैगोर की प्रेरणा से ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्य प्रारम्भ किये गये यथा स्वास्थ्य

सहकारिता, सगठन, कृषि प्रदर्शन, उत्तम बीज एव उर्वरको की आपूर्ति, कुटीर एव हस्तकला मे सुधार आदि। इन्हे वृतचारी आन्दोलन एव शिक्षा सत्र के नाम से अभिहित किया गया। शिक्षा सत्र के अर्न्तगत ग्रामीण बालको को शिक्षा देने के साथ–साथ पठन–पाठन हेतु नये साहित्य का सृजन भी किया गया। इससे ग्रामीण विकास को नयी दिशा मिली।

1921 मे ही डा0 स्पेन्सर हैच के नेतृत्व मे मारतण्डम् की स्थापना ग्रामीणजनो के आध्यात्मिक–मानसिक–भौतिक सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए की गयी। इसके अनुभव के आधार पर बडौदा, मैसूर और हैदराबाद मे ग्रामीण पुनसरचना के लिए प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना हुई, जो बाद मे श्रीलका, वर्मा तथा मिश्र तक पहुँची।

गुडगॉव प्रयोग 1927 मे मि0 ब्रेने द्वारा प्रारम्भ किया गया। इसमे कडी मेहनत, आत्मसम्मान, आत्यसयम, आत्मनिर्भरता, पारस्परिक निर्भरता एव समादर को ग्रामीण निर्माण के लिए महत्वपूर्ण आदर्श मानकर ग्रामीण विकास की धारा प्रवाहित की गयी। वस्तुत सुधार की इच्छा ही आर्थिक उत्थान की कुजी है, इसे आधार माना गया। साथ ही इसमे ग्रामीण विकास के विभिन्न पक्षो–कृषि–संसाधन–सगठन और स्थानीय विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। यद्यपि यह विचारधारा उत्तम रही, लेकिन शासकीय एवं उच्च्य स्तरीय कार्यकर्ताओ ने इसमे सहयेाग प्रदान नही किया।

1932 मे बडौदा मे ग्रामीण पुनर्निमाण योजना ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रारम्भ की गयी। इसमे आवागमन एव सचार मे सुधार पेयजल, कूप निर्माण, मलेरिया, उन्मूलन, चरागाह सुधार, उत्तम बीजो का वितरण गृह एवं हस्तकलाओ का प्रशिक्षण, पचायती एवं सहकारी सस्थाओं की स्थापना एवं ग्रामीण विद्यालयो

का विकास ताकि वे कृषि एव उत्तम जीवनयापन के केन्द्र के रूप मे कार्य कर सके, आदि उद्‌देश्यो को समाहित किया गया। यद्यपि इन कार्यक्रमो के लिए कोई बहुद्‌देशीय ग्रामस्तर का कार्यकर्ता नही था, फिर भी ये उदार, विस्तृत, सगठित एव कृषि प्रधान कार्यक्रमो को सयोजित करने मे सक्षम रहे।

गॉधीजी ने सेवा ग्राम से कई रचनात्मक कार्यक्रमो को प्रारम्भ किया, यथा–खादी का उपयोग, ग्रामीण उद्योगो का विकास, अस्पृश्यता निवारण, मौलिक एव प्रौढ शिक्षा, ग्रामो की स्वच्छता, सामुदायिक सौहार्द, नशाबन्दी, स्वास्थ्य शिक्षा, नारी उत्थान एव राष्ट्रभाषा की अभ्युन्नति। इन्होने आत्मनिर्भरता, विशेषत भोजन, वस्त्र पर विशेष बल दिया। इन विकास परक तथ्यो के साथ ही उन्होने नैतिक मूल्यो के ह्रास को रोकने के लिए सत्य, अहिसा, सत्कार, आत्मसयम, कार्य की महत्ता, आत्मनिर्भरता आदि का प्रचार भी किया। इन्होने सर्वप्रथम पचायती राज एव सहकारी समाज का आन्दोलन प्रारम्भ किया।

विनोबा का ग्रामदान एव भूदान तथा जयप्रकाश नारायण की गॉधीवादी परम्परा सामुदायिक विकास से जुडी थी। 1937–39 के मध्य काग्रेस मन्त्रिमण्डल के समय ग्रामीण पुननिर्माण के लिए विभाग बने। लेकिन इनका प्रयास ग्रामीण विकास के सन्दर्भ मे नगण्य ही रहा। स्वतन्त्रता के पूर्व ग्रामीण विकास के लिए किये गये प्रयास व्यक्तिगत थे। इसलिए इनका व्यापक प्रभाव नही पडा फिर भी ये कार्यक्रम ग्रामीण विकास को अकुरित करने मे निश्चितत सफल रहे।

1.2.2. स्वातन्त्रोत्तर ग्रामीण विकास :–

स्वतन्त्रता के पश्चात् विस्थापितो की सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 1947 में निलोखेरी अभियान के अर्न्तगत 7000 विस्थापितो को 1100 एकड दलदली भू–भाग पर बसाया गया। यह उपनिवेश बाद में नगरीय रूप धारण कर

लिया तथा 100 ग्रामो को समन्वित कर इसे मजदूर–मजिल से अभिहित किया गया। "काम नही तो भोजन नही" इसमे सिद्धान्त रूप मे माना गया। साथ ही इसमे शिक्षा स्वास्थ्य तथा प्रसार आदि पर सबका समान अधिकार मानते हुये धर्म निरपेक्षता का ध्यान रखा गया।

इटावा पायलट परियोजना, 1952 मे सामुदायिक परियेाजना के रूप मे इल्वर्ट मेयर के नेतृत्व मे स्थापित की गयी। इसमे विभिन्न विकास कार्यक्रमो के लिये इटावा के ही महेवा विकास खण्ड के 97 ग्रामो को चुना गया और विभिन्न सामुदायिक कार्यक्रमो को कार्यान्वित किया गया। मि0 मेयर के अनुसार सामुदायिक अभिगम छोटे समुदायो मे स्वय विकास का माध्यम, गॉधीवादी विश्वास के साथ, हो सकता है। आत्मसतोष से भौतिक पूर्णता एव कल्याण फलप्रद हो सकता है।

उनकी विचारधारा मे सफल योजना के अन्तर्गत सभी समुदाय सम्मिलित होते है, समस्याएँ विशद रूप मे हल होती है, तथा बेरोजगारी का निराकरण होता है। इसमे वाहय अभिकरणो से सहायता मिलती है लेकिन प्रशासनीय प्रस्थिति पर विचार करते समय उन्होने पाया कि इसमे निम्न अवगुण भी है। (1) नैतिकता एव ईमानदारी की कमी (2) आत्मवीक्षण एव समालोचना की कमी (3) ऊपर एव नीचे के अधिकारियो एव व्यक्तियो मे सम्बन्ध की कमी (4) लक्ष्यो एव उद्देश्यो के पुनरीक्षण की कमी तथा (5) वैयक्तिक आवश्यकता की अवहेलना। समवेत प्रशासकीय पुर्नगठन के सम्बन्ध मे मेयर का महत्वपूर्ण योगदान आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण का रहा।

ग्रामीण विकास के लिये स्वतन्त्रता के पश्चात समयबद्ध कार्यक्रम अपनाये गये। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया इसके अन्र्तगत

ग्रामीण क्षेत्रो मे यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रसार तथा विपणन सेवाओ के विस्तार का लक्ष्य रखा गया। कृषि विकास भी इस कार्यक्रम का एक लक्ष्य रहा। इसके साथ ही 1953 मे राष्ट्रीय प्रसार सेवा को व्यवस्थित किया गया। इसी कार्यक्रम के अन्तर्गत विकासखण्डो की स्थापना इस उद्देश्य के साथ की गयी कि ये क्षेत्र अपने ससाधनो द्वारा विकसित किये जाय।

परन्तु कार्यक्रमो को व्यवस्थित स्वरूप नही दिया जा सका। 1960 मे खाद्यान्न की कमी से ग्रामीण विकास की मुख्य धारा के रूप मे कृषि विकास ही प्रस्फुटित हुआ और विकास के अन्य विविध पक्षो पर अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया गया। फलत ग्रामीण विकास का रूप एकागी हो गया और उसमे भी पूर्ण सफलता नही मिली (दूबे तथा सिह 1985)।

इस प्रकार राष्ट्र के ग्रामीण विकास के इतिहास की ओर जब हम दृष्टि डालते है तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे देश मे ग्रामीण विकास के महत्व पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के उत्तरार्द्ध मे विशेष ध्यान दिया गया और अनेक विकास कार्यक्रमो को कार्यान्वित किया गया। मार्च 1950 मे 'योजना आयोग' का गठन इसी अभिप्राय के साथ किया गया कि "राष्ट्र मे उपलब्ध साधन स्रोतों का सन्तुलित उपयोग कर प्रभावी बनाया जा सके और इसका लाभ अधिक से अधिक लोगो को प्राप्त हो सके।"

इस उपयेाग का उद्देश्य यह भी था कि विकास की प्रक्रिया मे आम नागरिक की भागीदारी हो, सामान्य लोगो का जीवन स्तर ऊँचा उठ सके, एवम आर्थिक विकास के बहुआयामी अवसरो का सृजन हो सके। फलतः इस अभिप्राय एव उद्देश्य को संविधान की प्रस्तावना में जोडा गया और मौलिक अधिकार, और 'राज्य के नीति निदेशक तत्व' को संविधान की महत्वपूर्ण कडी बनाया गया।

13. पंचवर्षीय योजनायें और ग्रामीण विकास :–

प0 जवाहर लाल नेहरू के शब्दो मे "योजना भारत के 40 करोड व्यक्तियेा की जन्मपत्री है। यह जन्मपत्री चन्द्रमा तथा ग्रहो के आधार पर नही तैयार की गयी है, यह देश के साधनो को भली–भॉति देखकर तैयार की गयी है ताकि जनता को आगे बढने का अवसर मिले। अत स्पष्ट है कि पचवर्षीय येाजनाये भारत की पुननिर्माण की योजनाये है और चूकि भारत गावो एक आधारभूत अग है। योजना आयोग द्वारा 1951 मे प्रथम पचवर्षीय योजना को कार्यरूप दिया गया। वर्ष 1951–52 से लेकर नवी पचवर्षीय येाजना तक के व्यय सम्बन्धी ऑकडो के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि सभी पचवर्षीय योजनाओ मे गॉव की मूलभूत एव न्यूनतम आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए कई विकास कार्यक्रम तैयार किये जाते है जिनका बुनियादी उद्देश्य है, गरीबी उन्मूलन के उपाय, आर्थिक एव सामाजिक असमानता मे कमी, विशेषाधिकार की समाप्ति एव अन्य ग्रामीण समस्याओ का समाधान।

प्रथम पचवर्षीय योजना 1951–52 से 1955–56 तक विकास येाजनाओ का प्रारम्भिक प्रयोग समझा जाता है, जिसके पीछे लक्ष्य यही था कि आम नागरिक विकास के सिद्धान्त से अवगत हो सके और राष्ट्र में प्रशासनिक सरचना को सुदृढ करते हुये विकास कार्यक्रमो को प्रभावी ढग से कार्यान्वित किया जा सके। प्रथम पचवर्षीय योजना के निर्धारित मुख्य उद्देश्य थे – कृषि एव सिचाई का विकास ऊर्जा (बिजली) स्रोतो का विकास, उद्योगो को प्रोत्साहित करना एव यातायात सुविधा का विकास करना आदि।

प्रथम पंचवर्षीय योजना काल मे ग्रामीण क्षेत्र में सर्वागीण विकास हेतु सामुदायिक विकास प्रखण्डो की स्थापना (1952) की गयी और सभी विकास

कार्यक्रमो को एक विशेष प्रशासनिक तन्त्र द्वारा कार्यान्वित करने का प्रयास किया गया।

द्वितीय पचवर्षीय योजना वर्ष 1956–57 से 1961–62 की अवधि के लिये तैयार की गयी। इस पचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य अपेक्षाकृत पूर्व की योजना से अधिक विस्तृत एव महत्वाकाक्षी बनाया गया। सक्षेप मे यह ध्यान मे रखा गया कि आम नागरिक की आय मे पर्याप्त वृद्धि हो, उनके जीवन स्तर मे वृद्धि हो सके, बुनियादी एव बृहद उद्योग का विकास हो एव रोजगार के अवसरो का विस्तार हो (150 लाख लोगो के लिये रोजगार के अवसरो का सृजन) एव आय और सम्पत्ति की असमानता मे कमी की जा सके।

सामुदायिक विकास प्रखण्डो द्वारा विकास कार्यक्रमो के कार्यान्वयन के अनुभव के आधार पर विकास कार्यक्रमो के प्रभावकारी क्रियान्वयन मे जनप्रतिनिधि एव ग्रामीण सस्थाओ की प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता महसूस करते हुये पचायती राज प्रणाली लागू की गयी। दुर्भाग्य वश इस अवधि मे देश को लगातार गम्भीर सूखे की स्थिति से गुजरना पडा। परिणामत· सघन कृषि विकास कार्यक्रम (1961) एवं हरित क्रान्ति जैसी योजनाओ को ग्रामीण क्षेत्रो मे अन्न उत्पादन मे द्रुत एवं क्रमिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से बडे पैमाने पर लागू किया गया।

तृतीय पचवर्षीय योजना 1961–62 से 1965–66 तक चलाई गयी। इस पचवर्षीय येाजना को अपेक्षाकृत अधिक ठोस एव कारगर बनाने के ध्येय रखे गये, जिसमे राष्ट्रीय आय मे 5% की वार्षिक वृद्धि करना, पूजी निवेश पर आधारित विकास को सुदृढ करना, अन्न उत्पादन मे स्वावलम्बन, अन्न उत्पादन मे वृद्धि करना, उद्योग जैसे–इस्पात, पेट्रोलियम एव रसायन, ऊर्जा एवं भारी मशीन के उद्योग की स्थापना कर छोटे मशीन के उत्पादन मे वृद्धि कर राष्ट्र को दस वर्ष

के अन्दर स्वावलम्बी बनाना, रेाजगार के अवसरो मे पर्याप्त वृद्धि को सुनिश्चित करना, आय और सम्पत्ति की असमानता मे कमी लाना एव आर्थिक शक्ति का अधिकाधिक सरल वितरण करना।

प्रथम दो पचवर्षीय योजनाओ मे कार्यान्वित किये गये कार्यक्रमों की सफलता एव समस्याओ को ध्यान मे रखते हुये तृतीय पचवर्षीय योजना के अन्त मे अनेक ऐसे भी विकास कार्यक्रमो की रूपरेखा तैयार की गयी जो क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओ एव उपलब्ध साधन स्रोतो पर आधारित थे जैसे– कमाड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजाति क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एव मरूक्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि।

तृतीय पचवर्षीय येाजना के उत्तरार्ध मे अर्थात 1965–66 मे राष्ट्र मे आन्तरिक सकट एव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सकटो के कारण 1965–66 को "प्लान होलिडे" माना गया। तृतीय तथा चतुर्थ पचवर्षीय येाजना काल के मध्य के समय में दो वार्षिक योजनाये चलायी गयी। जिसके फलस्वरूप चतुर्थ पचवर्षीय योजना का कार्यान्यवन 1969–70 मे प्रारम्भ हुआ। यह कहा जा सकता है कि 1966–67 से 1968–69 तक की योजना सिर्फ योजना के रूप मे बनी जिसमे पिछली तीन पचवर्षीय योजनाओ के अधूरे कार्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता रहा। वर्ष 1969–70 से 1973–1974 तक की अवधि मे चतुर्थ योजना को कार्यान्वित किया गया और इस योजना में भी पूर्व की योजनाओ के उद्देश्य के अतिरिक्त कई अन्य नए उद्देश्यो को सलग्न किया गया, जिसमे यह लक्ष्य रखे गये – कृषि एव धार्मिक उत्पादन मे वृद्धि, क्षेत्रीय असमानता को दूर करना, मूल्य वृद्धि को नियन्त्रित करना एव विदेशी सहायता मे कमी लाना।

उपरोक्त लक्ष्यो को ध्यान मे रखकर कुछ प्रयास किये गये जिसमे प्रमुख– प्रतिव्यक्ति आय मे वृद्धि करना, उत्पादन का समान वितरण एव विभिन्न सामाजिक समूहो की असमानता मे कमी लाना, आय मे स्रोतो को सुनियोजित करना एव आय को अर्द्धविकसित क्षेत्रो मे निवेश करना विकास के लाभ को स्थायी करते हुये स्वालम्बन प्राप्त करना, विदेशी सहायता मे 50% की कमी लाना, औद्योगिक बहुमुखी विकास जैसे–कृषि उत्पादन एव घरेलू निवेश मे क्रमिक वृद्धि करना, खाद्यान्न के आयात को वर्ष 1970–71 तक समाप्त करने का प्रयास करना, सहकारी समितियो जैसी इकाइयो को सुदृढ करना एव चौदह वर्ष की आयु तक के बालक/बालिकाओ के शिक्षा को अनिवार्य एव नि शुल्क बनाते हुये व्यावसायिक शिक्षण पर बल देना है।

चतुर्थ पचवर्षीय योजनावधि मे लघु कृषक विकास कार्यक्रम, एव सीमान्त कृषक विकास कार्यक्रमो को कार्यान्वित कर एक खास समूह को लाभ पहॅुचाने का प्रयास किया गया। इस अवधि मे एक अन्य महत्वाकाक्षी येाजना "न्यूनतम आवश्यकता 1975 कार्यक्रम" – एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप मे कार्यान्वित किया गया जो किसी कारण कई वर्षो तक प्रभावकारी कार्यक्रम के रूप मे नही उभर सकता।

वर्ष 1974–75 से 1978–79 की अवधि पचम पचवर्षीय योजना के अर्न्तगत आती है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक एवम आर्थिक उथल–पुथल के कारण पचम पचवर्षीय येाजना को अधिक प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से कई आमूल परिवर्तन किये गये। तेजी से बढती हुई जनसख्या, शहरीकरण एवं बेरोजगारी जैसी बुनियादी समस्या को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी, अनेक लक्ष्य अभिमुखीकृत कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया जैसे–गरीबी पर सीधा प्रहार करना, आय के

पुर्नवितरण के लिये प्रयास करना, विज्ञान एव तकनीकी मे स्वावलम्बी बनाना, आन्तरिक साधन स्रोतो को विस्तारित करना, कृषि एव औद्योगिक विकास के बुनियादी सम्बन्ध पर बल देना एव दोनो को परस्पर सहयोगी बनाना, शहरी सम्पत्ति के प्रत्यक्ष करो मे क्रमिक वृद्धि करना, शहरी भूमि का समाजीकरण करना, जन वितरण प्रणाली को लागू करना, आय व्यक्ति की बचत मे वृद्धि लाना, विदेशी सहायता मे कमी लाना, एव विदेशी सहायता का पूर्ण सदुपयोग करना, भू–हदबन्दी एव भूमि वितरण को कारगर बनाते हुये समाज के कमजोर वर्ग, लघुसीमात कृषक एव भूमिहीन मजदूरो के उत्थान के लिये प्रयास करना।

पॉचवी पचवर्षीय योजना अवधि मे राजनैतिक उथल–पुथल के कारण देश गम्भीर रूप से प्रभावित रहा, फलत कोई दूरगामी प्रभावशाली योजनाये नही बन सकी। अल्प अवधि के लिये "अन्त्योदय कार्यक्रम" एव "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम जैसी योजनाओ की रूपरेखा तैयार कर उन्हे जल्दबाजी मे लागू किया गया, हालाकि इसकी सफलता कई क्षेत्रो मे लगभग सन्तोषप्रद रही, लेकिन राजनैतिक परिवर्तन के कारण कार्यक्रम मे परिवर्तन हुआ।

इसी पचवर्षीय योजना मे ही कमाण्ड एरिया विकास कार्यक्रम (1974), मरूस्थलीय विकास कार्यक्रम (1977), जनजातीय क्षेत्रीय प्रोग्राम, पहाडी क्षेत्र कार्यक्रम (1979), पायलट सघन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाये गये। इस प्रकार पॉचवी योजना अन्न उत्पादन मे वृद्धि के अलावा किसी भी क्षेत्र मे अपने लक्ष्यो को प्राप्त न कर सकी।

छठी पचवर्षीय योजना का प्रारम्भ एक राजनैतिक परिवर्तन की अवधि मे सन 1977–78 मे हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद एक लम्बी अवधि यानी दो दशक से अधिक की अवधि के बाद राष्ट्र मे बड़े पैमाने पर राजनैतिक परिवर्तन

हुआ। फलस्वरूप प्रशासनिक कार्यनीति मे कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये। छठी पचवर्षीय येाजना की रूपरेखा नये सिरे से तैयार की गयी जिसमे मात्र एक वर्ष के लिये कार्यक्रम तैयार कर लागू किये गये।

तत्कालीन सरकार ने पिछली पॉच पचवर्षीय योजनाओ की उपलब्धियो पर विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकताओ जैसे बेरोजगारी, गरीबी, एव असमानता को दूर करने के लिये प्रभावकारी या परिणामोन्मुख नही बनाया जा सकता। फलस्वरूप छठी पचवर्षीय योजना मे सामान्य उद्देश्यो के अतिरिक्त कई लक्ष्य आधारित उद्देश्य को भी शामिल किया गया।

जैसे – बेरोजगारी दूर करने के कडे एव सघन उपाय, निर्धनतम वर्ग के परिवारो के जीवन स्तर को प्रत्यक्ष सहायता एव अनुदान देकर ऊँचा उठाना, न्यूनतम आवश्यकता जैसे शुद्ध एव स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, प्राथमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा सहित, प्राथमिक चिकित्सा ग्रामीण यातायात एव ग्रामीण आवास सुविधा के लिये विकसित करना, कमजोर एव निर्धन वर्ग के लोगों पर विशेष ध्यान देना आदि है।

उपर्युक्त क्षेत्र मे लक्ष्य प्राप्ति के लिये गरीबी उन्मूलन पर विरोध बल दिया गया और पोषण तत्व के उपभोग के आधार पर गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया। 1977–78 में उपलब्ध ऑकडो के आधार पर यह अनुमान किया गया कि देश के ग्रामीण क्षेत्र मे 48% एव शहरी क्षेत्र मे 41% गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो की कुल सख्या 2900 लाख हो गयी। छठी पचवर्षीय योजना में गरीबी एवं बेरोजगारी उन्मूलन को महत्वपूर्ण स्थान देते हुये सभी विकास कार्यक्रमो जैसे–पूर्व के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा

क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पहाडी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मरूक्षेत्र विकास कार्यक्रम, आदि को एकीकृत कर समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप मे कार्यान्वित करने का एकजुट प्रयास किया गया। इस कार्यक्रम मे गरीबी और बेरोजगारी पर प्रत्यक्ष और सीधे प्रहार की रणनीति अपनाई गयी और प्रशासन को सवेदनशील बनाने के लिये कारगर प्रयास किया गया।

इस अवधि मे गरीबी एव बेरोजगारी के बढते प्रकोप के कारण देश मे अनेक आर्थिक एव सामाजिक समस्याओ का जन्म हुआ। फलतः इन दोनो समस्याओ के लिये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो के लिये ही प्रत्यक्ष एव सीधे लाभ वाले अनेक कार्यक्रमो जैसे समन्वित ग्रामीण विकास (I.R D P) कार्यक्रम 1980, ग्रामीण युवा स्वनियोजन कार्यक्रम (D W C R A) ग्रामीण महिला एव शिशु विकास कार्यक्रम 1982, के साथ–साथ राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम एव ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम 1983, जैसे कार्यक्रमो को ग्रामीण क्षेत्रो मे बडे पैमाने पर सघन रूप से कार्यान्वित किया गया। इन कार्यक्रमो को सातवी पचवर्षीय योजना वर्ष 1981–86 से 1989–90 तक कार्यान्वित किया गया जिसमे खाद्यान्न रोजगार एव उत्पादकता पर विशेष बल दिया गया।

छठी पचवर्षीय योजना में अपनाये गये गरीबी एव बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम को प्राथमिकता देते हुये इसे सभी कार्यक्रमो के साथ भी जोडा गया। इस योजनावधि मे विभिन्न विकास कार्यक्रमो के तहत कृषि उत्पादन क्षमता मे वृद्धि के प्रयास के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रो मे बेरोजगारी एव अर्द्धबेरोजगारी की गम्भीरता मे कमी के लिये ठोस कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित किया गया। जनजाति एंव पिछडे क्षेत्र को विकसित करने के लिये कई विशेष कार्यक्रम भी

चलाये गये। ग्रामीण क्षेत्रो मे भूमिहीन परिवारो एव कृषक मजदूरो के लिये रोजगार गारन्टी कार्यक्रम का अपेक्षाकृत अधिक गहन और विस्तृत बनाने का प्रयास किया गया। विकास कार्यक्रमो मे महिलाओ की भागीदारी एव प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुँचाने वाले कार्यक्रमो को प्राथमिकता दी गई। समूह कार्यक्रम के अतिरिक्त क्लस्टर कार्यक्रम को अधिकाधिक प्रोत्साहित किया गया।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अच्छे परिणाम देखते हुये इन कार्यक्रमो को आठवी पचवर्षीय योजना अवधि (1992–97) मे भी विस्तार किया गया। इस अवधि मे ग्रामीणो की भागीदारी को प्रभावशाली बनाने के विचार से जवाहर रोजगार योजना 1989–90 मे लागू की गयी और पचायतो एव आम नागरिको को योजनाओ बनाने एव कार्यान्वित करने का प्रत्यक्ष भार सौपा गया है।

आठवी पचवर्षीय योजना मे ग्रामीण विकास पर देश की धनराशि का कम से कम 50% व्यय करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त देश के बुनियादी ढॉचे मे प्रभावकारी परिवर्तन के उपाय से यह रणनीति तैयार की गयी है– अधिकारो का विकेन्द्रीकरण, सघीय ढॉचे को सुदृढ करना, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्र का सतुलित विकास, रोजगार के अवसर का सृजन एव विस्तार, जनसख्या नियन्त्रण एव मानव ससाधन की गुणवत्ता मे सुधार करना, पर्यावरण विकास एव प्रौद्योगिकी के जरिये विकास की गति तेज करना।

ग्रामीण विकास के लिए आठवी योजना मे आबटित राशि 30,000 करोड रूपये को बढाकर नौवी योजना में 42,874 करोड रूपये कर दिया गया। ग्रामीण विकास मन्त्रालय ने वर्ष 2000–2001 के लिये विभिन्न योजनाओ हेतु 9760 करोड रूपये का आबटन किया है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओ के लिये 6,790 करोड़ रूपये, भूससाधन विभाग की योजनाओ के लिए 900 करोड़ रूपये

तथा पेयजल आपूर्ति विभाग की योजनाओ के लिए 2,100 करोड रूपये सम्मिलित है, (भारत 2001, पृ0 455)।

इसी अवधि मे रोजगार आश्वासन येाजना (1993), इन्दिरा आवास योजना (1988), सिटरा, (दस लाख कुओ की योजना), सासद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, गगा कल्याण योजना, सामूहिक जीवन बीमा योजना, महिला समृद्धि योजना प्रमुख योजनाये है जो कि गरीबी उन्मूलन एव गॉवो के बहुमुखी विकास हेतु चलायी गयी।

पंचवर्षीय योजनाओं का मूल्यांकन

यदि हम सभी नौ पचवर्षीय योजनाओ की जानकारी ले तो ऐसा प्रतीत होता है कि योजना के पॉच दशको मे हमारी सभी योजनाऐ किसी न किसी विषय की ओर उन्मुख थी, कभी कृषि उत्पादन मे आत्मनिर्भरता, कभी औद्योगिक विकास आदि, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी हमेशा वृद्धि की ओर रहे है।

1951 से 50 वर्षो की अवधि मे आर्थिक विकास की औसत दर 3% रही है। यद्यपि यह विश्व के 4% की तुलना मे बुरी नही है तथापि विकासशील देशो के 7% से 10% की तुलना मे कम है। 1951 से 2000 के बीच हमारी वार्प्रिक राष्ट्रीय आय 3.5% की दर से बढी है, कृषि उत्पादन 2.7% औद्योगिक विकास 6 1% और प्रतिव्यक्ति आय मे 1.1% की वृद्धि हुई है। यद्यपि सरकार ने दावा किया है कि गरीबी की सीमा रेखा से नीचे के लोगों की सख्या 1999 मे 36% ही थी लेकिन बेरोजगार लोगों की सख्या मे वृद्धि हुई है, अतः हम यह नही कह सकते कि गरीबी कम हो गयी है। इसमें आश्चर्य नही कि आज अधिक लोग कुण्ठा का अनुभव करते हैं और प्रतिवर्ष आन्दोलन बढ़ रहे है।

योजना आयोग के माध्यम से कृषि, पेयजल, सिचाई, ऊर्जा, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य सचार, परिवहन पशुपालन तथा समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रो मे विकास, पशुपालन तथा समाज कल्याण इत्यादि क्षेत्रो मे विकास के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु पचवर्षीय तथा वार्षिक योजनाओ का निर्माण, क्रियान्वयन तथा मूल्याकन पचास वर्षों से जारी है लेकिन राष्ट्र की बुनियादी समस्याओ आज भी यथावत बनी हुई है । इसमे गरीबी, कुपोषण, जनाधिक्य, स्वास्थ्य का निम्नस्तर, बेरोजगारी, शोषण असमानता तथा पेयजल परिवहन एव ऊर्जा की कमी इत्यादि प्रमुख है।

क्या कारण है कि नौ पचवर्षीय योजनाये पूर्ण करने के बावजूद भी हमारी मूलभूत समस्याओ का समाधान नही हो सका है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, नौकरशाही का परम्परागत मॉडल तथा परम्परागत समाज की दूषित मानसिकता सहित राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी ने विकास की प्राथमिकताओ को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बार–बार प्रभावित किया है। रूसी ग्रास प्लान पर आधारित भारतीय योजनाओ की प्राथमिकताये तथा अभिगम योजना – दर – योजना परिवर्तित होते रहे है। अत किसी भी क्षेत्र मे सतत् विकास नही हो पाया है। हमने **प्रथम** पचवर्षीय योजना मे कृषि, सिचाई, तथा विद्युत परियोजनाओ को प्राथमिकता दी तो **दूसरी** योजना मे भारी उद्योगो को प्राथमिकता दी गयी। लोकतान्त्रिक समाजवाद तथा राष्ट्रीयकरण के उस दौर मे विकास के क्षेत्र मे राज्य की भूमिका को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया।

तीसरी योजना मे खाद्यान्न, औद्योगीकरण तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्राथमिकता मे एवं तदानुसार कार्यक्रम निश्चित करने पडे तो **चौथी** योजना युद्ध, अकाल, विदेशी सहायता के कारण देरी से शुरू हो पायी, जिसमे हमने पुन कृषि, सिचाई को वरीयता दी। **पॉचवी** योजना का उद्देश्य गरीबी हटाना था।

अत स्वास्थ्य, समाज कल्याण, सामाजिक सेवा क्षेत्र तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम को एकीकृत स्वरूप मे सचालित किया गया लेकिन **छठी** योजना मे कृषि के साथ–साथ उद्योगो एव ऊर्जा को विकसित करना अधिक जारी समझा गया। **सातवी** योजना मे पुन ऊर्जा की प्राथमिकता के साथ ही मानव ससाधन विकास को महत्व दिया गया।

आठवीं योजना के समय भारत मे निजीकरण का दौर आरम्भ हो चुका था। अत सरकार ने इस योजना मे प्राथमिक शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य के साथ ऊर्जा क्षेत्र को प्राथमिकता दी लेकिन भारत मे ऊर्जा की कमी पूर्ववत बरकरार है।

नौवीं येाजना मे ग्राम विकास, शिक्षा, समाज कल्याण, आवास के साथ समग्र विकास को लक्ष्य रखा गया। वही **दसवीं** पचवर्षीय योजना का उद्देश्य आगामी 10 वर्षो मे प्रतिव्यक्ति आय को दो गुना करने का है किन्तु नौवी योजना की समीक्षा नकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

यह दुर्भाग्य ही है कि पचवर्षीय योजनाओ मे अपनाई गयी अभिगम प्रणाली, माडल तथा रणनीति कभी भी लम्बे समय तक यथावत जारी नही रही बल्कि प्रत्येक योजना मे हमने नया प्रयोग किया। उदाहरण के लिये प्रथम पचवर्षीय योजना का मॉडल हैरोड डोमर माडल था तो दूसरी येाजना महालनोविस माडल (असतुलित सवृद्धि मॉडल) पर आधारित थी। इसी प्रकार तीसरी योजना जॉन सैण्डी एव एस0 चक्रवर्ती, मॉडल पर, चौथी येाजना एलन मान्ने एव अशोक–रूद्र माडल (सामजस्यता माडल) पर, पॉचवी योजना आयोग के स्वनिर्मित प्रारूप पर, छठी योजना सरचनात्मक परिवर्तन तथा वृद्धि उन्मुख माडल पर, सातवी योजना दीर्घकालीन विकास विधि एवं उदारीकरण मॉडल पर एवं

आठवी योजना निजीकरण एव वैश्वीकरण के डब्ल्यू मिल्लर माडल पर आधारित थी।

इन सभी अर्थशास्त्रीय प्रतिमानो की अपनी–अपनी शेष गुण तथा अवगुण है। यूरोपीय तथा विकसित राष्ट्रो का सामाजिक, आर्थिक, सास्कृतिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक परिवेश विकासशील राष्ट्रो की तुलना मे भिन्न है। अत भारत जैसे रूढिवादी तथा बहुसास्कृतिक देश मे विशुद्ध भारतीय माडल ही विकास करवा सकता है।

21वी सदी मे एक अरब से अधिक नागरिको को लेकर प्रवेश कर चुका भारत पुन यह सोचने को मजबूर है कि पहले विकास किया जाय अथवा जनसख्या को नियन्त्रित किया जाय। विकास को समग्र रूप मे ऑकने तथा आधारभूत सरचना को विकसित करने की दिशा मे हमने अभी तक नही सोचा है। दरअसल सडक तथा विद्युत दो ऐसी मूलभूत सुविधाये है जिनपर सम्पूर्ण विकास चक्र टिका है किन्तु हमारे देश मे ये दोनो सुविधाये ही जर्जर अवस्था मे है। स्पष्ट है कि सडक ऊर्जा के अभाव मे पेयजल सिचाई उद्योग, कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लक्ष्य भी अघर मे लटक जाते है।

स्वतन्त्र भारत मे नियेाजन की पचास वर्षीय यात्रा के वर्तमान मोड पर यह प्रश्न भी स्वाभाविक रूप से उठता है कि जब केन्द्रीय स्तर पर सम्पूर्ण देश के लिये एक समान योजनायें बनी तथा विकास कार्यक्रम सचालित हुये तो ऐसे क्या कारण रहे कि केरल, तमिलनाडु तथा पजाब तो अधिक विकसित हो गये किन्तु भरपूर संसाधनो से युक्त बिहार तथा यू0पी0 पिछड गये स्पष्ट है कि इसका उत्तर हमारी स्थानीय सस्कृति, मानसिकता तथा राजनीतिक प्रतिबद्धता सहित जनजागरूकता के मापदण्डो में समाहित है। कुछ विद्वान यह भी प्रश्न उठाते है

कि भारत मे योजनाओ का वैधानिक आधार नही है। अत योजनाये या विकास कार्यक्रम असफल रहने पर सरकार को न्यायालय के कटघरे मे खडा नही किया जा सकता। वस्तुत समस्या येाजनाओ की अवैधानिकता की कम तथा प्रशासनिक तन्त्र की कठोरता, अप्रतिबद्धता तथा राष्ट्रप्रेम के अभाव की प्रक्रिया है।

1.3.1. ग्रामीण विकास की योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन

सरकार ने ग्रामीण भारत मे तीव्र विकास, सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तन तथा लोगो की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण विकास की कुछ प्रमुख योजनाओ मे परिवर्तन करने का फैसला किया है। ये नये परिवर्तन 1 अप्रैल 1999 से लागू हुये। मार्च 1999 मे तत्कालीन ग्रामीण विकास मन्त्री (बी0जी0 पाटिल) ने इन परिवर्तनो की घोषणा की। इनके तहत स्वरेाजगार की चल रही सभी योजनाओ को मिलाकर एक नयी स्वरेाजगार योजना शुरू की गयी जिसका नाम "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" है।

इसमे I R D P, ड्वाकरा, ट्राइसेम, सिटरा, गगा कल्याण योजना और दस लाख कुओ की योजना का विलय कर दिया गया है। इसके तहत अब गरीबी उन्मूलन के लिये हर जिला अपने ससाधनो के आधार पर व्यापक योजना तैयार करेगा। इसमे सामूहिक विकास पर जोर दिया गया है। इसके लिये स्व सहायता समूहो का गठन किया जायेगा और इन समूहो को अपने आर्थिक, कार्यकलाप कारगर ढग से चलाने के लिये प्रोत्साहित किया जायेगा। हर विकास खण्ड मे कम से कम आधे स्वसहायता समूह केवल महिलाओं के लिये होगे, गरीबो की पहचान ग्राम सभाये करेगी। ग्रामीणो मे कौशलों का विकास करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेगे। लाभार्थियो को स्वरोजगार परियेाजना लगात की 30% तक की सब्सिडी दी जायेगी। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिये

सब्सिडी योजना लागत के 50% तक होगी। जवाहर रोजगार योजना का भी पुर्नगठन किया गया है और इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया है।

अब इसके अन्तर्गत गाव के स्तर पर ही बुनियादी ढॉचे को विकसित करने पर जोर दिया जायेगा। इसलिये योजना की पूरी धनराशि ग्राम पचायतो को दी जायेगी। श्रम प्रधान कार्यक्रमो पर ही ज्यादा जोर रहेगा और मजदूरी तथा सामग्री के 60 40 के अनुपात मे भी उचित छूट दी जायेगी। पचायतो को 50 हजार रूपये तक के कार्यक्रम स्वय शुरू करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले से बनी परिसम्पत्तियो के रखरखाव पर खर्च को भी 10% से बढाकर 15% कर दिया गया है। योजना की धनराशि का 22 5% अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लाभार्थियो पर खर्च किया जायेगा। ग्राम पचायते प्रत्येक वर्ष 7500 रूपये या मिली धनराशि का 7 5% दोनो मे से जो भी कम हो को प्रशासनिक व्यय के रूप मे खर्च कर सकेगी।

सुनिश्चित रोजगार योजना अब जिला/प्रखण्ड स्तर पर लागू की जाने वाली एक मात्र योजना रह गयी है। जिसमे जिले को मिलने वाली धनराशि का 70% प्रखण्डो को दिया जायेगा और 30% जिला स्तर पर खर्च करने के लिये रखा जायेगा। जिस किसी प्रखण्ड मे काम की मॉग होगी, जिला प्रशासन के अधिकारी वहॉ काम शुरू करवा सकेगे, कार्यो के चुनने का दायित्व उस क्षेत्र के सासदो की सलाह से जिलापरिषदो का होगा। अगर वहॉ चुनी हुई निकाय नही होगी तो स्थानीय सासदो, विधायको और अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियो की एक समिति गठित की जायेगी जो कार्यो का चयन करेगी।

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (D R D A) के लिये अलग बजट का प्रावधान किया जायेगा। इन एजेन्सियो के कर्मचारियो मे व्यवसायीकरण लाया जायेगा। इसके लिये उपुयक्त कर्मचारियो की नियुक्ति की जायेगी एव उन्हे प्रशिक्षण दिया जायेगा।

ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन के सभी कार्यक्रमो मे अब केन्द्र–राज्य अनुपात 75 25 का होगा जो कि इसके पहले 80 20 का अनुपात था।

ग्रामीण क्षेत्रो मे 13 लाख मकान प्रतिवर्ष बनाने की एक आवास कार्ययोजना तैयार की गयी। इस कार्ययोजना के साथ सरकार ने कई कदम एक साथ उठाने की मजूरी दी है जिसमे राष्ट्रीय ग्रामीण आवास, और पर्यावरण मिशन की स्थापना, श्रम और सब्सिडी की नयी स्कीम, इन्दिरा आवास योजना के तहत मकानो की मरम्मत, ग्रामीण निर्मित केन्द्रो की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रो मे अधिक धन हेतु हुडको द्वारा और ज्यादा सहायता तथा ग्रामीण आवास विकास के लिये एक नयी योजना योजना शामिल है।

अब अनुसूचित जाति, जनजाति के अलावा अन्य ग्रामीण परिवार को भी यह सुविधा मिलेगी। इन लोगो हेतु एक नयी योजना लागू की जा रही है जिसके तहत मकान बनाने हेतु आशिक सब्सिडी मिलेगी और आशिक रूप से ऋण मिलेगा। जिन ग्रामीण परिवारो की वार्षिक आय 32,000 रूपये से कम है वे इस योजना का लाभ उठा सकेगे। गरीबी से नीचे रहने वालो को वरीयता दी जायेगी। इन नयी योजना को व्यावसायिक बैक, आवास वित्त सस्थानो और हाऊसिग बोर्डो के जरिये लागू किया जायेगा। अगले तीन वर्षो मे इस योजना के तहत पॉच

इन्दिरा आवास योजना को दो घटको मे लागू करने का फैसला किया गया। पहले घटक मे बेघरो को मकान बनाने की योजना के तहत मैदानी इलाको मे 20 हजार और पहाडी इलाको मे 22 हजार रूपये प्रति मकान आबटित करने की योजना जारी रखी गयी और योजना की 80% राशि इसी पर खर्च की जाय। इसके लिये प्रति मकान दस हजार रूपये की सहायता की जाय। मकान की मरम्मत का मतलब उसमे शौचालय और धुँआ रहित चूल्हा भी बनाया जाये।

त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्यो को अब आवश्यकता के आधार पर सहायता दी जायेगी। जिन राज्यो मे अनेक ऐसे क्षेत्र है जहॉ पेयजल उपलब्ध नही है या सूखाग्रस्त, मरूस्थल या चट्टानी क्षेत्र है उन्हे अन्य राज्यो की अपेक्षा ज्यादा सहायता दी जायेगी जहॉ पेयजल के स्रोत उपलब्ध है।

योजना के कुल परिव्यय का 20% प्रोत्साहन राशि के रूप मे उन राज्यो के लिये रखा गया है जो समुदाय आधारित कार्यक्रम को सस्थागत बनाने के लिए ग्रामीणो को परियोजना और प्रबन्ध मे भागीदारी इस प्रकार देते है कि पूजीगत लागत का आशिक और सगठन तथा व्यवस्था का शत प्रतिशत खर्च उपभोक्ताओ द्वारा किया जाय। सरकार ने ग्राम पचायतो को और अधिक अधिकार सम्पन्न बनाने तथा सत्ता के विकेन्द्रीकरण मे तेजी लाने के लिये वर्ष 1999–2000 को **"ग्रामसभा वर्ष"** घोषित किया है।

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मन्त्रालय का नाम 9 अप्रैल 1999 से ग्रामीण विकास मन्त्रालय कर दिया गया। अब इस मन्त्रालय मे ग्रामीण विकास विभाग एव भूमि ससाधन विभाग नामक दो विभाग होंगे जो विकास के कार्यक्रम का क्रियान्वित करेगे। वर्ष 2001–2002 के बजट में देश के सभी गॉवो मे अगले छ वर्ष मे बिजली मुहैया कराने का लक्ष्य रखते हुये ग्रामीण विकास के लिये गतवर्ष

की तुलना मे बजट मे 336 करोड रूपये से अधिक की बढोत्तरी की गयी है। बजट मे कुल 9224 49 करोड रूपये का प्रावधान किया गया है (कुरूक्षेत्र अप्रैल 2001 पृ0 14)।

1.3 2. नियोजित ग्रामीण विकास एवं सूक्ष्म स्तरीय नियोजन :—

देश की जनसख्या का तीन—चौथाई हिस्सा ग्रामीण भारत मे निवास करता है। अतएव राष्ट्र तभी शक्तिशाली व समृद्ध हो सकता है, जब हमारे गॉव गरीबी व पिछडेपन से मुक्त हो। भारत सरकार, ग्रामीण क्षेत्रो मे द्रुतगामी तथा निरन्तर विकास के लिए कटिबद्ध है।

ग्रामीण विकास मत्रालय अनेक योजनाओ के क्रियान्वयन मे सलग्न है, जिनका उद्‌देश्य है, ग्रामीण जनता को अपना जीवन स्तर सुधारने के योग्य बनाना। गरीबी उन्मूलन तथा त्वरित सामाजिक—आर्थिक विकास के उद्‌देश्य के साथ, विकास कार्यक्रमो को एक विविधतापूर्ण रणनीति द्वारा समाज के सर्वाधिक उपेक्षित वर्ग तक पहुँचाने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ पेयजल, ग्रामीण आवास तथा सडक सम्पर्क को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

निराश्रितो और गरीब परिवारेा को सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमो को अत्यन्त महत्व दिया जा रहा है। स्वयंसेवी सस्थाओ को सहायता व प्रोत्साहन तथा ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण को त्वरित ग्रामीण विकास का हिस्सा बनाया गया है। पचायती राज संस्थाओ को दायित्वो, अधिकारो और वित्त के मामले में अधिकार सपन्न बनाने के लिए मत्रालय निरन्तर प्रयासरत है। एक नई पहल के रूप मे ग्राम सभा एक अत्यन्त उल्लेखनीय सस्था बन चुकी है। भागीदारी आधारित लोकतन्त्रको सार्थक तथा प्रभावशाली बनाने के लिए गैर सरकारी संगठनों, स्व—सहायता समूहो और

पचायती राज सस्थाओ को उचित भूमिका प्रदान की गयी है। भूमि सुधारो के साथ–साथ, बजर भूमि, मरूभूमि तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रो के विकास को भी क्रियान्वित किया जा रहा है।

भूमि के निरन्तर विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक समग्र पहल के अर्न्तगत मत्रालय ने ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त, दो अन्य विभागो भू–ससाधन विभाग तथा पेयजल आपूर्ति विभाग का गठन किया है। इससे क्षेत्र विकास योजनाओ की गुणवत्ता मे सुधार के साथ–साथ समन्वित नीति अपनाने मे भी मदद मिलेगी।

ग्रामीण जीवन को दो प्रकार की नीतियॉ प्रभावित करती है (1) उत्पादन परक क्रियाये, जिनका उद्देश्य उत्पादन और सेवाये प्रदान करना हो, उदाहरणार्थ, सब्सिडी प्राप्त खादे, सिचाई व ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण उद्योगो का पता लगाना आदि। (2) गैर उत्पादन क्रियाये, जिनका उद्देश्य जीवन स्तर उठाना हो। प्रथम प्रकार की क्रियाये ग्रामीण विकास उपाय कहलाते है। ये क्रियाये या तो समस्त समुदाय को प्रभावित करती है या समुदाय के किसी विषेश वर्ग को। प्रथम प्रकार की क्रियाओ के उदाहरण है सामुदायिक विकास योजनाये (1952), पचायती राज (1962), भूमि सुधार (1950), गरीबी हटाओ कार्यक्रम जैसे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (1979), आदि, जबकि दूसरे प्रकार की क्रियाये है, जनजातीय विकास कार्यक्रम (1959), सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम (1979), रेगिस्तान विकास कार्यक्रम (1977), काम के लिये भोजन कार्यक्रम (1977), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (1980), ट्राइसेम आदि (दीप सागर, 1990)।

कुछ कार्यक्रम सम्पत्ति (उत्पादन बढाने सहित) बढ़ाने के उद्देश्य से और लोगो को आर्थिक सहायता पहुॅचाने के उद्देश्य से थे, जैसे आई0आर0डी0पी0

न्यूनतम कृषि मजदूरी, ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि जबकि अन्य कार्यक्रमो का उद्देश्य लोगो का सामाजिक उत्थान था, जैसे – जमीदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, पचायती राज, ट्राइसेम आदि। कुछ कार्यक्रम वास्तव मे गरीबी उन्मूलन के लिये थे (जैसे एन0आर0ई0पी0 का स्वय रोजगार कार्यक्रम डी0पी0ए0पी0, ट्राइसेम का प्रशिक्षण कार्यक्रम, आदि) जबकि कुछ कार्यक्रम राजनीति से अधिक प्रेरित थे जैसे गरीबी हटाओ, और बीस सूत्रीय कार्यक्रम। लेकिन सामुदायिक भागीदारी, सामाजिक बुराइयो को दूर करना तथा जीवन की गुणवत्ता को सुधारने जैसे मूल उद्देश्यो को अभी भी प्राप्त करना शेष है।

ग्रामीण विकास के लिये तीन उपाय अभी तक किये गये है (1) प्रारम्भ मे 1950 के दशक मे नीति निर्माताओ ने पूजी निवेश बढाकर आर्थिक विकास की अधिकता पर बल दिया, यह मानते हुये कि इसके लाभ नीचे तक पहुँचेगे और ग्रामीण समाज के सभी वर्गों तक प्राप्त होगे। लेकिन 1970 के दशक मे यह अनुभव किया गया कि कृषि विकास के लाभ गरीब ग्रामीणो तक नहीं पहुँचे। (1) इससे सरचनात्मक सम्प्रदाय द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण का उदय हुआ जिसने यह सुझाव दिया कि सम्पत्ति का वितरण भूमि सुधारो, सामुदायिक विकास योजनाओ, और सहकारी खेती द्वारा किया जा सकता है। लेकिन यह भी व्यावहारिक सिद्ध नही हुआ (3) 1980 के दशक मे एक नया विचार आया कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमो के द्वारा गरीबों पर प्रहार किया जाये (जैसे I R.D.P , TRYSEM, और NREP, RLEGP जो बाद मे I.R.Y कार्यक्रम मे विलय हो गया)

जनमत यह है कि ग्रामीण विकास को बढाया जा सकता है यदि लोगो के ससाधनो को गति प्रदान की जाये और उन्हे निर्णय करने के लिये प्रेरित किया जाय जो जीवन और जीवनयापन को प्रभावित करता है। वर्तमान मे हमारे गॉवो में

गहरी गुटबाजी है। धन का दुरूप्रयोग, शक्तिशाली लोगो का दबाव, स्त्रियो को अवसरो का निषेध, दलितो के विरूद्ध आतक और चुनावो मे व्यवस्था भजन कार्य आदि गॉवो मे प्रचलित है। इन समस्याओ का निदान कठिन है।

आज भी यह विवाद का विषय है कि सूक्ष्मस्तरीय नियोजन मे नियोजन की इकाई क्या हो, ग्राम सभा, न्यायपचायत, ब्लाक, तहसील या जनपद। क्योकि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजनाओ का निर्माण प्राय राष्ट्रीय अथवा प्रादेशिक स्तर पर हुआ तथा इसके क्रियान्वयन की प्रशासनिक इकाई के रूप मे जनपदो को स्वीकार किया गया, जिसका परिणाम अपेक्षित नही रहा। असफल योजनाओ के कारणो के विवेचन से यह निष्कर्ष निकाला गया कि निचले स्तर पर बनायी गयी योजना उच्च स्तर पर बनायी गयी योजना की तुलना मे ज्यादा सफल होगी। इस प्रकार सूक्ष्म स्तर पर येाजनाओ के क्रियान्वयन की अवधारण का विकास हुआ। चूकि ग्राम और जिले के मध्य की इकाई विकास खण्ड होती है तथा इनका क्षेत्र भी कम होता है अत इस स्तर पर भी योजनाओ का सचालन उपयुक्त हो सकता है किन्तु ग्राम के सर्वांगीण विकास हेतु नियोजन की इकाई ग्रामसभा अथवा न्यायपचायत ही होनी चाहिए। जिसका प्रमाण जवाहर रोजगार योजना है। इस प्रक्रिया से ग्रामीणो का विकास उनके सुलभ ससाधनो द्वारा उनकी आवश्यकताओ के अनुरूप उन्हे प्राप्त होगा।

इस प्रकार भारत मे बहुस्तरीय नियेाजन छोटे स्तर के प्रशासनिक इकाई से प्रारम्भ कर क्रमश· बृहद स्तर से केन्द्रीय स्तर तक पदानुक्रम के प्रशासनिक इकाइयो के लक्ष्यो, उपायो एवं कार्यक्रमों के बीच तालमेल बैठाते हुए सशक्त रूप से विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने का सुविचारित एव नितान्त व्यावहारिक उपागम है। इसमे यदि ऊपर से चला जाय तो केन्द्र से राज्य, जिला, ब्लाक,

तहसील तथा यदि नीचे से चला जाय तो ग्राम सभा, या ब्लाक, तहसील स्तर की योजनाऐ अपनी उच्च स्थानिक स्तर के राज्य एव केन्द्रीय योजनाओ से तालमेल बैठाती है।

प्रधानमत्री ने 15 अगस्त 2001 के अवसर पर राष्ट्र को सबोधित करते हुए 10000 करोड रूपये की नई महत्वाकाक्षी योजना, सपूर्ण रोजगार येाजना की घोषणा की। इससे देश के ग्रामीण क्षेत्रो मे रह रहे पिछडे और अति पिछडे लोगो के जीवन स्तर मे सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर और ज्यादा सुनिश्चित तौर पर उपलब्ध होगे। इस योजना के अर्न्तगत पचायतो द्वारा दिये गये रोजगार के तहत जो लोग स्थायी परिसम्पित्तयो का करेगे उन्हे नकद तथा अनाज के रूप मे भुगतान किया जाएगा। इसके लिए केन्द्र द्वारा 50 लाख टन अनाज हर वर्ष राज्यो के लिए निर्धारित किया गया है। जिसकी कीमत 5000 करोड रूपये है। केन्द्र सरकार की सभी रोजगार सबधी योजनाओ का इस बडी योजना मे विलय कर दिया जायेगा इस योजना से 100 करोड श्रम दिवसो के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ग्रामीण लोगो को इस योजना से अधिक से अधिक लाभ पहुॅचाने के लिए चतुमुर्खी रणनीति अपनाई गयी है, जिसमे योजना के बारे मे लोगो को जानकारी देना, योजना के कार्यान्वयन मे पारदर्शिता, विकास प्रक्रिया मे जनता की भागीदारी को बढावा देना और जिम्मेदारी की भावना बढाने के लिए सामाजिक लेखा–जोखा करना शामिल है। ग्रामीण विकास के लिए आठवी येाजना मे आबटित राशि 30,0000 करोड रुपए को बढाकर नवीन योजना मे 42874 करोड रूपये कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मत्रालय को वर्ष 2001–02 की विभिन्न योजनाओ हेतु 12265 करोड रूपये का आबटन किया है। इसमे ग्रामीण विकास विभाग की

योजनाओ के लिए 9205 करोड रूपये, भू–ससाधन, पेयजल आपूर्ति विभाग की येाजनाओ के लिए 900 करोड रूपये तथा पेयजल आपूर्ति विभाग की योजनाओ के लिए 2160 करोड रूपये सम्मिलित है, (भारत 2002 पृ0 476)।

ग्रामीण विकास राज्यमत्री एम0के0 पाटिल ने राज्य सभा मे बताया कि दसवे पचवर्षीय योजना के दौरान 48,538 करोड रूपये सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के लिए तथा 9850 करोड स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार येाजना के लिए प्रस्तावित किया गया है (हिन्दूस्तान टाइम्स, 12 नवम्बर, 2002)।

1.4. सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा :—

परिवर्तन विश्वव्यापी घटना है। इसकी गति, स्वरूप और दिशा अलग–अलग होती है। परिवर्तन का सामान्य तात्पर्य है किसी क्रिया अथवा वस्तु की पूर्वावस्था मे बदलाव आ जाना। परिवर्तन का सम्बन्ध मुख्य रूप से तीन बातो से है–वस्तु, समय और भिन्नता। इस प्रकार किसी वस्तु मे दो समयों मे दिखाई देनी वाली भिन्नता ही परिवर्तन है। सामाजिक सम्बन्धो के स्थापित स्वरूपो, सामाजिक मूल्यो, सरचनाओ या व्यवस्थाओ मे परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन कहलाता है।

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है– समाज की भौतिक तथा गैर–भौतिक सस्कृति मे पारस्परिक समन्वय स्थापित करना है। इसका अर्थ ऐसे परिवर्तनो से है जो सामाजिक तन्त्र की सरचना तथा कार्य व्यापार मे होते है। सामाजिक परिवर्तन एक गतिशील प्रक्रिया है। यह सभी समाजो मे और समाज के सभी चरणो मे पाया जाता है। केवल उन्ही परिवर्तनो को सामाजिक परिवर्तन की सज्ञा दी जातीहै जिनसे समाज का अधिकाश वर्ग प्रभावित होता है। सामाजिक परिवर्तन सदैव समाज तथा इसके सदस्यो की स्वीकृति पर निर्भर नही होते। सामाजिक

परिवर्तन के सम्बन्ध मे निश्चित रूप से कुछ भी पूर्वानुमान नही किया जा सकता। सामाजिक परिवर्तन की गति सभी समाजो मे एक जैसी नही होती और इसी तरह एक ही समाज मे भी इतिहास के सभी युगो मे भी एक जैसी नही होती। सामाजिक परिवर्तन के गुणात्मक और मात्रात्मक, दोनो पहलू होते है।

परिवर्तन विकास का पयार्यवाची नही है। परिवर्तन से विकास हो भी सकता है और नही भी ग्रामीण तथा जनजातीय समाजो के ऐसे असख्य उदाहरण है जहॉ सामाजिक परिवर्तन से जीविका का स्रोत जाता रहा, गरीबी बढी और परिवारो को विघटन हुआ। सामाजिक परिवर्तन एक ओर मानव आवश्यकताओ एव आकाक्षाओ के बीच और दूसरी ओर सामाजिक नीतियो और कार्यक्रमो के बीच अच्छा सामजस्य स्थापित करने के लिये एक नियेाजित सस्थात्मक प्रक्रिया है।

परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जो आज है वह भावी कल से भिन्न होगा। अत प्रत्येक समाज मे कुछ निश्चित स्तरो के माध्यम से सदैव परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन व्यक्ति के इच्छा अथवा प्रयत्नो से नही होता बल्कि यह प्राकृतिक दशाओ के प्रभाव से होता है। जिन पर मनुष्य का कोई नियन्त्रण नही होता है (स्पेन्सर – 1967 पृ0 32)।

मैकाइवर (1972) ने सामाजिक परिवर्तन के तीन प्रतिमानो का उल्लेख किया है।

(1) परिवर्तन रेखीय हो सकता है जिसमे विकास एक सीधी रेखा मे सम्पन्न होता है।

(2) परिवर्तन उतार–चढाव वाला हो सकता है जिसमे कुछ समय तक तो परिवर्तन प्रगति की ओर होता है लेकिन इसके बाद इसकी दिशा समृद्धि तथा ह्रास किसी भी ओर मुड़ सकती है।

(3) परिवर्तन तरगित–प्रकार का हो सकता है। जिससे यह पता नही चल पाता है कि परिणाम ह्रास का सूचक होगा या प्रगति का।

"सामाजिक परिवर्तन का अभिप्राय उन परिवर्तनो से है जो सामाजिक सगठन अर्थात अर्थात समाज की सरचना तथा कार्यो मे उत्पन्न होते है," (किग्सले डेविस)।

इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन वह स्थिति है जिसमे समाज द्वारा स्वीकृत सम्बन्धो, प्रक्रियाओ, प्रतिमानो और सस्थाओ का रूप इस प्रकार परिवर्तित हो जाता है कि उनसे पुन अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है (मैकाइवर 1982)।

इससे स्पष्ट है कि सभी क्षेत्र सामाजिक सम्बन्धो से प्रभावित होते है और सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक परिवर्तन से प्रभावित होता है। इस प्रकार समाज मे विकास के कारणो से हुआ परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है।

1 5. ग्रामीण विकास और सामाजिक परितर्वन :–

ग्रामीण क्षेत्रो मे बृहद विकास योजनाओ के प्रारम्भ होने से जहॉ एक तरफ आर्थिक तथा तकनीकी क्षेत्र के विकास मे सहायता मिलती है वही दूसरी ओर सास्कृतिक प्रवृत्तियो मे भी रूपान्तरण होता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ–साथ पुराने सामाजिक मूल्यो एव धारणाओ और सामाजिक सगठन मे भी परिवर्तन होता है। ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाये ग्रामीणो के जीवन स्तर मे परिवर्तन कर देती है। सामाजिक क्षेत्रो मे व्याप्त गैर पारम्परिक क्रियाओ के परिणमास्वरूप भाषा, वेशभूषा, धार्मिक, दृष्टिकोण, पारस्परिक व्यवहार एव मानवमूल्यो मे भी परिवर्तन का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। इनमें अन्धविश्वासो, रूढ़ियों, मान्यताओ आदि के सम्बन्ध मे ग्रामवासियो का दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। यदि

मानव समाज को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाय, कि वह परिवर्तित सामाजिक वातावरण मे स्वय को अनुकूलित कर सके और इस वातावरण का अपने हित मे अधिकतम प्रयोग कर सके तो यही ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। ग्रामीण क्षेत्रो मे जैसे–जैसे विकास की किरणे प्रस्फुटित होगी, उसी प्रकार ग्रामीणो के सामाजिक–आर्थिक स्तर, रहन–सहन खान–पान, वेशभूषा तथा जीवन शैली मे अपने आप परितर्वन होगा।

इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन स्थान, समय और सन्दर्भ के परिपेक्ष्य मे सामाजिक सरचना के अन्दर होने वाले परिवर्तन की प्रक्रियाओ के पुज के समान है। सामाजिक परिवर्तन एव ग्रामीण विकास के व्यापक अध्ययन के लिये ससाधनो, वितरण प्रक्रियाओ, सस्थापक उपायो, शैक्षणिक व्यवस्था, जीवन स्तर की प्रकृति, भूमि सम्बन्ध, आदि को समय, लोग और सन्दर्भ को दृष्टि मे रखना आवश्यक है।

1.6 ग्रामीण विकास और सामाजिक रूपान्तरण की प्रकृति एवं दिशा :–

रूपान्तरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो परम्परागत या अर्धपरम्परागत क्रम को एक निश्चित व वाछित अर्थव्यवस्था की ओर सकेत करती है, एव इसका सम्बन्ध सामाजिक संरचना, मूल्यपरकता, सवेगो एव मानको से है। रूपान्तरण के अन्तर्गत मानव की आर्थिक गतिविधियो के कारण भूतल मे होने वाले परिवर्तनो, उभरते प्रतिरूपो की प्रवृत्ति और आयाम तथा उनके माध्यम से किसी क्षेत्र या देश के वर्तमान सामाजिक–आर्थिक पर्यावरण मे होने वाले विकासों का अध्ययन व व्याख्या किया जाता है (तिवारी 1984 पृ0 139)।

बीसवी शताब्दी के पूर्वार्ध तक भारतीय समाज को परम्परागत समझा जाता था यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने हमारे देश को औद्योगिक बनाने का प्रयत्न किया और अनेक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने की भी कोशिश की, लेकिन लोगो के जीवन मे गुणात्मक सुधार करने और जीवन स्तर उठाने मे उनकी कोई रूचि नही थी।

परम्परागत समाज वह है जिसमे (1) व्यक्ति की प्रस्थिति उसके जन्म से निश्चित व निर्धारित होती है अर्थात व्यक्ति सामाजिक गतिशीलता के लिये सघर्ष नही करता है, (2) व्यक्ति का व्यवहार रिवाजो और प्रथाओ से सचालित होता है और लोगो के व्यवहार मे पीढी दर पीढी थोडा ही परिवर्तन आता है। (3) सामाजिक सगठन का आधार सस्तरण होता है। (4) व्यक्ति अपनी पहचान प्राथमिक समूह से बनाता है तथा परस्पर अन्तक्रिया मे नातेदारी सम्बन्ध महत्वपूर्ण होते है। (5) प्रस्थिति की अपेक्षा व्यक्ति को सामाजिक सम्बन्धो की स्थापना से अधिक महत्व दिया जाता है। (6) लोग रूढिवादी होते है। (7) अर्थव्यवस्था सरल होती है तथा जीविका से परे आर्थिक उत्पादन अपेक्षाकृत कम होता है। (8) समाज मे मिथकीय (Mythical) विचार प्रभावी होते है।

इसके विपरीत आधुनिक समाज यह है जिसमे (1) समाज मे व्यक्ति की प्रस्थिति उसकी स्वय की योग्यता एव सामर्थ्य से निर्धारित होती है। (2) सामाजिक सरचना का आधार समानता होता है (3) द्वितीयक सम्बन्ध प्राथमिक सम्बन्धो से अधिक महत्वपूर्ण होते है (4) समाज मे व्यक्ति की प्रस्थिति अर्जित होती हैं। (5) लोग नवीनता मे विश्वास करते है। (6) अर्थव्यवस्था जटिल तकनीक पर आधारित होता है। (7) समाज मे तार्किक विचारो का बोलबाला होता है।

इसका अर्थ यह हुआ कि परम्परावाद और आधुनिकता दो चरम सीमाये है और ये दोनो एक साथ नही चल सकती। येागेन्द्र सिह तथा एस0सी0 दुबे जैसे विद्वानो का मत है कि दोनो का सह–अस्तित्व हो सकता है। परम्परावाद को स्वीकारने का यह अर्थ नही कि आधुनिकता को अस्वीकार कर देना। इसका सरल सा अर्थ है आधुनिकता की शक्तियो पर नियत्रण। इस दृष्टिकोण के आधार पर हमे यह पता लगाना है कि किस सीमा तक ग्रामीण भारतीय समाज परम्परागत है और किस सीमा तक यह आधुनिक हो गया है।

यह कहना गलत न होगा कि भारत मे सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति ही ऐसी है कि इसमे आधुनिक व परम्परा का स्पष्ट समन्वय दिखाई देता है। एक ओर तो हमने उन विश्वासो, प्रथाओ और सस्थाओ की उपेक्षा की है जिनकी आवश्यकता अनुभव नही की गयी, तो दूसरी ओर हमने उन मूल्यों को अपनाया है जिनको हमने अपने मौलिक उद्देश्यो की प्राप्ति मे सहायक माना है।

ब्रिटिश काल की तुलना मे आज स्वतन्त्रता अधिक है। सामाजिक पैमाने मे उन्नति के अधिक अवसर प्राप्त है। हम परम्परागत सामाजिक प्रथाओ को छोडने मे तथा नयी सस्थात्मक रचनाओ के निर्माण मे अधिक विवेकी हो गये है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगो की सख्या मे कमी हुई है। गणतन्त्र बनने के बाद गत 50 वर्षो मे प्रतिव्यक्ति आय मे कई गुना वृद्धि हुई है।

हमारे समाज मे विद्यमान वृहद असतोष अनेक बढते हुए विरोधाभासो का परिणाम है। कुछ विरोधाभास इस प्रकार है – हमारी भूमिकाये तो आधुनिक हो गयी है किन्तु हमारे मूल्य अभी भी परम्परागत है। हम समतावाद दर्शाते है किन्तु हम भेदभाव का व्यवहार करते है। हमारी आकाक्षाये बहुत ऊँची तो हो गयी है लेकिन

योग्यता एव साधन की उपलब्धता उतनी नही है। हम राष्ट्रवाद की बात करते है लेकिन क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देते है।

हम दावा करते है कि हमारा गणतन्त्र समानता लाने के लिये समर्पित है। किन्तु यह जाति व्यवस्था के शिकजे मे जकडा हुआ है। हम तर्कशील होने का दावा करते है लेकिन भाग्यवादी भावना को स्वीकारते है। हम व्यक्तिवाद का समर्थन करते है। लेकिन हम समूहवाद को लागू करते है। हम आदर्शवादी बनते है लेकिन भौतिक सस्कृति के पक्षधर है। विधान, कानून अनेक है किन्तु न्याय बहुत कम। कार्यक्रम व सरकारी कर्मचारी अनेक है किन्तु जनसेवा कम। अनेक योजनाये है किन्तु कल्याण कम।

इन सभी विरोधाभासो का परिणाम यह है कि हमारे समाज मे असतोष बढता जा रहा है। भ्रष्ट तन्त्र तथा अप्रतिबद्ध राजनैतिक अभिजात वर्ग अपने निजी स्वार्थो मे रूचि लेते है। जिन्हे देश के भविष्य की कोई चिन्ता नही होती वही आज विकास के विरोधी है। इस प्रकार यह सत्य है कि भारतीय ग्रामीण समाज परिवर्तित हो रहा है और विकास की कुछ दिशाये स्पष्ट होती जा रही है फिर भी सत्य यह है कि हम सभी लक्ष्यो की प्राप्ति मे सफल नही हो पाये है जो हम चाहते थे। ग्रामीण भारत की आर्थिक कमजोरी का कारण लोगो मे तकनीकी कुशलता की कमी नही है बल्कि साहस, स्थिति सुधारने की दृढ इच्छा, श्रम का सम्मान करने मे कमी है। इसमे सुधार कर ग्रामीण भारत की खुशहाली को अक्षुण्ण रखा जा सकता है।

1.7 वर्तमान अध्ययन के उद्‌देश्य :–

स्वतन्त्रता के बाद से ग्रामीण विकास के अतिरिक्त शायद ही कोई ऐसा विषय होगा जो सरकार, प्रशासक, नियोजक एव शिक्षाविदों के व्यापक विचारविमर्श का केन्द्र बिन्दु बना हो। परन्तु उसकी स्थिति मे आज भी मानूसन की

अनिश्चितताओ से ग्रस्त, पिछडे वन का द्योतक माना जाता है। समाज मे बडे भूस्वामियो का वर्चस्व है, कृषि उत्पादकता कम है, बेरोजगारी और निर्धनता बनी हुई है, लघु एव कुटीर उद्योगो का पर्याप्त विकास एव विकेन्द्रीकरण नही हो पाया है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ प्रतीत होता है। प्रश्न यह है कि इन समस्याओ का निदान क्या है ? वर्तमान शोध कार्य भी इसी प्रश्न के उत्तर प्राप्ति का एक प्रयास है। शोधकर्ता के मन मे ग्रामीण समाज मे होने वाले क्रिया–कलापो तथा उनके प्रभावो से समबन्धित अनेक प्रश्न उठते रहे है जैसे–

(1) विभिन्न योजनाओ मे प्रमुखता पाने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रो मे समुचित विकास के लक्षण क्यो नही स्पष्ट होते ?

(2) गॉवो की सामाजिक–आर्थिक सरचना पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमो का क्या प्रभाव पडा रहा है ?

(3) गॉवो के बहुमुखी विकास हेतु क्या ये योजनाओ सही अर्थो मे अपनायी गयी है।

(4) ग्रामीण समाज मे व्याप्त रूढियो, परम्पराओ तथा सामाजिक सस्कारों से बचने का क्या कोई उपाय है ?

(5) सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न विकास येाजनाओ पर ग्रामीण जनता की कैसी प्रतिक्रिया रही है ?

(6) इन विकास योजनाओ से ग्रामीण समाज कितना लाभान्वित हुआ है।

(7) क्या सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया मे ग्रामीण विकास योजनाये अपना प्रभाव डाल सकी है ?

(8) क्या सामाजिक कुरीतियो का निदान सम्भव है ? यदि हॉ तो कैसे ? यदि नही तो क्यो ?

इन प्रश्नो तथा ऐसे ही अनेक प्रश्नो के समाधान हेतु शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध प्रबन्धन मे उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की भानपुर तहसील को एक प्रतिदर्श मानकर स्वातन्त्रोत्तर काल मे ग्रामीण क्षेत्रो मे होने वाले विकास तथा समाज मे होने वाले परिवर्तनो के निरूपण के साथ–साथ ग्रामीण योजनाओ की सफलता एव असफलता के कारणो का आकलन करने का प्रयास किया है। ग्रामीण समाज मे व्याप्त प्राचीन कुरीतियो के समापन के ही साथ ही ग्रामीण समाज के सर्वागीण विकास के परिप्रेक्ष्य मे सुझाव भी प्रस्तुत किये गये है।

सम्पूर्ण विषय वस्तु 9 अध्यायो मे विभक्त है। प्रथम अध्याय मे ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के सैद्धान्तिक पक्ष का वर्णन तथा अध्ययन के उद्‌देश्य एव विधितन्त्र को निरूपित किया गया है।

द्वितीय अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र के भौतिक प्रतिरूप उच्चावच्च, जलवायु, वनस्पति तथा मृदा आदि का विश्लेषण किया गया है।

तृतीय अध्याय मे जनसख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व, साक्षरता तथा व्यवसायिक सरचना को निरूपित किया गया है।

चतुर्थ अध्याय मे ग्रामीण विकास के मुख्य अवएव कृषि के प्रतिरूप तथा समस्याओ का अध्ययन किया गया है तथा विकासार्थ सुझाव भी दिये गये है।

पचम अध्याय मे ग्रामीण यातायात, सचार व्यवस्था एव सेवा केन्द्रो का विवेचन किया गया है।

षष्टम अध्याय मे ग्रामीण विकास एव सामाजिक परिवर्तन मे ग्रामीण उद्योग एव प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन किया गया है।

सप्तम अध्याय मे ग्रामीण विकास की आधार भूत सुविधाओ एव समस्याओ पर प्रकाश डाला गया है और सुझाव प्रस्तुत किये गये है।

अष्टम अध्याय मे विकास के स्तर का निर्धारण किया गया है एव आर्थिक विकास से सम्बद्ध सामाजिक परिवर्तनो को स्पष्ट किया गया है।

नवम अध्याय मे ग्रामीण विकास नियोजन के विभिन्न कार्यक्रमो का विवरण एव उत्तर प्रदेश मे ग्रामीण विकास की अद्यतन योजनाओ तथा पचायती राज की भूमिका का वर्णन किया गया है।

1.8 शोध–विधि तन्त्र :–

शोध–परिरूप अध्ययन या शोध का युक्ति सगत और व्यवस्थित नियोजन है जिसे शोधकर्ता शोध–विधितन्त्र द्वारा प्राप्त करता है।

1.8.1. आकड़ो का संग्रहण :–

प्रस्तुत अध्ययन मे ऑकडो का सग्रहण प्रमुखत तीन स्रोतो से प्राप्त किये गये है।

(1) लिखित अभिलेख (दस्तावेज)

(2) मानचित्र तथा आरेख

(3) सर्वेक्षण और साक्षात्कार

(1) लिखित अभिलेख (दस्तावेज) .–

प्रस्तुत अध्ययन मे जनपद गजेटियर बस्ती 1984, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका जनपद बस्ती (1961, 1971 1981 और जनसख्या निदेशालय लखनऊ से प्राप्त। 1991 की भानपुर तहसील की प्राथमिक जनगणना रिपोर्ट, (कम्प्यूटर फ्लापी के माध्यम से) साख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती (1990, 2000, 2001) भारतीय स्टेट बैक, मार्ग दर्शी बैक, कार्यालय बस्ती, समाजार्थिक समीक्षा पत्रिका जनपद बस्ती 2000–2001, उत्तर प्रदेश वार्षिकी, भारत 2001–2002 तथा तहसील मुख्यालय एव विकास खण्डों से प्राप्त अभिलेख आदि का उपयोग किया गया हैं।

इसके अतिरिक्त, भौगोलिक ग्रन्थों, शोध प्रबन्धों तथा इतिहास, धर्म, दर्शन और समाज पर आधारित कई पुस्तकों का अध्ययन क्षेत्र की समस्त भौगोलिक जानकारी के हेतु उपयोग किया गया है।

(2) **मानचित्र तथा आरेख :—**

शोधकार्य में जनपदीय गजेटियर मानचित्र, जिला जनगणना हस्तपुस्तिका के मानचित्र, नलकूप प्रखण्ड, सरयू नहर परियोजना, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा प्राप्त मानचित्र, सांख्यिकीय पत्रिका मानचित्र, तहसील, विकासखण्ड तथा न्यायपंचायत का मानचित्र जनगणना हस्तपुस्तिका तथा एडमिनिस्ट्रेटिव एटलस 1971 एवं जनसंख्या निदेशालय लखनऊ से प्राप्त किया गया।

(3) प्राथमिक आँकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण, साक्षात्कार तथा प्रश्नावली आदि से किये गये है।

1.8.2. शोध विधितन्त्र का विश्लेषण एवं व्याख्या :—

प्रस्तुत शोधप्रबन्ध में यथास्थान तालिका क्रमांक और मानचित्र तथा आरेख प्रस्तुत कर क्षेत्र का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। स्थानिक प्रतिरूप की स्पष्ट व्याख्या के लिये शोधप्रबन्ध में कोरोप्लेथ मानचित्र का प्रयोग किया गया है। आवश्कतानुसार विश्लेषण हेतु बिन्दु विधि, सममान, मानचित्रण, आरेखों आदि का भी उपयोग हुआ है।

अध्ययन में सूक्ष्म स्तरीय नियोजन अधिक उपयुक्त होता है अतः प्रस्तुत अध्ययन में न्यायपंचायत को प्रतिदर्श इकाई माना गया है। किन्तु कहीं—कहीं पर ग्राम स्तरीय आँकड़ों की अनुपलब्धता के कारण विकास खण्ड को भी आधार माना गया। व्याख्या में विगत एवं वर्तमान स्थिति की तुलना करके निष्कर्ष निकालने तथा अध्ययन क्षेत्र के विकासार्थ योजना बनाने का प्रयास किया गया है।

REFERENCES

Bertrand Rural Sociology (p 9, 10)

Chambers, Robert, 1983 Rural Development Putting the Last Eirst (Longmans Group Ltd) p 147

Copp, J H 1972 . Rural Sociology and Rural Development, Vol 37, No 4 (December), p p 515-533

Davis, Kingsley, 1969 Human Society, p 622, Mac Millan, New York

Deep Sagar "Rural Development Policies of India "India Journal of Public Administation, April-June 1990, 251-261

Encylopaedia of Social Science Vol X V, 1949

Ginsberg, 1958, Social change, British Journal of Sociology (Sept 1958) p 205

Lessey, W R , 1977 · Planning in Rural Environments, (New York, Mc Graw Hill.)

Maciver and Page, 1967 . Society, p 511, Mac Millan, Londan

Misra, R P and Sundaram, 1979 Rural Area Development-perspective and Approaches (New Delhi, Sterling Publication), p. 428.

M N Srinivas · Social Change in Modern India.

M N Srinivas India – Social Structure

Mukherjee : R N. Sociology (Hindi)

Mukherjee : R.N. Indian Society.

Paul. H Landis : Rural Life in Process p. 18.

Sharma K L. : Indian Society , N.C.E.R.T (Hindi)

Shrıvastava K N "What ıs Rural" Rural Indıa march & aprıl 1971. P 87

Tıwarı R C 1984 Settlement system ın Rural Indıa . A case study of the lower Ganga-Yamuna Doab (Alld Geographıcal Socıety Allahabad p 139)

Todaro M P , 1977 Economıcs for A Developıng World, (Londan · Longmans Group Ltd), p 249

भारत 2001, पृ0 455, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

कुरूक्षेत्र, अप्रैल 2001, पृ0 14, ग्रामीण विकास, मन्त्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

भारत 2002, पृ0 476 प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

सिह, महेन्द्र बहादुर एव दूबे, कमलाकान्त प्रादेशिक विकास नियोजन पृ0 255–256

दूबे, बेचन एव सिह मगला – 1985, समन्वित ग्रामीण विकास जीवनधारा प्रकाशन, वाराणसी, पृ0 3–5–1

आहूजा, राम – भारतीय समाज।

अध्याय–2

भौतिक प्रतिरूप

21 स्थिति एवं विस्तार .

अध्ययन क्षेत्र–भानपुर तहसील, उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग मे अवस्थित बस्ती जनपद का उत्तरी सीमान्त क्षेत्र है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से सन् 1989 तक इस तहसील का अस्तित्व दो अलग–अलग तहसीलो के विकास खण्ड के रूप मे था। सन् 1971 मे जनपद बस्ती मे कुल 6 तहसीले डुमरियागज, नौगढ, बॉसी, हरैया, बस्ती तथा खलीलाबाद थी। उस समय भानपुर तहसील का अस्तित्व नही था। वर्तमान समय मे भानपुर तहसील के दो विकास खण्ड रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर है, जो पहले क्रमश डुमरियागज तथा बस्ती तहसील के विकास खण्ड थे।

जब 1989 मे बॉसी, नौगढ, डुमरियागज तहसील अलग होकर जनपद सिद्धार्थनगर बना तो रामनगर विकास खण्ड को बस्ती तहसील मे सम्मिलित कर लिया गया। 1989 मे बस्ती जनपद मे बस्ती, हरैया, खलीलाबाद नामक केवल तीन तहसीले थी। 1989 मे ही बस्ती तहसील के उत्तरी सीमान्त मे स्थित विकास खण्ड रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर को मिलाकर एक नयी तहसील भानपुर का सृजन किया गया। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध मे उक्त प्रशासनिक परिवर्तन के उपरान्त निर्मित भानपुर तहसील का ही अध्ययन किया गया है।

इस प्रकार 1997 तक बस्ती जनपद मे चार तहसील बस्ती, हरैया, खलीलाबाद एव नवसृजित भानपुर थी। 1997 में खलीलाबाद तहसील के 6 विकास खण्डो सहित जनपद सन्तकबीर नगर के सृजन के बाद बस्ती जनपद मे तीन तहसीले बस्ती, हरैया, भानपुर रही। वर्ष 2002 मे रुधौली नामक एक नयी

INDIA
200 0 200 400 600
KM
UP
STUDY AREA
LOCATION MAP
TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
DISTRICT SIDDHARTH NAGAR
DISTRICT GONDA
HARRAIYA
TAHSIL BASTI
TAHSIL
To Domaria Ganj
SH.26
Shankarpur
Tusail
Sagra Khas
Kalandar Nagar
Narkhoria
RAMNAGAR
Thumhawa Pandey
Ghosar
Barokhar
From Rudhauli
Bhanpur
SONHA
Kothila khas
Pachmohani
To Bansi
SH.15
Bhiriya Rituraj
Dasia
Parsa Damya
SALTAWA GOPALPUR
From Harraiya
Pachanu
Puraina
From Gonda
Jinwa
SH 26
Ama
Pipra Japti
From Basti
To Basti
DISTRICT BOUNDARY
TAHSIL BOUNDARY
BLOCK BOUNDARY
NYAYA PANCHAYAT
TAHSIL HQ
BLOCK HQ
NYAYA PANCHAYAT HQ
RAILWAY LINE (BROAD GAUGE)
ROADS
2 0 2 4
Km
82°35'
40'
45'E

Fig. 2.1

तहसील के सृजन के साथ सम्प्रति जनपद मे कुल चार तहसीलो का प्रतिनिधित्व करता है।

भानपुर तहसील का विस्तार **26°50'15"** उत्तर से **27°7'20"** उत्तरी अक्षाश एव **82°34'30"** पूर्व से **82°48'50"** पूर्वी देशान्तर के मध्य पाया जाता है। इसके पूरब मे बस्ती जनपद की बस्ती तहसील एव दक्षिण पश्चिम मे हरैया तहसील है। उत्तर मे जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर पश्चिम मे जनपद गोण्डा द्वारा इसकी बाहय सीमाये निर्धारित की जाती है। वही पश्चिम मे कुआनो नदी एव उत्तर पूरब मे आमी नदी इसकी भौतिक सीमा का निर्धारण करती है। बैडवा तथा रेहवर नाला इसके मध्य से प्रवाहित होकर तहसील के विकासखण्डो के सीमा को निर्धारित करती है। तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्रफल **451.99** वर्ग किमी है। जो जनपद बस्ती के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16 31% है। इसकी पश्चिम से पूरब की चौडाई कम पायी जाती है। उत्तर एव दक्षिण मे लगभग 20 किमी तथा मध्य मे इसकी चौडाई 10 किमी पायी जाती है। उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 30 किमी से भी अधिक पायी जाती है। सन 1991 की जनगणना की प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार तहसील की कुल जनसख्या 2,47,643 थी। जोकि जनपद की कुल जनसख्या का 15 66% थी।

तहसील की शतप्रतिशत जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो में निवास करती है। जनघनत्व 1991 मे 548 था। तहसील मुख्यालय द्वारा प्राप्त 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार तहसील की वर्तमान जनसख्या 30,2041 है। जिसमे पुरूष 1,54,702 तथा स्त्री 1,47,339 है। जिसके अनुसार जनघनत्व 668 पहुँच गया है।

तालिका क्रमांक : 2.1

भानपुर तहसील (जनपद बस्ती) : प्रशासनिक संगठन

विकास खण्ड का नाम	क्षेत्रफल (हे0में)	न्यायपंचायतों की सं0	ग्राम पंचायत	कुल ग्राम	आबाद ग्राम	गैर आबाद
रामनगर′	23,509	10	69	177	170	7
सल्टौआ गोपालपुर	21,690	11	82	258	239	19
योग	45199	21	151	435	409	26

स्रोत :– प्राथमिक जनगणना अभिलेख, जनपद बस्ती 1991 तथा
साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2000 से सगणित

विभाजन के पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से बस्ती जनपद प्रदेश मे दूसरा सबसे बडा जनपद था। परन्तु अब यहॉ का भौगोलिक क्षेत्रफल **2771.7** वर्ग किमी है। जो सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 1 15% है। प्रशासन को ठीक रूप से चलाने एव विकास के प्रकाश को सभी ग्रामो। नगरो मे पहुँचाने हेतु जनपद को तीन तहसीलो एव 13 विकास खण्डो मे विभक्त किया गया है। जनपद मे 139 न्यायपचायते है। जिसमे 1050 ग्राम पचायते, 3066 आबाद ग्राम व 285 गैर आबाद ग्राम है।

प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण तहसील 2 विकास खण्डो, 21 न्यायपचायतो 151 ग्राम पचायतो एव 435 ग्रामो मे विभक्त है (तालिका क्रमाक 2 1)। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बडा विकास खण्ड रामनगर है। क्षेत्रफल के आधार पर तहसील का बृहत्तम आबाद ग्राम अजगैवा जगल (896 हे0) आमा न्यायपचायत तथा न्यूनतम आबाद ग्राम बेनीपुर (8 हे0), पिपराजप्ती न्यायपचायत जो कि सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे स्थित है।

2.2 उच्चावच्च एवं संरचना : –

अध्ययन क्षेत्र एक समतल मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग का निर्माण टर्शियरी कल्प मे गोण्डवाना लैण्ड के उत्तराभिमुख दबाव के कारण निर्मित हिमालय पर्वत के दक्षिणवर्ती अग्रगर्त मे राप्ती एव घाघरा नदियो के जलोढ निक्षेप से हुआ है। इस भाग में सरिताओ के प्रवाह मार्ग, जलाशय तथा छोटे–छोटे नाले आदि सामान्य धरातलीय विषमता प्रकट करते है। सामान्यतः इस अध्ययन क्षेत्र का क्षेत्रीय ढलान उत्तर–पूर्व से दक्षिण–पूर्व को है। इस क्षेत्र की सभी नदियॉ एव नाले इसी ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। अध्ययन क्षेत्र की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 88 मी0 ऑकी गयी है।

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
DRAINAGE

AMI RIVER
REHAVAR NALA
RIVER
BAIRA NALA
REHAR NALA
GARIA RIVER
KATHNAIYA
KUWANA
-5′N
5′
-27°
27°
-55′
55′
RIVER
2 0 2 4
Km
82°35′
40′
45′ E

Fig. 2·2

मे थोडा सा जल दिख जाता है। कुआनो कठिनइया घाघरा की सहायक नदी ही कही जा सकती है।

2.3 1 कुआनों नदी :–

कुआनो नदी बहराइच जनपद के पूर्वी निचले हिस्से से निकलने वाली कुआना (जो कि कुआनो के नाम से जानी जाती है और फिर यह गोण्डा जनपद के बीच से होकर प्रवाहित होती है यह रसूलपुर के पश्चिम से जनपद मे प्रवेश करती है) चन्दोखा (शकरपुर न्यायपचायत–रामनगर) के पास अध्ययन क्षेत्र मे प्रवेश कर रामनगर विकास खण्ड के पश्चिमी सीमा से प्रवाहित होती हुई भानपुर न्यायपचायत एव कोठिला खास न्यायपचायत की सीमा के पास कुआनो नदी दो शाखाओ मे विभक्त हो जाती है। एक सहायक शाखा दोनो विकास खण्डो की सीमा बनाती हुई बैडवा नाला के नाम से प्रसिद्ध है जो कि सल्टौआ विकासखण्ड की उत्तरी पूर्वी सीमा पर रेहावर नाला के नाम से आगे प्रवाहित होती है।

मुख्य शाखा दक्षिण मे सल्टौआ विकास खण्ड के पश्चिम प्रवाहित होती हुई आमा न्यायपचायत की सीमा बनाती हुई, अपनी शाखाओ के साथ बस्ती जनपद मुख्यालय के पश्चिम से दक्षिण होते हुये पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यह बस्ती पूरब परगना को बस्ती पश्चिम से, नगर पश्चिम को नगर पूरब से अलग करते हुये, महुली पश्चिम एव पूरब होते हुये यह जनपद के दक्षिणी पूर्वी हिस्से से होते हुये छोड देती है।

यह सिकरी गज से आगे बरान के निकट गोरखपुर की सीमा मे प्रवेश करती है तथा शाहपुर नामक स्थान पर घाघरा से मिल जाती है। इसकी बहुत सी प्रशाखाये है जिनमे से कुछ है रेवई, मनोवर और कठिनाईया। रेवई अमोढ़ा के

उत्तर से निकलकर एक छोटी दूरी तय कर बस्ती के निकट कुआनो मे मिल जाती है।

2.3.2 कठिनइया नदी :–

कठिनाइया नाले के रूप मे निकलकर सल्टौवा गोपालपुर विकासखण्ड के उत्तर पश्चिम भाग से परसा खाल, छनवतिया के दक्षिण से प्रवाहित होती हुई बसडीला के पास बस्ती तहसील मे प्रवेश करती है। बस्ती के पूरब के कछारो से निकलकर नगर पूरब होते हुए दक्षिण पूरब दिशा मे प्रवाहित होती है जो कि रसूलपुर के दक्षिण मे स्थित गरैइया मे जाकर मिल जाती है।

2.3.3 आमी नदी :–

आमी नदी बस्ती जिले के सिकहरा ताल से निकलकर रेरूवा, बरार, बूधा एव कुडवा नाला के जल को लेकर प्रवाहित होती है। आमी रसूलपुर मे राप्ती से कुछ दूरी पर प्रवाहित होती है जोकि धान की खेती योग्य भूमि के विस्तृत भूभाग को घेरती है। शुरूआत मे यह सकरी है लेकिन आगे चलकर यह एक धारा के रूप मे है जोकि चिकनी दोमट व ऊसर जमीन से होकर बहती है। कुछ दूरी तक बॉसी पश्चिम से रसूलपुर को पृथक करके यह मगहर के पश्चिम मे बहती है। जहॉ बसखर के निकट के दाहिने छोर पर यह एक सहायक शाखा से मिल जाती है। जो रेरूवा के नाम से जानी जाती है और जो रूघौली के पश्चिम मे निकलती है।

मगहर परगना के पूर्वी सीमा पर आमी बरार से सयुक्त हो जाती है जो कि राप्ती की पुरानी शाखा है जो बनकटा की दिशा मे एक विस्तृत भूभाग मे बहती हुई बुद्धानाम से जानी जाती है जोकि बॉसी तहसील के पश्चिम से निकलती है। बरार से मिलने के बाद आमी की गहराई व चौडाई में बढोत्तरी

होती है, जबकि जमीन का क्षय तथा बहाव होता है। इस तरह केन्द्र से आमी मगहर पूरब से गुजरती है तथा जनपद की कुछ किमी का परिसीमन भी करती है। बाहर निकलने के समय यह दक्षिण मे कुढवा नाले के पास सयुक्त हो जाती है तथा मीरगज होते हुये इन दोनो का सयुक्त जल गोरखपुर मे राप्ती से मिल जाती है। आमी नदी तहसील के उत्तरीपूर्वी भाग मे सगराखास न्यायपचायत की उत्तरीपूर्वी सीमा पर प्रवाहित होती है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की समस्त नदियो का प्रवाह पूर्वाभिमुख (पश्चिम से पूरब की ओर) है। अध्ययन क्षेत्र मे कुआनो, आमी नदी के अतिरिक्त सभी नदियो मौसमी है। ग्रीष्म काल मे नदिया प्राय· जल विहीन हो जाती है। क्योकि इनके उदगम का कोई स्थायी जलराशि केन्द्र नही है। अपितु इनका निर्माण निम्न क्षेत्रो मे वर्षा काल मे जल सग्रहण से होता है।

2.3.4 नालें एवं तालाब :—

अध्ययन क्षेत्र मे बैडवा तथा रेहावर प्रमुख नाला है। हरना, खरदुमा एव सल्टौआ जैसे कई सरोवर (ताल) है। तहसील मे झील, तालाबो से सिचाई के अतिरिक्त मछलियॉ भी बहुत सख्या मे पकडी जाती है। मछलियो के अलावा झील तथा तालाब से सिघाडा, कमलगट्टा, नरई, सीप आदि वस्तुये प्राप्त होती है।

तालाबो के अलावा कुआनो, आमी एव कठिनइया आदि नदियो से मछलियॉ निकाली जाती है। इस उद्योग मे तहसील की लगभग 06 प्रतिशत जनसंख्या लगी है। जो मछलियो को मारकर बाजारों मे बेचने का कार्य करते है। मछलियो मे पढिन, भाकुर, रेहू, टेगर, नैनी, गिरई, सिधरी, चल्हवा आदि प्रमुख हैं। स्थानीय खपत के अलावा यहॉ से मछलियॉ जनपद मुख्यालय पर तथा अन्य जिलो पर भी भेजी जाती है।

2.4 जलवायु :–

मानुपर तहसील मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबन्ध के अन्तर्गत आता है। सामान्यत इस तहसील की जलवायु नम तथा स्वास्थ्यकर है। जलवायु का किसी भी क्षेत्र की मृदा–सरचना, प्राकृतिक वनस्पति और कृषि–विकास को प्रभावित करने मे महत्वपूर्ण योगदान होता है। अध्ययन क्षेत्र मे फसलो के प्रारूप को निर्धारित करने मे जलवायु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मध्यगगा मैदान के पूर्वोत्तर सीमा पर स्थित होने के कारण अध्ययन क्षेत्र मई–जून मे 'लू' तथा दिसम्बर जनवरी मे कपन भार 'शीतलहर' से उतना प्रभावित नही होता है जितना मध्य गगा का पश्चिमी व मध्य भाग होता है। यही कारण है कि अपवादो को छोडकर शीत ऋतु मे भानपुर तहसील का औसत तापमान उत्तर प्रदेश के मैदानो मे सर्वाधिक तथा ग्रीष्म ऋतु मे सबसे कम अकित होता है। तहसील मे मुख्यत ऋतुए पायी जाती है।

1 ग्रीष्म काल (मध्य मार्च से मध्य जून तक)

2 दक्षिणी–पश्चिमी मानूसन काल या वर्षाकाल–(मध्य जून से मध्य सितम्बर तक)

3 उत्तर मानूसन काल या सक्रमण काल – (मध्य सितम्बर से अक्टूबर तक)

4 शीतकाल – (नवम्बर से फरवरी तक)

2.4.1 तापमान :–

अध्ययन क्षेत्र मे ग्रीष्म ऋतु मे न्यूनतम तापमान लगभग 18 5^0 से0ग्रे0 व अधिकतम तापमान 31.66^0 से0ग्रे0 रहता है। वर्षा ऋतु मे न्यूनतम तापमान 26 27^0 से0ग्रे0 एव अधिकतम तापमान 31.16^0 से0ग्रे0 रहता है। शीत ऋतु मे अधिकतम तापमान 26 20^0 से0ग्रे0 एव न्यूनतम 15.98^0 से0ग्रे0 तक पहुँच जाता है।

तालिका क्रमांक 2.2

भानुपर तहसील : सामान्य तापमान (डिग्री से0ग्रे0)

(औसत दैनिक तापमान)

माह	अधिकतम	न्यूनतम	औसत
जनवरी	22 8	9 3	15 98
फरवरी	25 4	11 3	18 33
मार्च	32 3	16 5	24 30
अप्रैल	37 3	21 9	29 63
मई	38 4	25 1	31.66
जून	36 1	26 3	31 16
जुलाई	32 8	26 2	29.47
अगस्त	32 1	25 9	28 99
सितम्बर	32 4	25 2	28 80
अक्टूबर	31 9	20 8	26.27
नवम्बर	27.9	14 2	25 96
दिसम्बर	23 7	10.9	16.76
वार्षिक औसत	**31.1**	**19.4**	**25.18**

स्रोत : उत्तर प्रदेश गजेटियर, बस्ती व जिलाधिकारी कार्यालय, बस्ती।

TAHSIL BHANPUR
CLIMATIC CONDITION
A
RAINFALL (CMS)
TEMPERATURE (°C)
Maximum
Mean
Minimum
J F M A M J J A S O N D
B
HYTHER GRAPH
MEAN TEMPERATURE (°C)
RAINEALL IN (CMS)
D PRESSURE
WIND VELOCITY KM PER HOUR
PRESSURE (MB)
Wind
Velocity
C CLIMOGRAPH
WET BULB TEMPERATURE (°C)
Scorching
Muggy
Keen
Raw
RELATIVE HUMIDITY (%)

Fig. 2.3

वर्ष 1995 मे मई माह मे अधिकतम तापमान 45° से0ग्रे0 तक पहुँच गया जो एक रिकार्ड है। वर्ष 1998–99 मे तहसील मे अधिकतम तापमान 44 8° से0ग्रे0 तथा न्यूनतम तापमान 5 2° से0ग्रे0 रिकार्ड किया गया। मार्च अप्रैल व जून का माह गर्म रहता है। सामान्य जलवायु वाले इस क्षेत्र मे कोहरा तथा पाला शीतकाल की विशेषता है। जनवरी माह मे सर्वाधिक ठण्डी पडती है।

2.4.2 वर्षा :–

वर्षा मानसूनी होती है। जनपद मे वर्षा का वार्षिक औसत 110 सेमी से 130 सेमी के मध्य है। जाडे के दिनो मे भी कभी–कभी लौटते मानसून से इस क्षेत्र मे बरसात हो जाती है। वर्षा का क्षेत्रीय वितरण बडा ही असमान है। बरसात पूरी तरह से अनिश्चित है। कभी–कभी मुख्य मौसम के मध्य ही सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। वर्ष 1998–99 मे तहसील मे वास्तविक वर्षा 851 मिमी हुई। वर्षा उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग मे अधिक होती है। तहसील की 1999 मे सामान्य वर्षा 1156 मि0मी0 रही है। जो कि स्वास्थ्य के लिये लाभप्रद है।

2.4.3 सापेक्षिक आर्द्रता :–

अध्ययन क्षेत्र मे ग्रीष्म ऋतु के प्रारम्भ (अप्रैल माह) मे न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 41 5% रहती है जो जून माह तक क्रमश बढकर 67 10% तक पहुँच जाती है। जुलाई, अगस्त एव सितम्बर तक यहाँ आर्द्रता 80% के आस–पास बनी रहती है। वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ–साथ यह आर्द्रता क्रमश घटने लगती है। शीत ऋतु के प्रारम्भ (नवम्बर माह) मे यह सापेक्षिक आर्द्रता 70 90% के आसपास होती है। तत्पश्चात क्रमश वृद्धि की तरफ अग्रसरित होते हुए जनवरी मे 74% तक पहुँच जाती है तथा फरवरी माह से यह पुन तेजी से घटने लगती है।

तालिका क्रमांक – 2.3.

भानपुर तहसील : वायुदाब

माह	वायुदाब (मिलीबार में)
जनवरी	1008 30
फरवरी	1005 90
मार्च	1002 20
अप्रैल	998 60
मई	995 40
जून	991 40
जुलाई	990 70
अगस्त	992 70
सितम्बर	996 80
अक्टूबर	1002.60
नवम्बर	1006 70
दिसम्बर	1008.70
वार्षिक औसत	**1000.00**

स्रोत · जिलाधिकारी कार्यालय बस्ती।

2.4.4 वायुदाब एवं पवन :-

अध्ययन क्षेत्र मे शीत ऋतु के समय दिसम्बर व जनवरी मे तापमान अत्यन्त कम हो जाने पर वायुदाब सर्वाधिक 1008 70 मिली बार हो जाता है तथा न्यूनतम वायुदाब वर्षा ऋतु के जुलाई माह मे 990 70 मिलीबार रहता है। शीत ऋतु मे वायुदाब सामान्य हो जाता है। वर्ष के सर्वाधिक दिनो मे पश्चिम की तरफ से वायु बहती है। जिसकी गति ऋतु के अनुसार 50–70 किमी के आस–पास रहती है। शीत ऋतु मे पश्चिम की तरफ से आये चक्रवात मौसम की एक रसता को भग करने मे सहायक होते है।

कभी–कभी इनकी गति 120 किमी प्रति घण्टा तक होती है। इनके द्वारा अध्ययन क्षेत्र मे अपार धन–जन की क्षति होती है। दक्षिण पूरब की तरफ से सबसे कम लगभग 8 से 10 दिन ही पवन चलती है। वर्ष मे लगभग 29 दिन ऐसे भी होते है जिन्हे 'शान्त दिवस' की सज्ञा दी जा सकती है। जुलाई मे वायु न चलने के दिन काफी उमस भरे होते है। जाडे की ऋतु मे मुख्य रूप से पश्चिमी पवन बहती है गर्मी के दिनो मे पूर्वी एव उत्तरी–पूर्वी हवाओ का भी प्रभाव होता है फिर भी प्रधानता पश्चिमी पवन की ही होती है। अक्टूबर ऐसा माह होता है। जब मुख्य रूप से पूर्वी या उत्तर–पूर्वी पवन चलती है। शीत ऋतु मे वायु की गति 15 से 20 किमी0 प्रति घण्टा अर्थात न्यूनतम होती है। वर्षा ऋतु मे यह गति औसतन 30 से 40 किमी0 प्रति घण्टा के मध्य होती है जबकि ग्रीष्म ऋतु मे वायु की गति बढकर 55 से 60 किमी0 प्रति घण्टा तक पहुँच जाती है।

2.5 मृदा : –

मृदा ससाधन कृषि अर्थ–तन्त्र का आधार है। कृषि अर्थ–तन्त्र प्रधान क्षेत्रो मे जब जनघनत्व एव मृदा ससाधन उत्पादकता में प्रगाढ सम्बन्ध पाया जाता हैं।

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
SOILS
5'N
5'
27°
27°
55'
55'
SOIL TYPE
KHADAR
CLAYEY
LOME
SANDY LOME
CALCREOUS
ALLCALINE
2 0 2 4
Km
82°35'
40'
45' E

Fig. 2.4

दोनो के सहसम्बन्ध का सूक्ष्म अध्ययन, अुनशीलन यह प्रमाणित करता है कि मृदा ससाधन की क्षेत्रीय विशेषताओ ने मानव गत्यात्मकता को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित किया है। सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे जलोढ निक्षेप के कारण मृदा की विशेषता मे पर्याप्त समानता पायी जाती है। फिर भी सूक्ष्म अध्ययन के लिये सम्पूर्ण क्षेत्र को मृदाकण एव उर्वराशक्ति को आधार मानकर निम्न वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है।

2 5.1 बलुई मिट्टी :-

इस प्रकार की मृदा नदियो के समीपवर्ती क्षेत्रो मे पायी जाती है। इसमे बालू के कणो की मात्रा लगभग 40% होती है। कणो के अपेक्षतया बडे आकार के कारण इसमे जलशोषण क्षमता अधिक होती है, जो आलू, मूगफली, शकरकन्द आदि की कृषि के लिए उपयुक्त है। कुआनो, आमी नदियो के बेसिन इस मृदा के क्षेत्र है जिन्हे खादर भूमि भी कहा जा सकता है। यह मिट्टी सामान्यतया बालू, सिलिका और चीका मिट्टी का मिश्रित रूप है। यह मिट्टी, धान एव गन्ना उत्पादन के लिये प्रसिद्ध है। गेहूँ, मक्का, उडद आदि की भी अच्छी कृषि होती है। नदियो की भीषण बाढ के कारण किसी न किसी वर्ष खरीफ फसल बुरी तरह प्रभावित होती है।

2.5.2 बलुई दोमट मिट्टी :-

इस प्रकार की भूमि अध्ययन क्षेत्र के मध्य तथा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र मे पाया जाती है। इस मिट्टी मे बालू के कण सूक्ष्म एव अल्पमात्रा मे होते है और इसके साथ रेत और चीका मिट्टी के कण पाये जाते है। यह बलुई, दोमट मिट्टी, खादर मिट्टी के सभीपवर्ती भागों मे मिलती है। इसका रंग प्रायः भूरा

होता है। गेहूँ और गन्ना प्रधान फसल है। मक्का, धान, चना, मटर अरहर, ज्वार, बाजरा, उडद आदि अन्य मुख्य फसले इस भूमि मे उगाई जाती है।

2.5.3 मटियार दोमट मिट्टी :–

यह भूमि बलुई दोमट के उत्तर मे पायी जाती है तहसील के रामनगर विकास खण्ड की अधिकाश भूमि पर इसी मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। सिलिका कणो से युक्त यह मिट्टी धान की उपज के लिये प्रसिद्व है। यघपि बलूई दोमट एव मटियार दोमट मे कोई स्पष्ट विभाजन नजर नही आता लेकिन तहसील उत्तरी भाग मे हम ज्यो–ज्यो बढते है। मिट्टी मे बालू की कमी होती जाती है और मिट्टी मे चिकनी मिट्टी की अधिकता होती जाती है। इस भूमि मे धान एव गन्ना प्रमुख रूप से उगाया जाता है। गेहूँ द्वितीय स्थान पर उगायी जाने वाली फसल है।

2.5.4. लवणयुक्त 'रेह' या उसर मिट्टी :–

भानपुर तहसील के उत्तरी पश्चिम भाग के समीप कुछ क्षेत्रो मे ऐसी मिट्टी पायी जाती है। कोशिका क्रिया के कारण इसमे लवण के अश धरातल पर प्रकट हो जाते है कृषि के दृष्टि से यह मिट्टी अनुउपयोगी है। इस प्रकार की मिट्टी तहसील के लगभग सभी–न्याय पचायतो मे जगह–जगह कुछ क्षेत्रो मे पायी जाती है। अध्ययन क्षेत्र के कुछ क्षेत्रो मे काली मिट्टी के साथ ही साथ बीहड भूमि भी दिखने को मिलती है।

2.5.5. भूमिगत जल :–

भूमि के अन्दर बोरिग की सतह भूमि के सतह से 150 फीट नीचे तक है। तहसील के ऊपरी भाग में पानी का सतह बहुत गहराई पर प्राप्त होता है और

कुछ स्थान पर सरलता से यह प्राप्त नही होता है। तहसील बस्ती तथा हरैया मे यह सतह प्राप्त होने मे कठिनाई नही है।

2.6 भ्वाकृतिक प्रदेश :–

उच्चावच्च, अपवाह एव मृदा के आधार पर तहसील भानपुर को दो सभागो मे विभाजित किया जा सकता है।

(1) उत्तरी सम्भाग

(2) दक्षिणी सम्भाग

जो क्रमश दोनो विकास खण्डो (रामनगर, सल्टौवा गोपालपुर) के द्योतक है। उत्तरी सभाग को तीन भौतिक विभागो मे विभाजित किया जा सकता है।

(1) कुआनो नदी वेसिन

(2) आमी नदी वेसिन

(3) कुआनो आमी का मैदान

वही दक्षिणी सभाग मे

(1) कुआनो–कठिनाइया का मैदान एव

(2) कठिनइया–गरैइया के मैदान को सम्मिलित किया जा सकता है।

कुआनो आमी मैदान का विस्तार उत्तरी दक्षिण मे है उत्तर से दक्षिण की ओर ऊँचाई क्रमश घटती जाती है उत्तर मे रामनगर से लेकर दक्षिण मे सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड के पश्चिमी भाग तक यह क्षेत्र फैला है। तमाम छोटे–छोटे नाले एवं ताल–पोखरे इस भाग मे पाये जाते है।

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
PHYSIOGRAPHIC DIVISION
KUWANA AMI PLAIN
AMI RIVER BASIN
KUWANA RIVER BASIN
KATNEHIA GARIA PLAIN
KUWANA KATNEHIA PLAIN
5' N
5'
27°
27°
55'
55'
82°35'
40'
45' E
2 0 2 4
Km

Fig. 2.5

कठिनाइया गरैइया मैदान का विस्तार उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। रूघौली विकास खण्ड के आधे से अधिक भाग को समेटे हुये यह सल्टौवा गोपालपरु विकास खण्ड के पूर्वी भाग को समाहित करता है। भूमि का ढाल उत्तर से दक्षिण–पूर्व की ओर है। इस भाग मे छोटे–छोटे जलाशयो की प्रधानता है। यहा सर्वत्र बागर मिट्टी का विस्तार है। कुआनो कठिनइया मैदान का विस्तार तहसील के दक्षिणी सभाग मे है। जिसमे सल्टौआ गोपालपुर के पूरब के सभी न्यायपचायत सम्मिलित किये जा सकते है।

2.7 प्राकृतिक वनस्पति :–

किसी भी भू–भाग की वनस्पति वहॉ की जलवायु के विविध तत्वो विशेषकर तापक्रम एव वर्षा, मिट्टी और भू–पृष्ठ के वैज्ञानिक इतिहास से प्रभावित होती है (वी0पी0 सुब्रमणियम, 1958)।

'वन मानव एव पशुओ के जीवन से सम्बन्धित रहे है जो कृषि–विकास के पूर्व मानव द्वारा खाद्य एव वस्त्र आदि ससाधनो के रूप मे प्रयुक्त होते रहे है," ट्रीवार्था (1947)।

अध्ययन क्षेत्र पूर्णतया मानूसनी जलवायु के प्रभाव मे पडता है। अत यहॉ की वनस्पतियॉ ग्रीष्म ऋतु मे अपनी पत्तियो को गिराकर पतझड नाम को सिद्ध करती है। वनस्पतियॉ, चारागाह बाग–बगीचे अथवा बिखरे हुए वृक्षो के रूप मे पायी जाती है। कही–कही छोटी नदियो के किनारे बेत, नरकट एवं अन्य कटीली वनस्पतियॉ झाडियो के रूप मे पायी जाती है। आम, जामुन, महुआ, शीशम, पीपल बरगद बॉस, नीम, कटहल आदि प्रमुख वनस्पतियॉ अध्ययन क्षेत्र की आर्थिक उन्नति मे महत्वपूर्ण योगदान करती है। इनकी औसत ऊॅचाई 30–35 मी0 तक होती है।

वर्तमान मे सरकार द्वारा सडको के किनारे सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तगर्त नये किस्म के पेड यूकेलिप्टस अर्जुन, सूबबूल, गुलमोहर तथा कुछ शीशम के वृक्ष भी लगाये जा रहे है। बाढ वाले क्षेत्रो मे बबूल वृक्षो की बहुतायत है।

पीपल, बरगद, पाकड, गूलर आदि बहुत कम सख्या मे मिलते है। इसका मुख्य कारण लकडी का मजबूत न होना है। अत ये अधिकाश धार्मिक स्थानो पर ही पाये जाते है। सामान्यतया वनस्पति क्षेत्रो मे नीलगाय, लोमडी, गीदड, नेवले आदि बहुतायत पाये जाते है। नदियो के किनारे झाडियो मे गीदड एव भेडिये भी पाये जाते है। कुछ जहरीले सॉप यदा–कदा देखे जा सकते है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पूरे जनपद मे काफी सख्या मे मिलते है। तहसील के वनोत्पाद के विकास मे औद्योगिक प्रयोग एव प्रशिक्षण केन्द्र, बस्ती महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

2 8 खनिज सम्पदा :–

तहसील मे अद्यतन भूमि सर्वेक्षण का अभाव पाया गया है। अत भूमि के गर्भ मे कितने रत्न छिपे है। इसका निश्चित आकलन नही किया जा सकता है। जनपद सिद्धार्थनगर से लगे भू–भाग मे तेल की उपलब्धता है। बालू, ककड की प्रचुर उपलब्धता होने के कारण उन्हे भवन निर्माण मे प्रयुक्त किया जा रहा है।

✪ ✪ ✪

REFERENCE

District Census Hand Book, BASTI 1981

Gazetter of India, Uttar Pradesh District Basti 3-8 Page

Singh R L 1991 India of Regional Geography N.S S I Varanasi p 190

Trewartha F and Hammand, 1947 Elements of Geography p 407.

U P Census of India Administrative Atlas Volume 11- Series 21, Part IX A, (D M Sinha of the India Administrative Service Director of Census operations U P)

Sant Ram 1974 . A socialogical study of occupational preferences of Intermediate students of Basti U P Thesis submitted in Partial Fulfillment of the Degree of master of Arts (Soiology) Department of socialogy university of gorakhpur page 41-57

जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती 2000–01, राज्य नियोजन सस्थान, अर्थ एव सख्या प्रभाग, अर्थ एव सख्याधिकारी कार्यालय बस्ती।

जिलाधिकारी कार्यालय बस्ती।

साख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 1990 एव 2000–01, कार्यालय एव अर्थ सख्या अधिकारी बस्ती, अर्थ एव सख्या प्रभाग, राज्य नियोजन सस्थान, उ0प्र0

बस्ती विकास, 2001–2002 अतीत और वर्तमान।

✪ ✪ ✪

अध्याय–3

जनसंख्या प्रतिरूप

प्रस्तावना :–

जनसख्या जनशक्ति के रूप मे एक महत्पूर्ण ससाधन है। प्राकृतिक सम्पदा के समुचित विकास एव उपभोग के लिये एक सक्षम जनशक्ति का होना आवश्यक है, क्योकि विकास और परिवर्तन के सभी साधनो का केन्द्र बिन्दु मानव ही है। किसी क्षेत्र की उन्नति इस पर निर्भर करती है कि वहॉ की जनसख्या और भौतिक ससाधनो मे कितना सहसम्बन्ध है। मानव समयानुसार प्रकृति–प्रदत्त भौतिक ससाधनो से समायोजन कर उनका भरपूर उपयोग करता रहा है।

"मानव विविध प्रक्रियाओ द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को सास्कृतिक भूदृश्य मे परिवर्तित करता है," (सिगिसभण्ड–1948, पृ0 278)।

अत जनससाधन विकास एव परिवर्तन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। "जनसख्या –आकार, मानव विकास की प्रकृतिक एव प्रतिरूप को निर्धारित करता है' जबकि इसका वितरण मानव के भौतिक ससाधनो के साथ समायोजन के बदलते स्वरूप को प्रदर्शित करता है" (राणा पी0बी0 सिह– 1977, पृ0 21)।

जनसख्या की परिवर्तनशील प्रकृति (वृद्धि अथवा ह्रास) से दोनो परिस्थितियों मे विकास कार्य प्रभावित होते है। जहॉ जनसख्या मे तीव्र वृद्धि से विकास कार्य अवरूद्ध हो जाते है, पारिवारिक विखण्डन की प्रवृत्ति बढती है तथा समाज में विभिन्न प्रकार की अव्यवस्था होती है। वही अल्पता की स्थिति मे भी प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

तालिका क्रमांक 3.1

भानपुर तहसील में आबाद ग्रामों का विवरण

	तालिका	विकास खण्ड		तहसील	
		रामनगर	सल्टौआ गोपालपुर	भानपुर	जनपद
1	200 से कम आबादी के ग्राम	20	49	69	727
2	200 से 499 तक	66	100	166	1261
3	500 से 999 तक	54	62	116	766
4	1000 से 1999 तक	24	22	46	269
5	2000 से 4999 तक	6	5	11	37
6	5000 से ऊपर		1		6
	योग	**170**	**239**	**409**	**3066**

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 2000, एव जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती 2000–01 से सगणित।

नोट : आबाद एव गैर आबाद ग्रामो को परिशिष्ट मानचित्र 1 मे दर्शाया गया है।

जनसख्या–आकार मे सतुलन ही विकास के पथ को सुगम बनाये रख सकेगा। 'ग्रामीण जनसख्या मे हो रही पर्याप्त वृद्धि का दबाव केवल ग्रामीण ससाधनो पर ही नही पडा है, बल्कि इसका प्रभाव शहरो को भीडयुक्त बनाने मे भी हुआ है, जिससे नगरो मे अनेक प्रकार की आर्थिक सामाजिक समस्याये उठ खडी हुई है (यादव 1988 पृ0 51)। अत आर्थिक विकास के लक्ष्यो के लिए किसी राष्ट्र या क्षेत्र का जनसख्या का अध्ययन आवश्यक होता है जिससे कि योजना के आकार एव लक्ष्य को समझने मे मदद मिल सके तथा वाछित प्रगति प्राप्त की जा सके। किसी भी क्षेत्र की अनुकूलतम जनसख्या वह है जो उस क्षेत्र के समस्त भौतिक ससाधनो का सतुलित उपभोग करके अपने जीवन स्तर को उच्च बनाये रखे।

अध्ययन क्षेत्र नदी–निर्मित पूर्णत मानसूनी मैदानी एव मानवानुकूल जलवायु क्षेत्र है, अत जनसख्या और जनघनत्व दोनो निरन्तर वृद्धिमान है। विकास सम्बन्धी समग्र योजनाये जनसख्या को आधार मानकर बनायी जाती है। अत प्रस्तुत अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या प्रतिरूप, जन घनत्व, यौनानुपात, साक्षरता आदि की विवेचना के साथ–साथ वर्तमान सदी के पूर्वार्ध तक जनसख्या की स्थिति का ऑकलन तथा ग्रामीण विकास एव सामाजिक परिवर्तन मे जनसख्या की भूमिका को निरूपित करने का प्रयास किया गया है।

3.1. जनसंख्या विवरण :–

अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या का विवरण तालिका क्रमाक 3 2 मे दिया गया है। उसका वर्णन न्यायपंचायतवार 1981, 1991 तथा 2001 जनगणना के परिपेक्ष्य मे किया गया है। जिसे चित्र स0 3.1 मे दर्शाया गया है।

तालिका क्रमांक – 3.2.

तहसील भानपुर : जनसंख्या विवरण

	न्यायपंचायत	क्षेत्रफल (हे0में)	1981	1991	2001
1	शकरपुर	1580 00	9121	11135	14205
2	नरखोरिया	1709 00	8820	11107	14048
3	तुषायल	2315 00	8657	10144	12639
4	सगराखास	2171 00	9608	11974	14683
5	थुम्हवा पाण्डेय	1466 00	7014	8960	11101
6	घोषण	2269 00	7941	10503	13038
7	भानपुर	2958 00	12462	14026	17671
8	रामनगर	4058 00	10080	12649	15818
9	कलन्दर नगर	2164 00	8832	10225	12594
10	बडोखर	2819 00	12097	14632	17038
11	कोठिला खास	2169 00	10223	13151	15115
12	पचमोहनी	1214 00	6782	8584	10348
13	दसिया	2146 00	9182	11662	14011
14	परसा दमया	2123 00	9666	11682	13871
15	पुरैना	1291 00	7385	8293	10622
16	सल्टौआ	1947 00	9487	12099	13656
17	पचानू	1994.00	10625	12753	15266
18	भिरिया ऋतुराज	2469.00	11496	14472	17041
19	आमा	2563 00	13738	16204	19987
20.	पिपरा जप्ती	2077 00	9906	12163	14998
21	जिनवा	1697.00	9241	11225	13268

भानपु तहसील : जनरख्या विवरण
विकासखण्ड : रामनगर

चित्र सख्या : 31

भानपु तहसील : जनसंख्या वृद्धि

चित्र संख्या 3.2

सारणी : 3.3. A

भानपुर तहसील में जनसंख्या वृद्धि (%में)

	जनगणना वर्ष					
विकास खण्ड	1961	1971	1981	1991	2001	सम्भावित 2011
रामनगर	78566	86430 (10 1)	94676 (9 5)	115355 (21 84%)	142981 (23 94%)	177210
सल्टौवा गोपालपुर	87350	95835 9 7	107731 12 4	132288 (22 8%)	159060 (20 23%)	197138
तहसील भानपुर	155916	182265 (16 9)	202407 (11 1)	247643 (22 34)	302041 (21 96)	374348

स्रोत : जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971 एव 1981

जनगणना निदेशालय लखनऊ (अप्रकाशित 1991 की जनगणना)

सेन्सस आफ इण्डिया, 2001 (प्रोविजनल)

वर्तमान समय (2001) मे तहसील की कुल जनसख्या 3,02,040 है जिसमे 1,54,702 पुरुष तथा 1,47,339 स्त्री है।

इस प्रकार सन् 1961–2001 की अवधि मे तहसील की जनसख्या मे (93 6%) लगभग दो गुनी वृद्धि हुई। चित्र सख्या 3 2 एव तालिका क्रमाक 3 3A से स्पष्ट है कि भानपुर तहसील मे जनसख्या क्रमिक रूप से बढ रही है। साथ–साथ जनसख्या वृद्धि दर मे भी बढोत्तरी हो रही है। लेकिन 2001 मे वृद्धि दर मे कुछ कमी आयी है। जनसख्या वृद्धि दर 1981–91 की अवधि मे 22 34% तथा 1991–2001 की अवधि मे 21 96% रही है। यह वृद्धिदर जनपद की तुलना मे कम रही है।

विकास खण्ड स्तर पर जनसख्या और वृद्धिदर दोनो दृष्टिकोणो से सल्टौवागोपालपुर का प्रथम स्थान है। सल्टौवागोपालपुर विकास खण्ड मे 1961 से वर्तमान (2001) समय तक जनसख्या लगातार बढती जा रही है। सन् 1961–71 एव 1971–81 के मध्य तक वृद्धि क्रमश 9 7% तथा 12 4% थी। 1981–91मे यह 22 79% रही और यह 1991–2001 मे 20 25% रही लेकिन वृद्धि दर मे कमी का सकेत मिलता है।

सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे 1961–1971 मे क्रमश 87,350 एव 95,835 जनसंख्या निवास करती थी जोकि 1981 मे बढकर 1,07,731 हो गयी। 1991 मे इसकी जनसख्या 132,288 हो गयी जो कि 2001 मे बढकर 1,59,060 हो गयी। 50 वर्षो की अवधि मे जनसख्या मे लगभग दो गुनी वृद्धि हुई है। सल्टौवा गोपालपुर के सापेक्ष रामनगर विकास खण्ड की वृद्धि दर बढती रही है। रामनगर मे 1961 मे जनसख्या 78,566 थी जो 1971 मे बढकर 86430 तथा 1981 मे बढकर 94,676 हो गयी दो दशक मे जनसख्या मे वृद्धि 20.50% रही। 1991 मे

तालिका क्रमांक 3.3 B

जनपद बस्ती–जनसंख्या वृद्धि : 1901–2001

वर्ष	जनसंख्या	% वृद्धि प्रति दशक			% वृद्धि उ0प्र0	% वृद्धि भारत
		कुल	ग्रामीण	नगरीय		
1901	1845104	–	–	–	–	–
1911	1829381	–0 9	–0 5	–18 7	–0 97	5 73
1921	1924134	5 2	5 1	10 8	3 08	–0 30
1931	2076843	–7 9	7 7	27 7	6 66	11.00
1941	2184399	–5 2	–5 5	–11 7	13.57	14 22
1951	2386246	9 2	8 9	30 9	–11 82	–13 31
1961	2625755	10 04	10 5	–15 9	16 66	25 51
1971	2984090	13 69	12 4	9 6	19 80	24 80
1981	2173912	17 10	17 1	28 3	25 52	24 75
1991	2738522	25 97	25 45	42 78	25.16	23 50
2001	2068922	22 69	–	–	25 80	21 34

2001 की जनसंख्या, जनपद की नवीन सीमा के अनुसार प्रदर्शित की गयी है।

स्रोत :

– जिला जनगणना हस्तपुस्तिका 1961, 1971 तथा 1981।

– जनसख्या निदेशालय लखनऊ द्वारा प्राप्त जनगणना 1991

– डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जनपद बस्ती।

– सेन्सस आफ इण्डिया 2001 (प्रोविजनल)

जनसख्या 1,15,355 पहुँच गयी। इस दशक वृद्धि दर 21 84% रही। 1991 से 2001 मे रामनगर की जनसख्या तीव्रगति से बढी जोकि 1,42,981 पहुँच गयी। इस दशक मे जनसख्या वृद्धि भी (23 94%) अधिक रही। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या निरन्तर बढती जा रही है। और इस वृद्धि पर अकुश नही लगाया गया तो जनसख्या बढती जायेगी और ग्रामीण विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

आजादी के बाद जनसख्या वृद्धि मे तेजी आयी है। 2001 की जनगणना के ऑकडो के अनुसार देश की जनसख्या एक अरब पार कर गयी है। तालिका क्रमाक से 3 3 बी मे बस्ती जनपद की जनसख्या वृद्धि को उत्तर प्रदेश तथा भारत के सन्दर्भ मे प्रस्तुत किया गया है। तेज गति से बढती जनसख्या सामाजिक आर्थिक विकास मे बाधक सिद्ध हो रही है। यदि यही वृद्धि जारी रही तो 2045 तक भारत की आजादी चीन से अधिक होगी। अनियन्त्रित रूप से बढ रही आबादी हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिये सबसे बडी चुनौती है।

3.3 जनसंख्या वितरण :–

जनसख्या वितरण प्रारूप न सिर्फ मनुष्य के किसी क्षेत्र विशेष मे बसाव समबन्धी अभिरूचि एव अरुचि का घोतक होता है अपितु क्षेत्र मे कार्यरत भौगोलिक कारकों के सश्लेषण का स्पष्ट प्रदर्शक भी होता है। जनसख्या वितरण से मनुष्य के धरातल पर स्थितिजन्य प्रारूप का बोध होता है। जनसख्या का वितरण क्षेत्र के भौतिक एव आर्थिक, ससाधनो तथा स्थानिक व्यवस्था से पूर्णत सम्बन्धित एव नियन्त्रित होता है (जेलिस्की, 1966 पृ0 14)। जनसख्या का आकार मानव–विकास की प्रकृति एव प्रतिरूप को निर्धारित करता है, जबकि इसका वितरण भौतिक ससाधनो से मानव के समायोजन की प्रकृति की विविधता को

TAHSIL BHANPUR

DISTRICT BASTI

DISTRIBUTION OF POPULATION

2001

Fig. 3-3

तालिका क्रमांक–3.4.

भानपुर तहसील में जनसंख्या का वितरण : 2001

जनसंख्या आकार वर्ग	बारम्बारता	न्यायपंचायत
< 11000	2	पंचमोहनी, पुरैना
11000–11999	1	थुम्हवा पाण्डेय
12000–12999	2	तुषायल, कलन्दरनगर
13000–13999	4	घोषण, परसादमया, सल्टौवा, जिनवा
14000–14999	5	शंकरपुर, नरखोरिया, सगराखास, दसिया, पिपराजप्ती
15000–15999	3	रामनगर, कोठिलाखास, पचानू
16000–16999	–	–
17000–17999	3	भानपुर, बडोखर, भिरिया ऋतुराज
18000–18999	–	–
> 19000	1	आमा

प्रदर्शित करता है, (सिह, 1977 पृ0 21)। सन् 2001 की जनगणना पर आधारित बहुल बिन्दु मानचित्र 3.3 से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे वितरण प्राय समरूप है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार अधिकतर न्याय पचायतो की जनसख्या 14,000 से 15000 के मध्य है (तालिका क्रमाक–3.4)। आमा न्याय पचायत (1,99,87) सर्वाधिक और पचमोहनी न्याय पचायत (10,348) न्यूनतम जनसख्या धारक है। तहसील मे जनसख्या आकार के आधार पर यदि न्याय पचायतो को वर्गीकृत किया जाय तो अध्ययन क्षेत्र मे 11,000 से कम जनसख्या की मात्र दो न्याय पचायते पचमोहनी और पुरैना है। 11000–12000 के बीच मे केवल एक न्याय पचायत थुम्हवा पाण्डेय है। 12000–13000 के बीच मे तुषायल तथा कलन्दरनगर न्यायपचायते आती है।

13000 से 15000 के बीच मे सर्वाधिक न्यायपचायते है। इनकी सख्या 9 है जिनमे घोषण, परसा–दमया, सल्टौवा, जिनवा, शकरपुर, नरखोरिया, सगरा खास, दसिया, पिपराजप्ती न्यायपचायते है। 15000 से 16000 के बीच रामनगर, कोठिला खास तथा पचानू है। 17000 से 18000 के बीच मे भानपुर, बडोखर तथा भिरिया ऋतुराज न्याय पचायत आते है। 19000 से अधिक जनसख्या केवल आमा न्याय पचायत मे पायी जाती है।

3.4 जनसंख्या घनत्व :–

जनसख्या घनत्व का तात्पर्य जनसख्या एव धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन है जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियो की सख्या के रूप मे व्यक्त किया जाता है। जनसख्या वितरण की अधिक

भानपुर तहसील : जनसंख्या घनत्व

चित्र सख्या : 3.4

तालिका क्रमांक–3.5

भानपुर तहसील में जनसंख्या घनत्व

वर्ष	जनसंख्या घनत्व/किमी^{2}
1961	344
1971	403
1981	448
1991	548
2001	668

स्रोतो :
1. जिला–जनगणना हस्तपुस्तिका जनपद बस्ती, 1961, 1971, 1981
2. जनसख्या निदेशालय लखनऊ द्वारा प्राप्त 1991 की जनगणना रिपोर्ट एव
3. तहसील मुख्यालय भानपुर से प्राप्त 2001 की अप्रकाशित प्राथमिक जनगणना रिपोर्ट से सगणित।
4. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जनपद बस्ती 1984

अर्थपूर्ण स्थिति इसको क्षेत्रफल अथवा जीवन यापन के उपलब्ध साधनो के अनुपात मे व्यक्त करने से मालूम होती है।

जनसख्या घनत्व, ससाधनो पर जनसख्या के वास्तविक दबाव को घोषित करता है, (ट्रिवार्था – 1953, पृ0 94) अध्ययन क्षेत्र मे एव 1961 से 2001 तक जनसख्या घनत्व निरन्तर बढता ही रहा है 1961 मे यह जनघनत्व 344 व्यक्ति/किमी^{2} था। जो उत्तरोत्तर 1971 मे 403 से बढते हुये 1981 मे 448 व्यक्ति/किमी^{2} हो गया है। 1991 मे तहसील का जनघनत्व जहॉ 548 व्यक्ति/किमी^{2} था वही 2001 की जनगणनानुसार घनत्व मे लगभग दो गुने की वृद्धि हुई है। जनसख्या बढने से ससाधन पर दबाव बढ रहा है (तालिका क्रमाक 3 5, चित्र सख्या 3 4)। वर्तमान समय मे (2001) सर्वाधिक जनघनत्व सल्टौवा गोपालपुर विकासखण्ड (733 व्यक्ति/किमी^{2}) है। रामनगर का जनघनत्व 608 व्यक्ति/किमी^{2} है।

जनसख्या के गणितीय घनत्व के आधार पर तहसील को 5 वर्गो मे विभाजित किया जा सकता है (मानचित्र 3 6)।

3.4.1 अति निम्न घनत्व क्षेत्र. :–

तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्रफल के 1% भूभाग से भी कम भूमि पर जनसख्या घनत्व 500 व्यक्ति/किमी^{2} से भी कम है। जिसमे रामनगर न्याय पचायत आता है। यही 1991 मे तुसायल घोषण, भानपुर कलन्दरनगर न्याय पचायत की भी जनघनत्व 500 व्यक्ति/वर्ग किमी से कम थी। 1981 मे तो शकरपुर, नरखोरिया, पचमोहिनी पुरैना, पचानू और जिनवा को अतिरिक्त सभी न्यायपचायतों का जनघनत्व 500 व्यक्ति /कमी^{2} से कम था।

तालिका क्रमांक–3.6

क्र0 स0	न्यायपंचायत का नाम	जनसंख्या घनत्व/वर्ग किमी^{2}			दशकीय वृद्धि (%में)
		जनसंख्या घनत्व 1981	जनसंख्या घनत्व 1991	जनसंख्या घनत्व 2001	
1	शकरपुर	589	704	899	27.7
2	नरखोरिया	525	649	822	26.7
3	तूषायल	426	438	545	24 2
4	सगराखास	289	551	676	22 7
5	थुम्हवा पाण्डेय	447	661	757	14 5
6	घोषण	389	462	574	24 2
7	भानपुर	450	473	579	22.4
8	रामनगर	460	311	389	25 1
9	कलन्दरनगर	425	472	581	23 1
10	बडोखर	455	519	604	16 4
11	कोठिला खास	460	606	696	14.9
12	पचमोहनी	543	707	852	20 5
13	दसिया	400	549	652	18.8
14	परसा दमया	475	550	653	18.7
15	पुरैना	563	642	822	28.0
16	सल्टौआ	453	621	701	12 9
17	पचानू	533	639	765	19.7
18	भिरिया ऋतुराज	411	586	690	17 7
19	आमा	498	632	779	23.3
20	पिपरा जप्ती	489	585	722	23.4
21	जिनवा	539	661	781	18.2

भानपुर तहसील : जनसंख्या घनत्व
जनसंख्या घनत्व (प्रति वर्ग किमी0)
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1981
1991
2001
पकरपुर
नरखोरिया
डुशायल
सगराखास
शुम्हवा पाण्डेय
घोशण
भानपुर
रामनगर
कलान्दरनगर
बडोखर
कोठिलाखास
पचमोहनी
दसिया
परसा दमया
पुरैना
सल्टौआ
पचानू
मिरिया ऋतुराज
आमा
पिपरा जप्ती
जिनवा
न्याय पचायत

चित्र सख्या 35

3.4.2 निम्न घनत्व क्षेत्र :–

इसके अन्तर्गत 500–600 व्यक्ति/किमी^{2} घनत्व वाले क्षेत्र सम्मिलित है। इस वर्ग मे तुषायल, घोषण, भानपुर तथा कलन्दरनगर न्यायपचायते आती है। 1981 मे सम्पूर्ण तहसील का जनघनत्व 600 व्यक्ति/किमी^{2} से अधिक नही था। जबकि 1991 मे इस वर्ग मे सगरा खास, बडोखर, दसिया, परसा दमया, भिरिया ऋतुराज तथा पिपराजप्ती न्याय पचायते सम्मिलित थी।

3.4.3 मध्यम घनत्व क्षेत्र :–

तालिका क्रमाक एव मानचित्र से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र के सर्वाधिक भाग का घनत्व 600–700 व्यक्ति/किमी^{2} के मध्य है इस वर्ग के अन्तर्गत आने वाली सगरा खास, बडोखर, कोठिला खास, दसिया, परसा दमया तथा भिरिया ऋतुराज न्यायपचायते आती है। जो सम्पूर्ण तहसील की 26 30% क्षेत्र आवृत किये हुये है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की कुल 21 न्यायपचायते मे से 6 का जनघनत्व 600–700 व्यक्ति/किमी^{2} के मध्य है।

3.4.4 उच्च जनघनत्व क्षेत्र :–

तहसील के लगभग 20% क्षेत्र का जनघनत्व 700–800 व्यक्ति/किमी^{2} है। इस वर्ग मे थुम्हवा पाण्डेय, सल्टौवा, पचानू, आमा, पिपराजप्ती, जिनवा न्यायपचायते सम्मिलित है। 1991 मे केवल शकरपुर एव पचमोहनी न्यायपंचायते थी जो कि सर्वोच्च जनघनत्व का प्रतिनिधित्व करती थी।

3.4.5 अति उच्च घनत्व क्षेत्र :–

तहसील की चार न्यायपचायते का घनत्व 800 व्यक्ति/किमी^{2} से अधिक है। कुल 12 40% क्षेत्र पर व्याप्त इस वर्ग मे शकरपुर, नरखोरिया, पचमोहनी और पुरैना न्यायपचायते सम्मिलित है। शकरपुर न्यायपचायत का घनत्व 899 व्यक्ति/

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
POPULATION DENSITY
2001
5' N
5'
27°
27°
55'
PERSONS/KM²
< 500
501-600
601-700
701-800
801-900
2 0 2 4
Km
82°35'
40'
45' E

Fig. 3.6

किमी^{2} है जो तहसील का सर्वोच्च जनघनत्व है। इस क्षेत्र मे जनसख्या घनत्व के अति उच्च होने के कारण समतल मैदान, जलोढ, उर्वरामृदा, सिचाई के साधनो की प्रचुरता, परिवहन की अच्दी सुविधा विगत दशक (1991–2001) जनघनत्व मे सर्वाधिक वृद्धि, पुरैना तथा नरखोरिया न्याय पचायतो मे हुई।

अध्ययन क्षेत्र मे जनसख्या का यह वितरण प्रतिरूप मुख्यत घरातलीय सरचना, मिट्टी की उर्वरता सिचाई की सुविधाये, कृषि विकास एव परिवहन की सुगमता आदि से प्रभावित पाया जाता है।

3.5 आयु–लिंग संरचना :–

किसी भी जनसख्या की आयु–सरचना सामाजिक जीवन के सभी पहलुओ जैसे–सामाजिक तथा राजनैतिक प्रवृत्तियो, आर्थिक, क्रियाकलापो, शारीरिक–क्षमता आदि को प्रभावित करती है। मनुष्य की आयु उसकी आवश्यकताओ, कार्यक्षमता तथा विचारो को प्रभावित करती है। अत आयु मनुष्य की क्षमता का सूचकाक हे (चान्दना–1981 पृ0 126)। इससे यह प्रतीत होता है कि जनसख्या का कौन सा भाग ऐसा है जो भविष्य मे पुनरोत्पादन की प्रक्रिया मे भाग लेगा तथा कितना भाग ऐसा है जो पुनरोत्पादन तथा जनसख्या वृद्धि मे अपना योगदान कर रहा है। तहसील की कार्यशील जनसख्या मे क्रियाशील वर्ग (15–599 वर्ष) की मात्रा दिन प्रति दिन कम होती जा रही है। युवा वर्ग नौकरी तथा काम के तलाश मे शहरो की तरफ पलायन कर रहे है।

यौनानुपात सामाजिक प्रारूप के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण कारक है तालिका क्रमांक 3.2 मे न्यायपचायत वार तहसील मे पुरूषो के अनुपात मे स्त्रियो की सख्या दी गयी है। तहसील के सृजन के बाद 1991 में भानपुर तहसील मे प्रति एक हजार पुरूषो पर स्त्रियो की संख्या 902 थी जो कि नयी जनगणना

तालिका क्रमांक–3.7

भानपुर तहसील में यौनानुपात

(प्रति 1000 पुरूष पर स्त्रियों की संख्या)

क्र0 स0	न्यायंपचायत	1981	1991	2001
1	शकरपुर	922	886	938
2	नरखोरिया	981	970	1016
3	तुषायल	954	937	985
4	सगराखास	944	933	997
5	थुम्हवा पाण्डेय	914	919	917
6	घोषण	898	907	990
7	भानपुर	877	908	964
8	रामनगर	888	884	959
9	कलन्दरनगर	888	851	922
10	बडोखर	872	871	929
11	कोठिला खास	892	878	945
12	पचमोहनी	850	845	917
13	दसिया	864	895	930
14	परसादमया	894	910	965
15	पुरैना	880	941	976
16	सल्टौआ	925	911	952
17	पचानू	928	925	931
18	भिरिया ऋतुराज	882	886	944
19	आमा	881	899	947
20	पिपरा जप्ती	871	882	904
21	जिनवा	920	919	929

2001 मे बढकर 952 हो गयी। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर भी यौनानुपात मे वृद्धि के सकेत मिलते है। 1991 मे सल्टौआ गोपालपुर मे प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियो का अनुपात 899 था जो 2001 मे बढकर 943 हो गया। रामनगर विकास खण्ड मे भी वृद्धि के सकेत मिलते है। जो 1991 मे 905 थी जो 2001 मे बढकर 962 हो गयी इस प्रकार दोनो विकास खण्डो मे अनुपात मे वृद्धि ही हुई है।

इस प्रकार तहसील भानपुर का यौगानुपात जनपद के 1991 (908), 2001 (916) के अनुपात से अधिक है जो कि तहसील मे स्त्रियो के अनुपात मे वृद्धि का घोतक है। इसका प्रमुख कारण स्वास्थ्य सेवाओ मे सुधार तथा बालिकाओ की जन्म दर का अधिक होना है।

न्यायपचायत स्तर पर प्रति हजार पुरूषो पर स्त्रियो की सख्या पर दृष्टि डाला जाय तो इसमे ह्रास तथा वृद्धि के सकेत मिलते है। 1981 मे जहॉ न्यायपचायत नरखोरिया का यौनानुपात सर्वाधिक (981) था। वही सबसे कम पचमोहनी (850) न्यायपचायत का है। जबकि 1991 मे दोनो न्यायपचायतो मे कमी आयी है। 2001 मे नरखोरिया न्यायपचायत का अनुपात सर्वाधिक 1016 हो गया। सारणी से यह स्पष्ट है कि केवल नरखोरिया न्यायपचायत मे स्त्रियो की सख्या पुरूषो से अधिक है। सगरा खास मे (997) भी स्थिति अच्छी है। 2001 की जनसख्या के आधार पर सबसे कम यौनानुपात पिपरा जप्ती (904) का मिलता है। इस प्रकार लगभग सभी न्यायपचायतो मे अनुपात मे वृद्धि परिलक्षित होता है। तहसील को यौनानुपात 962 से अधिक अनुपात केवल 6 न्याय पचायतो मे है। जिसमे क्रमिक रूप से नरखोरिया (1016), सगराखास (997), घोषण (990) तुसायल (985), परसा दमया (965), तथा भानपुर (964) आते है।

3.6 साक्षरता :—

शिक्षा मनुष्य के बौद्विक और भावनात्मक विकास का एक अनवरत प्रयास है। साक्षरता और विकास एक दूसरे से जुडे हुये है। ग्राम्य विकास के लिये बनायी गयी प्रमुख परियोजनाओ मे शिक्षा के प्रचार, प्रसार को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। शिक्षा का अभाव समाज के सर्वांगीण विकास मे बाधक है। गावो मे इसकी कमी मे कारण अभी भी सामाजिक कुप्रथाये, कुरीतियॉ देखने को मिलती है। गरीबी, अभावग्रस्तता, जनसख्या वृद्धि, अधविश्वास जैसी समस्याये शिक्षा की कमी के मूल कारण है।

भारत सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत 15 से 35 वष्र के आयु वर्ग के लोगो के लिये सन 2005 तक सम्पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। सम्पूर्ण साक्षरता का अर्थ 75% साक्षरता से है और साक्षरता की परिभाषा यह है कि जो व्यक्ति किसी भी भाषा मे लिखना, पढना और गणित की दृष्टि से 1 से 100 तक गिनना और सरल, जोड, घटाव, गुणा और भाग जानता हो वह साक्षर है, (कुरूक्षेत्र अक्टूबर पृ0 18 2002)।

अध्ययन क्षेत्र की साक्षरता 2001 की जगणनानुसार केवल 38 95% है। जिसमे 52 08 पुरूष एव 25 16% महिला साक्षर है। क्षेत्र की साक्षरता का प्रतिशत प्रादेशिक साक्षरता 57 36% एव राष्ट्रीय साक्षरता 65.38% की तुलना मे बहुत कम है। पुरूष और महिला साक्षरता भी राष्ट्रीय साक्षरता (75 85% एव 54 16%) से बहुत कम है।

बस्ती जनपद मे भी साक्षरता 35 36% (1991) से बढकर 2001 में 54 28% हो गयी जिसमे उत्तरोत्तर वृद्धि के सकेत मिलते है। पुरूष साक्षरता 50.93% से

तालिका क्रमांक–3.8

भानपुर तहसील में साक्षरता

क्र0 स0	न्यायपंचायत	1981			1991		
		कुल	पुरूष	स्त्री	कुल	पुरूष	स्त्री
1	शकरपुर	19 7	30 6	7 8	20 26	30.87	8 29
2	नरखोरिया	21 3	35 4	6 9	29 61	42.61	15 17
3	तुषायल	17 8	28 8	6.3	21 11	33.44	7 96
4	सगराखास	17 8	29 2	5 9	22 97	36 17	9 18
5	थुम्हवा पाण्डेय	17 7	28 4	5 9	25 39	38 18	11 46
6	घोषण	16 5	28 0	3 6	23 04	36 90	7 76
7	भानपुर	18 1	28 9	5 7	26 80	38 41	14.01
8	रामनगर	22 5	35 8	7 6	28 24	42 69	11 90
9	कलन्दरनगर	16 2	26 8	4 2	18 71	30 32	5 08
10	बडोखर	13 0	20 4	4 6	17 95	16 81	7 00
11	कोठिलाखास	19 6	32 1	5 7	27 15	40 52	11.93
12	पचमोहनी	21 9	34 4	7 2	23 57	36 31	8 51
13	दसिया	21 9	34 8	7 0	24 34	38 64	8 36
14	परसा दमया	24 3	37 1	10 0	29 84	43 58	14.74
15	पुरैना	24 2	38.3	8 2	26 15	41.38	9 97
16	सल्टौवा	22 3	36 1	7 5	31 13	45 19	14 23
17	पचानू	17.2	28 6	4 9	24 86	37 73	10 93
18	भिरिया ऋतुराज	18 6	30 1	5.6	26 22	40 18	10 49
19	आमा	20 5	33 0	6 8	27.39	42 05	11 10
20	पिपरा जप्ती	23 9	36 4	9 5	32 05	46 45	15 74
21	जिनवा	25 1	38 9	10 2	27.22	42 32	10 80

भानपुर तहसील : साक्षरता

चित्र सख्या 38

68 16% तथा महिला साक्षरता 18 08% से 39% हो पहुँच गयी। जो कि तहसील की साक्षरता से अधिक है।

1991 की जनगणना के अनुसार तहसील की केवल 25 06% जनसंख्या साक्षर थी। जो 2001 मे बढकर 38 95% हो गयी जो कि शिक्षा के प्रति जागरूकता को इगित करती है। 1991 मे विकास खण्ड वार यदि साक्षरता पर दृष्टि डाला जाय तो सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड की साक्षरता 34 5% थी। जिसमे पुरूष 52 1% तथा स्त्री 14 9% थी। रामनगर की कुल साक्षरता 29 5% थी। जिसमे पुरूष की साक्षरता 44 8% तथा स्त्री की 12 8% थी। अधिकाश न्यायपचायतो का प्रतिशताक 25 से 30% के मध्य है, (मानचित्र सख्या 3 9)। तहसील मे पुरूषो की अपेक्षा स्त्रियो की साक्षरता अत्यन्त निम्न एव चिन्तनीय है। 1981 मे तहसील के न्यायपचायतो मे सर्वाधिक कुल साक्षरता जिनवा (25 1) का था जबकि सबसे कम बडोखर न्याय पचायत का। जिनवा न्यायपचायत की पुरूष एव स्त्री साक्षरता भी सर्वाधिक थी। 1981 मे सबसे कम स्त्री साक्षरता 4 2% कलन्दरनगर न्यायपचायत की रही। 1991 मे तहसील की न्यायपचायतो मे सबसे कम साक्षरता बडोखर (17.95) तथा कलन्दरनगर (18 71) न्यायपचायत की है। जिसकी साक्षरता 20% से भी कम है।

सर्वाधिक साक्षरता सल्टौवा विकास खण्ड के सल्टौवा और पिपराजप्ती (32 08%) न्यायपचायत की है। इन न्यायपचायतो मे महिला साक्षरता भी अधिक है। पिपराजप्ती मे (15 74%) तथा सल्टौवा मे (14 23%) साक्षरता अधिक होने का कारण नजदीक मे विद्यालयो की सुलभता है। शंकरपुर, तुषायल, सगराखास, घोषण, पचमोहिनी दसिया, और पचानू न्यायपचायत की साक्षरता 20 से 25% के बीच मे है। सबसे अधिक न्यायपचायतो की साक्षरता 25 से 30% के बीच मे है।

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
RURAL LITERACY
1991
5'N
5'
27°
27°
55'
RURAL LITERACY
IN PERCENT
< 20
20 - 25
25 - 30
>30
2 0 2 4
Km
82°35'
40'
45' E

Fig·3·9

इस वर्ग मे नरखोरिया, थुम्हवा पाण्डेय, भानपुर, रामनगर, कोठिलाखास, परसादमया, पुरैना, भिरिया ऋतुराज, आमा तथा जिनवा न्यायपचायत आती है। न्यायपचायते स्तर पर सर्वाधिक पुरूष साक्षरता पिपराजप्ती न्यायपचायत (46 45%) की है। सबसे कम पुरूष साक्षरता कलन्दरनगर (30 32%) की है। महिला साक्षरता मे सर्वाधिक साक्षरता पिपराजप्ती (15 74%) तथा सबसे कम साक्षरता बडोखर (7%) न्यायपचायते की है।

तालिका क्रमाक 3 8 से स्पष्ट है कि 1981 की तुलना मे 1991 मे साक्षरता वृद्धि हुई है। अध्ययन क्षेत्र की महिला साक्षरता 2001 जनगणनानुसार 25 16 है जो कि 1991 मे 10 9% थी। तालिका तथा निजी सर्वेक्षण की सहायता से ऐसा प्रतीत होता है कि भानपुर तहसील मे विभिन्न कक्षाओ मे बालिकाओ की स्थिति समयानुसार परिवर्तित होती रही है। नामाकन के समय जहॉ 100% बालिकाए प्रवेश लेती है। कक्षा 6 से कक्षा 8 तक पहुॅचने मे इनका प्रतिशत घटकर 20 15% आ जाता है तथा 9 से 12 कक्षा तक इनका प्रतिशत घटकर 8% से भी कम हो जाता है।

अनुसूचित जाति/जनजाति :-

अध्ययन क्षेत्र मे कुल जनसख्या का 17 6% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है। अनुसूचित जनजातियॉ पूरे तहसील मे केवल ग्राम उकडा (भानपुर, न्यायपंचायत) मे मिलती है। इनकी कुल जनसख्या 20 है, जिसमे पुरूष 10 तथा महिलाएँ 5 है।

तालिका क्रमाक 3.9 एव मानचित्र 3.9 से स्पष्ट होता है कि 12% से कम अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूरे तहसील मे केवल शकरपुर न्यायपंचायत का है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति (20% से अधिक) जिनवा, सल्टौवा, परसा—दमया,

तालिका क्रमांक–3.10

भानपुर तहसील में अनुसूचित जाति का विवरण

क्र0 स0	न्यायपंचायत	1981 कुल जनसंख्या से प्रतिशत	1991 कुल जनसंख्या से प्रतिशत
1	शकरपुर	12 6	11 3
2	नरखोरिया	14 4	14 7
3	तुषायल	16 7	17 1
4	सगराखास	18 4	17 7
5	थुम्हवा पाण्डेय	21 0	18 0
6	घोषण	19 6	18 3
7	भानपुर	20 9	20 0
8	रामनगर	15 4	15 1
9	कलन्दरनगर	15 1	14 9
10	बडोखर	16 2	14 6
11	कोठिलाखास	28 8	20 9
12	पचमोहनी	19 3	19 3
13	दसिया	19 2	20 6
14	परसा दमया	21 2	21 7
15	पुरैना	19 8	17 7
16	सल्टौआ	14 1	20 6
17	पचानू	18 2	17 6
18	मिटिया ऋतुराज	18 5	17 7
19	आमा	16 4	14 9
20	पिपरा जप्ती	16 7	16 8
21	जिनवा	21 2	21 8

82°35'
40
45'E
TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
DISTRIBUTION OF S.C. POPULATION
1991
5'N
5'
27°
27°
55'
AS PERCENTAGE
OF TOTAL POP.
< 12
12 – 16
16 – 20
>20
2
0
2
4
Km
82°35'
40'
45'

Fig. 3.10

दसिया तथा कोठिला खास न्यायपचायतो मे निवास करती है। वही नरखोरिया, कलन्दरनगर, बडोखर, रामनगर एव आमा मे 12 से 16% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है। सर्वाधिक न्यायपचायते 16 से 20% के बीच आती है।

मानचित्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसख्या सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे निवास करती है। इस प्रकार भानपुर तहसील मे छात्रो तथा छात्राओ की स्थिति को देखा जाय तो निसन्देह 1989–90 से 2000–01 मे वृद्धि हुई है जिसे तालिका क्रमाक 3 10 से देखा जा सकता है। जहॉ तहसील मे कुल छात्रो तथा छात्राओ की सख्या मे वृद्धि नजर आती है वही दोनो विकास खण्डो के अनुसूचित जाति के छात्र तथा छात्राओ की सख्या मे निरन्तर कमी आती जा रही है। कक्षा मे बढते हुये वर्ग मे इनकी सख्या कम होती जा रही है। कक्षा 9 से 12 मे अनुसूचित जाति के छात्रो एव छात्राओ की सख्या मे वृद्धि के सकेत मिलते है।

अनुसूचित जाति की बालिकाओ की स्थिति माध्यमिक एवं उच्चतर कक्षाओ मे सल्टौवा विकास खण्ड मे कम है। अनुसूचित जाति की 92% बालिकाओ का शैक्षणिक जीवन जूनियर बेसिक स्कूल के बाद समाप्त हो जाता है। मात्र 6% छात्राये ही माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा ग्रहण कर पाती है। इधर कुछ वर्षो मे इनकी सख्या मे वृद्धि हो रही है। जो कि सामाजिक जनचेतना तथा जागरूकता का घोतक है।

प्रशासनिक और सामाजिक वर्जनाये बालिका शिक्षा के विकास मे अवरोधक बनी है। तहसील मे भानपुर तथा सल्टौवा गोपालपुर, मुहम्मदनगर, असनहरा मे विद्यालय है, जहा सह–शिक्षा मिलती है। बालिका विद्यालय (माध्यमिक विद्यालय) पूरे तहसील मे एक भी नही है। सह–शिक्षा आज भी ग्रामीण क्षेत्रों मे अच्छा नही

तालिका क्रमांक—3.10

भानपुर तहसील : विभिन्न कक्षाओं में छात्रो/छात्राओं की स्थिति

	कक्षा 1 से 5 तक		कक्षा 6 से 8 तक		कक्षा 9 से 12 तक	
	सत्र 1989—90	2000—01	1989—1990	2000—2001	1989—1990	2000—2001
विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर छात्रो	10050	16820	1614	5585	1442	2247
छात्राओ	5729	5325	348	582	165	95
अनुसूचित जाति छात्र	2305	1480	302	2162	81	530
छात्राओ	1074	855	53	139	28	5
विकास खण्ड रामनगर						
छात्र	8441	15320	538	2140	915	2033
छात्राओ	1971	6380	308	481	45	248
अनूसुचित जाति						
छात्र	1323	2936	302	640	105	399
छात्राओ	1071	1040	65	115	13	48

स्रोत :— साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 1989—90 एव
साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2001 से सगणित

माना जाता है। इससे लडकियो के सम्पूर्ण या सम्यक शैक्षिक विकास पर प्रभाव पडता है। समाज मे अधिकाश वर्ग के लोग असामाजिक तत्वो के भय से लडकियो को दूर विद्यालय मे भेजने से डरते है। नजदीक मे विद्यालयो का अभाव लडकियो की शिक्षा मे अवरोधक है। समय से पहले (8–14 वर्ष) मे ही 70% से अधिक लडकियो का विवाह कर दिया जाता है। विवाह के बाद उनका शैक्षिणक कार्य वही बन्द हो जाता है। माध्यमिक कक्षा मे बालिकाये किशोरावस्था मे आ जाती है, उन पर माता–पिता द्वारा घरेलू कार्यो का भार अधिक कर देने से उनका अध्ययन काल कम हो जाता है। इसमे अनुसूचित जातियों की लडकियॉ अथोपार्जन हेतु खेतो मे या ईट मे भट्टो मे कार्य करना प्रारम्भ कर देती है तथा शैक्षिणक कार्य अधूरा छूट जाता है।

3.7. व्यावसायिक संरचना :–

जीविका निर्वाहन एव अर्थोपार्जन हेतु की जाने वाली आर्थिक क्रियाकलाप को 'व्यवसाय' से अभिहित किया जाता है। जनसख्या के इसी सरचना के द्वारा ही क्षेत्र क्रियाशील प्रारूप तथा विकास के स्तर की जानकारी होती है। जनसख्या दबाव तथा आर्थिक सरचना का आकलन इसी के विश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है। व्यावसायिक सरचना को अध्ययन हेतु तीन भागो मे बाटा जा सकता है – कार्यरत जनसख्या (कुल मुख्य कर्मकर) सीमात जनसख्या (सीमात कर्मकर) तथा बेरोजगार (अकर्मकर) जनसख्या।

इस प्रकार एक व्यक्ति यदि वर्ष के अधिकाश समय मे (कम से कम 180 दिन) किसी आर्थिक क्रिया में लगा हुआ है तो उसे कार्यरत या 'मुख्य कर्मकर' (कार्य करने वाला) माना जाता है। किन्तु यदि वह वर्ष के कुछ महीने मे ही कार्य मे लगा रहता है तो उसे सीमांत कर्म कर माना जाता है। इसके विपरीत वह

तालिका क्रमांक–3.11

भानपुर तहसील : व्यावसायिक जनसंरचना

	न्यायपंचायत	कुल मुख्य कर्मकर		सीमांत कर्मकर		अकर्मकर	
		संख्या	(%)	संख्या	(%)	संख्या	(%)
1	शकरपुर	3915	35 2	187	1 7	7030	63 1
2	नरखोरिया	3480	31 3	662	5 9	6965	62 8
3	तुषायल	3429	33 8	714	7 0	6001	59 2
4	सगराखास	4610	38 5	254	2 1	7110	59 4
5	थुम्हवा पाण्डेय	3110	34 7	377	4 2	5473	61 1
6	घोषण	3416	32 5	118	1 1	6969	66 4
7	भानपुर	4775	34 0	589	4 2	8662	61 8
8	रामनगर	3528	27 9	1636	12 9	7485	59 2
9	कलन्दरनगर	3800	37 2	286	2 8	6139	60 0
10	बडोखर	5025	34 3	1176	8.0	8441	57 7
11	कोठिला खास	4035	30 7	1114	8 5	8002	60 8
12	पचमोहनी	2741	31 9	939	10 9	4904	57 1
13	दसिया	3692	31 7	354	3 1	8066	69 2
14	परसा दमया	3345	28 6	391	3 3	7946	68 1
15	पुरैना	2425	29 2	326	3 9	5542	66 9
16	सल्टौआ	3753	31 0	441	3 6	7905	65 4
17	पचानू	3576	28 0	912	7 2	8265	64 8
18	भिरिया ऋतुराज	4468	30 9	2309	15 9	7699	53 2
19	आमा	5176	31 9	1180	7 3	9848	60 8
20	पिपराजप्ती	3977	32 7	167	1 4	8019	65 9
21	जिनवा	3595	31 0	.85	80	7745	68 2
	भानपुर	**79271**	**32.0**	**14199**	**5.7**	**158206**	**62.3**

भानपुर तहसील : व्यवसायिक जनसंरचना

चित्र सख्या 3 11

व्यक्ति जो वर्ष भर उत्पादन प्रक्रिया मे नही रहा है उसे बेरोजगार या कार्य न करने की क्षेणी मे रखा गया है, (मिश्रा इन्दू–1990, पृ0 135)।

3.7.1 कार्यरत एवं अकार्यरत जनसंख्या :–

अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसख्या का मात्र 32 5% ही कार्य करने वाले लोगो का है जिनमे पुरूषो का योगदान सर्वाधिक है। तालिका क्रमाक 3 11 द्वारा न्यायपचायत स्तर पर कर्मकर, सीमात कर्मकर तथा अकर्मकर जनसख्या के अनुपात को दिखाया गया है, जो प्रतिशत मे है। तहसील मे 62 3% जनसख्या बेरोजगार है जबकि सीमात रूप मे कार्य करने वाले लोगो का योगदान 5 7% है।

सबसे अधिक बेरोजगार या अकर्मकर जनसख्या दसिया (69 2%) तथा जिनवा (68 2%) न्यायपचायत की है। सबसे अधिक कार्यशील जनसख्या सगराखास (38 5%) तथ कलन्दर नगर (37 2%) न्यायपचायत मे पायी जाती है। सीमात जनसख्या सबसे अधिक भिरिया ऋतुराज (15 9%) तथा रामनगर (12 9%) मे है। इस प्रकार सम्पूर्ण तहसील मे 32% कार्यरत 5 7% सीमात तथा 62 3% बेरोजगार या अकार्यरत जनसख्या है।

3.7.2 कार्यरत जनसंख्या का वितरण :–

तहसील मे सम्पूर्ण जनसख्या की 32 5% जनसख्या मुख्य कर्मकर के रूप मे है। वर्ष 1991 की जनगणना मे कार्यरत जनसख्या को 9 प्रमुख वर्गो मे बाटा गया है। यथा–कृषक, कृषि श्रमिक, पशुपालन वृक्षारोपण, खान एव खदानो मे कार्यरत लोग, पारिवारिक उद्योग, विनिर्माण कार्य व्यापार तथा परिवहन सचार एव अन्य औद्योगिक कार्यो मे सलग्न जनसख्या (तालिका क्रमाक एवं चित्र स0 3 12)।

3.7.2.1 'कृषक' :–

वह व्यक्ति माना गया है जो अपनी स्वय की भूमि पर अकेले या परिवार के साथ कृषि कार्य करता है। यह भूमि पट्टे की, बॅटाई की, या किराये की किसी भी प्रकार की हो सकती है। सम्पूर्ण तहसील की **78.06%** जनसख्या कृषक है। विकास खण्ड वार कृषको पर दृष्टि डाली जाय तो रामनगर विकास खण्ड मे कुल कृषक 82 08% है। जिनमे 81 3% पुरूष तथा 18 7% महिला है। सल्टौवा गोपालपुर मे कृषको का प्रतिशत 75 2 है जिनमे 90 4% पुरूष कृषक तथा 9 6% महिला कृषक शामिल है।

सर्वाधिक कृषको की सख्या रामनगर विकासखण्ड मे बडोखरा न्यायपचायत की है जिसमे लगभग 80% जनसख्या कृषि मे रूप मे है। सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे आमा न्यायपचायत मे सर्वाधिक कृषको की सख्या है। सर्वाधिक स्त्री कृषक की जनसख्या न्यायपचायत सगरा खास मे है जो सभी न्यायपचायतो से अधिक है।

3.7.2.2 कृषि श्रमिक :–

जो व्यक्ति किसी दूसरे की भूमि पर कृषि करता है और नकद धनराशि प्राप्त करताहै वह 'कृषि श्रमिक'या 'मजदूर' कहलाता है। तहसील मे कुल क्रियाशील जनसख्या मे कृषि श्रमिक 13 6% है। रामनगर विकास खण्ड मे कृषि श्रमिको का प्रतिशत 10 9 है। जिसमे 63 3% पुरूष तथा 36 7% महिला कृषि श्रमिक है। सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे कृषि श्रमिको का प्रतिशत राम नगर से अधिक (15 1%) है। रामनगर विकास खण्ड मे कुल कृषि श्रमिको मे 71 6% परूष तथा 28 4% महिला कृषि श्रमिक सम्मिलित है।

तालिका क्रमांक–3.12

भानपुर तहसील में कार्यरत जनसंख्या का वितरण

क्र0 स0	व्यवसाय विवरण	रामनगर क्रियाशील जनसंख्या	(%)	सल्टौआ गोपालपुर क्रियाशील जनसंख्या	(%)	तहसील भानपुर क्रियाशील जनसंख्या	(%)
1	कृषक	31936	82 08	30169	75 2	62105	78 06
	पुरूष	25961	81 3	27260	90 4	53261	85 7
	स्त्री	5975	18 7	2909	9 6	8884	14 3
2	कृषि श्रमिक	4248	10 9	6061	15 1	10309	13 6
	पुरूष	2691	63 3	4341	71 6	7032	68 2
	स्त्री	1557	36 7	1720	28 4	3277	31 8
3	पशुपालन, खान एव वृक्षारोपण	57	15	86	20	143	0 18
	पुरूष	56	98 2	84	97 7	140	97 9
	स्त्री	1	1 8	2	2 3	3	2 1
4	उद्योग	527	1 4	838	2 1	1365	1 7
	पुरूष	478	90 7	773	92 2	1251	91 6
	स्त्री	49	9 3	65	7 8	114	8 4
5	विनिर्माण	39	10	85	20	124	0 15
	पुरूष	36	92 3	84	98 8	120	96 8
	स्त्री	3	7 7	1	1 2	4	3 2
6	व्यापार एव वाणिज्य	912	2 3	911	2 3	1823	2 3
	पुरूष	867	95 1	884	97 0	1751	96 1
	स्त्री	45	4 9	27	3 0	72	3 9
7	यातायात एव सचार	184	47	226	50	410	0 51
	पुरूष	152	82 6	223	98 7	375	91 5
	स्त्री	32	17 4	3	1 3	35	8 5
8	अन्य कर्म कर	1024	2 6	1753	4 4	2777	3 5
	पुरूष	956	93 4	1626	92.8	2582	93 0
	स्त्री	68	6 6	127	7 2	195	7 0
	भानपुर	**38927**		**40129**		**79056**	

भानपुर तहसील : कार्यरत जनसंख्या

चित्र संख्या 3.12

पशुपालन, खान एव वृक्षारोपण हेतु कुल क्रियाशील जनसख्या का मात्र 18% जनसख्या ही तहसील मे है। जिसमे रामनगर मे 15 तथा सल्टौवा रामनगर मे 20% है। दोनो विकास खण्डो मे 97% से अधिक पुरूष इस व्यवसाय मे सलग्न है।

3.7.2.3 उद्योग एवं निर्माण :–

किसी वस्तु के उत्पादन, मरम्मत तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित क्रियाकलाप को उद्योग की सज्ञा दी जाती है। तहसील की क्रियाशील जनसख्या का लगभग 2% जनसख्या इस कार्य मे सलग्न है। वैसे तो उद्योग मे कुछ जनसख्या लगी हुई है। रामनगर विकास खण्ड मे 1 4% जनसख्या इस उद्योगो मे लगी है, जिसमे 90 7% पुरूष तथा 9 3% महिला शामिल है।

इसी प्रकार सल्टैावा गोपालपुर विकास खण्डो मे भी 2 1% जनसख्या लगी है। जिसमे 92 2% पुरूष तथा 7 8% महिला शामिल है। विनिर्माण क्षेत्र मे सल्टौवा विकास खण्ड मे महिलाओ का प्रतिशत कम है। जो केवल 1 2% ही है। जबकि रामनगर मे 7% है।

3.7.2.4 अन्य कार्यो में लगी जनसंख्या :–

तहसील की कुल कार्यरत जनसख्या की 2 3% जनसख्या व्यापार एव वाणिज्य मे लगी है। जिसमे रामनगर मे 3% तथा सल्टौवा गोपालपुर मे 2 3% क्रियाशील जनसख्या है दोनो विकास खण्डो की 95% से अधिक पुरूष जनसख्या तथा 5% महिला जनसख्या कार्यरत है। यातायात एव सचार मे भी कुल क्रियाशील जनसख्या का 5% तहसील मे लगा है। यातायात तथा सचार मे जहॉ रामनगर विकास खण्ड के 82 6% पुरूष सलग्न है। वही सल्टौवा मे यह प्रतिशत 98.7% है। यातायात एव सचार मे रामनगर की महिला प्रतिशत अधिक है जो

174 % है। व्यावसायिक क्रियाकलापो मे अन्य कर्मकरो का प्रतिशत 35 है। रामनगर विकास खण्ड मे 26% अन्य कर्मकर है। जबकि सल्टौवा गोपालपुर मे 44% है।

इस प्रकार सम्पूर्ण तहसील मे सर्वाधिक जनसख्या कृषि कार्यो मे सलग्न है। कृषको की सख्या सर्वाधिक है। उद्योग की तरफ लोगो का झुकाव बढ रहा है। कृषि से लोग हट रहे है। कृषि व्यवसाय की तरफ लोगो को ध्यान अब कम होकर विनिर्माण तथा उद्योग धन्धो की तरफ अधिक हो रहा है।

3.8. जनसंख्या–ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन :–

किसी भी क्षेत्र के विकास के स्तर को वहॉ के जनसख्या आकार, घनत्व, यौनानुपात तथा साक्षरता के द्वारा जाना जा सकता हे जनसाख्यिकी के ये कारक सामाजिक ढॉचा को पूर्णत प्रभावित करते है। विकास तथा जनसख्या एक दूसरे के विरोधी है। जनसख्या वृद्धि जहा ससाधनो पर दबाव अधिक डालती है वही सामाजिक विकास को प्रभावित भी करती है। समाज पूर्णत इससे प्रभावित होता है। जनसख्या वृद्धि से जनशक्ति बढती है जहा इसके लाभकारी परिणाम मिलते है कृषि व्यवसाय मे उन्नति होती है जिससे समाज के आर्थिक विकास मे वृद्वि होती है, सकल उत्पाद बढता है, कृषि व्यवसाय मे लाभ होता है लेकिन कृषि भूमि पर इनकी सख्या बढने से कृषि जोत का आकार कम होता है आय कम हो जाती है तथा जनसख्या अधिक होने से सयुक्त परिवार मे विघटन प्रारम्भ हो जाते है। इस प्रकार समाज मे अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

जब ससाधन कम हो और जनसख्या की वृद्धि दर तीव्र हो और जनसख्या भी अधिक हो तो यह समाज के विकास के लिये हानिकारक है। उच्च साक्षरता शैक्षिक समाज तथा सुदृढ राष्ट्र का आधार है जनसख्या की वृद्धि से साक्षरता मे

गिरावट आती है जिसका प्रभाव आज भी गॉवो मे कुरीतियो एव बुराईयो के रूप मे देखी जा सकता है।

ससाधनो के समुचित उपयोग हेतु तथा समाज के सर्वागीण आर्थिक विकास हेतु सतुलित जनसख्या का होना आवश्यक है तभी एक आदर्श समाज की स्थापना हो सकती है।

REFERENCES

Census of India 1961 District Census Handbook Basti District

Census of India 1971 District Census Handbook Basti District

Census of India 1981 District Census Hankbook Basti District

Chandana R C 1981 Introduction to Population Geography Kalyani Publication New Dehli p 126

Census Abstract 1991 – Village/Town Primary, Population Directorate-U.P

Census of India 2001 Series–10 U P Provisional Population Totals Dr Ranbir Singh Director of Census operations, Uttar Pradesh

Mishra, Indu, 1990 Human Settelement system and Regional Development in Allahabad District The Problem and Poicies unpublished D Phil , Thesis of Allahabad University, Allahabad p p 120-135

Signismond, D D 1948 Florida's Human Resources, Geographical Review, Vol 38, p 278

Singh, R P B 1977 Clan Settlements in the saran Plain (Middle Ganga Valley) A Study in Cultural Geography, National Geographical Society of India, Varansi, p-21

Sorokin, p, 1928 : Contemporary Sociological Theories – p 357

Trewartha, G.T : A case for population Geography, Annals of Association of American Geographers, Vol 43, p -94

Zelinski, W 1966 . A Prologue to population Geography (Englewood Cliff Prentice Hall) Quoted by Fielding, G J 1974 · Geography as a Social Sicnece (New York Harper and Row Publishers), p 14

सांख्यिकीय प्रत्रिका 1990, 2000–जनपद बस्ती, 2001 की जनगणना का अप्रकाशित रिपोर्ट।

✪ ✪ ✪

अध्याय–4

कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तन

कृषि, आर्थिक विकास एव ग्रामीण समाज का मूल आधार है। विकास की प्रक्रिया मे कृषि ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मानव की मूलभूत तीनो अनिवार्य आवश्यकताये – भोजन, वस्त्र एव मकान की पूर्ति कृषि द्वारा ही होती है। कृषि मानव के लिये खाद्य, वस्त्र तथा गृहनिर्माण का साधन मात्र ही नही है अपितु आवास, उद्योग, व्यापार तथा आर्थिक एव सामाजिक जीवन स्तर को निर्धारित करने का एक मापदण्ड भी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, सचार आदि आधारभूत ग्रामीण सुविधाओ का समुन्नयन परोक्ष रूप से कृषि विकास से ही होता है। राष्ट्र की प्रगति, समृद्धि, योजनाओ की सफलता, विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, राजनैतिक स्थायित्व आदि सभी कुछ कृषि के विकास पर ही निर्भर है। जीविका का प्रमुख साधन होने के कारण कृषि पर लगभग 75% श्रमिक शक्ति आश्रित है, जो कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन मे 40% का येागदान करती है। अध्ययन क्षेत्र पूर्णत ग्रामीण आवासीय क्षेत्र है जिसमे लगभग 98% ग्रामीण जनसख्या सम्पूर्ण रूप से कृषि पर आधारित है।

कृषि विकास के कार्यक्रमो के माध्यम से ही ग्रामीण विकास के लिये आधार निर्मित होता है। ग्रामीण विकास के मुख्य उद्देश्यो, अधिकतम रेाजगार, आर्थिक विभिन्नता तथा स्थानीय ससाधनो का सदुपयोग कृषि विकास पर ही आधारित है। स्वतन्त्रता के पश्चात भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं स्थानीय निकायो द्वारा अध्ययन क्षेत्र की प्रगति हेतु कृषको के कल्याणार्थ अनेक योजनाये क्रियान्वित की गयी, जिन्हे आशिक सफलता भी मिली है किन्तु क्षेत्र का वाछित विकास नही हुआ है।

इस प्रकार ग्रामीण विकास और कृषि विकास एक ही सिक्के के दो पहलू है। साख्यिकीय पत्रिका, समाजार्थिक समीक्षा तथा तहसील मुख्यालय आदि स्रोतो से प्राप्त ऑकडो एव व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर प्रस्तुत अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र मे विद्यमान, कृषि के विकास तथा प्रवृत्तियो, सिचाई के साधन, कृषि समस्याओ आदि का विवेचन किया गया है तथा कृषि विकास हेतु कतिपय सुझाव भी देने का प्रयत्न किया गया है।

4 1 भूमि–उपयोग :–

भूमि उपयोग प्रतिरूप का अभिप्राय किसी प्रदेश की समस्त भूमि की विविध रूपो मे उपयोगिता से है। चूकि भूमि प्राकृतिक सम्पदा के रूप मे एक महत्व पूर्ण ससाधन है इसलिये विविध रूपो मे इसकी उपयोगिता है। भूमि उपयोग प्रतिरूप का विश्लेषण वन क्षेत्र, कृषित भूमि, परती भूमि, बजर भूमि, ऊसर भूमि आदि रूपो मे किया जाता है। भूमि उपयेाग का विविध रूपो मे विश्लेषण करने वाले विद्वानो मे जी0पी0 मार्स (1864), कार्ल ओ0 सौर (1919), डब्ल्यू0डी0 जोन्स एव फ्रिन्च (1925), वक (1937), ने विशेष योगदान दिया है। भूमि उपयोग से सम्बन्धित विशद विवेचन का कार्य स्टाम्प (1962), इनायदी (1964) आदि विद्वानो द्वारा किया गया है। एम0 शफी द्वारा 1962–72 के मध्य भारत के विभिन्न प्रान्तो की भूमि उपयोगिता तथा भूमि सरक्षण, पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मानव अपने क्रियाकलापो से भूमि उपयेागिता मे वृद्धि करता है। इस प्रकार भूमि उपयोग का स्वरूप मुख्य रूप से दो कारको – प्राकृतिक (सरचना, उच्चावच्च, जलवायु), जो भूमि की क्षमता का निर्धारण करते है एव सास्कृतिक कारक जो क्षेत्र की कार्यावधि के साथ ही आर्थिक एव सामाजिक दशा का प्रतिनिधित्व करते है (बलराम 1986, पृष्ठ 36) से प्रभावित होता है। सर्वेक्षण और परीक्षण के उपरान्त

भानपुर तहसील : भूमि उपयोग का विवरण

चित्र सख्या 4.1

तालिका क्रमांक–4.1

भानपुर तहसील में

भूमि उपयोग का विवरण

क्र0 स0	भूमि उपयोग	1988–89		1998–99	
		(क्षेत्रफल हेक्टेयर मे)	प्रतिशत	(क्षेत्रफल हेक्टेयर मे)	प्रतिशत
1	भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल	46992	–	42451	
2	वन	525	1 1	1801	4 2
3	ऊसर एव खेतो के अयोग्य भूमि।	390	0 8	375	0 9
4	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग मे लाई गई भूमि।	3935	8 4	3409	8 0
5	कृषि येाग्य बजर भूमि	953	2 0	791	1 9
6	स्थाई चारागाह तथा अन्य चरायी की भूमि।	271	0 6	258	0 7
7	अन्य वृक्षो, झाडियो, बागो आदि के खेत जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र मे शामिल नही है।	978	2 3	981	2 3
8	वर्तमान परती भूमि	927	2 1	329	0.8
9	अन्य परती भूमि	636	1 4	444	1 0
10	शुद्ध बोया गया वास्तविक क्षेत्र	38087	81 3	34063	80 2

तहसील की समस्त भूमि उपयोग की दृष्टि से वन, ऊसर एव खेतो के आयोग्य भूमि, कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग मे लायी गयी भूमि, कृषि योग्य बजर भूमि स्थायी चारागाह, परती भूमि के साथ ही शुद्ध बोया गया वास्तविक क्षेत्र आदि वर्गो मे विभाजित किया गया है। अध्ययन क्षेत्र के भूमि उपयोग प्रतिरूप का विवरण तालिका क्रमाक 4 1 एव मानचित्र 4 1 मे दृष्टव्य है।

अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 90% से अधिक भूमि का ही उपयोग होता है। भूमि उपयोगिता के लिये प्रतिवेदित क्षेत्रफल 42,451 हेक्टेयर है। जिसमे समस्त क्षेत्रफल का 4 2% वन पाया जाता है। तहसील मे वन भूमि का क्षेत्रफल सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे रामनगर से अधिक है। सल्टौवा गोपालपुर मे वन क्षेत्र समस्त भूमि उपयोग की 6% है, जबकि रामनगर मे केवल 2 3% है।

अध्ययन क्षेत्र मे स्थायी चारागाह के रूप मे भूमि लगभग नगण्य है। सन् 1998–99 मे कुल क्षेत्रफल का 0 7% भाग ही चारागाह के रूप में था। रामनगर विकास खण्ड के 213 हेक्टेयर भूमि पर स्थायी चारागाह पाया जाता है जो कि पूरे क्षेत्रफल का 1 1% है जबकि सल्टौवा गोपालपुर मे केवल 0 2% क्षेत्र पर ही चारागाह है। पशुओ के चारे के रूप मे बरसीम, बाजारा, इत्यादि को बोया जाता है किन्तु चारागाह का स्पष्ट विभाजन नही दिखाई पडता है।

उत्तरोत्तर जनसख्या की बढती हुई वृद्धि तथा खाद्यान्न की आवश्यकता की पूर्ति हुई हेतु कृषि योग्य बजर भूमि एव परती भूमि पर, कृषि कार्य बढने से इनके क्षेत्रफल मे ह्रास हुआ है। भूमि उपयोग विवरण पर यदि दृष्टिपात् किया जाय तो कुल भूमि का मात्र 1.9% भूमि, बजर भूमि के अर्न्तगत आता है।

तालिका क्रमांक–4.2

भानपुर तहसील : विकास खण्ड से भूमि उपयोग का विवरण

क्र0 स0	भूमि उपयोग विवरण (1998–99)	रामनगर	सल्टौआ गोपालपुर	भानपुर क्षेत्रफल हेक्टेयर में	बस्ती जनपद में)
1.	भूमि उपयोगिता के लिए प्रतिवेदित क्षेत्रफल	20272	22179	42451	276367
2.	वन	464 (2.3%)	1337 (6.0%)	1801 (4.2%)	4093
3.	ऊसर एवं खेतों के आयोग्य भूमि।	165 (0.8%)	210 (2.3%)	375 (0.9%)	3657
4.	कृषि के अतिरिक्त अन्य प्रयोग में लाई गयी भूमि।	1839 (9.1%)	1570 (7.1%)	3409 (8.0%)	36873
5.	कृषि योग्य बंजर भूमि।	422 (2.1%)	369 (1.7%)	791 (1.9%)	5744
6.	स्थाई चारागाह तथा अन्य चरायी की भूमि।	213 (1.1%)	45 (0.2%)	258 (0.7%)	600
7.	अन्य वृक्षों, झाडियों, बागों आदि के क्षेत्र जो वास्तविक बोये गये क्षेत्र में शामिल नहीं हे।	594 (2.9%)	387 (1.8%)	981 (2.3%)	6674
8.	वर्तमान परती भूमि	176 (0.81%)	153 (0.7%)	329 (0.8%)	6741
9.	अन्य परती भूमि	216 (1.1%)	228 (1.0%)	444 (1.0%)	5217
10.	शुद्ध बोया गया वास्तविक क्षेत्र	16183 (79.8%)	17880 (8.0%)	34063 (80.2%)	206768
11.	एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	6561	7349	13410	85533
12.	सम्पूर्ण बोया गया क्षेत्र				
	अ – खरीफ	10735	13725	24460	152980
	ब – रबी	11532	11126	22658	134392
	स – जायद	465	364	829	4893
	द – गन्ने के लिए तैयार की गयी कृषि	12	14	26	36
13.	शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल	10242	12533	22775	131427

स्रोत : जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा 2000–01, एवं सांख्यिकीयपत्रिका, जनपद बस्ती, 2000 से संगठित (%) प्रतिशत

TAHSIL BHANPUR
LAND-USE PATTERN
1998-99
Ramnagar
Saltaua Gopalpur
-5'N
5'
-27°
27°
55'
Forest
Barrn & Un-cultivated Land
Land put to non-agricultural uses
Culturable Waste
Permanent pasture and other grazing Land
Land under misc-trees groves not included in net area sonw
Current fallow
Other fallows
Net area sown
2 0 2 4
Km
82°35'
40'
45'E
After K. Roy, 1989

Fig. 4.2

आर्थिक क्रियाकलापो मे प्रगति के कारण वनोद्यान–भूमि का उपयोग अधिवास, कृषि–क्षेत्र, परिवहन एव सचार साधनो के विकासार्थ आदि कार्यो मे किया जाने लगा है। जिससे वृक्षो, झाडियो, बागीचो मे प्रयुक्त भूमि के क्षेत्रफल मे ह्रास हो रहा है। रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्डो मे 1998 मे वनोद्यान क्षेत्र मे प्रयुक्त भूमि क्रमश 2 9 तथा 1 8 प्रतिशत थी। पर्यावरण सतुलन हेतु सरकार द्वारा सामाजिक वानिकी योजना सहित अनेक कार्यक्रमो के माध्यम से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सडको पोखरो, नहरो के किनारे तथा अन्य रिक्त सरकारी भूमि पर सरकार द्वारा वृक्षारोपण कराया जा रहा है। तहसील मे वनोद्यान भूमि के क्षेत्रफल मे तीव्र ह्रास हो रहा है जिसके समाधान हेतु सरकार व्यक्तिगत वृक्षारोपण को प्रोत्साहन दे रही है (तालिका क्रमाक 4 2, मानचित्र 4 2)।

अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 80 25% भाग कृषि योग्य तथा 19 75% भाग कृषि अयोग्य है। यद्यपि खाद्यान्नो की बढती मॉग की पूर्ति हेतु अधिकाधिक क्षेत्र पर कृषि कार्य अपेक्षित होता है। किन्तु वनोद्यान भूमि मे कमी से पारिस्थितिकी सकट की समस्या उत्पन्न होती है। ऊसर सुधार उर्वरको एव अन्य नवीनतम वैज्ञानिक विधियो के अनुप्रयोग से ऊसर एव कृषि अयोग्य भूमि पर भी कृषि कार्य विकसित हुआ है। अत तहसील के विकासार्थ एक सुनियोजन की आवश्यकता है, जिससे न्यूनतम कृषि क्षेत्र मे अधिकतम अन्नोत्पादन हो सके तथा भौतिक पर्यावरण भी शुद्ध एव सतुलित बना रहे।

तहसील मे एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र 13910 हेक्टेयर है जो कि कुल भूमि का 30% से भी अधिक है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की बढती

जनसख्या तथा खाद्यान्न आपूर्ति हेतु कृषि क्षेत्र मे गहनता को प्राथमिकता दी जा रही है।

4 2 शस्य प्रतिरूप :

एक निश्चित अवधि मे विविध फसलो के आनुपातिक निरूपण को शस्य प्रतिरूप कहते है। इसमे किसी समयावधि मे किसी क्षेत्र मे बोये गये समस्त अथवा प्रमुख फसलो का विवेचन किया जाता है। शस्य प्रतिरूप किसी निश्चित समय मे विभिन्न फसलो के क्षेत्रीय अनुपात को निरुपति करता है। इससे फसलो की स्थानिक व्यवस्था को एक दूसरे के परिपेक्ष्य मे समझा जा सकता है (त्रिपाठी 1991, पृष्ठ 113)। अध्ययन क्षेत्र मे खाद्यान्न फसलो की प्रमुखता है। शस्य प्रतिरूप पूर्णत पारम्परिक परिलक्षित होता है। अध्ययन क्षेत्र मे शस्य प्रतिरूप तीन भागो मे विभाजित है। (1) रबी की फसले (2) खरीफ की फसले (3) जायद की फसले।

रबी की फसलो मे गेहूँ प्रमुख है। इसके अतिरिक्त जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसो, तम्बाकू, शकरकन्द अलसी, पोस्ता, आदि आते है। गेहूँ की बुवाई कार्तिक (नवम्बर) मे होती है जिसे बैसाख (अप्रैल/मई) मे काट लिया जाता है। गेहूँ अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख फसल है। जिसकी कृषि सम्पूर्ण तहसील के 50% भाग पर की जाती है। इसी प्रकार क्रमश मटर, चना, सरसो, मसूर, फसल आते है जो तहसील के दोनो विकास खण्डो मे बोयी जाती है। सर्वाधिक क्षेत्र पर गेहूँ की ही बुआई होती है (चित्र सख्या 4 3)।

रबी फसलो के अन्तर्गत बोये गये समस्त क्षेत्रफल का 88 27% गेहूँ की कृषि का ही रहा है जिसमें रामनगर ब्लाक अपने सकल कृषि क्षेत्र का 90% तथा

तालिका क्रमांक–4.3

रबी के अन्तर्गत फसल वार क्षेत्र

क्र0 स0	फसल का नाम	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में		तहसील भानपुर	जनपद बस्ती
		रामनगर	सल्टौवा गोपालपुर		
1	गेहूँ	10855	12050	22905	111471
2	जौ	2	2	4	137
3	चना	267	600	867	4255
4	मटर	276	820	1096	7568
5	मसूर	19	20	39	1376
6	सरसो	241	261	502	2719
7	अलसी			-	13
8	आलू	345	189	534	3676
9	तम्बाकू			-	444
10	अन्य			-	71
	योग	**12005**	**13942**	**25947**	

भानपुर तहसील : रबी के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र (1998-1999)

विकासखण्ड : रामनगर

- गेहूँ
- जौ
- चना
- मटर
- मसूर
- सरसों
- अलसी
- आलू
- तम्बाकू
- अन्य

विकासखण्ड : [illegible] गोपालपुर

- गेहू
- जौ
- चना
- मटर
- मसूर
- सरसो
- अल्सी
- आलू
- तम्बाकू
- अन्य

चित्र सख्या : 4.3

सल्टौवा गोपालपुर 86% क्षेत्र पर गेहूँ की कृषि करता है।

अध्ययन क्षेत्र मे जौ की कृषि मात्र 4 हेक्टेयर पर की जाती है तथा उत्पादन लगभग नगण्य है। रबी की फसलो मे गेहूँ के उपरान्त क्रमश मटर चना, आलू तथा सरसो का स्थान आता है।

सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे 600 हेक्टेयर भूमि पर चने की कृषि की जातीहै जो कि सकल फसल क्षेत्र का 4 2% है जबकि रामनगर विकास खण्ड मे मात्र 2 2% क्षेत्र पर चना की कृषि की जाती है। मटर की कृषि भी सल्टौवा विकास मे अधिक से अधिक 5 9% भूमि पर रामनगर विकास खण्ड मे कम से कम 2 3% भूमि पर की जाती है।

इस प्रकार तुलनात्मक रूप मे सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे चना और मटर दोनो की कृषि मे रामनगर विकास खण्ड से अधिक क्षेत्र पर कृषि होता है।

सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे आलू का उत्पादन मात्र 2 05% क्षेत्र पर किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र पूर्णत ग्रामीण क्षेत्र है जहॉ भोजन मे सब्जी के रूप मे आलू प्रमुख है अत इसके क्षेत्र मे वृद्धि की आवश्यकता है।

सम्पूर्ण तहसील मे तिलहन का उत्पादन बहुत कम क्षेत्र पर (1 93%) किया जाता है। तिलहन की फसलो मे सरसो, तीसी एव लाही मुख्य है। तिलहन की फसलो का सर्वाधिक क्षेत्र सल्टौआ गोपालपुर मे है।

इस प्रकार गेहूँ की कृषि के अतिरिक्त सभी फसलो में रामनगर विकास खण्ड का क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर से कम है। किन्तु नहरो के विकास तथा ट्यूबवेल की उपलब्धता ने रामनगर के उत्पादन स्तर को बनाये रखा है।

तालिका 4.4

खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र

क्र0 स0	फसल का नाम	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में		तहसील भानपुर	जनपद बस्ती
		रामनगर	सल्टौवा गोपालपुर		
1	धान	894	12118	13012	111767
2	मक्का	7	6	13	5238
3	बाजरा	–	–	–	8
4	उर्द	18	15	33	216
5	मूग	7	10	17	75
6	मूगफली	–	–	–	8
7	गन्ना	1420	2544	3964	24055
8	हल्दी	–	–	–	–
9	अरहर	318	608	926	8908
10	तिल	–	–	–	306
11	अन्य	–	–	–	37
	योग	**2664**	**15301**	**17965**	

<u>खरीफ</u> :

खरीफ के अन्तर्गत उगायी जाने वाली प्रमुख फसले धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा इत्यादि है। खरीफ की समस्त फसलो मे सर्वाधिक भाग धान का होता है। वर्ष 1998–99 मे भानपुर तहसील मे खरीफ फसल क्षेत्र के 74 42% भाग पर धान की कृषि की गयी। धान का सर्वाधिक क्षेत्र सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे (79 2%) पाया जाता है। वही रामनगर विकास खण्ड मे 33 5% भूमि क्षेत्र पर ही केवल धान की कृषि की जाती है। धान की कृषि क्षेत्र कम होने का कारण रामनगर विकास खण्ड मे गन्ने का अधिक कृषि क्षेत्र अधिक होना है।

फसल क्षेत्र के आधार पर द्वितीय क्रम मे प्रमुख मुद्रादायिनी फसल गन्ना है जो कि खरीफ के सकल कृषित भूमि के 22 08% भूमि पर की जाती है। जिस प्रकार सल्टौवा गोपालपुर धान उत्पादन हेतु अधिक क्षेत्र पर कृषि करता है। उसी प्रकार रामनगर मे 53 3 भूमि पर गन्ने की कृषि की जाती है। यह मौसमी फसल न होकर वर्षपर्यन्त उत्पादित होने वाली फसल है। अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी गन्ने की कृषि के लिये उपयुक्त है। जलवायु का विनाशकारी प्रभाव, बाढ, सूखा तथा ओलावृष्टि का भी आनुपातिक दृष्टि से इस पर कम प्रभाव पडता है। किसी क्षेत्र मे (खेत) एक बार गन्ना बो देने पर तीन चार वर्षो तक लगातार अच्छा उत्पादन लिया जाता है (चित्र संख्या 4 4)।

गन्ने की कटाई के उपरान्त पुन गन्ने की जड से नयी फसल उग आती है जिसे स्थानीय भाषा मे 'पेडी' कहा जाता है। इस प्रकार एक बार गन्ना बो देने के बाद 3 4 वर्ष तक पेडी होती रहती है और इससे कृषक को लाभ अधिक होता है।

भानपुर तहसील : खरीफ के अन्तर्गत फसलवार क्षेत्र
(1998-1999)

विकास खण्ड : रामनगर

विकास खण्ड : सल्टौवागोपालपुर

चित्र संख्या : 4.4

अध्ययन क्षेत्र मे कोई चीनी मिल नही है लेकिन बस्ती शुगर मिल की अवस्थित इस क्षेत्र की गन्ने की कृषि के लिये वरदान सिद्ध हुई है।

खरीफ की फसलो मे अरहर का दलहन के रूप मे प्रमुख स्थान है। सम्पूर्ण तहसील मे 5 5% भाग पर अरहर की कृषि की जाती है। सल्टौवा गोपालपुर मे 608 हेक्टेयर तथा रामनगर मे 318 (हेक्टेयर) भूमि पर अरहर की कृषि की जाती है। अन्य फसलो मे चारा हेतु उगायी जाने वाली फसले, ज्वार, बाजरा, मूगफली, हल्दी, तिल आदि आती है। जिनका उत्पादन नगण्य है (तालिका क्रमाक–4 3)।

4.3 शस्य–क्रम :

शस्य क्रम का अभिप्राय किसी क्षेत्र मे उत्पादित फसलो की श्रेणी–बद्धता से है। इसमे क्षेत्र के आधार पर प्रत्येक फसल का समस्त बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत ज्ञात करके उनको अवरोही क्रम मे दर्शाया जाता है जिससे प्रत्येक फसल का सापेक्षिक महत्व ज्ञात होता है।

भानपुर तहसील मे शस्य क्रम मे प्रथम स्थान गेहूॅ का है। द्वितीय स्थान धान तथा तृतीय स्थान गन्ना का है। चतुर्थ तथा पचम स्थान क्रमश अरहर और मटर का है। अध्ययन क्षेत्र मे रामनगर मे गेहूॅ प्रथम क्रम पर है जबकि धान मे सल्टौवा गोपालपुर प्रथम क्रम मे है वही दोनो विकास खण्ड गन्ना मे द्वितीय क्रम पर है। अरहर मे सल्टौवा तृतीय क्रम मे जबकि मटर मे चतुर्थ क्रम मे आता है। आलू पचम क्रम मे आता है।

4 4 अध्ययन क्षेत्र में कृषि की आधारभूत सुविधाओं की स्थिति :

कृषि के समुचित विकास के लिये, सिचाई, उर्वरक, पशु ससाधनो कीटनाशक दवाओ, विकसित कृषि यन्त्रो आदि की आवश्यकता होती है। इन सुविधाओ की उपलब्धता रहने पर कम उपजाऊ मृदा मे भी अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। इन सुविधाओ के अभाव मे बहुत अच्छी मृदा मे भी उत्पादन कम होता है।

4.4.1 सिचांई :

जल जीवन का आधार है। जल मानव जीवन तथा समस्त जीवधारियो और वनस्पतियो के लिये परमावश्यक आधारभूत प्राकृतिक ससाधन है। देश की अर्थव्यवस्था मे भू–जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भू–जल का दोहन सीधे उपभोक्ताओ के नियन्त्रण मे होने से यह विभिन्न उपयोगो के लिये प्राथमिक साधन बन गया है। भू–जल ने पेयजल तथा सिचाई के साधन के रूप मे महत्व अर्जित किया है। वर्तमान मे सिचाई मे इसका योगदान लगभग 50% ग्रामीण क्षेत्रो मे, घरेलू कार्य के लिये 80% तथा शहरी व औद्योगिक क्षेत्रो हेतु 50% अनुमोदित है। विश्व बैक के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद मे भू–जल का योगदान 9% है।

जनसख्या वृद्धि के कारण अनियन्त्रित और अन्धाधुन्ध इस्तेमाल तथा सरक्षण के अभाव मे भू–जल स्तर मे चार मीटर से अधिक गिरावट आयी है।

देश मे औसतन 4000 अरब धनमी0 वर्षा एक वर्ष मे होती है। इसमे हिमपात भी शामिल है। इसमे से 3000 अरब धन मी0 वर्षा मानसून के दौरान होती है। देश की विभिन्न नदियो मे औसत वार्षिक प्रवाह 1,869 अरब घन मी0

ऑका गया है जिसमे से यदि उपयुक्त भण्डारण सुविधाये उपलब्ध कराई जाए तो केवल 690 अरब घन मी0 सतही जल ही उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा 432 अरब घन मी0 भू–जल ससाधन है। इस प्रकार देश मे कुल 1,142 अरब घनमी0 जल उपयोग किये जाने योग्य है, जिसमे से वर्तमान मे सिचाई, उद्योग, ऊर्जा तथा अन्य उद्देश्य के लिये 605 अरब घन मी0 पानी का उपयोग किया जा रहा है।

वर्तमान मे देश मे कुल सक्रिय भण्डारण क्षमता 177 अरब घनमी है। केन्द्रीय जल आयोग के आकलन के अनुसार देश मे जनसख्या वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता घट रही है। वर्ष 1951 मे 5,177 घन मी उपलब्धता थी जो वर्तमान मे घटकर 1,820 घन मी रह गयी है तथा वर्ष 2025 तक यह घटकर 1,820 घन मी रह गयी है तथा वर्ष 2025 तक यह घटकर 1,341 और 2050 तक घटकर 1140 तक जाने का अनुमान है (कुरूक्षेत्र, अक्टूबर, 2002, पृ0 30)।

देश का लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्रफल और 76% जनसख्या पूर्णतया जल की तगी झेल रही है अर्थात वार्षिक जल उपलब्धता 500 घन मी0 है। इस प्रकार भूजल का आवश्यकता से ज्यादा दोहन किया गया है जिससे अब अर्थतन्त्र के प्रमुख आधार कृषि के लिये भी समुचित मात्रा मे जल उपलब्ध करा पाना कठिन प्रतीत हो रहा है। यहॉ तक कि पेयजल की समस्या भी पैदा हो गयी है। जनसख्या बढ रही है। जल वृष्टि अनिश्चित हो रही है। भू–जल स्तर घट रहा है, जल की मात्रा मे वृद्धि करना सम्भव नही है अत उपलब्ध जल का सही प्रबन्ध ही उचित विकल्प है। इस स्थिति मे सरकार द्वारा हाल ही में अपनायी गयी

TAHSIL BHANPUR
SOURCE OF IRRIGATION
-5'N
5'
Ramnagar
-27°
27°
Saltaua
Gopalpur
.55'
55'
STATE
TUBE-WELLS
PRIVTE
TUBE-WELLS
WELLS
TANK/LACK
OTHERS
2 0 2 4
Km
82°35'
40'
45' E

Fig.4.5

तालिका क्रमांक–4.5

भानपुर तहसील : स्रोतानुसार सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

(1999–2000)

क्र0 स0	श्रोत	विकास खण्ड के नाम			
		रामनगर	प्रतिशत	सल्टौआ गोपालपुर	प्रतिशत
1	नहरे	–	–	–	–
2	नलकूप – राजकीय	5340	52 7	5932	47 6
3	नलकूप – निजी	1572	15 5	1580	12 7
4	कूए	70	7	128	1 1
5	तालाब / झील / पोखरा	3052	30 1	4630	37 4
6	अन्य	106	1 1	130	1 2
	योग	10140		12450	

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 2001 के सगठित।

सशोधित जलनीति, 2002 सही समय पर उठाया गया कदम है।

इस नीति मे ससाधनो को सरक्षित करने के साथ–साथ प्रदूषण समाप्त करने, जल परिवहन मार्ग को पक्का करने, तालाबो सहित वर्तमान प्रणालियो के आधुनिकीकरण तथा उसकी पुर्नस्थापना करने की व्यवस्था (मानचित्र सख्या 4 5)।

4 4 1 (अ) नहर

अध्ययन क्षेत्र मे सिचाई साधनो एव स्रोतो पर दृष्टि डाला जाय तो इनकी उपलब्धता स्वत स्पष्ट हो जायेगी। पूरे जनपद मे नहर की लम्बाई 10 किमी0 मात्र बहादुरपुर विकास खण्ड मे है। सरयू नहर उपखण्ड परियोजना की नहरो का निर्माण अध्ययन क्षेत्र मे किया जा रहा है। पूरे तहसील मे नहरो का जाल बिछाया जा रहा है। सभी नहरे निमार्णाधीन है। बस्ती शाखा तथा खलीलाबाद शाखा नहरो की मुख्य शाखाये है। रामनगर विकास खण्ड मे अपेक्षाकृत नहरो का अधिक निर्माण हुआ है। कोठिला खास न्याय पचायत तथा परसा–दमया न्यायपचायत मे नहर निर्माण हेतु भूमि की पैमाइश कर ली गयी है तथा निर्माण कार्य भी चल रहा है (मानचित्र सख्या 4 6)।

(ब) नलकूप :

भूमिगत जल को किसी यान्त्रिक मशीन की सहायता से धरातल पर लाने की क्रिया नलकूप द्वारा की जाती है। अध्ययन क्षेत्र मे दो प्रकार के नलकूप है। राजकीय नलकूप तथा निजी नलकूप। पूरे जनपद के 527 नलकूपो मे भानपुर तहसील मे 120 राजकीय नलकूप है। जिसमें सर्वाधिक 73 नलकूप रामनगर विकास खण्ड मे है। क्षेत्र मे कृषि भूमि की सर्वाधिक सिचाई निजी नलकूपो द्वारा होती है। राजकीय नलकूपो की क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार प्रचुर संख्या नही है।

82°35′ 40 45′E

TAHSIL BHANPUR

DISTRICT BASTI

DISTRIBUTION OF CANALS AND GOVERNMENT TUBE-WELLS

Fig. 4.6

(स) कुएं :

तहसील मे सिचाई हेतु कूप–जल का प्रयोग चरखी, रहट, ढेकुली आदि के माध्यम से किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे पक्के कुए की सख्या 1220 है जो कि जनपद की सख्या 7675 का लगभग 18% प्रतिशत है। रहटो की सख्या 918 है। भूस्तरीय पम्पसेटो की सख्या अध्ययन क्षेत्र मे 76 है। पूरे जनपद मे बोरिग पर लगे पम्पसेटो की सख्या 1998–99 मे 1,18,128 थी जो बढकर 2000–01 मे 1,21,491 हो गयी। जिसमे पदानुक्रम के आधार पर एक दृष्टि जनपद के समस्त विकास खण्डो पर रखा जाय तो तहसील का रामनगर विकास खण्ड 10,334 पम्पसेटो के साथ विकास खण्ड रूद्यौली तथा विक्रम जोत के बाद है। तहसील मे 2000–01 मे 19,675 पम्पसेट है जबकि निजी नलकूपो को देखा जाय तो पूरे जनपद मे 5,843 है जिसमे तहसील मे इनकी सख्या 738 है।

(ढ) तालाब एंव अन्य साधन :

तहसील के सिचाई साधनो मे नलकूप की तथा कुऐ की उपलब्धता के बावजूद भी तालाब द्वारा सिचाई सल्टौआ विकास खण्ड के कई न्यायपचायतो मे की जाती है। कृषि श्रमिक या मजदूर वर्ग अपने फसल की सिचाई समीप स्थित तालाब से ही करते है। तालाबो से जल 'बेडी' द्वारा निकाला जाता है 'बेडी' तसले के आकार की बॉस निर्मित एक बडी सरचना होती है जिसे स्थानीय भाषा मे 'दौरी' या 'दोगला' कहा जाता है। इसके दो विपरीत किनारो पर दो–दो रस्सियॉ लगाकर दो व्यक्ति मिलकर तालाब से जल निकालते है। चूकि अध्ययन क्षेत्र मे नदियो की कमी है। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र की कृषि सिचाई मे नदियो तथा नहरों का कम योगदान है। नलकूप तथा कुऐ वरदान साबित हो रहे है।

तालिका क्रमांक–4.6

तहसील भानपुर : सिंचाई साधन का विवरण

(1999–2000)

क्र0 स0	नाम साधन	इकाई	तहसील	जनपद उपलब्ध मात्रा
1	नहरो की लम्बाई	किमी	–	10
2	राजकीय नलकूप	सख्या	120	527
3	निजी नलकूप	"	738	5733
4	पक्का कूप	"	1220	7675
5	भूस्तरीय स्रोतो पर लगे पम्पसेट	"	76	488
6	पम्पिग सेट	"	19675	119041
7	अन्य	"	918	5529

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती, वर्ष 2000 एव
जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती, 2000–2001 से सगणित।

4 4 2 उर्वरक तथा कीटनाशक दवाएं

फसलो के विकास के लिये उर्वरक उतना ही आवश्यक है जितना फसलो को जीवित रहने के लिये सिचाई। भानपुर तहसील मे सर्वाधिक प्रयोग नाइट्रोजन खाद का होता है। द्वितीय स्थान फास्फोरस का है। पोटाश का स्थान तृतीय के साथ–साथ उत्तरोत्तर घट रहा है। तहसील मे प्रयुक्त उर्वरको का लगभग 80% नाइट्रोजन, 17 50% फास्फोरस तथा 2 50% पोटाश का है। कृषि मे उर्वरको का प्रयोग प्रतिवर्ष बढ रहा है, जो भूमि उर्वरता एव अधिकाधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिये आवश्यक भी है। उर्वरको के प्रयोग मे विगत दशक मे सर्वाधिक वृद्धि सल्टौवा गोपालपुर मे हुई है। 1988–89 मे नाइट्रोजन उपयोग की मात्रा 1937 मीटरी टन थी जो कि 1998–99 मे 2930 पहुँच गयी। जबकि रामनगर विकास खण्ड मे पोटाश उर्वरक के प्रयोग मे कमी आयी है जो कि 90 से 78 मीटरी टन हो गयी है।

इस तहसील के रामनगर विकास खण्ड मे उर्वरक प्रयोग की दर निरन्तर बढती जा रही है। रामनगर विकास खण्ड मे जहा पर उपयोग 1988–89 मे 3,106 मीटरी टन था, जो कि 1999–00 मे बढकर 4,201 मीटरी टन हो गया है। वही सल्टौवा गोपालपुर मे यह दृष्टि 1988–89 की अपेक्षा 1999–00 मे 2,519 मीटरी टन से 3,820 मीटरी टन पहुँच गया है (मानचित्र सख्या 4 7)।

इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र मे उर्वरक पर निर्भरता बढती जा रही है। पारम्परिक रूप से कृषक अब कम्पोस्ट खाद का प्रयोग बहुत कम कर रहे है, क्योकि इसकी उपलब्धता कम होती जा रही है। रासायनिक खादो का प्रति हेक्टेयर उपभोग तहसील मे धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

तालिका क्रमांक–4.7

भानपुर तहसील : उर्वरक वितरण (मी0टन0)

उर्वरक	रामनगर		सल्टौवा गोपालपुर	
	1988–89	**1999–2000**	**1988–89**	**1999–2000**
नाइट्रोजन	2257	3298	1937	2930
फास्फोरस	759	825	549	816
पोटाश	90	78	33	74
योग	3106	4201	2519	3820

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती, वर्ष 1990 एव वर्ष 2000

भानपुर तहसील : उर्वरक वितरण

विकासखण्ड : रामनगर

विकासखण्ड : सल्टौवा गोपालपुर

चित्र सख्या : 4.7

फसलो को रोगो से बचाने के लिये कीटनाशक दवाओ का प्रयोग आवश्यक है। इसके अभाव मे फसलो के रोगग्रस्त होकर पूर्णत नष्ट होने की सम्भावना रहती है। कीटनाशक दवाओ की प्राप्ति विकास खण्ड स्तर पर स्थापित कार्यालयो एव व्यक्तिगत विक्रेताओ के यहॉ से हो जाती है।

जनपद मे सतुलित उर्वरक प्रयोग के लिए 8436 नमूनो का विश्लेषण कराते हुये विभिन्न फसलो हेतु उर्वरक प्रयोग की सस्तुतिया किसानो को समय से उपलब्ध कराये गये। जनपद मे कृषि उत्पादकता बढाने के लिये बीज सवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत नवीन प्रजातियो के आधारीय प्रमाणित बीजो के सवर्धन हेतु जनपद में राजकीय कृषि क्षेत्र सिसई, (हरैया तहसील) एव अमरडीहा मे स्थापित है, अमरडीहा भानपुर तहसील के रामनगर विकास खण्ड मे अवस्थित है।

फसल सुरक्षा उपायो के सफल सचालन हेतु विकास खण्डो मे कृषि रक्षा इकाई की स्थापना की गयी है। यदि अध्ययन क्षेत्र के समग्र भाग का अवलोकन किया जाय तो (2000–01 तक) स्थिति बहुत ही खराब मानी जायेगी। तहसील मे मात्र दो बीज गोदाम केन्द्र है, जिनकी क्षमता 200 टन है ग्रामीण गोदाम की सख्या रामनगर मे 6 तथा सल्टौवा गोपालपुर मे 10 है। तहसील मे कीटनाशक डिपो की सख्या 2 है। बीज वृद्धि के फार्म मात्र केवल एक ही अमरडीहा मे है जो रामनगर विकास खण्ड मे है। शीत भण्डार की एक भी सख्या अध्ययन क्षेत्र मे नही है। रामनगर में एक एग्रो कृषि सेवा केन्द्र है। कृषि उत्पादन मण्डी समिति तो पूरे जनपद मे तो 6 है लेकिन इस तहसील मे एक भी नहीं है।

4.4.3 <u>कृषि यन्त्र एवं उपकरण</u> :

पशुगणना वर्ष 1988 के अनुसार तहसील में लकडी के हलों की संख्या

12,971 तथा लोहे के हलो की सख्या 6,937 थी, उन्नत हल तथा कल्टीवेटर 2,360 थे उन्नत थ्रेसिग मशीन 1988 थी, टैक्टरो की सख्या 394 थी यही सख्या पशुगणना वर्ष 1997 मे लकडी के हलो की 10,627 रही जो कि कृषि के पारम्परिक तकनीक से हटकर आधुनिक कृषि यन्त्रो के प्रति झुकाव को इगित करता है। लोहे के हलो की सख्या 5,430 ही रही। उन्नत हैरो तथा कल्टीवेटर मे भी कमी आयी जबकि थ्रेसिग मशीन की सख्या बढकर 3,294 हो गयी। ट्रैक्टरो की सख्या मे भी काफी वृद्धि परिलक्षित होती है। इसकी सख्या लगभग 672 है। जोकि 50% की वृद्धि को इगित करता है। कृषि के सम्यक विकास तथा कृषि को उद्योग के स्तर तक लाने मे जिन कृषि यन्त्रो की आवश्यकता किसी क्षेत्र को होती है, उसका अभाव पाया जाता है। उन्नत किस्म के बुवाई यन्त्रो तथा कम्बाइन मशीनो की कमी कृषि के सम्पूर्ण विकास मे बाधक है। जिसका प्रभाव अध्ययन क्षेत्र मे देखा जा सकता है।

4.4 4 पशु संसाधन :

पशुपालन कृषि का एक प्रधान एव अपरिहार्य अग है। इसकी महत्ता को देखते हुये हमारे देश मे जनगणना की भॉति पशुगणना का कार्य भी प्रत्येक पाच वर्ष बाद किया जाता है। अध्ययन क्षेत्र मे कृषि के लिये पशु ससाधन के रूप मे प्रमुखतया बैल का प्रयोग किया जाता है। कृषि कर्म मुख्यत· बैल होने के कारण टैक्टरो की बहुलता के बाद भी क्षेत्र मे बैलों की सख्या बढी है। अध्ययन क्षेत्र के बडोखर नामक गाव के पास पशु मेला (बाजार) प्रत्येक मगलवार को लगता है। जहा से कृषि उपयोगी पशु खरीदे एव बेचे जाते है।

तालिका क्रमांक–4.8

भानपुर तहसील : पशुसंसाधन

(पशुओं की संख्या)

क्र0 स0	पशु प्रजातियाँ	विकास खण्ड		तहसील
		रामनगर	सल्टौवा गोपालपुर	भानपुर
1	गोजातीय	22600	19706	42306
2	महर्षि जातीय	11498	15115	26613
3	भेड	1966	413	2379
4	बकरिया	13203	10788	23991
5	घोडा एव टट्टू	35	25	60
6	सुअर	1524	2013	3537
	अन्य पशु	**50941**	**48170**	**99111**

स्रोत : जनपदीय सामाजार्थिक समीक्षा 2000–2001 तथा
साख्यिकीय पत्रिका जनपद, बस्ती 2000 से सगणित

पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन का सर्वागीण विकास करने हेतु पशु चिकित्सा, रोगनियन्त्रण, प्रजनन एव चारा विकास आदि कार्यक्रम सचालित किये जाते है। पशुपालन विभाग अपनी योजनाओ द्वारा कृषको के आर्थिक विकास के लिये सतत प्रयासरत है।

तहसील मे पशुधन विभाग द्वारा रोगी पशुओ की चिकित्सा, नर तथा छुट्टा पशुओ का बध्याकरण विभिन्न सक्रामक रोगो से बचाव हेतु निरोधात्मक टीकाकरण, दुधारू पशुओ मे प्रजाति सरक्षण, दुग्ध उत्पादन मे वृद्धि हेतु कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक से नस्ल सुधार, बरबरी बकरो द्वारा नस्ल सुधार, कुक्कुट पालको को कुक्कुट उपलब्ध कराने का कार्य, स्वर्ण जयती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्डो मे ग्राम स्तर पर स्वय सहायता समूह गठित कराकर उन्हे बैक से ऋण उपलब्ध कराकर भैस, गाय, बकरी, सूअर तथा कुक्कुट इकाई की स्थापना का कार्य कराया जाता है।

4.4.5 पशु चिकित्सालय एवं अन्य सेवाऐं :

1989–90 मे तहसील मे कुल दो पशु चिकित्सालय थे। पशुधन विकास केन्द्र की सख्या 6 थी। चार पशु चिकित्सालय केन्द्र है। पशुधन विकास केन्द्र मे बढोत्तरी नही हुई है। कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की सख्या 1 एव इसकी उपकेन्द्र की सख्या 3 है जिसमे सल्टौवा गोपालपुर मे केवल एक केन्द्र है तथा दो उपकेन्द्र रामनगर मे है। पशु प्रजनन एव भेड विकास केन्द्र एक भी नही है। तहसील मे वर्तमान समय मे कुल पशुओ की सख्या 1,30,951 है। जिसमे गोजातीय 42,306 महीष जातीय 26,613, भेड 2376, बकरियॉ 23991, घोडा एव टट्टू 60, सुअर 3,537 तथा अन्य पशु 225 है (चित्र संख्या 4.8)।

भानपुर तहसील : पशु संसाधन
(2000-2001)

चित्र सख्या : 4.8

पशुओ की दशा सुधारने एव उन्हे आर्थिक उपादेय बनाने मे पशुचारा विकास कार्यक्रम का विशेष महत्व है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के उन्नतशील चारा जैसे एम0पी0चरी, जई, बरसीम तथा लोबिया आदि की बीज सस्ते दरो पर उपलब्ध कराये जाते है। इनकी कमी का दुग्ध व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

4 5. कृषि मे अभिनव विकास की प्रवृत्तियॉ :

मानव की बढती आवश्यकता, रूचि परिवर्तन, नवीन वैज्ञानिक आविष्कारो आदि कारणो से कृषि की प्रवृति मे परिवर्तन होता रहता है। अध्ययन क्षेत्र की कृषि मे भी विगत दशको मे कुछ परिवर्तन हुये है तथा कुछ प्राचीन परम्पराये आज भी विद्यमान है।

4 5.1 वाणिज्यिक फसलों के क्षेत्रफल मे वृद्धि :

अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख वाणिज्यिक फसल गन्ना है। खाद्यान्नो का सर्वाधिक उत्पादन होता है। धान की कृषि 74% क्षेत्र पर तथा गेहूँ की 88% क्षेत्र पर की जाती है। गन्ना का उत्पादन 22 08% क्षेत्र पर किया जाता है। किन्तु जनाधिक्य के कारण यह स्थानीय माग की पूर्ति से अतिरेक नही हो पाता, गन्ना की कृषि कम श्रम–शक्ति एव कम लागत से की जा सकती है। फलस्वरूप गन्ने का क्षेत्रफल बढ रहा है। जोकि 1988–89 मे तहसील के 2851 हेक्टेयर से 1998–99 मे 3964 हेक्टेयर हो गया है। क्षेत्र के कृषको के आय का मुख्य साधन होने के कारण इसके क्षेत्रफल तथा प्रतिहेक्टेयर उत्पादन मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

4 5.2. बागवानी में वृद्धि .

वन विभाग का प्रमुख दायित्व जिले मे वन क्षेत्रो का सरक्षण, सवर्धन विकास एव विस्तार है। ग्रामीण क्षेत्रो मे हरे वृक्षो का कटान, आरा मशीनो का सचालन वनोपजन एव वन्य जीवो की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी है। तहसील मे यूकेलिप्टस के वृक्ष सर्वाधिक सख्या मे लगाये जा रहे थे लेकिन पारिस्थितिक असन्तुलन, मृदा उर्वरता मे कमी तथा ऊसरीकरण की भयावह स्थिति होने की आशका से इस वृक्ष पर रोक लगा दिया गया है। कृषि कृत क्षेत्रो मे बबूल, अर्जुन, आम, अमरूद, केला, पपीता, नीबू, कटहल आदि के वृक्ष अधिक सख्या मे लगाये जा रहे है। वृक्षो से पर्यावरण की स्वच्छता बनी रहती है तथा फलो एव लकडियो से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के सरकारी प्रयास तथा योजनाऐ वृक्षारोपण के लिये चलायी जा रही है।

4.5.3. नलकूपों की संख्या में वृद्धि ·

नहरो मे जल की अनुपलब्धता, नदी जलाभाव, वर्षा की अनिश्चितता, राजकीय नलकूपो की कमी, सामाजिक एव पारिवारिक विघटन तथा कृषि क्षेत्र का विस्तार आदि कारणो से अध्ययन क्षेत्र मे व्यक्तिगत नलकूपो की सख्या मे तीव्रगति से वृद्धि हो रही है। 1989–90 मे तहसील मे कुल निजी नलकूपो की सख्या 1054 थी जोकि 1999–2000 मे बढकर 1572 हो गयी। सूखे की स्थिति तथा खाद्यान्न समस्या ने कृषको को सिचाई साधन मे आत्मनिर्भर बनने के लिये प्रोत्साहित किया है।

4.5.2. रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग :

कम्पोस्ट खाद तथा पशुओं के गोबर की खाद के प्रयोग मे निरन्तर कमी

हो रही है। दो तीन दशक पूर्व फसलो की वृद्धि के लिये खेतो मे गोबर की खाद का प्रयोग सर्वाधिक 95% होता था। भूमि की उर्वरा शक्ति को बढाने के लिये कृषक, खेतो मे बडी सख्या मे भेड रूकवाते थे, जिनके शरीर से प्रसारित तत्वो से उर्वराशक्ति बढती है किन्तु वर्तमान समय मे स्थिति पूर्णत विपरीत हो गयी है। उर्वरको के प्रयोग मे 95% भाग रसायनिक उर्वरको के रूप मे होता है।

4 5.5 कृषि का यन्त्रीकरण :

कृषि मे यन्त्रीकरण की प्रवृति बढ रही है। कृषि श्रमिको की सख्या मे कमी, बढती मजदूरी, आधुनिक कृषि यन्त्रो द्वारा कम समय मे अधिक एव सुव्यस्थित कार्य, जैसे अन्यान्य कारण है। बढती हुई आवश्यकताओ की पूर्ति अध्ययन क्षेत्र मे सुलभ रोजगार से पूर्ण नही हो पाती है। परिणामस्वरूप नवयुवा वर्ग (15–35 आयु वर्ग) सर्वाधिक कार्य क्षमता वाले श्रमिक, धनार्जन हेतु दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, कानपुर, पजाब, राजस्थान आदि अन्य औद्योगिक नगरो मे चले जाते है। वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र मे उनकी सख्या अधिक है जिनकी कार्यक्षमता कम होती है। जिनमे बच्चे तथा वृद्ध वर्ग आते है। अध्ययन क्षेत्र मे निजी सर्वेक्षण के दौरान यह देखने को मिला कि युवा वर्ग जो हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया है और जीविका के लिये कृषि के अतिरिक्त कोई अन्य साधन भी नही है तो वे अपने कृषि भूमि मे कृषि कर्म करना अपमान समझते है तथा कृषि मजदूरी का कम होना भी इनके प्रवास का प्रमुख कारण है। ट्रैक्टर सहित अनेक आधुनिक कृषि यन्त्र श्रमिक कमी को पूरा कर रहे है। अत कृषि यन्त्रो द्वारा कम व्यय होने से कृषि मे यन्त्रीकरण बढ रहा है।

4 5.6 <u>कृषि जोत आकार में ह्रास</u> :

कृषि गणना 1995–96 के अनुसार तहसील मे सर्वाधिक जोत वर्ग सख्या 1 हेक्टेयर से कम रही जो कि तालिका क्रमाक 4 9 से स्पष्ट होता है, कि तहसील मे लगभग 90% जोते 7 हेक्टेयर के अन्तर्गत आती है। इसके अन्तर्गत 58% क्षेत्र है जोतो की सख्या मे गत, कृषि गणना मे कमी आयी है जो यह तथ्य दशार्ता है कि जनसख्या का झुकाव धीरे–धीरे कृषि से हटकर अन्य उद्योग–धन्धो की तरफ अग्रसर हो रहा है।

4 6 <u>कृषि समस्यायें</u> :

कृषि का अभीष्ट विकास अभी तक अध्ययन क्षेत्र मे नही हो पाया है। इसके प्राकृतिक तथा मानवीय दोनो कारक उत्तरदायी है जिनमे कुछ प्रमुख है।

4.6.1. <u>मौसमी परिवर्तन</u> :

अध्ययन क्षेत्र की जलवायु पूर्णत मानसूनी है। यहॉ का मौसम पूर्णत अनिश्चित रहता है। वर्षा का कोई निश्चित समय नही होता है कभी मानसून आने के पूर्व ही काफी वर्षा हो जाती है तो कभी फसल सूख जाने के बाद होती है। फसलीय समय पर वर्षा–जल नही प्राप्त हो पाता है। कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि या सूखा तथा पाला से कृषि को व्यापक हानि होती है। जिसका उत्पादन पर प्रभाव पडता है।

4.6.2. <u>भूक्षरण</u> :

भूमि का ढाल, मृदा सरचना, वर्षा की मात्रा, अपवाह प्रणाली, तथा पवन प्रवाह जैसे कई कारक है। जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष रूप से भूमि पर पडता है। अध्ययन क्षेत्र की मिट्टी मुलायम होने तथा उचित ढग से मेढबन्दी न

तालिका क्रमांक–4.9

भानपुर तहसील

क्रियात्मक भूमि जोत का विवरण 95–96

क्र0स0	जोत वर्ग	संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	1 हेक्टेयर	101605	30865
2	1–2 हेक्टेयर	7528	10369
3	2–4 हेक्टेयर	3031	7636
4	4–10 हेक्टेयर	510	3137
5	10 से अधिक	32	421
	कुल	**112706**	**52428**

करने के कारण मिट्टी की ऊपरी परत का क्षरण बढ रहा है। मृदा की ऊपरी परत ही फसलो के विकास के लिये महत्वपूर्ण होती है जोकि भू–जैविकीय ससाधनो से परिपूर्ण होती है।

4 6.3. अव्यवस्थित विद्युत आपूर्ति :

राजकीय नलकूप, निजी नलकूप अध्ययन क्षेत्र की सिचाई के प्रमुख आधार है। नलकूपो द्वारा सर्वाधिक क्षेत्रो पर सिचाई की जाती है। इजनो (डीजल) की तुलना मे तहसील मे विद्युतशक्ति चालित नलकूपो का बाहुल्य है। चूकि विद्युत चालित नलकूप तहसील के सिचाई के आधार है परन्तु प्राय अव्यवस्थित रहने वाली विद्युत–आपूर्ति इस आधार को ही पगु बना देती है।

4.6.4. अज्ञानता एवं निर्धनता

अधिकाश ग्रामीण वासी निरक्षर अथवा शैक्षिक रूप से पिछडे है जिसके कारण उन्हे नूतन वैज्ञानिक कृषि प्रविधियो एव सरकारी सुविधाओ, योजनाओ का पूर्ण ज्ञान नही हो पाता है। अज्ञानतावश वे प्रयत्नशील भी नही रहते। सन् 2001 की जनगणना के अनुसार तहसील की 62 12% जनसख्या अशिक्षित है। कुछ शिक्षित व जागरूक कृषक यदि आधुनिक कृषि यन्त्रो की जानकारी होने पर उनको क्रय करना चाहते है तो निर्धनता उनके सामने समस्या बन जाती है। इस प्रकार कृषको की कम साक्षरता एव गरीबी, वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र के कृषि विकास मे अवरोधक बनी हुई है।

4 6.5. कृषि–उत्पाद विपणन एवं कृषि–ऋण :

31 मार्च 2001 की स्थिति तक तहसील मे कृषि ऋण सहकारी समितियों की संख्या 15 है जिनमें 6 रामनगर तथा 9 सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड मे

है। सदस्यो की कुल सख्या 28937 है। जिसमे रामनगर 15,468 तथा सल्टौवा गोपालपुर मे 13,469 है। अशपूजी हजार रूपये मे कुल 3,432 है, जिसमे 1,416 रामनगर तथा 2,016 सल्टौवा गोपालपुर का है। कार्यशील पूजी 15,739 हजार रूपये है। जमा की हुयी धनराशि 1053 हजार रूपये है।

वर्ष 2001 मे कुल अल्पकालीन वितरित ऋण 3,440 हजार रूपये रामनगर एव 2087 हजार रूपये सल्टौवा गोपालपुर के साथ कुल 5527 हजार रूपये है। कृषि समितियो के अन्तर्गत रामनगर के 170 ग्राम तथा सल्टौवा गोपालपुर के 239 ग्राम है। दोनो विकास खण्डो मे एक–एक सहकारी बैक की शाखा है। सहकारी बैक तथा ग्रामीण विकास बैक द्वारा 3538 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया।

कृषि विकास मे उत्पादन का उतना ही महत्व है जितना कि उसके विपणन का। जब तक कृषि उत्पादो पर लाभ नही मिलता तब तक अधिक उत्पादन उत्साहवर्धक परिणाम नही दे पाता। सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे बीज, सिचाई, उर्वरक तथा कीटनाशक दवाओ हेतु कृषको को काफी लागत लगानी पडती है किन्तु इसकी तुलना मे उत्पादित वस्तु का मूल्य समुचित न होने से लाभ नही मिल पाता है। कृषि उत्पादन कम होने पर वस्तुओ की कीमत बढ़ जाती है तथा अधिक होने पर कम हो जाती है। दोनो परिस्थितियो मे कृषक को हानि होती है। सरकार की उदासीनता कृषक व्यवसाय के विकास मे तथा कृषि उत्पादन से प्राप्त लाभ मे बाधक है।

4.7 कृषि विकासार्थ नियोजन :

कृषि नियेाजन के अर्न्तगत कृषि भूमि नियोजन, कृषि की उत्पादकता मे

वृद्धि तथा कृषि पर आधारित आर्थिक कार्यों, जैसे–पशुपालनएव सम्बन्धित उद्योगो का उन्नयन सम्मिलित है। कृषि भूमि नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष भूमि दुरूपयोग रोककर उसका उचित एव आदर्श उपयेाग करना है। भूमि का दुरूपयोग भौतिक एव मानवीय कारको द्वारा होता है। डडले स्टाम्प के अनुसार भूमि नियेाजन प्रत्येक एकड भूमि के आदर्श उपयेाग का निर्धारण है। इसे लचीला होना चाहिये जिससे समयानुसार इसके प्रतिरूप मे परिवर्तन हो सके। आदर्श उपयोग का तात्पर्य अनुकूलतम उपयोग से है। भूमि के आदर्श उपयेाग को भूमि की क्षमता तथा मानवीय आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

अधिकाधिक उत्पादन, फसल प्रतिरूपो मे सुगमता, ग्रामीण बेरोजगारी की समाप्ति एव ग्रामीण आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है कि एक व्यवस्थित योजना तैयार किया जाय जिसके क्रियान्वयन से क्षेत्र की कृषि विकास को गति प्रदान की जा सके। कृषि विकास के लिये विस्तृत कृषि क्षेत्र का होना आवश्यक है कृषि विकास का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यदि कृषि क्षेत्र के लिये योजनाबद्ध ढग से कार्य किया जाय तो कृषि का महत्तम विकास किया जा सकता है। कृषि सम्बन्धी येाजना सभी आर्थिक विकास कार्यक्रमो का आधार स्तम्भ है। ऐसी येाजना मे निम्नलिखित पक्षो को समावेशित किया जा सकता है।

(1) कृषिगत आधारभूत सरचना के लिये सिचाई, जल, बीज, उर्वरक, पौध सुरक्षा, कृषि यन्त्र परिवहन, भण्डारण, विपणन और साख सुविधाओ को समुन्नत करना।

(2) भूमि उपयोग नियेाजन मे भूमि सुधार, अवनयित भूमि विकास, भूमि उर्वरता, सुवैज्ञानिक फसल प्रतिरूप और मुद्रादायिनी कृषि पर बल देना है।

(3) बागवानी विकास के साथ–साथ फूलों एव सब्जियो की कृषि को विकसित करने

हेतु सुनिश्चित कार्यक्रम बनाना।

(4) कृषि के साथ–साथ कृषि सम्बन्धित व्यवसायो–पशुपालन, एव दुग्ध उद्योग, तथा मत्स्य पालन आदि को प्रोत्साहित करना।

(5) अवस्थावनात्मक सुविधाओ–विद्युतीकरण, भण्डारगृह, ग्रामीण गोदाम आदि विस्तार करना।

(6) फसल बीमा योजना के साथ कृषि निर्यात को प्रोत्साहन देना।

(7) कृषि विकास के साथ–साथ पर्यावरण को असतुलित होने से बचाना।

कृषि अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या का जीवन आधार है। कुल जनसख्या का लगभग 80% जनसख्या कृषि–कर्म मे लगी है। स्थानीय जनसख्या की खाद्यान्न आवश्यकता की पूर्ति हेतु पर्याप्त खाद्यान्नोत्पादन नही हो पा रहा है। निर्धनता अभिशाप स्वरूप कृषको को ग्रसित किये है। केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कृषि एव कृषको के विकास को प्रथम अधिमान्यता दी जा रही है, फिर भी इनका अपेक्षित विकास नही हो पा रहा है।

अध्ययन क्षेत्र मे उपस्थित कृषि समस्याओ तथा प्रदत्त प्रशासनिक सुविधाओ को दृष्टि मे रखते हुये कृषि विकास हेतु कतिपय सुझाव दिये जा रहे है। जो अग्रलिखित है –

अब कुछ उन समस्याओ पर प्रकाश डालना आवश्यक हे जो अध्ययन क्षेत्र मे सर्वेक्षण के दौरान ग्रामीणो कृषको द्वारा बतायी गयी है, जिनमे प्रमुख है।

(1) 25 80% लोगो ने ग्रामीण क्षेत्रो मे पर्याप्त परिवहन एव यातायात के साधनो का न होना और विद्युत आपूर्ति मे बाधा को प्रमुख समस्या के रूप मे गिनाया।

(2) 20% से अधिक लोगो ने वर्षा की अनिश्चितता, सिचाई की सुविधा के अभाव तथा भूक्षरण की समस्या को प्रमुखता दी।

(3) 32 50% लोगो ने अकुशल श्रमिको और नये ससाधनो तथा तकनीकी ज्ञान से अपने आप को अनभिज्ञ बताया।

(4) उर्वरको की बढती मिलावट तथा समय पर अच्छे बीजो का न उपलब्ध होना प्रमुख समस्या ने रूप मे 15% ग्रामीणो ने बताया।

(5) कृषि ऋण, फसलो की चोरी, कृषक सगठन का अभाव, सरकारी सरक्षण का न प्राप्त होना आदि को प्रमुख समस्या के रूप मे 10% ग्रामीणो ने महत्व दिया।

(6) लगभग सभी ग्रामीणो ने कृषि उपज विपणन व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण तथा उच्चवर्ग द्वारा निम्न वर्ग के शोषण की समस्या को प्रमुखता दी।

कृषि मे वाणिज्यीकरण की तरफ झुकाव के कारण कृषक फसल प्रतिरूप मे धीरे–धीरे परिवर्तन कर रहे है। वे खाद्यान्न फसलो के क्षेत्र मे कमी कर मुद्रादायिनी फसलो के क्षेत्र को बढा रहे है। खाद्यान्न फसलो के उत्पादन की कमी को उन्नतशील बीजो, सिचाई, सुविधाओ तथा उर्वरको एवं कीटनाशक दवाओ आदि के प्रयोग से पूरा किया जा रहा है।

सुझाव :–

(1) तहसील मे कृषि साक्षरता कम होने के कारण कृषको को सरकार द्वारा प्राप्त सुविधाओ की जानकारी नही हो पाती है यद्यपि रेडियो, टेलीविजन द्वारा भी कृषको को कृषि विकास के लिये नवीनतम कृषि तकनीको तथा सरकारी सुविधाओ की जानकारी दी जाती है। किन्तु अज्ञानता एव रूढिवादिता के कारण कृषक इसका लाभ नहीं उठा पाते। अत कृषि विकास के लिये प्रथम आवश्यकता

कृषको को शिक्षित करने की है। जिससे कि वे नवीनतम कृषि तकनीक को स्वीकार करे और कृषि विकास की योजनाओ, सुविधाओ की जानकारी करके उनसे अधिकतम लाभार्जन प्राप्त करे।

(2) मुद्रादायिनी फसलो के क्षेत्र को विस्तृत किया जाय।

(3) नदियो द्वारा निर्मित जलोढ मैदानी क्षेत्रो मे चावल के अधिक उत्पादन के साथ–साथ मत्स्य पालन को भी प्रोत्साहित किया जाये।

(4) कुआनो तथा आमी नदी के खादर मिट्टी के क्षेत्रो मे दलहन, तिलहन आदि फसलो के उत्पादन पर बल दिया जाय।

(5) कृषि की आधारभूत सुविधाओ, उन्नतशील बीज, कृषियन्त्र, विद्युत, सिचाईं, उर्वरक, परिवहन, भण्डारण, विपणन, साख, सुविधा आदि मे वृद्धि की जाये।

(6) कृषि सम्बद्ध उद्यमो जैसे डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, भेड पालन आदि को समुन्नत किया जाये।

(7) फलदार वृक्षो को अधिकाधिक लगाया जाय तथा पौष्टिक सब्जियो की कृषि को विकसित किया जाय। इसके कृषको को सतुलित भोजन की प्राप्ति होगी जिसके परिणाम स्वरूप कार्य क्षमता बढेगी।

(8) कृषि को उद्योग की तरह मान्यता प्रदान की जाये।

(9) अनुपयोगी, बजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाय तथा वृक्षो को खेतों के चारो तरफ लगाया जाय। इससे भूक्षरण पर विराम लगेगा, पर्यावरण शुद्ध रहेगा और जलाने के लिये लकड़ी की प्रचुर प्राप्ति होगी।

(10) सरकारी सुविधाओ तथा कृषको में सीधा सम्पर्क कायम हो, बिचौलियो का अन्त किया जाये।

(11) माह में कम से कम एक दिन, कृषि विकास अधिकारी द्वारा न्याय–पंचायत स्तर पर कृषकों की आम–सभा आहूत करके उन्हें नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा सरकारी योजनाओं, सुविधाओं की जानकारी दी जाय।

(12) ग्रामसभा स्तर पर यह प्रक्रिया प्रत्येक फसल मौसम में एक बार अवश्य हो।

(13) कृषि से सम्बन्धित सभी विभागों में ईमानदार तथा क्षेत्रीय कृषि–समस्याओं से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति की जाये।

उपरोक्त सुझावों के क्रियान्वयन से फसल प्रतिरूप में परिवर्तन कर अध्ययन क्षेत्र की कृषि को एक नवीन आयाम दिया जा सकता है और कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सकता है।

कृषि विकास एवं ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन

कृषि विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ सम्बन्ध है। कृषि में होने वाला काई भी परिवर्तन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ग्रामीण सामाजिक जीवन को प्रभावित करेगा । समाज में होने वाले परिवर्तनों से अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है और अर्थव्यवस्था से कृषि। यही कारण है कि विकसित समाज के ध्येय की प्राप्ति के लिये वर्तमान समय में समस्त योजनायें ग्रामोन्मुख एवं कृषि विकास से सम्बन्धित लक्ष्य मानकर बनायी जा रही है। खाद्यान्नों में अत्यन्त कमी हो जाने पर सामाजिक व्यवस्था भंग हो जाती है एवं सामाजिक मानवीय मूल्यों का पतन होने लगता है।

जीविका हेतु खाद्यान्न न प्राप्त करने के लिये मानव विविध प्रकार के असामाजिक कार्य करने लगता है परिणाम स्वरूप समाज में चोरी हत्या, कलह, स्वार्थ इत्यादि बुराइयाँ पनपती है। इसके विपरीत कृषि उत्पादों में वृद्धि से

सतुलित भोज्य पदार्थ की उपलब्धता होने पर स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, परिवहन तन्त्र, मानव मूल्य का विकास आदि होता है। इस प्रकार कृषि के विकास से ग्रामीण जीवन स्तर मे सुधार होता है।

सामाजिक परिवर्तन से कृषि प्रभावित होती है। भोजन प्रवृत्ति मे होने वाले परिवर्तन से पशुससाधन एव कृषि मे भी परिवर्तन होता है। यदि भोजन मे मासाहारो की मात्रा बढती है तो कुक्कुट, मत्स्य, बकरी इत्यादि तथा शाकाहारो की मात्रा बढने पर दुधारू पशुओ, फलदार वृक्षो एव सब्जियो के अनुपात मे वृद्धि होती है। अर्थप्रधान समाज मे आर्थिक समुन्नति हेतु वाणिज्यिक फसलो के अनुपात मे बढोत्तरी होती है जिसका उदाहरण गन्ना की कृषि मे विस्तार से देखा जा सकता है।

REFERENCE

Athawale, A G 1966 Some New Methods of Crop Combination, Geographical Review of India, Vol 28 No 4, pp 29-30

Balram, 1986 Spatial System of Rural Settlements in Hammirpur District (U P), Unpublished D Phil Thesis of Allahabad University Allahabad, p 36

Buck, J L 1967 · Land Utilization in China, Vol. 1 University of Nanking

Coppock, J T 1964 Crop, Live stock Enterprise Combination in England and Wales, Economic Geography, Vol 40, pp 65-81.

Datt, D 1988 Changing Pattern of Landuse in the Bino-Basin U P Himalya, National Geographar, Vol 23, No 2 p 157

Enayedi, G Y. 1964 · Geographical types of Agriculture Applied Georgrphy in Hungary, Budapest.

Jones,W D. and Finch 1925 . Detailed Field Mapping of American, Cities, Geographer, Vol. 15

Marsh, G.P 1864 · Man and Nature, Physical Geography as Modified by Human Action, New York

Pownall, L.L 1953 The Functions of Newzealand Towns, Annals of the Association of American Geographers Vol. 23, pp 332-350.

Reddy, M.V and Reddy, N.B K. 1988 · Changing Pattern of Crop-combinations in chittoor District, Andhra Pradesh, National Geographer, Vol 23 No 2, p. 89.

Roy, B K 1967 Crop- Association and changing Pattern of crops in the Ganga-Ghagara Doab East, National Geographer Journal of India, Vol 13 No 4, p 198.

Shafi, M 1962-72 Measurement of Agricultural Productivity of Great Plains, The Geographer Vol 36, pp 296-305

Sharma, S C 1980 Land Capability, Classification and Landuse Planning-A case study of Padrouna Block of Deoria District Geographical Review of India, Vol. 42, pp 32-40

Singh, B N 1984 · Agricultural Landuse of Deoria Tahsil, District Deoria (U P), Unpublished D Phil Thesis of Allahabad University, Allahabad, p. 196

Singh, Jasbir and Dhillon, S.S 1984 Agricultural Geography, Tata Mc Graw Hill Publishing Company Limited, p. 124.

Stamp, D 1962 · The land of Britain, Its use and misuse, III Edition, London.

Sover, C O 1919 . The Utilization of Land, Geographical Review, Vol 4, Newyark.

Thomas, D. 1963 . Agriculture in Wales During the Napoleonic war, Wales University Press pp 80-81.

Tiwari, R C. 1984 : Settlement system in Rural India A case study of the lower Ganga-Yamuna Doab, The Allahabad Geographical Society : Allahabad, p. 13.

Tripathi, S. 1991 : Integrated Rural Develolpment : A Case study of Gorakhpur

District, Unpublished D Phil Theiss, Allahabad University, Allahabad
p 113
Yadav, H S 1988 Integrated Rural Development A case study of Allahabad
District, Unpublished D Phil Thesis, Allahabad university, Allahabad,
p 132
सिह, ब्रजभूषण 1988 कृषि भूगोल, ज्ञानोदय प्रकाशन गोरखपुर, पृ0 151

अध्याय–5

ग्रामीण यातायात, संचार व्यवस्था एवं सेवाकेन्द्र

प्रस्तावना :–

किसी भी स्थान विशेष का विकास एव प्रगति उस क्षेत्र मे उपलब्ध सुविधाओ के आधार पर होता है। इन सुविधाओ मे विद्युत, परिवहन, यातायात एव सचार सेवाओ तथा सेवाकेन्द्रो का महत्वपूर्ण स्थान है। परिवहन एव सचार व्यवस्था प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के वाहक माने जाते है। यातायात से अभिप्राय व्यक्तियो एव वस्तुओ के गमनागमन से होता है, तथा विचार अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का कार्य सचार माध्यमो से किया जाता है। मानव उद्भव काल से ही अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिये विभिन्न साधनो का प्रयोग करता रहा है। नये स्थान पर अपने समायोजन हेतु मानव को विचार–विनिमय की भी आवश्यकता पडती रही इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानव सभ्यता एव यातायात, सचार साधनो का विकास एक क्रमिक रूप से एक दूसरे के समानान्तर होता रहा है।

किसी भी क्षेत्र, देश या राष्ट्र के विकास मे परिवहन के साधन एक महत्वपूर्ण कडी का कार्य करते है। अत विकास और परिवहन एक दूसरे के पूरक है। वर्तमान सभ्यता और अर्थव्यवस्था का बदलता हुआ स्वरूप परिवहन साधनो का प्रतिफल है (रिछरिया–1990, पृ0 18)। परिवहन साधनो के विकास का ही प्रतिफल है कि कृषि, उद्योग तथा कारखानो की उत्पादकता मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। परिवहन के अतिरिक्त दूसरा ऐसा महत्वपूर्ण साधन नही है जो किसी भी

अविकसित क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक एव सास्कृतिक प्रगति मे तीव्र विकास ला सके (कोनान, 1965)।

इस प्रकार परिवहन सेवाए क्षेत्र दूरी को कम करने तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने का कार्य करती है। यदि कृषि तथा उद्योग किसी देश की अर्थव्यवस्था मे शरीर एव अस्थिमज्जा के समान है तो परिवहन के साधन भी शिराए एव धमनिया का कार्य करती है (मिश्र, पृ0 205)।

परिवहन एव सचार व्यवस्था भाषा, प्रथाऐ एव पर्यावरणीय दीवारो को तोडकर सामाजिक समरसता को सुलभ करती बनाती है (स्ट्रार्ट – 1934)। उस तरह न केवल परिवहन सेवाओ द्वारा आवागमन का कार्य होता है बल्कि विचार एव कौशल का सम्प्रेषण भी किया जा सकता है। राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र मे भी परिवहन एव सचार व्यवस्थाऐ अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। ये राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय एकता और अखण्डता, सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, कानून और व्यवस्था आदि मे उल्लेखनीय रूप से सहायक होती है (तिवारी – 1984)। सुव्यवस्थित परिवहन तन्त्र के माध्यम से ही किसी स्थान पर उपभोक्ता वस्तुओ का अभाव नही होने पाता है एव इससे समूचे देश या उसके एक बडे क्षेत्र मे समान मूल्य रखने मे सहायता मिलती है (तिवारी एवं त्रिपाठी 1987, पृ0 66–67)।

इस प्रकार परिवहन व्यवस्था, ज्ञान विज्ञान एव विचारो के विस्तार मे, प्रौद्योगिकी अनुसधान के प्रसार मे, जीवन स्तर के विकास मे एवं सामाजिक उपलब्धियो के वितरण मे सहायक होती है। प्रस्तुत अध्याय मे बस्ती जनपद के भानपुर तहसील मे यातायात के प्रमुख माध्यमो तथा संचार सुविधाओं की वर्तमान स्थिति के विश्लेषण एव संश्लेषण के अतिरिक्त, क्षेत्र की आवश्यकतानुसार,

ग्रामीणो के विकास तथा सामाजिक उन्नयन हेतु उनका नियोजन प्रस्तुत किया गया है।

5.1. परिवहन तन्त्र का स्थामिक प्रतिरूप :-

सामान्यत यातयात के तीन प्रमुख माध्यम होते है, जल, स्थल एव वायु। अध्ययन क्षेत्र मे केवल स्थल माध्यम द्वारा ही परिवहन होता है। सतत वाही नदियो का अभाव होने के कारण जलमार्ग द्वारा परिवहन नही होता। सम्पूर्ण बस्ती जनपद मे वायुमार्गों का विकास सम्भव नही हो पाया है। तहसील मे कोई एअर पोर्ट न होने का कारण वायु यातायात भी सम्भव नही है। अध्ययन क्षेत्र के समतल मैदानी भाग होने के कारण स्थल मार्गों का विकास हुआ है। तहसील मे स्थल मार्गों का स्थानिक प्रतिरूप निम्नवत है।

5.1.1 सड़क मार्ग :-

सडक मार्ग व्यापार, व्यवस्था, सस्कृति और विचारो के निर्बाध आदान-प्रदान को सम्भव बनाकर मानव सभ्यता को जीवित रखती है और प्रगति पथ गामिनी होती है। जिस प्रकार धमनिया मानव शरीर को जीवन प्रदान करती है उसी प्रकार देश का विकास, सभ्यता का विकास, सडक रूपी धमनियो के माध्यम से होता है। सडक मार्ग और रेलमार्ग स्थल यातायात के दो प्रमुख साधन है। सडक सम्बन्धी समस्याओ के निवारणार्थ एवं इसके सम्यक विकास हेतु योजना आयोग द्वारा नौवी योजना मे भारतीय सडक मार्ग को 3 वर्गो मे रखा गया है।

भारत दुनिया के सबसे बडी सडक प्रणाली वाले देशो मे से एक है। देश मे सडको की कुल लम्बाई 33 लाख किमी0 है।

(1) राष्ट्रीय राजमार्गो के अतर्गत आने वाली प्राथमिक सडक प्रणाली (2) राज्य मार्गो और प्रमुख जिला सडको प्रणाली तथा (3) गावो की सडको और अन्य जिला सडको के तहत शामिल ग्रामीण सडके, (भारत 2002 पृ0 627)।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली के अर्न्तगत आने वाली 57,735 किमी सडको की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की है। जबकि राज्यमार्गो तथा जिला और ग्रामीण सडको की जिम्मेदारी राज्य सरकारो की है। ग्रामीण क्षेत्रो मे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सडको का विकास किया जा रहा है। इसका उद्देश्य 1500 तक की आबादी वाले सभी गॉवो को बारहमासी सडको से जोडना है।

मार्च 1997 मे भारत मे जवाहर रोजगार योजना वाली सडको को छोडकर अन्य सभी (पक्की तथा कच्ची दोनो) सडको की कुल लम्बाई 24,65,877 किमी0 थी जिसमे उत्तर प्रदेश मे कुल लम्बाई 2,55,467 किमी0 थी। ग्रामवासियो के आर्थिक विकास हेतु इस जनपद मे मुख्यत राज्य सरकार का लोक निर्माण विभाग सडको के निर्माण एव उसके सुधार का उत्तरदायित्व सभालता है। वर्ष 1988 की साख्यिकीय पत्रिका के अनुसार जनपद मे पक्की सडको की लम्बाई इस प्रकार थी–राष्ट्रीय राजमार्ग 74 किमी, प्रादेशिक राजमार्ग 90 किमी0 प्रमुख जिला मार्ग 95 किमी0 तथा अन्य जिला एव सामान्य सडके 652 किमी0 है। ये सडके लोक निर्माण विभाग के अधीन है।

मार्गों की बनावट के आधार पर तहसील के मार्गों को तीन श्रेणियो मे रखा जा सकता है।

(1) पक्की सडक

(2) खडजा मार्ग।

(3) कच्चा मार्ग।

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
TRANSPORT NET WORK
2001
To Domaria Ganj
S.H 26
Sagra
S.D. 34
From Ruduhali
Ramnagar
Khajepur
From Ruduhali
Bhanpur
Sonha
To Bansi
Dasia
Bhiriya Rituraj
Saltaua Gopal-pur
Puraina
From Harraiya
From Gonda
S.H. 26
S.H 5
Ajgaiba Jangal
RS
Baheria
From Basti
From Basti
To Basti
Metalled Road
Proposed Metalled Road
Railway Line
Km
-5'N
5'
27°
27°
-55'
55'
82°35'
40'
45'E

Fig. 5.1

तालिका क्रमांक–5.1

भानपुर तहसील : प्रमुख सड़क मार्ग

प्रान्तीय मार्ग	(1)	बस्ती–बासी मार्ग स0 5
	(2)	बस्ती–डुमरियागज मार्ग स0 26
प्रान्तीय जिला मार्ग	(3)	रूधौली – डुमरियागज मार्ग स0 34
अन्य मार्ग	(4)	रूधौली भानपुर मार्ग
	(5)	सोनहा शिवाघाट, हैरेया मार्ग
	(6)	भिरिया–सल्टौवा मार्ग
	(7)	भानपुर – खाजेपुर मार्ग
	(8)	भानपुर–शकरपुर मार्ग
	(9)	सगरा–मझारी–नरखोरिया मार्ग
	(10)	सगरा–दुबौली मार्ग
	(11)	सोनहा–बरगदवा मार्ग
	(12)	दसिया–महनुआ मार्ग
	(13)	मानिक चन्द–सल्टौवा मार्ग
	(14)	पुरैना–जिनवा मार्ग
	(15)	अजगैइबा जगल–भिरिया मार्ग
	(16)	बरहुआ–अजगैइबा जगल मार्ग
	(17)	आमा–अजगैइबा जंगल मार्ग
	(18)	बरगदवा–बजरिया बुजुर्ग मार्ग
	(19)	भानपुर–भैसहिया–घौरहरा मार्ग
	(20)	विशुनपुरवा – हनुमानगज मार्ग

अध्ययन क्षेत्र मे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नही है। प्रान्तीय मार्गों की सख्या भी तहसील मे मात्र दो ही है। प्रान्तीय मार्ग सख्या 5 (जो जनपद मुख्यालय से सिद्धार्थनगर जनपद मुख्यालय को जोडती है) लुम्बनी से दुद्दी तक जाता है) की तहसील मे कुल लम्बाई मात्र 10 किमी0 है। प्रान्तीयमार्ग स0 26 (बस्ती – डुमरियागज मार्ग) की तहसील मे लम्बाई 24 किमी है। भानपुर तहसील मे स्थित प्रमुख सडक मार्गों को तालिका क्रमाक 5 1 तथा उनकी स्थिति को मानचित्र सख्या 5 1 से प्रदर्शित किया गया है।

वर्तमान समय मे (1999–2000) भानपुर तहसील मे पक्की सडको की कुल लम्बाई 172 किमी है। जो कि जनपद की कुल लम्बाई का 18 10% है। सारणी 5 2 से स्पष्ट परिलक्षित होता है कि (1988–89 से 1999–2000) तहसील मे पक्की सडको की लम्बाई मे उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सारणी मे दिये गये जनपद की सडक की लम्बाई (1988–89) अविभाजित सिद्धार्थनगर और सन्त कबीर नगर सयुक्त रूप की है। रामनगर विकास खण्ड मे कुल पक्की सडको की लम्बाई 90 किमी0 है जिसमे 83 किमी0 लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत है। सल्टौवा गोपालपुर मे कुल पक्की सडको की लम्बाई 82 किमी0 है कुल लम्बाई 172 किमी0 मे 157 किमी0 पक्की सडक लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत है।

तहसील मे यदि सब ऋतु योग्य सडको से जुडे ग्रामो की सख्या पर दृष्टि डाला जाय तो 1000 से कम जनसख्या वाले ग्राम 177 है। वही 1000 से 1500 वाले ग्रामो की सख्या 20 है जबकि 1500 से अधिक वाले ग्राम मात्र 12 है।

वर्ष 1989–90 मे अध्ययन क्षेत्र मे पक्की सडको की कुल लम्बाई 83 किमी थी जो 10 वर्ष के अन्तराल पर 1999–2000 मे बढकर 172 किमी हो गयी। रामनगर विकास खण्ड में इसकी लम्बाई 45 से 90 तथा सल्टौवा गोपालपुर में 38

तालिका क्रमांक–5.2

भानपुर तहसील : पक्की सड़कों की लम्बाई (किमी0)

(1989–90 एवं 1999–20000)

विकास खण्ड	पक्की सड़को की लम्बाई				सब ऋतु योग्य सडको से जुड़े ग्रामों की संख्या					
	कुल		लोक निर्माण विभाग		1000 से कम वाले ग्राम		1000 से 1499 वाले ग्राम		1500 से अधिक वाले ग्राम	
वर्ष	1999–00	1989–90	1999–2000	1989–90	1999–2000	1989–90	1999–2000	1989–90	1999–2000	1989–90
1 रामनगर	90	45	83	45	95	90	11	10	7	6
2 सल्टौवा	82	38	74	38	82	76	9	7	5	4
तहसील भानपुर	172	83	157	83	177	166	20	17	12	10
जनपद बस्ती	950	977	800	853	1276	1808	86	141	82	121

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 1900 एव 2000 से सगणित।

से 82 हो गयी। इस प्रकार भानपुर तहसील के 31 18% आबाद ग्राम पक्की सडको से सयोजित है।

5 1.1 1 सड़क यातयात–प्रवाह :–

यातयात–प्रवाह से सडक विशेष का अन्य सडको की तुलना मे उसका महत्व देखा जाता है। इसकी गणना एक समय विशेष मे चलने वाले कतिपय अथवा समस्त वाहनो की सख्या के आधार पर की जाती है, जो कि एक पूर्णत व्यक्ति निष्ठ किया है। प्रस्तुत अध्ययन मे सडक यातायात–प्रवाह का परिगणन, मार्ग विशेष, पर दिन भर पर आने जाने वाले समस्त वाहनो की सख्या के आधार पर किया गया है। सर्वाधिक यातयात प्रवाह प्रान्तीय मार्ग–सख्या 5 तथा 26 पर होता है। अध्ययन क्षेत्र मे प्रान्तीय मार्ग सख्या 5 जनपद से पुरैना, दसिया होते हुए जनपद सिद्धार्थनगर मे प्रवेश करता है। वहीं प्रान्तीय मार्ग सख्या 26 जनपद को सल्टौवा विकास खण्ड के मुख्यालय से जोडते हुये तहसील मुख्यालय पर जाता है। यह मार्ग डुमरियागज को जाता है। तहसील का रामनगर विकास खण्ड भी इस मार्ग पर होने के कारण–तहसील मे इस मार्ग का यातायात प्रवाह सर्वाधिक है। प्रान्तीय जिला मार्ग स0 34 रूधौली विकास खण्ड को डुमरियागज तहसील से जोडता है। सगरा खास के पास नरखोरिया तथा दुबौली से आने वाले मार्ग मिलते है। जो इस मार्ग के यातायात प्रवाह मे वृद्धि करते है।

5.1.2 सड़क–घनत्व :–

सडक घनत्व के सगणन से किसी क्षेत्र मे सडको का तुलनात्मक प्रतिरूप निरूपित होता है। प्रस्तुत अध्ययन मे सडको की सघनता को दो रूपो मे प्रति 100 वर्ग किमी और प्रति लाख जनसख्या के आधार पर परिगणित कर तालिका क्रमांक–5.3 मे दर्शाया गया है। सर्वाधिक सडक घनत्व रामनगर विकास खण्ड मे

तालिका क्रमांक—5.3

भानपुर तहसील : सड़क घनत्व

(सड़कों की लम्बाई किमी0)

विकास खण्ड	1988—89			1999—2000		
	कुल	प्रति 100 वर्ग किमी0 पर	प्रति लाख जनसंख्या पर	कुल	प्रति 100 वर्ग किमी0 पर	प्रति लाख जनसंख्या पर
रामनगर	45	19 14	47 53	90	38 29	78.02
सल्टौवा गोपालपुर	38	17 59	35 27	82	37 96	61 98
भानपुर	83	18 40	40 93	172	38 13	69.45

स्रोत : साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 1999 एव
साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2000 से सगणित।

38 29 / 100 किमी^{2} तथा 79 02 किमी0^2 / लाख जनसख्या है। जहा वर्ष 1988–89 मे सडक घनत्व प्रति प्रति 100 वर्ग किमी पर 18 40 था वह 1999–2000 मे बढकर 38 13 हो गया। वर्ष 1988–89 मे भानपुर तहसील का औसत 40 93 किमी0 / लाख जनसख्या थी जो 1999–2000 मे 69 45 किमी / लाख जनसख्या हो गयी।

5.1.3 सड़क सम्बद्धता :–

सडक–सम्बद्धता मापन से किसी मुख्य ग्राम या सेवा केन्द्र से अन्य सेवाकेन्द्रो से सयोजकता तथा इसकी केन्द्रीयता का बोध होता है। प्रस्तुत अध्ययन मे सडक सम्बद्धता ज्ञात करने के लिये दो चरो '0' और '1' का प्रयोग किया गया है। चर '0' दो केन्द्रो के मध्य अप्रत्यक्ष और चर '1' दो सेवा केन्द्रो के मध्य प्रस्ताव सडक सम्बन्ध का घोतक है। तालिका क्रमाक–5 4 से स्पष्ट है कि सर्वाधिक सम्बद्धता, सयोजकता अक 5 है जो भानपुर तथा सोनहा का है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र मे सोनहा तथा भानपुर सर्वाधिक सेवा केन्द्रो से प्रत्यक्षत सयोजित है। द्वितीय क्रम मे सल्टौवा तथा रामनगर सेवाकेन्द्र आते है। न्यूनतम सम्बद्धता अक '1' अजगैइबा जगल का है जो एकल सेवा केन्द्र से सम्बद्ध है।

5 2.2 रेलमार्ग :–

रेल देश मे माल और यात्री परिवहन का मुख्य साधन है। यह देश के दूर दराज इलाको मे सभी लोगो को करीब लाने और व्यापार, देशाटन, तीर्थयात्रा तथा शिक्षा के कार्यो मे मदद करती है। भारतीय रेल पिछले 148 वर्षो से राष्ट्रीय एकता बनाये हुये है। इसने देश आर्थिक विकास को एक सूत्र में पिरोया है और कृषि तथा उद्योग के विकास को तीव्रगति प्रदान की है।

तालिका क्रमांक—5.4

भानपुर तहसील : सड़क सम्बद्धता

	SHA	ASN	TUS	SAG	RAM	BHAN	BARO	BARO	SON	SAL	BHI	AJG	AMA	DAS	PUR	T	
SHA	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	SHA = SHANKARPUR
ASN	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	ASN = ASNHARA
TUS	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	TUS=TUSIAL
SAG	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	SAG=SAGRAKHAS
RAM	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	RAM=RAMNAGER
BHAN	1	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	5	BHAN=BHANPUR
BARO	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BARO=BAROKHAR
BARG	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	BARG=BARGADWA
SON	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	5	SON=SONHA
SAL	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	4	SAL=SALTAUA
BHI	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	BHI=BHIRIYARITURAI
AJG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	3	AIG=AJGAIBA JANGAL
AMA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	AMA=AMA
DAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	DAS=DASIA
PUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	PUR=PURAINA
T	3	3	2	3	4	5	1	3	5	4	3	3	1	2	2		

भारत मे रेल की शुरूआत 1853 मे मुम्बई से थाने तक के बीच 34 किमी0 मार्ग पर हुई। आज देश भर मे रेलो का एक व्यापक जाल बिछा हुआ है। रेलवे स्टेशनो की सख्या 6,877 और रेलमार्गो की कुल लम्बाई 62,789 किमी0 है। 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार भारतीय रेलो के पास 7,517 इजन, 36,510 यात्री डिब्बे 4,838 अन्य सवारियो गाडियो के डिब्बे और 2,44,419 माल डिब्बे थे। अब तक लगभग 32 5% कुल रेल पटरी का विद्युतीकरण हो चुका है।

आवागमन तथा यातायात व्यवस्था मे रेलो का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। बस्ती जनपद मे बडी लाइने उपलब्ध है। बडी लाइन मुण्डेरवा से बभनान तक है। जिसके अर्न्तगत 6 स्टेशन है जिसकी कुल लम्बाई 54 किमी0 है। तहसील की आमा स्टेशन इसी लाइन पर है। तहसील मे इसकी लम्बाई लगभग 10 किमी0 है। अन्य किसी भी तरफ तहसील को रेल की सुविधा नही मिलती है। जनपद मुख्यालय से पर तहसील वासियो के रेल यातायात की पूर्ति होती है।

5 2 यातायात–नियेाजन :–

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भानपुर तहसील मे लगभग 55% गॉव पक्की सडक से 5 किमी दूर है। जबकि 30 18% गाव सडक है या 1 किमी0 से भी कम दूरी पर है। तहसील मे जो राजकीय जिला एव ग्रामीण पक्की सडके है। निर्माणाधीन हो या पूरी बन गयी हो उनकी स्थिति दयनीय है।

प्रान्तीय सडकों को जोडने वाले मार्ग की स्थिति का आकलन दसिया–महनुआ मार्ग तथा मानिक चन्द–सल्टौवा मार्ग से देखा जा सकता है दसिया–महुनुआ मार्ग सन 1988–89 के पहले से ही निर्माणाधीन है। दोनो प्रान्तीय मार्गों से कुछ ही किलोमीटर तक पक्की हुई है। अन्य क्षेत्र खडन्जा तथा कच्ची सडको के है। मानिकचन्द्र सल्टौवा मार्ग की स्थिति भी दयनीय है।

तहसील के विकास खण्ड मुख्यालय को जोडने वाली सडक है। ग्रामीण मार्गों पर कही भी भारी वाहनो के यातायात वर्ष पर्यन्त असम्भव है।

अत क्षेत्र के विकासार्थ प्रथम आवश्यकता वर्तमान सडको की स्थिति मे सुधार की है, जिससे सुरक्षित एव तीव्र यातायात तथा सुविधाओ का आदान प्रदान हो सके। अभी भी क्षेत्र के बहुत से गाव ऐसे है, जो कि कच्ची सडक से भी नही जुडे है या जुड भी गये है तो खडजा नही पहुँचा है। अत क्षेत्र के विकास हेतु आवश्यकता है खडजा मार्ग को पक्की सडको मे परिवर्तित किया जाय तथा कच्ची सडको पर खडजा का निर्माण किया जाय।

किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु उच्च एव सघन सडक जाल के साथ–साथ उत्तम रेलमार्ग भी अपेक्षित है। अध्ययन क्षेत्र मे मात्र 10 किमी0 लम्बा (ब्राडगेज का) रेलमार्ग है। आया स्टेशन ही इसका स्टेशन है। कोई रेलमार्ग बस्ती से सिद्धार्थनगर न होने के कारण यात्री सुविधाओ तथा आवागमन मे कठिनाई होती है इस प्रकार तहसील के सम्यक विकास हेतु कम से कम एक नूतन रेलमार्ग के विकास की महती आवश्यकता है, आमा–रूधौली–बासी रेलमार्ग।

5.3. संचार प्रतिरूप :–

भारत मे डाक सेवाओ की शुरूआत 1837 मे हुई। कराची मे 1852 मे पहला डाक टिकट जारी किया गया। जो केवल सिन्ध सूबे मे वैद्य था। वर्ष 1854 मे भारतीय डाक विभाग का एक सस्था के रूप मे पुनर्गठन किया गया। जिसके अध्यक्ष एक महानिदेशक थे। इसके बाद से डाक नेटवर्क का विस्तार हुआ और अनेक नई सेवाओ के जरिये इसमे विविधता आयी। भारत में डाक सेवाये 1989 के भारतीय डाकघर अधिनियम के अतर्गत निर्धारित होती है। यह अधिनियम

सरकार को देश मे पत्रो को जमा करने, ले जाने और पहुँचाने का एकाधिकार देता है।

ग्रामीण विकास एव सामाजिक परिवर्तन मे सचार माध्यमो की विशिष्ट भूमिका होती है। जिसके द्वारा समय तथा अर्थ दोनो की बचत होती है। इनके द्वारा भी क्षेत्र मे त्वरित कार्य सम्भव होता है। सचार माध्यमो द्वारा नवीन विचारो, नवाचारो तथा अन्वेषणो को दूरस्थ ग्रामो तक पहुँचाया जाता है। सचार माध्यम के अर्न्तगत डाकघर, दूरभाष, तारघर, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि केन्द्रो को सम्मिलित किया जाता है। बस्ती जनपद के भानपुर तहसील मे विद्यमान प्रमुख सचार सेवाओ का विवरण तालिका क्रमाक–5 5 मे दर्शाया गया है।

5 3.1. डाकघर :–

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व का सबसे बडा नेटवर्क है। देश मे डाकघरो की सख्या अब 1,54,551 है। इनमे 16,402 शहरी और 1,38,149 ग्रामीण क्षेत्रो मे है। स्वाधीनता प्राप्त होने के समय देश मे कुल 23,344 डाकघर थे। इनमे से 19,184 डाकघर ग्रामीण और 4,160 शहरी इलाको मे थे। उसके बाद से डाक नेटवर्क मे करीब सात गुना वृद्धि हो चुकी है। (भारत 2002 पृ0 648)।

डाक नेटवर्क का विस्तार, खासकर ग्रामीण क्षेत्रो मे विभोगतर डाकघरो की प्रणाली के जरिये हुआ है। डाक नेटवर्क मे चार प्रकार के डाक घर आते है ये है। मुख्य डाकघर, उप–डाकघर, विभागोत्तर उप–डाकघर और विभागोत्तर शाखा डाकघर। सदेश वाहक कार्यक्रमो के अर्न्तगत डाकघरो का प्रमुख स्थान है इसके माध्यम से सूचनाओ का आदान प्रदान तथा वित्तीय संसाधनो को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने मे काफी सुविधा मिलती है। जो स्थान इस सुविधा से सम्पन्न है। वहॉ की जनता अपने को साधन सम्पन्न मानती हे।

तालिका क्रमांक–5.5

भानपुर तहसील में यातायात एवं संचार सेवाओं का प्रतिरूप

(1989–90 एवं 2000–01)

कास खण्ड	डाकघर		तारघर		टेलीफोन		पब्लिक काल आफिस		रेलवे स्टेशन		बस स्टेशन/ बसस्टाप	
	1989–90	2000–01	1989–90	2000–01	1989–90	2000–01	1989–90	2000–01	1989–90	2000–01	1989–90	2000–01
रामनगर	19	11	2	2	—	350	2	10	—	—	12	12
सल्टौआ	20	21	1	1	—	20	2	2	1	1	5	5
इसील भानपुर	39	32	3	3	—	370	4	12	1	1	17	17
नपद–बस्ती	385	266	45	33	1248	10083	50	699	10	7	1665	105

स्रोत : सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 1990 पेज 99

साख्यिकीय पत्रिका, जनपद बस्ती 2001 पेज से सगणित निजी सर्वेक्षण

सन 1989–90 मे रामनगर विकास खण्ड मे 19 तथा सल्टौवा मे 20 डाकघर थे। यानि भानपुर तहसील मे कुल डाकघरो की सख्या 39 थी। 2000–01 मे रामनगर मे यह सख्या घटकर 11 तथा सल्टौवा मे 21 हो जाने से इसकी सख्या 32 हो गयी। इसके कमी के कारण मे नयी तहसीलो तथा जिलो के निर्माण शामिल है। मानचित्र सख्या 5 2 मे डाकघरो को स्पष्ट किया गया है।

बस्ती डाक मण्डल बस्ती के डाकघरो की अघतन सूची (31 3 2001) निम्नवत है।

असनहरा उपडाकघर मे, अमारेडीहा, धौराहरा, धवाय, घोषण, करमहिया, पिरैलागरीब, रामनगर, टडवा तथा तुसायल आते है। हनुमानगज उपडाकघर मे आमवारी, दसिया, मझौवा, बैकुण्ठ तथा परसा–दमया आते है। आमा मे सरदहा शुक्ल सुकरौली, शिवपुर तथा टिनिच आते है। सल्टौवा उप डाकघर मे अमरौली सुमाली, बरगदवा, बिशुनपुरवा, चौकवा, जहलीपुर, जिनवा, लपसी, मझौवा खुर्द, सोनहा, सिहारी सरदहा, तेलियाडीह प्रमुख है।

5.3.2. तारघर :–

तारघर शीघ्रातिशीघ्र सूचना सम्प्रेषण की इकाई है। इस समय अध्ययन क्षेत्र मे तीन तारघर है, जिसमे से दो रामनगर मे तथा एक सल्टौवा गोपालपुर मे है। जबकि सम्पूर्ण जनपद मे इनकी 33 है। रामनगर मे यह असनहरा मे तथा सल्टौवा मे है। क्षेत्रीय विस्तार तथा साधन की बढती मॉग ने क्षेत्र के विकास मे तारघरो की संख्या मे और वृद्धि की आवश्यकता है। तहसील मे मात्र 11 ग्राम ऐसे है जिनको 1 किमी0 की दूरी पर तारघर की सुविधा मिल पाती है। 352 गॉवों को तारघर की सुविधा 5 किमी0 से भी अधिक दूरी पर मिलती है। (तालिका क्रमाक–5 6)।

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
SPATIAL PATTERN OF
P.O. P.S. AND P.T.O.
Dhaurahara
Asnahra
Amaridiha
Tusail
Ramnagar
Piraila Garib
Dhosar
Karmahiya
Dhawai
Bhanpur
Sonha
Jahlipur
Sihari Sardha
Ambari
Lapsi
Parsadamya
Teliadeeh
Dasia
Chaukwa
Majhauwa Baikunth
Saltaua
Amrauli Sumali
Bishunpurwa
Majhauwa Khurd
Jinwa
Shivpur
Tinich
Sukrali
-5'N
-27°
-55'
82°35'
40'
45'E
Post Office
Police Station
Sub Police Station
Post and Telegraph Office
Telephone Exchange Centre
Dang Bagla
2 0 2 4
Km

Fig. 5.2

तालिका क्रमांक–5.6

भानपुर तहसील : यातायात एवं संचार सुविधाओं का विवरण

(1989–90 एवं 2000–01)

विकास खण्ड	ग्राम में	1 किमी0 से कम	1–3 किमी0	3–5 किमी0	5 किमी0 से अधिक	कुल
रामनगर	11	10	67	46	36	170
सल्टौवा गोपालपुर	21	32	118	47	21	239
भानपुर	32	42	185	93	57	409
तारघर :–						
रामनगर	2	5	9	15	139	170
सल्टौआ गोपालपुर	1	6	6	8	218	239
भानपुर	3	11	15	23	357	409

स्रोत : साख्यिकीयपत्रिका जनपद बस्ती 2000 से सगणित

5.3.3. दूरभाष :—

आज दूरभाष की सुविधा जनसचार माध्यमो मे सर्वाधिक नवीन तथा द्रुतगामी है। सुदूरवर्ती भागो मे स्थित अन्य व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति कुछ ही मिनटो मे वैचारिक आदान–प्रदान कर सकता है। आज कृषि, शिक्षा, उद्योग, परिवहन राजनीति जैसे क्षेत्रो मे दूरभाष सचार माध्यम के रूप मे कार्य कर रहा है।

दूरभाष के द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रो की दूरिया कम लगने लगी है। आर्थिक क्षेत्र मे इसका सकारात्मक प्रभाव रहा है। यह आज जनसामान्य की आवश्यक आवश्यकता हो गयी है। अध्ययन क्षेत्र मे सल्टौवा विकास खण्ड मे एक दूर सचार केन्द्र है। तहसील भानपुर मुख्यालय मे भी एक दूर भाष केन्द्र है। जिनके माध्यम से तहसील के कई ग्राम तथा बाजार सयोजित है। 1989–90 मे जहाँ टेलीफोन नगण्य था वही 2001 मे 350 राम नगर मे तथा 20 सल्टौवा गोपालपुर मे साथ 370 टेलीफोन कनेक्शनो की सख्या रही। तहसील मे पी0सी0ओ0 की सख्या जहाँ 1989–90 मे 4 थी जो कि 2001 मे 12 हो गयी है।

5.3.4. अन्य संचार साधन :—

आकाशवाणी और दूरदर्शन का प्रसारण सर्वत्र व्याप्त है शायद ही कोई ऐसा ग्राम हो जहा चाहे विद्युत की आपूर्ति न हो या दूरदर्शन न हो। तहसील में कोई आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन केन्द्र नही है। रेडियो, टेपरिकार्डर, तो लगभग समस्त ग्रामो से है अन्य सचार साधनो मे समाचार पत्र, पत्रिकाऐ आती है। तहसील मे आज, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय सहारा, हिन्दुस्तान आदि दैनिक समाचार पत्रो का अध्ययन होता है। अंग्रेजी समाचार पत्रो का प्रचार नही के बराबर है।

5.4 संचार नियोजन :–

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो रहा है कि अध्ययन क्षेत्र मे सचार साधनो की सुलभता सर्वत्र नही है जहा सुलभ है भी वहा उसका समुचित उपयोग नही हो पा रहा है। आकाशवाणी तथा दूरदर्शनो प्रसारण को लोग मनोरजन की दृष्टि से देखते है। उनके द्वारा कृषि विकास योजना, तथा समाचार, सन्देशो पर कम ध्यान देते है।

सर्वेक्षण के दौरान शोधार्थी को यह ज्ञात हुआ कि 95% जनसख्या रेडियो, टेपरिकार्डर और टेलीविजन सेट का प्रयोग सुगम सगीत तथा मनोरजन हेतु करती है। टेलीविजन पर लगी बच्चो की भीड ग्रामीण जनमानस की बदलती प्रवृत्ति का घोतक है। निजी सर्वेक्षण के दौरान कुछ ग्राम ऐसे मिले (उदाहरणार्थ, बरडाड नानकार) जहा विद्युत की आपूर्ति नही है लेकिन लोगो के पास बैटरी है जिससे वे मनोरजन समाज के सभी वर्गो मे देखने को मिला है।

सर्वेक्षण के दौरान पूछे गये प्रश्नाव लियो के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर यह पाया गया कि 8%से कम लोग रेडिया तथा दूरदर्शन से समाचार सुनते है। राजनीतिक गतिविधियो या चुनाव के समय समाचार पत्र रेडियो एव दूरदर्शन के दर्शको की सख्या बढ जाती है। ज्ञानात्मक अभिरूचि या जिज्ञासा हेतु किसी कार्यक्रम को सुनने या देखने वाले मात्र 1% है।

अत तहसील के विकास हेतु संचार सुविधाओ मे परिमाणात्मक विकास के साथ–साथ क्षेत्रीय जनता को ज्ञानवर्धक कार्यक्रमो के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है।

5.5 ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन पर परिवहन–संचार का प्रभाव :–

किसी भी क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास मे परिवहन एव सचार माध्यमो का विशेष योगदान रहा है। परिवहन एव सचार तन्त्र के अभाव के कारण ही भारत के गावो मे सामाजिक कुरीतियॉ, आर्थिक, पिछडापन तथा रूढिवादी प्रवृत्तियॉ पनप रही है। गावो मे जनजागृति एव जनचेतना के विकास मे सडको रेलमार्गो, दूरदर्शन, रेडियो, तार, दूरभाष, सेवाओ का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज ग्रामीण समाज नगरीय सस्कृति का अन्धानुकरण कर रहा है। सामाजिक समरसता मे उत्तरोतर कमी आ रही है। विकास का कोई निश्चित सुव्यवस्थित मापदण्ड न होने के कारण ग्रामीण समाज को ससाधनो के विदोहन मे कठिनाइयो का सामना करना पडता है।

पाश्चात्य सस्कृति का अन्धानुकरण कर हम बहुत सी अपनी अच्छी परम्पराओ एव सामाजिक मानवीय मूल्यो को भूलते जा रहे है जिसका प्रभाव स्वस्थ ग्राम्य परिवेश को दूषित कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रो के ससाधनो को समुचित रख–रखाव हेतु सचार माध्यमो की आवश्यकता होती है।

अत स्वस्थ समाज के निर्माण हेतु स्वस्थ मानसिकता की जरूरत है। आज ऐसे समाज की आवश्यकता हे। जो कि इन समस्याओ का निराकरण कर सके। भौतिक विकास के साथ–साथ आध्यात्मिक विकास की परमावश्यकता है। आवागमन तथा सचार के साधन इसमे कडी का काम कर रहे है। ग्रामीणो की सुविधाओ मे वृद्धि होने के कारण उनके आर्थिक विकास मे सहायता मिली है, जो कि किसी भी विकासशील क्षेत्र के सम्बन्धित विकास हेतु आवश्यक है। जिससे स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके।

5.6 सेवा केन्द्र का अभिप्राय :–

आधुनिक विकास की सभी आधार भूत सुविधाओ से परिपूर्ण अधिवास पुज का जो अपने परित स्थित बस्तियो को सेवा प्रदान करते है "सेवा केन्द्र" कहे जाते है। इनकी स्थिति केन्द्रीय हेाती है, जो सभी क्षेत्रो को सेवा प्रदान करता है। अधिवासो के आकार एव उसके आर्थिक स्तर इनकी सख्या अधिक तथा कम होती रहती है। ये सेवा केन्द्र एक ग्राम से लेकर एक महानगर तक विविध पदानुक्रम के रूप मे हो सकते है। ग्रामीण विकास ये केन्द्र मूलभूत सेवाये –यथा प्रशासनिक, शैक्षिणक, कृषि, चिकित्सा, परिवहन एव सचार, मनोरजन, व्यापार एव वाणिज्य आदि प्रदान करते है। ये सेवा केन्द्र उस ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक सास्कृतिक विकास के भी प्रेरक होते है क्योकि इन्ही सेवा केन्द्रो पर ग्रामीण क्षेत्रो के विभिन्न धर्मो, समुदायो, वर्गो तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तरो के लोग एकत्रित होकर अपनी सामाजिक स्थिति, समस्याओ पर विचार विमर्श करते है। जिससे वहॉ के सामाजिक विकास मे परिवर्तन होता रहता है।

इस प्रकार ये केन्द्र क्षेत्र के आर्थिक और सास्कृतिक विकास से घनिष्ठ रूप से जुडे हुये है। ये अपने स्थान, कार्य तथा अन्य क्रिया कलापो से अर्न्तसम्बद्ध होते है। क्षेत्र के सतुलित आर्थिक सामाजिक विकास के लिये विकास सम्बन्धी नीतियो तकनीको, आविष्कारो के प्रचार प्रसार मे इन सेवा केन्द्रो की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिकाशत ये सामाजिक तथा सास्कृतिक विकास के क्रोड के रूप मे कार्य करते है।

किसी क्षेत्र या प्रदेश मे सामाजिक व आर्थिक विकास की प्रगति दर एव उसका स्थानिक वितरण सदैव एक समान नही रहता है। यह असमानता स्थान काल दोनो ही सन्दर्भो मे स्पष्ट परिलक्षित होती है। किसी भी क्षेत्र में चाहे वह

छोटा हो या बडा, कुछ स्थान विशेष, दूसरो की तुलना मे अधिक विकसित होते है, जो मानवीय क्रियाओ के स्थानिक प्रतिरूप को जन्म देते है। इसी सन्दर्भ मे ग्रामीण सेवा केन्द्र कृषि आधारित ग्रामीण क्रिया कलापो एव उद्योगो तथा सेवा पर आधारित नगरीय क्रिया कलापो को अन्तर्सम्बन्धित करते है। इस प्रकार ये केन्द्र नगरीय एव ग्रामीण क्रिया कलापो को समन्वित करते है (शेली–1981, पृ0 60)। जिससे केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया सदैव सक्रिय रहती है।

'सेवा केन्द्र' को भूगोलविदो एव अन्य विद्वानो द्वारा विविध सज्ञाओ से अभिहित किया गया है। मार्क जेफरसन (1931) ने इस प्रकार के अधिवासो के लिये 'केन्द्रीय स्थल' शब्द का प्रयोग किया था। जर्मन भूगोलविद क्रिस्टालर ने 1933 ई0 मे 'केन्द्रीय स्थल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया जिसमे केन्द्रीय स्थल अवधारणा का विशद विश्लेषण शामिल है।

'विकास ध्रुव सिद्धान्त' का प्रतिपादन फ्रासिसी विद्वान पेरॉक्स ने 1955 ई0 मे किया। जिन्होने केन्द्रीय स्थल के स्थान पर विकास ध्रुव शब्द का प्रयोग किया जो मूलत एक आर्थिक सकल्पना है। बेरी ने 1958, मोरिल ने 1962, बोडबिलो ने 1966 मे इसे एक भौगोलिक विचारधारा का रूप देने का प्रयास किया, क्योकि अर्थव्यवस्था का विकास घरातल पर होता है, शून्य मे नही। भारतीय भूगोल वेत्ताओ मे डॉ0 आर0एल0 सिह ने इन्हे ग्रागर बस्ती, एच0एच0सिह ने ग्रामर केन्द्र और काशीनाथ सिंह, के0वी0 सुन्दरम् आदि ने 'सेवा केन्द्र' की सज्ञा दी है।

1975 मे प्रो0 आर0पी0 मिश्रा ने विभिन्न प्रकार की क्रियाओं की सरचना के आधार पर विकास केन्द्रो को निम्न 6 वर्गो मे विभक्त किया है।

(1) विकास ध्रुव

(2) विकास केन्द्र

(3) विकास बिन्दु

(4) सेवा केन्द्र

(5) बाजार केन्द्र

(6) ग्रामीण केन्द्र

इस प्रकार इन सभी विकास जनक केन्द्रो को 'विकास केन्द्र' कहते है। ये सेवा केन्द्र ऐसे अधिवास या अधिष्ठान होते है जो अपनी सीमा के अन्दर स्थित विभिन्न कार्यों द्वारा आस पास की व्यक्तियो को सेवाये प्रदान करते है।

प्रस्तुत अध्याय मे बस्ती जनपद की भानपुर तहसील मे विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य, सेवा केन्द्रो, केन्द्रीयता सेवा क्षेत्र तथा पदानुक्रम को निरूपित करने के साथ साथ कतिपय सेवा केन्द्रो पर अतिआवश्यक कार्यो को प्रतिस्थापित करने का सुझाव भी देने का प्रयत्न किया गया है जिससे तहसील का सर्वागीण विकास हो सके तथा तहसीलवासियो के जीवन स्तर मे सुधार हो सके।

5.7 सेवा कार्य एवं केन्द्रीयता मान :–

सेवा केन्द्रो के निर्धारण की प्रक्रिया मे प्रथम सोपान सेवा कार्यों के चयन का होता है। सेवा केन्द्रो का केन्द्रीयता मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक सेवा को 100 अक का अभिमान दिया जाता है पुन प्रत्येक कार्य की सम्पादित होने वाली कुल सख्या से अधिमान को विभाजित कर दिया जाता है इस प्रकार जो भागफल प्राप्त हुआ वही उस सेवा कार्य का केन्द्रीयता मान है जिसे तालिका क्रमाक 5 7 मे दर्शाया गया है। उदाहरण . प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सख्या तहसील मे 9 है तथा अधिमान 100 है तो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का केन्द्रीयता मान 100/9 = 11.11 होगा। सेवाकार्य का चयन एक व्यक्ति निष्ठ प्रक्रिया है। अध्ययन क्षेत्र मे सेवा केन्द्रो के निर्धारण हेतु प्रशासन, शिक्षा, कृषि, चिकित्सा

यातायात, सचार, वाणिज्य और व्यापार तथा मनोरजन से सम्बन्धित कार्यो का चयन किया गया है। सारणी इस प्रति इकाई महत्व स्पष्ट होता है इसके माध्यम से कार्यो के महत्व के अनुसार विभिन्न कार्यो का मान स्पष्ट किया गया है।

5.8 सेवा केन्द्रों का निर्धारण :–

सामान्यत केन्द्रीय सेवाओ की उपस्थिति, केन्द्रीयता सूचकाक, जनसख्या आकार, कार्यशील जनसख्या का कुल जनसख्या से अनुपात, जनसख्या आकार मे परिवर्तन, यातायात के साधनो की उपलब्धता, कार्यघार जनसख्या तथा बस्तियो के सेवा क्षेत्र के आधार पर या इन आधारो मे से किसी एक आधार को लेकर सेवा केन्द्रो का निर्धारण किया जाता है। अनेक भारतीय विद्वानो मे सेवा केन्द्रो के निर्धारण मे इन्ही आधारो का प्रयोग किया है जिसमे सेन (1971), मिश्रा, सुन्दरम् और राय (1979),

आर0एल0 सिह और रागा पी0बी0 सिह (1978), के एन0 सिह (1966), एल0 बनमाली (1970), एल0के0 सेन (1971), कुमार और शर्मा (1977), आर0सी0 तिवारी (1980), बलराम (1986) एच0एन0 यादव (1988), के0 राय (1990) राधेश्याम मिश्र (1992), एस0के0 तिवारी (1993) आदि प्रमुख है।

5.9 सेवा केन्द्रों की केन्द्रीयता :–

केन्द्रीयता सेवा केन्द्रो के तुलनात्मक महत्व को प्रदर्शित करती है। यह सेवा केन्द्रो पर सम्पादित होने वाले समस्त कार्यो की परिमाणात्मक एव गुणात्मक विशिष्टता को प्रर्दशित करती है यदि किसी सेवा केन्द्र का केन्द्रीयता मान अधिक है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यह केन्द्र अन्य केन्द्रो की तुलना मे क्षेत्रीय जनसंख्या को अधिक सेवा प्रदान कर रहा है तथा ये केन्द्र महत्वपूर्ण है। सेवा

तालिका क्रमाक–5.7

भानपुर तहसील : सेवा कार्यो का तुलनात्मक मान

क्र0 स0	सेवा कार्य	उपलब्ध कुल संख्या	कुल महत्व	प्रति इकाई महत्व का मान
1	तहसील मुख्यालय	1	100	100 00
2	रेलवे स्टेशन	1	100	100 00
3	कृषि सेवा केन्द्र	1	100	100 00
4	बीज वृद्धि के कार्य	1	100	100 00
5	पुलिस स्टेशन	1	100	100 00
6	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	1	100	100 00
7	विकास खण्ड	2	100	50 00
8	सहकारी बैक शाखा	2	100	50 00
9	बीज गोदाम	2	100	50 00
10	कीटनाशक डिपो	2	100	50 00
11	परिवार एव कल्याण केन्द्र	2	100	50 00
12	डाक एवं तार घर	3	100	33 34
13	पशु चिकित्सालय	4	100	25 00
14	पशुधन विकास केन्द्र	6	100	16 67
15	क्षेत्रीय ग्रामीण बैक शाखाये	6	100	16 67
16	राष्ट्रीय कृत बैक शाखायें	7	100	14 28
17	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	9	100	11 11
18	हायर सेकेण्डरी स्कूल	9	100	11 11
19	सार्वजनिक टेलीफोन	12	100	8 33
20	ग्रामीण/सहकारी बैक	15	100	6 66
21	ग्रामीण गोदाम	16	100	6 25
22	बस स्टेशन/स्टाप	17	100	5 88
23	सीनियर बेसिक स्कूल	17	100	5 88
24	बाजार घाट	25	100	4 00
25	डाकघर	32	100	3 12
26	परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	44	100	2 27
27	सस्ते गन्ने की दुकान	166	100	0 60
28	जूनियर बेसिक स्कूल	190	100	0 52

केन्द्रो के चयन की भॉति केन्द्रीयता परिगणन भी एक व्यक्ति निष्ठ प्रक्रिया है। जिसे अनेक विद्वानो ने विभिन्न आधारो पर समाकलित किया है। सर्वप्रथम क्रिस्टालर (1933) ने दक्षिण जर्मनी मे टेलीफोन कनेक्शन के आधार पर केन्द्र स्थलो की केन्द्रीयता का मापन किया था स्लैम्स (1944), ब्रुश (1953), कार्टर (1955), उलमैन (1960), और कार (1962), आदि ने किसी स्थान पर पाये जाने वाले सम्पूर्ण कार्यो के आधार पर केन्द्रीयता ज्ञात की है। बैरी और गैरीसन (1958) ने विशिष्ट कार्यो तथा उनकी कार्याधार जनसख्या और पदानुकम कार्यो को आधार मानकर केन्द्रीयता का परिकलन किया है। जिनमे विश्वनाथ (1967), प्रकाश राव (1974), जगदीश सिह (1976), आदि प्रमुख है।

साधारणत केन्द्रीयता का मापन केन्द्र स्थल मे उपलब्ध केन्द्रीय कार्यो के आधार पर किया जाता है। जिसे विभिन्न कार्यो के विवेकानुसार 1,2,3,4,5, आदि अक प्रदान किये जाते है।

5.10. सेवा केन्द्रों का स्थानिक प्रतिरूप :–

मानचित्र सेवा केन्द्रो के स्थलीय प्रतिरूप को प्रदर्शित करता है, इससे स्पष्ट सकेत मिलता है कि अध्ययन क्षेत्र मे इनका वितरण पूर्णत असमान है। सबसे अधिक सेवा केन्द्र रामनगर विकास खण्ड मे है। जहॉ इनकी संख्या 9 है। सल्टौवा मे 8 प्रमुख सेवा केन्द्र है। जो क्षेत्र को सेवा प्रदान करते है। सेवा केन्द्रो का अधिकाश प्रमुख राजमार्गो पक्की सडकों के आस–पास पाया जाता है। भारत मे सेवा केन्द्रो का वर्तमान प्रतिरूप एक तरफ तो इतिहास और सस्कृति का परिणाम है तो दूसरी ओर अर्थव्यवस्था और राजनैतिक कारणो का भी प्रतीक है (सिह एवं पाठक–1979, पृ0 157)।

अध्ययन क्षेत्र मे दो प्रमुख सेवा केन्द्र है। जो प्रथम स्तर के माने जा सकते है। जिसमे भानपुर तथा सल्टौवा सेवा केन्द्र आता है जो भानपुर परित क्षेत्र के विभिन्न सेवाओ का अवसर प्रदान करता है। भानपुर मे तहसील का मुख्यालय (निर्माणाधीन) है। वर्तमान मे भानपुर मे अस्पताल, इन्टर कालेज, दूर सचार केन्द्र, पेट्रोल पम्प, बैक, ट्रैक्टर एजेन्सी, बर्फ तथा लकडी चीरने का मशीन स्थापित है। जो क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। इसी प्रकार सल्टौवा सेवा केन्द्र, कृषि, रक्षा केन्द्र, दूर सचार केन्द्र इसका तारघर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्टर कालेज, पशु स्वास्थ्य केन्द्र, तथा ब्लाक से सम्बन्धित सभी सेवाये क्षेत्र को प्रदान करता है। रामनगर सेवा केन्द्र मे ब्लाक, बैक तथा महिला अस्पताल सेवा क्षेत्र को सुविधा प्रदान कर रहे है। असनहरा सेवा केन्द्र मे पेट्रोल पम्प, बाजार, तारघर, बैक एव पुलिस स्टेशन (पुलिस चौकी), आदि विद्यालय क्षेत्र को सेवा प्रदान करते है (मानचित्र 5 3)।

मोहम्मद नगर मे राइसमिल, शुगर मिल, इन्टर कालेज तथा पौधशाला है जो क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। बडोखरा मे पौधशाला है बडोखरा पशु बाजार पूरे जनपद मे प्रसिद्ध है। जहा प्रत्येक मगलवार को पशु बाजार लगती है। अमरौली सुमाली मे महिला अस्पताल तथा हाईस्कूल विद्यालय तथा पुरैना मे स्टेट बैक तथा ग्रामीण बैक क्षेत्र को सुविधा या सेवा प्रदान करते है।

भिरिया ऋतुराज मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, इन्टर कालेज तथा पशु बाजार क्षेत्र को सेवा प्रदान करते है। भिरिया मे भी पशु बाजार प्रत्येक सोमवार को लगता है। जबकि सोनहा, ग्रामीण बैंक, पुलिस स्टेशन, टैक्ट्रर एजेन्सी तथा वर्तमान मे तहसील मुख्यालय के रूप से क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है।

दसिया ग्रामीण बैक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा जूनियर हाईस्कूल एव बाजार के माध्यम से क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है। तुषायल मे पंजाब नेशनल बैक तथा बूचडखाना है। सगराखास ग्रामीण बैक तथा बाजारो के माध्यम से क्षेत्र को सेवा प्रदान करता है।

5.10.1 सेवा क्षेत्र :–

वह क्षेत्र जो विकास केन्द्रो की सेवा करता है तथा विकास केन्द्रो पर स्थित केन्द्रीय सेवाओ से युक्त होता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है। किसी भी विकास केन्द्र के चारो और का क्षेत्र जो उस केन्द्र के साथ सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से सम्बद्ध होता है, सेवा क्षेत्र कहलाता है, चूकि प्रत्येक कार्यक्रम कार्यात्मक इकाई का रेज अलग–अलग होता है अत किसी विकास केन्द्र पर कार्यों की जितनी ही सख्या होती है। उसका उतना ही बडा सेवा क्षेत्र भी होगा (सिह 1973, पृ0 348)। किसी केन्द्र का किसी स्थान पर बने रहना उन कार्यो तथा सेवाओ पर निर्भर करता है जिसके द्वारा वह उत्पन्न समीपवर्ती क्षेत्र की सेवा करता है (डिकिन्सन 1934, पृ0 19–31)।

ग्रामीण नियोजन सामाजिक तथा प्रादेशिक विकास की रूपरेखा तैयार करने मे भी इन सेवा क्षेत्रो से सहायता मिलती है (सेन, इत्यादि 1972, पृ0 5)।

इस प्रकार सल्टौवा गोपालपुर तथा भानपुर प्रथम स्तर के सेवा क्षेत्र माने जा सकते है द्वितीय स्तर पर असनहरा, सोनहा, रामनगर, सेवाकेन्द्र आते है अन्य सेवा केन्द्र तृतीय क्षेणी मे रखे जा सकते है। छोटे–छोटे बाजार केन्द्रों तथा चौराहो द्वारा क्षेत्र की काफी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। रामनगर विकास खण्ड के पूर्वी क्षेत्र को सर्वाधिक सेवा रूघौली विकास खण्ड मुख्यालय से

प्राप्त होता है। सगराखास तथा बरगदवा को मिलाती हुई सीमा रेखा मान लिया जाए तो उसके सीमा के पूरब के क्षेत्र को सेवा रूघौली सेवाकेन्द्र से मिलती है।

मानचित्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र मे न तो सेवा केन्द्रो का समान वितरण है और नही प्रत्येक सेवा केन्द्र अपने समीपवर्ती क्षेत्र का सुचारू रूप से सेवा ही कर रहा है। इस प्रकार अधिवासो और सेवा केन्द्रो के मध्य एक आवश्यकता से अधिक बडी दूरी पायी जाती है जिसे स्थानिक–कार्यात्मक रिक्तता की सज्ञा दी जाती है। इस रिक्तता के क्षेत्रो को समाप्त करने के लिये सर्वप्रथम परिवहन एव सचार की सुविधाओ के विकास की योजना बनाने की आवश्यकता है जिससे सभी स्तर के सेवा केन्द्र आपस मे जुड सके।

5.10.2 प्रस्तावित सेवा कार्य :–

किसी भी क्षेत्र की आर्थिक एव सामाजिक समुन्नति तभी सम्भव होती है। जब वहॉ क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार सेवा कार्यो की समुचित उपस्थिति रहे। वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र मे मात्र 7 सेवा केन्द्र के रूप मे कार्य कर रहे है। किन्तु सेवा कार्य क्षेत्रीय जनसख्या के अनुरूप प्रचुर सख्या मे नही है। कुछ और सेवाकेन्द्रो की आवश्यकता तथा कुछ मे नवीनता लाने की जरूरत है।

कोई भी राष्ट्र क्षेत्र या समाप्त तभी पूर्ण रूपेण विकसित हो सकता है जब उसमे पूर्ण साक्षरता हो भानपुर तहसील मे वर्ष 2001 मे मात्र 38% जनसख्या साक्षर थी। जिसमे 68% पुरूष तथा 32% महिलाओ की थी। क्षेत्र के सामाजिक उन्नति तथा विकास के लिये महिलाओ को पूर्ण साक्षर बनाने की मुख्य आवश्यकता है। वर्तमान समय में तहसील मे बालिका विद्यालय एक भी नही है। एक मात्र प्रस्तावित बालिका विद्यालय सोनहा मे है।

जबकि इन्टर कालेजो मे (सल्टौवा, भानपुर, मुहम्मदनगर मे बालको के साथ बालिकाओ को शिक्षा दी जाती है। बालिका विद्यालय का अभाव शिक्षा के क्षेत्र मे क्षेत्रीय विकास मे बाध्य है। बरगदवा जो कि भानपुर तथा रूधौली (विकास खण्ड) के मध्य मे अवस्थित है। क्षेत्र की बालिकाओ को 8 किमी0 दूर चाहे रूधौली या भानपुर जाना पडता है। बरगदवा मे एक माध्यमिक विद्यालय है। लेकिन बालिका विद्यालय की आवश्यकता है। दसिया मे भी बालिका माध्यमिक विद्यालय की महती आवश्यकता है, क्योकि बालिका शिक्षा का केन्द्र सल्टौआ या रूधौली है जो करीब 8 किमी0 दूर पडता है। ग्रामीण बालिकाओ की शिक्षा कक्षा 8 के बाद इसलिये यही समाप्त हो जाती है इसके साथ ही साथ भिरिया ऋतुराज, सगराखास तथा रामनगर मे भी बालिका इन्टर कालेज की आवश्यकता है।

लगभग 450 वर्ग किमी0 क्षेत्र पर 3 लाख से अधिक जनसख्या धारक तहसील भानपुर मे एक भी डिग्री कालेज नही है। औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान मृदा प्रशिक्षण केन्द्र जैसी आवश्यक सेवाये भी उपलब्ध नही है।

क्षेत्र के सम्यक् विकास हेतु कुछ क्षेत्रो मे सेवा कार्य प्रस्तावित किया जा रहा है। जो इस प्रकार है।

प्रस्तावित सेवा कार्य – भानपुर में डिग्री कालेज, पालीटेक्नीक, मृदा परीक्षण केन्द्र, रोडवेज, तथा औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान की सेवाये प्रस्तावित की जा रही है। दसिया मे बालिका इन्टर कालेज, पुलिस सब स्टेशन, पशु उत्पादन तथा सल्टौवा मे महिला चिकित्सालय, बालिका विद्यालय तथा हस्तकला प्रशिक्षण केन्द्र तथा शकरपुर में एवं सगरा खास मे बालिका (हाईस्कूल) विद्यालय एवं पुरैना मे कोल्ड स्टोरज तथा महिला अस्पताल का प्रस्ताव है।

तहसील के सम्यक् विकास के लिये आवश्यक है कि प्रस्तावित सेवा कार्यो को शीघ्रताशीघ विकसित किया जाय और वर्तमान सेवा कार्यो में गुणात्मक उन्नयन किया जाय।

5.11. सेवा केन्द्र : ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन :–

सेवा केन्द्र ग्रामीण और नगरीय सभ्यता के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। जिस पर दोनों क्षेत्रों के उत्पादों का आदान प्रदान होता है। ग्रामीणों को रोजगार सेवा केन्द्रों पर मिलता है। साथ ही नूतन प्राविधिक आविष्कारों का ग्रामीण क्षेत्रों तक संचारण सेवा केन्द्रों से ग्राम वासी कृषि विकास हेतु उन्नतिशील बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं तथा कृषि यन्त्रों को प्राप्त करते हैं।

सेवा केन्द्रों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन परिहवन, आदि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। संचार माध्यमों के द्वारा समाचार पत्रों का प्रसारण ग्रामीण क्षेत्रों तक होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की दैनिक घरेलू उपयोगी वस्तुओं की आपूर्ति सेवा केन्द्रों द्वारा होती हैं।

क्षेत्रीय बाजारों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र से सम्बद्ध कोई न कोई बाजार होता है जो सप्ताह में एक या दो बार जरूर लगती है। इन्ही सेवा केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता आयी है और समाज का नवीन विचारों से सम्पर्क स्थापित हुआ है।

नवीन अविष्कार, नई प्रक्रिया, नई तकनीक का प्रसारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसरण की सुविधा के अतिरिक्त सेवा केन्द्रों के माध्यम से पहुँचता है जिसका उपयोग समाज अपने विकास के लिये करता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि अध्ययन क्षेत्र मे न तो सेवा केन्द्रों का एक सुसंगठित तन्त्र का विकास हो सकता है और न ही ये सामाजिक आर्थिक

रूपान्तरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने मे एव गरीबी के कारण अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रो मे जो आज के सभ्य समाज मे अमानवीय माना जाता है। जाति प्रथा, दहेज, बाल–विवाह, दलित उत्पीडन, बालश्रम, भिक्षावृत्ति, धार्मिक, कट्टरता आदि ऐसी समस्याये हे जिनसे समाज दूषित हो रहा है। इस स्थिति मे भारतीय समाज को सेवा केन्द्रो, जनसचार माध्यमो आदि साधनो द्वारा इन समस्याओ पर प्रभाव डालना चाहिये जिससे समाज का सम्यक विकास हो सके।

REFERENCES

Berry, B J L 1958 . A Note on Central Place Theory and Range of Goods, Economic Geography, Vol 34, p p 304-311

Christaller, W 1933 Die Zentralen orte in suddeutschland, Jena Translated by C W Baskin (1966) central places in Southern Germany, Engle wood cliffs, New Jersey

Cannon A M 1965 New Railways construction and the pattern of Economic Development of East Africa, Transactions an Institute of British Geograpshers'd No 36, page 21

Dickinson, R E 1934 The Distribution of Functions of the smaller urban settlement in East Anglia, Geography, Vol 19.p 19

Morril, R L 1962 . Simulation of Cenral Place Pattern over time, Land studies in Geography, Series B, Human Geography, no. 24.

Mishra, R P 1975 · The Process of Regional Development Theoretical Foundation in Regional Development planning in India, Vikash Publishing House, New Delhi

Mishra, R S , 1992 · Rural Development and Social change in Allahabad District p.p. 84-113.

Perroux, F 1955 Note Surlanotion de pole de translated by Mishra, Sundaram and Rao (eds.) Regional Development Planning in India : A New Strategy, New Delhi 1976, p.p. 180-218

Prakasa Rao, V L S 1974 Planning for an Agricultural Region, in R P Mishra (et al) 1974 Regional Development Planning in India A New strategy, New Delhi

Richachariya, H C. 1990 Transport Bases of Development University Prakashan, New Delhi p. 18

Roy, K., 1989 Fathehpur District : A study in Rural Settlement Geography, unpublished Thesis, Geography Department, Allahabad University

Strart Daggett, 1934 Principles of Inland Transportation, Geographical Review Vol. 25 p 227

Singh, R N and Pathak, R K. 1979 Integrated area Development Planning, Concept and Backgroud, National Geographer, Vol 15, No. 2, p p 157-173.

Singh, R.L and Singh, R P B. 1978 . Spatial Planning in Indian perspective, Varanasi, N.G.S.I Research Publication No. 28.

Sen, L.K 1971 : Planning Rural Growth Centres for Integrated Area Development – A Study in Miryalguda Taluka, NICD, Hyderabad p. 92

Shelly, E R 1981 · Rural Development Programm Population Decentralization policy in Development planning U.N Newyark p 160

Singh, J 1976 · Nodal Accessibility and Central Place Hierarchy : A case study in Gorakhpur Region, National Geographer, Vol. 11 No.2 p.p. 101-102.

Singh, J. 1984 Central Place and spatial organisation in a Backward Economy, Gorakhpur Region, Uttar Bhoogol Parished, Gorakhpur. p. 5

Singh, K N 1966 Spatial Patterns of Central Places in the Middle – Ganga Valley, India, N G L I Vol 12, p p 218-226

Tiwari, R C and Tripathi, S 1987 Role of Transport in Development, Avadh, Journal of Social Sciences Vol , 1 p.p 66-67

Tiwari, R C 1980 Spatial organisation of Service centres in the lower Ganga Yamuna Doab, National Geographer, Vol 15 No 2, p p. 103-124

Tiwari, R C 1984 . Settlement system in Rural India – A case study of the lower Ganga- Yamuna Doab, Allahabad Geographical Society Allahabad p p 161, 162

Tiwari R C and Yadav H S 1990 : Spatial characteristic of Transport Net work in Allahabad District, U.P National Geographer, Vol 25, No. 1 June 1990, p p. 17-29

Tiwari, S K 1993 . Rural Development and Social change in Independent India A case study of Phulpur Tahsil of Azamgarh District p p 97-119

Ullman, E.L 1960 Trade Centres and Tributary Areas of Phillippines, Georgaphical Review, Vol 50 p.p 203-218

Wanmali, S 1970 . Regional Planning for Social facilities, A case study of Eastern Maharastra, NICD, Hyderabad p 19

Yadav H.S 1988 · Integrated rural Development programm in Allahabad District, unpublished D.Phil Thesis of Allahabad University, p.p. 72-707

भारत 2002 पृ0 627, प्रकाशन विभाग, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय नयी दिल्ली।

✪ ✪ ✪

अध्याय–6

ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में उद्योग एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका

प्रस्तावना :–

वर्तमान मे विश्व के बदलते परिदृश्य मे देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ बनाने मे उद्योग की निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि के बाद सभवत लघु उद्योग सेक्टर ही ऐसा क्षेत्रहै। जहा रोजगार उपलब्धकराने की प्रबल सम्भावनाये है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए लघु उद्योगो के विकास मे केन्द्र एव राज्य सरकारो द्वारा सुनियोजित ढग से नीतियो एव कार्यक्रमो को संचालित करने पर प्राथमिकता दी जाती है तथा राज्य सरकारो द्वारा उद्योगो मे अधिकाधिक पूजी निवेश आकर्षित करने हेतु लगातार प्रयास किया जाता रहा है जिसमे उत्तर प्रदेश का अपना पृथक स्थान है। गुजरात व महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक आई0ई0एम0 तथा एल0ओ0ई0 उत्तर प्रदेश को प्राप्त करने का गौरव प्राप्त हुआ है।

जनसंख्या एव साधन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है। उद्योग नीति वर्ष 1998 के अर्न्तगत प्रदेश को गतिशील आर्थिक परिदृश्य, औद्योगिक विकास मे प्रचुर सम्भावनाये, ससाधनो की उपलब्धता, उदारीकरण की प्रक्रिया एव बाजार सुधारो से उद्योगो की समृद्धि के लिए अत्यधिक अवसर सृजित हुए है। नियोजित ढग से औद्योगिक विकास हेतु औद्योगिक नीति के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई महत्वपूर्ण नीतियो की स्पष्ट रूप से घोषणा की गयी जिसमे निर्यात नीति एवं खनिज नीति प्रमुख है।

वर्तमान मे बदलते परिवेश के अनुसार सरकारी नीतियो मे समय–समय पर परिवर्तन कराये गये ताकि उद्योग इन चुनौतियो का निर्भीक एव प्रभावी ढग से सामना कर सके। अधिकाधिक पूजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से अनिवासी भारतीयो को विशेष रियायते दिये जाने का निश्चय किया गया है। प्रदेश मे बडी परियोजनाओ मे निजी क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित करने, औद्योगिक गलियारो के विकास, प्रदेश मे लघु उद्योगो द्वारा किये जा रहे उत्पादो के विपणन हेतु प्राइवेट कम्पनियो की सरचना, कर्मचारियो की दक्षता मे वृद्धि, एकल मेज व्यवस्था तथा टेक्नोलॉजी मिशन के माध्यम से प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक समूहो को विकसित किये जाने पर इस प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप मे अभूतपूर्व परिवर्तन होगा। जिससे न केवल वर्तमान औद्योगिक वातावरण सुदृढ होगा अपितु भविष्य मे भी अधिकाधिक पूजी निवेश की सम्भावनाओ प्रबल होगी। उत्तर प्रदेश मे ऐतिहासिक रूप से कतिपय उद्योगो के महत्वपूर्ण क्लस्टर कार्यरत हे। इन क्लस्टरो के सम्बन्ध मे निदेशालय द्वारा समन्वित परियोजनाये भी तैयार किये जा रहे है। जिसमे आगरा की फाउण्ड्री, कानपुर का चमडा उद्योग, फिरोजाबाद का कॉच उद्योग तथा खुर्जा का पॉटरी उद्योग है। इस अध्ययन से जहा इस क्षेत्र मे लगे उद्योगों का वर्तमान स्तर बढेगा वही इन उद्योगो का अर्न्तराष्ट्रीय औद्योगिक बाजार मे भी प्रवेश होगा।

प्रदेश मे निर्यात को बढावा देने के लिए सुदृढ प्रशासनिक एव सस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक्सपोर्ट ब्यूरो का गठन किया गया तथा उद्योग निदेशालय का निर्यात बिकी सुदृढ किया जा रहा है। निर्यात मे उपयोग होने वाले कच्चे माल आदि मे व्यापार रखने, ग्रीन कार्ड जारी किये जाने की व्यवस्था, श्रम कानूनो के पुनरीक्षण आदि से प्रदेश का निर्यात निश्चित रूप से

गतिशीलता प्राप्त करेगा। वर्तमान समय मे विश्व के वही देश विकास कर रहे है जो औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी है। औद्योगीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने एव उसमे सतुलन स्थापित करने मे सहायक होता है (बुचानन एव इलिस 1980)। अत तीव्र औद्योगिकीकरण ग्रामीण विकास के लिये परमाश्वक है।

उद्योग का अभिप्राय वस्तु उत्पादन से है। मशीन अथवा हस्तकौशल द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन या उसको एक रूप प्रदान करना ही उद्योग है। इस प्रकार इसके अर्न्तगत सूक्ष्म यन्त्रो, खिलौना से इकाई जहाज एव जलपोतो जैसे वृहत्तम तथा मिट्टी के पात्र जैसे अतिसाधारण से जटिलतम मशीनरी उपकरणो तक का निर्माण समाहित किया जाता है।

ग्रामीण गरीबी, एव बेरोजगारी निवारण हेतु तथा देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने, विभिन्न आर्थिक क्षेत्रो के मध्य सतुलन स्थापित करने एव सामाजिक स्तर के उन्नयन के लिये उद्योगो को निरन्तर विकास किया जा रहा है। प्रस्तुत अध्याय मे बस्ती जनपद की भानपुर तहसील मे उद्यमियो को प्राप्त होने वाली सरकारी सुविधाओ आदि की प्रस्तुति के साथ–साथ औद्योगीकरण एव प्रौद्योगिकी से ग्रामीण समाज मे होने वाले परिवर्तनो का भी विवेचन किया गया है।

6.1. उद्योग का वर्गीकरण :–

उद्योग की परिभाषा समय–समय पर परिवर्तित होती रही है। औद्योगिक नीति (1990 मे प्रस्तुत) के अनुसार उद्योगो का वर्गीकरण इस प्रकार है।

6.1.1. बृहद स्तरीय उद्योग :–

यन्त्र एव सयन्त्र पर दो करोड से अधिक पूजी विनियोजित करने वाली इकाइयो को बृहदस्तरीय उद्योग की श्रेणी में आते है तथा जिनमे 60 लाख से अधिक और दो करोड रूपये तक की पूंजी की विनिवेश हो मध्यम स्तरीय उद्योग

के अन्तर्गत आते है। ऐसी इकाईया डायरेक्टर जनरल, टेक्निकल डेवलपमेन्ट एव केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकारी मे आती है। इनका नियमन केन्द्रीय सरकार की नीतियो तथा समय–समय पर घोषित लाइसेसिग प्रक्रियाओ द्वारा होता है।

6.1.2. लघु स्तरीय उद्योग :–

ऐसे प्रतिष्ठान एव इकाइयॉ जिनकी मशीनरी 60 लाख रूपये से कम की लागत के हो, लघुस्तरीय उद्योग की श्रेणी मे आते है। इसका पजीकरण महाप्रबन्धक जिला औद्योगिक केन्द्र/खादी ग्रामोद्योग सगठन द्वारा किया जाता है।

6.1.3. पूरक उद्योग :–

ऐसे प्रतिष्ठान जिसमे स्थिर परिसम्पत्तियो के रूप मे यन्त्र एव सयन्त्र पर कुल 75 लाख रूपये से कम की पूजी निपेशित हो तथा जो कल पुर्जो, सघटनो या यन्त्रो के निर्माण मे लगे है अथवा सेवाये प्रदान करते हो। ये उद्योग अन्य वस्तुओ के उत्पादन हेतु दूसरी इकाइयो को अपने कुल उत्पादन या सेवाओ का 50% भाग दे रहे है, बशर्ते कि ऐसा उपक्रम किसी अन्य अधिष्ठान का सहायक उपक्रम या उसके नियन्त्रण मे न हो, पूरक उद्योग कहलाते है। यह भी लघु उद्योग के ही अन्र्तगत आते है।

6.1.4. अति लघु उद्योग :–

सयन्त्र एव मशीनरी पर दो लाख रूपये से कम की पूजी विनिवेश करने वाले उपक्रमो को इसके अर्न्तगत रखा जाता है।

6.1.5. खादी एवं ग्रामोद्योग :–

इस प्रकार की औद्योगिक इकाइयों का नियमन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा होता है ये 10,000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामो में लगाये जाते है।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा कमेटियो, सस्थाओ तथा व्यक्तिगत इकाइयो को 4% वार्षिक ब्याज दर पर आर्थिक सहायता ऋण/अनुदान परीक्षण एव विपणन की सुविधा प्रदान की गयी है। जनपद स्तर पर बिक्री भण्डार के माध्यम से ग्रामोद्योगी सामानो की बिक्री का कार्य भी किया जाता है।

निम्नलिखित ग्रामोद्योगो को सहायता प्रदान की जाती है –

(1)	अनाज दाल प्रशोधन	(11)	हाथ कागज
(2)	गुड खाडसारी	(12)	रेशा
(3)	ताडगुड एव ताल वस्तु	(13)	कुटीर चूना
(4)	ग्रामीण तेल	(14)	फल सरक्षण एव उपयोग
(5)	अखाद्य तेल, साबुन	(15)	बास, बेत का कार्य
(6)	ग्रामीण चर्म	(16)	जडी बूटी सकलन
(7)	ग्रामीण कुम्हारी	(17)	एल्युमिनियम के बर्तन
(8)	कुटीर दियासलाई	(18)	शीशा
(9)	मधुमक्खी पालन	(19)	लाख उत्पादन
(10)	लोहारगीरी तथा बढईगीरी	(20)	कत्था उत्पादन

उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 1996–97 तक सहकारी समितिया सस्था को तथा व्यक्तिगत इकाईयो को 4% वार्षिक ब्याज की दर से आर्थिक सहायता सुलभ कराई जाती रही है। धन के अभाव में विभाग द्वारा बजट न उपलब्ध होने के कारण वर्ष 1995–96 से शासन स्तर से ब्याज उपादान योजना चलाई गयी जिसमे उद्यमियों को बैक के माध्यम से आर्थिक सहायता सुलभ है एव अधिकतम 10% ब्याज जिला प्लान से ब्याज उपादान मद से प्राप्त धनराशि से की जाती है अधिकाशत. इस जनपद में मिनी राइस मिल, काष्ठ

कला, लौहकला, रस्सी बढाई, डलिया, टोकरी, बनाना आदि उद्योगो मे सहायता प्रदान की जाती है।

तहसील की क्रियाशील जनसख्या की 17 प्रतिशत जनसंख्या विभिन्न प्रकार के उद्योगो मे की है। जिसमे पुरूष 91 6% तथा स्त्रिया केवल 8 4% ही विकास खण्ड स्तर पर रामनगर के क्रियाशील जनसख्या का 14% तथा सल्टौवा के 21% जनसख्या उद्योग–धन्धे मे लगी हुई है।

6.2 औद्योगिक प्रतिरूप :–

भानपुर तहसील यद्यपि कृषि प्रधान तहसील है यहॉ पर 98% जनसख्या प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित है। यह तहसील बडे उद्योगो के क्षेत्र मे बहुत ही पीछे है। तहसील का विकास या तहसील मे उद्योगो का विकास जिला उद्योग के विकास के सापेक्ष ही होगा। पूरे जनपद मे मात्र मुख्य रूप से दो चीनी मिले है जिसमे एक बस्ती जनपद मुख्यालय तथा दूसरी पाल्टरगज मे कार्यरत है। जबकि मुण्डेरवा चीनी मिल बन्द हो गयी है अर्थात पूरे जनपद मे गन्ना पेराई हेतु केवल दो मिले है। तहसील मे कोई भी चीनी मिल नही है। रामनगर विकास खण्ड मे मुहम्मदनगर मे एक छोटी इकाई चीनी मिल की है। तहसील के सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड का गन्ना कृषको को बस्ती मिल तथा वाल्टरगज मिल पर ले जाना पडता है। रामनगर तथा सल्टौवा दोनो विकास खण्डो मे इसके विभिन्न स्थानो पर कई गन्ना क्रय केन्द्र पेराई सत्र मे स्थापित कर दिये जाते है।

उपरोक्त के अतिरिक्त लघु उद्योगो के क्षेत्र के अर्न्तगत जनपद मे 2276 इकाइया स्थापित है जिसमें से 27 इकाइयां ऐसी है जो कारखाना अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत है। इन इकाईयों में 4521 व्यक्तियो को रोजगार के अवसर

सुलभ है स्थापित लघुस्तरीय इकाइयो मे कृषि आधारित, वन आधारित, इन्जीनियरिंग एण्ड एलाइड, वस्त्र आधारित, रसायन आधारित आदि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त अन्य उद्योग भी स्थापित है। अध्ययन क्षेत्र मे राइस मिल, सुगर मिल, आइसक्रीम तथा लकडी से सम्बन्धित उत्पादन वस्तुओ की बहुलता पायी जाती है।

वर्ष 1999–2000 तक नवसृजित जनपद सन्तकबीर नगर की इकाइयो को घटा देने के पश्चात जनपद बस्ती मे 1565 व्यक्तिगत इकाइयो, 27 सहकारी समितिया तथा 16 सस्थाओ को निम्न उद्योगो के अर्न्तगत 350 17 लाख रूपया की सहायता विभाग से तथा राष्ट्रीयकृत बैको के माध्यम से सुलभ करायी जा चुकी है। उक्त इकाईयो मे से 670 व्यक्तिगत इकाइयॉ, 4 सहकारी समितिया तथा एक सस्था कार्यरत है। जिसके माध्यम से वर्ष 99–2000 मे 205 60 लाख का उत्पादन तथा 272 70 लाख की बिक्री की गयी है। जिसमे 1265 लोगो को पूर्णकालिक एव आशिक रोजगार प्राप्त हुआ है।

वर्तमान समय मे निम्नलिखित ग्रामोद्योग को सहायता प्रदान करायी जाती है –

(1) खनिज आधारित उद्योग – कुम्हारी उद्योग, स्टूडियो पटरी, ईट, भट्टी आदि

(2) वन आधारित उद्योग :– हाथ कागज उद्योग, अगरबत्ती, निर्माण, बास बेत आदि।

(3) कृषि एव खाद आधारित उद्योग :– बेकरी, मसाला, राइस मिल, दालमिल आदि।

(4) बहुलक रसायन उद्योग :– शवच्छेदन, चर्मशोधन, चर्मवस्तु एवं फुट वियर आदि।

(5) इजीनियरिंग एव परम्परागत ऊर्जा – लोहारी एवं बढईगिरी एल्युमोनियम उद्योग आदि।

(6) वस्त्र उद्योग एव खादी को छोडकर – लोक वस्त्र का निर्माण, रेडीमेड वस्त्रो का निर्माण, खिलौना और गुडिया निर्माण आदि।

(7) क्षेत्र सेवा उद्योग – कपडो की धुलाई, नलसाजी, बिजली की वायरिग आदि घरेलू इलेक्ट्रानिक उपकरणो की मरम्मत।

बस्ती जनपद के उद्योग विभाग के एक अध्ययन के अनुसार जनपद मे सम्भावित उद्योग के प्रबल अवसर है। जिनका उपयोग क्षेत्र के विकास के दृष्टि से करना वाछनीय है। भानपुर तहसील मे कुछ प्रमुख उद्योगो का विकास हुआ है। जिन्हे दो वर्गो मे रखा जा सकता है।

1. दो लाख रूपये से अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग :–

इस उद्योग के अर्न्तगत जनरल इन्जीनियरिंग, चर्मशोधन कृषि यन्त्र, पशु आहार, सुर्खी चूना, बेकरी, रेडीमेड गारमेन्ट्स, चावल, दाल की मिल आदि प्रमुख उद्योग आते है।

2. लघुस्तर ग्राम्य तथा कुटीर उद्योग :–

उसके अर्न्तगत लकडी, फर्नीचर, हवनसामग्री, कुम्हारगीरी, अगरबत्ती निर्माण सौन्दर्य प्रसाधन, प्रिन्टिग प्रेस, स्टील (बाक्स एव आलमारी) वर्क्स, मछली जाल निर्माण आदि प्रमुख उद्योग आते है।

उपरोक्त उद्योगो के निमित तहसील मे विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केन्द्र तथा बिक्री केन्द्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र मे विभिन्न वर्गो के लोग अलग–अलग कुटीर उद्योगो मे सलग्न है, जो कि सामाजिक वर्ग का रूप धारण किये हुये हैं। ये वर्ग कृषि करता है और साथ ही साथ अपनी छोटी दूकान भी चलाते है जिसमे कृषि से सम्बन्धित तथा विभिन्न घरेलू आवश्यकताओ सम्बन्धित सामान होते है जैसे लोहार : हंसिया,

खुरपी, कुदाल, फावडा, आरि बनाकर बेचता है। बढई फर्नीचर, जुलाहा गमछा चद्दर तथा कुम्हार कुल्हड, हडिया, नाद और मिट्टी के खिलौने बनाता है। तेली, धोबी, नाई, दर्जी आदि समाज के एक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते है। समाज के सास्कृतिक विकास मे इनकी अहम भूमिका होती है।

तहसील मे जहा कुटीर उद्योग मे लगे लोगो की सख्या अधिक है वही बडे उद्योग नगण्य है। जनपद मे तो बडे उद्योग चीनी, कागज, वस्त्र, पीतल के बर्तन, वनस्पति घी, रस्सी तथा चमडा उद्योग आदि शामिल है। तहसील मे किसी बडे उद्योग का विकास नही हुआ है कुटीर उद्योगो की सख्या अधिक है। उन्ही मे बढोत्तरी हो रही है। चीनी उद्योग के विकास मे ग्रामीणो की विवशता स्पष्ट परिलक्षित होती है। चीनी मिल की नजदीक मे अनुपलब्धता किसानो को गन्ना उत्पादन मे कम प्रोत्साहित करती है। खरीफ के समस्त फसल क्षेत्रो मे 22 08% गन्ना का क्षेत्र है। तहसील के 3964 हेक्टेयर भूमि पर इसकी कृषि की जाती है। लेकिन तहसील मे रामनगर विकास खण्ड मे एक छोटी इकाई सुगर मिल की (मुहम्मदनगर) मे है। तहसील के गन्ना पेराई हेतु बस्ती या वाल्टरगंज मिल पर जाता है। इसके लिये तहसील के विभिन्न न्यायपचायतो मे गन्ना क्रय केन्द्र पेराई सत्र मे स्थापित किये जाते है।

6.3. उद्योग अवस्थापन तथा कार्यक्रम :–

औद्योगिक अवस्थापना योजना का शुभारम्भ द्वितीय पचवर्षीय योजना मे किया गया। देश की औद्योगीकरण की गति के साथ प्रदेश में भी इस योजना की महत्ता को देखते हुये उपयोगी परिवर्तन किये जाते रहे है। औद्योगिक अवस्थापन के विकास का मुख्य उद्देश्य प्रदेश मे लघु उद्योगों की भूमि तथा सर्विस सुविधा आदि उपलब्ध कराये जाने के साथ–साथ उनकी स्थापना, विस्तारीकरण एवं

उनके आधुनिकीकरण आदि के लिये प्रोत्साहित करना था। इस योजना के अर्न्तगत उद्यमियो को निर्मित रोड/प्लाट के साथ सभी प्रकार की अवस्थापनात्मक सुविधाये जैसे सडक, जलव्यवस्था, जल निकासी व्यवस्था, औद्योगिक फीडर लाइन, व्यवस्था करायी जाती है।

प्रदेश मे औद्योगीकरण की गति एव औद्योगिक अवस्थापनो की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए लगभग प्रत्येक जनपद मे औद्योगिक अवस्थापनो की स्थापना की गई। इस प्रकार प्रत्येक पचवर्षीय योजना मे इस योजना का विस्तार का विभिन्न जनपदो मे विकेन्द्रीकरण कर उनकी स्थापना की गयी। वर्तमान समय मे अनेक सस्थाये सहायता प्रदान कर रही है जिनमे प्रमुख है।

6.3.1. जिला उद्योग केन्द्र योजना :–

जिला उद्योग केन्द्र योजना का शुभारम्भ वर्ष 1978–79 मे किया गया है इस योजना का प्रारम्भ निम्नलिखित उद्देश्यो की पूर्ति हेतु किया गया है:–

(1) लघु एव ग्रामीण उद्योगो को प्रोत्साहित करके रोजगार मे अधिकाधिक औद्योगिकीकरण की गति मे अधिक तीव्रता लाना।

(2) उद्यमियों की स्थापना हेतु इच्छुक उद्यमियो को एक ही छत के नीचे उद्योग स्थापना की समस्त जानकारी एव सभी सुविधाये उपलब्ध कराना।

(3) लघु एवं छोटे उद्योगो के विकास के लिए अवस्थापना का प्रबन्ध, तकनीकी जानकारी, उद्यमिता विकास तथा सर्वेक्षण करना।

(4) लघु उद्यमियो को विभिन्न स्तरो पर अनुभूतियो/स्वीकृतियॉ शीघ्र जारी करने के उद्देश्य से जिला प्राधिकृत समिति की स्थापना प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे की गयी है।

उपरोक्त उद्देश्यो की पूर्ति को कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद मे जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की है। इन जिला उद्योग केन्द्रो मे लघु उद्योगो के पजीकरण भूमि व भवन, कच्चा माल, मशीन यत्र उपकरण, सयत्र, तकनीकी मार्गदर्शन, ऋण एव विद्युत आदि की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। जिला उद्योग केन्द्र का वरिष्ठतम अधिकारी महाप्रबन्धक होता है जिसके अधीन सुचारू रूप से कार्य सचालन हेतु प्रबन्धन (विपणन) परियेाजना प्रबन्धक एव प्रबन्धक (ऋण) आदि कार्यरत है। तहसील/ब्लाक स्तर उद्यमियो की जानकारी एव अन्य सुविधाये उलपब्ध कराने के लिए सहायक कार्यरत है। ग्रामीण अचलो मे कार्यक्रम के प्रचार/प्रसार हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के लिए एक सहायक विकास अधिकारी उद्योग सेवा व्यवसाय की व्यवस्था भी राज्य सरकार के नियोजन विभाग द्वारा की गयी है।

6.3.2. एकल मेज व्यवस्था :–

'एक छत के नीचे' एक मेज व्यवस्था का उद्देश्य उद्योगो की विभिन्न विभागो से अनुमोदन, स्वीकृतियॉ, आपत्तियो, लाइसेन्स इत्यादि के सबध मे आवेदन–पत्र का निस्तारण एक ही स्थान पर केन्द्रीय तथा समयबद्ध रूप से सम्पन्न कराना है, ताकि उद्यमियो को विभिन्न विभागो मे उपरोक्त कार्य हेतु बार–बार चक्कर लगाने की कठिनाई से मुक्त किया जा सके। एक छत के नीचे एकल मेज व्यवस्था का प्रभावी सचालन सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को दिया गया है।

6.3.3. स्वरोजगार बन्धु योजना :–

शासन द्वारा प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगमों द्वारा बेरोजगारी की समस्या के निदान के लिए स्वरोजगार से संबधित चलाई जा रही समस्त

योजनाओ के मध्य समन्वय स्थापित कर उनके ससाधन अनुरक्षण एव समीक्षा के उद्देश्य से इस येाजना के अधीन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता जनपदीय कार्ययोजना का क्रियान्वयन किया जाता है।

जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से जनपदीय कार्य योजना का प्रचार–प्रसार, पात्रता का चयन एव प्रोजेक्ट तैयार करना, आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, बैक ऋण स्वीकृत कराना, प्रोजेक्ट स्थापित कराना, प्रोजेक्ट मे आ रही समस्याओ के निदान तथा इकाई द्वारा किये गये उत्पादन के समुचित विपणन मे सहयोग देना इत्यादि कार्यो का निस्तारण इस योजना के द्वारा फलीभूत होता है।

6.3.4. उद्यमिता विकास कार्यक्रम :–

प्रदेश मे बढती हुई बेरोजगारी को ध्यान मे रखते हुए औद्योगिक विकास मे गति देने तथा बेरोजगार व्यक्तियो को अपना उद्योग/व्यवसाय स्थापित करने हेतु स्वरोजगार उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से यह येाजना प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1978–79 से सचालित की गयी। औद्योगिक इकाईयो को स्थापित करने तथा सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह गति आवश्यक है कि उद्यमी को सभी प्रकार की जानकारी हो। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रदेश मे विभिन्न 23 प्रशिक्षण संस्थाओ द्वारा एवं जिला उद्योग केन्द्रो के माध्यम से प्रत्येक वर्ष उद्यमिता विकास कार्यक्रम आयेाजित कर उद्यमियो को उद्योग स्थापित करने हेतु प्रशिक्षण देकर प्रेरित किया जाता है। यह योजना जिला सेक्टर के अर्न्तगत चलायी जा रही है। इस प्रशिक्षण हेतु योजनाबद्ध ढग से नव उद्यमियों को चयनित किया जाता है। संस्थाओ द्वारा कतिपय प्रशिक्षण जैसे इलेक्ट्रानिक,

प्लास्टिक, फूड प्रोडक्टस, साबुन बनाना, आयल आदि पर दिये जाते है। प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर मे 25 से 50 तक प्रशिक्षार्थी शामिल किये जाते है। जिसमे अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियो के लिए 20% आरक्षण निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त महिला/अल्पसख्यको को चयन मे वरीयता दी जाती है।

6.3.5. उद्योग बन्धु :–

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिक विकास को त्वरित गति देने के उद्देश्य से 1981 मे उद्योग बन्धु की स्थापना एक उद्योग बन्धु सचालन समिति के रूप मे की गयी थी जिससे औद्योगिक इकाइयो की समयबद्ध स्थापना एव सबधित समस्याओ के निराकरण को सुनिश्चित करने हेतु यथोचित सहायता प्रदान की जा सके। प्रगतिशील औद्योगिक वातावरण के सृजन के महत्वाकाक्षी उद्यमियो को उत्प्रेरित करने तथा आधारभूत सुविधाओ जैसे भूमि, विद्युत, वित, तथा अनुमन्य प्रोत्साहनो एव सुविधाओ को यह सस्था जानकारी उलपब्ध करा रही है।

उद्योग बन्धु के अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त उ0प्र0 है तथा इसके दैनिक कार्यो का दायित्व अधिशाषी निदेशक द्वारा किया जाता है। उद्योग बन्धु की गहन भूमिका को देखते हुए शासन ने 28 फरवरी 1989 को जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे जिला उद्योग बन्धु तथा मण्डल स्तर पर 23 जून 1990 को मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मे मण्डलीय उद्योग बन्धु के रूप मे गठन किया गया था एव समितियो के माध्यम से उद्यमियो की समस्याओ का समाधान जिला/मण्डल स्तर की समितियो में नही हो पा रहा है, उनका समाधान उद्योग बन्धु द्वारा कराया जाता है। वर्तमान में जिला उद्योग बन्धु की बैठके प्रत्येक माह

के द्वितीय मगलवार को उद्योग बन्धु जनपद के प्रभारी मन्त्री जी की अध्यक्षता मे की जाती है। प्रभारी मन्त्री के उपलब्ध न रहने पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे बैठके आयोजित की जाती है। लघु उद्योगो को विद्युत स्वीकृति, विद्युत कनेक्शन, बिक्री कर छूट, सुविधा ऋण, कार्यशील पूजी, भूमि पर कब्जा दिलाया जाना आदि विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियॉ प्रदान कराने मे पूर्ण सहयोग प्रदान करता है।

उद्यमियो की समस्याओ के समाधान हेतु अधिशाषी निदेशक उद्योग बन्धु द्वारा सबधित विभागो के साथ त्रिपक्षीय बैठको का नियमित आयेाजन प्रत्येक माह किया जाता है जिससे सबधित विभाग व उद्यमी आमने सामने बैठकर समस्याओ का समाधान करने मे सक्षम है। जिन समस्याओ का समाधान त्रिपक्षीय बैठको के माध्यम से नही होता है उन्हे विशेष रूप से गठित वर्किंग ग्रुप के समक्ष रखकर समाधान का प्रयास किया जाता है।

6.3.6. उ0प्र0 लघु उद्योग आधुनिकीकरण योजना :–

प्रदेश की लघु औद्योगिकी इकाइयो की क्षमता एव कार्यशीलता, उत्पादन की उत्पादकता एव गुणवत्ता मे कमी एव रूग्णता की बढती हुई प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए उ0प्र0 शासन ने औद्योगिक इकाइयो के आधुनिकीकरण, उत्पादकता एव गुणवत्ता मे सुधार हेतु इस योजना का शुभारम्भ किया।

योजना के सचालन का मुख्य उद्देश्य इकाइयो का आधुनिकीकरण करके उनके उत्पादन की उत्पादकता एव गुणवत्ता मे वृद्धि, ऊर्जा की बचत, प्रदूषण, नियंत्रण दुर्लभ कच्चे माल को नष्ट होने से बचाना, निर्यात मूलक उत्पादो का उत्पादन, आयात को रोकने हेतु अच्छी गुणवत्ता का उत्पाद तैयार करना है।

6.3.7. बीमार एवं लघु एवं लघुत्तर औद्योगिक इकाइयों का पुनर्वासन :—

प्रदेश की अनेक औद्योगिक इकाइयॉ बढती हुई रूग्णता स्थिति मे है। यदि इस समस्या का प्रभावशाली ढग से निपटाया नही गया तो औद्योगिकीकरण की वर्तमान नीति पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। एक उद्योग की रूग्णता दूसरे उद्योग को भी प्रभावित करती है। औद्योगिक इकाइयॉ स्थापित होने के बाद कुछ अपरिहार्य कारणो से बीमार हो जाती है जैसे कार्यशील पूजी न मिलना, अनियमित विद्युत आपूर्ति, इकाई को समय से विद्युत कनेक्शन न दिया जाना, समय से वित्तीय सस्थाओ द्वारा सावधि ऋण का भुगतान न किया जाना एव प्रबन्धकीय प्रभाव आदि। बीमार होने के कारण इकाई अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार कार्य नही कर पाती है। जहॉ एक ओर औद्योगिक इकाइयो को पुनर्स्थापित कराया जाना भी अति आवश्यक है। यदि बीमार इकाइयो को पुनर्स्थापित नही कराया जाता है तो शासन द्वारा वित्तीय सस्थाओ के माध्यम से दिया गया ऋण वसूल न हो सकेगा। उद्योग मे लगे लोगो को बेरोजगारी का सामना करना पडेगा, निर्मित की जाने वाली वस्तुओ की कमी होगी तथा बीमार इकाइयो मे लगी पूॅजी अनुत्पादक हो जायेगी इसलिए बीमार इकाइयो को पुनजीर्वित करना अति आवश्यक है।

रूग्ण इकाइयो को सुविधा प्रदान करने और समस्याओ का निराकरण करने हेतु मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता मे मण्डलीय पुनर्वासन समिति कार्यरत है। जिसके द्वारा विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर बीमार इकाइयो की समस्याओ का निराकरण किया जाता है। मण्डलीय पुर्नवासन समिति के कार्यकलापो का अनुश्रवण करने हेतु सचिव लघु उद्योगो की अध्यक्षता मे राज्य स्तरीय कोन्डिंग कमेटी का गठन किया गया है।

योजनान्तर्गत दिसम्बर 2000 तक प्रगति का विवरण निम्नवत है –

अ–	चिन्हित रूग्ण इकाइयो की सख्या	1799
ब–	रूग्ण घोषित इकाइयो की सख्या	252
स–	तैयार कराये गये पुर्नवासन पैकेज	78
द–	पुनर्वासित इकाइयो की सख्या	34

6 3.8 क्लस्टर योजना :–

उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा त्वरित औद्योगिकीकरण को दृष्टिगत रखते हुए एव रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के दृष्टिकोण से नयी औद्योगिक नीति मे 'क्लस्टर योजना' लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के सचालन हेतु प्रदेश के 26 औद्योगिक क्षेत्रो मे जिन पर उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 तथा 4 औद्योगिक आस्थानो जो उद्योग निदेशालय के नियन्त्रण मे है, को चयनित किया गया है। इन औद्योगिक क्षेत्रो/आस्थानो मे उपलब्ध भूखण्डो को लघु औद्योगिक इकाइयेा के मध्य आवटित कर औद्योगिक नीति के क्षेत्र मे नयी औद्योगिक इकाइयो को क्लस्टर के रूप मे लगाया जाना है। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र/आस्थानो मे माग कम से कम 30 भूखण्ड नये उद्यमियो को उपलब्ध कराये जायेगे। कुल योजनावधि मे उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लि0 द्वारा शासन से उपलब्ध बजट के अनुसार लगभग 100 इकाइयॉ वित्त पोषित की जायेगी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा द्रुतगामी औद्योगिक क्षेत्र की मूल दर में 10 प्रतिशत तथा मन्थरगामी औद्योगिक क्षेत्रो मे 15 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराई जायेगी। शर्त यह होगी कि इकाई एक वर्ष मे स्थापित हो जाये उद्योग निदेशालय के औद्योगिक आस्थानों

मे वर्तमान दरो पर भूखण्ड उपलब्ध कराये जायेगे, जिनका भुगतान आसान किस्तो मे देय होगा।

6.4 उद्योग सम्बन्धी प्रमुख संस्थायें एव विभाग :-

वर्तमान समय मे औद्योगिक विकास मे निम्न सस्थाये कार्यरत है

- जिला उद्योग केन्द्र
- उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड
- दि स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेण्टल कारपेरेशन आफ यू0पी0
- उत्तर प्रदेश वित्त निगम।
- उद्योग निदेशालय।
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन।
- उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम।
- उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम।
- उत्तर प्रदेश चर्म विकास एव विपणन विकास लिमिटेड
- उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड
- उत्तर प्रदेश खादी एव ग्रामोद्योग बोर्ड
- उपरोक्त सस्थाओ के अतिरिक्त ग्रामीण औद्योगीकरण मे प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप मे सहायक केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रमुख विभाग निम्न है।

(1) सी0एस0आई0आर0

(2) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

(3) कृषि, फलोत्तपादन एव मत्स्य विभाग

(4) खाद्य एव आपूर्ति विभाग

(5) गन्ना विकास

(6) केन्द्रीय खाद्य अनुसधान तकनीकी सस्थान

(7) पर्यावरण निगम

(8) कुटीर एव रेशम उद्योग विभाग

(9) अल्पसख्यक वित्त एव विकास निगम

(10) हरिजन एव समाज कल्याण निगम

(11) खाद एव सरक्षण विभाग

(12) तकनीकी शिक्षा विभाग (तिवारी एस0 के0 1993)

6.5 औद्योगिक समस्यायें :–

अध्ययन क्षेत्र भानपुर तहसील के औद्योगिक दृष्टि से अत्यन्त पिछडे होने के लिए अनेक कारण उत्तरदायी है जिनमे कुछ इस प्रकार है।

6.5.1 खनिजों का अभाव :–

अध्ययन क्षेत्र मे कही भी कोई धात्विक या अधत्विक खनिज नही पाया जाता है। इसलिये गन्ना, तिलहन, दलहन, वनोत्पाद, तथा पशुधन उत्पाद आदि को कच्चे माल के रूप मे उपयेाग करने वाले लघु तथा कुटीर उद्योगो का ही विकास हुआ है। कृषि जनित फसलो या उत्पादो पर आधारित सर्वाधिक लघु तथा कुटीर उद्योग है।

6.5.2. तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव :–

किसी भी क्षेत्र मे उद्योग के विकास हेतु तकनीकी ज्ञानयुक्त प्रशिक्षित, परिश्रमी, कार्यकताओ तथा कुशल प्रबन्धक का होना आवश्यक है क्योकि किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास मे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अध्ययन क्षेत्र मे उद्यमी प्राय अप्रशिक्षित तथा प्रबन्धकीय कुशलता से अनभिज्ञ है। परिणामत. परम्परागत एव प्राचीन तकनीक के अनुसार उत्पादन लागत अधिक पडती है तथा

उच्च कोटि का न होने से उन्नत तकनीक द्वारा उत्पादित वस्तुओ से प्रतिस्पर्धा नही कर पाते है। वस्तुओ के उत्पाद से इनको समुचित लाभ भी नही मिल पाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान का अभाव क्षेत्र की जनता के प्रशिक्षण मे प्रमुख बाधा है। जनपद मे केवल एक औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान है जो कि क्षेत्र के समुचित विकास मे योगदान करने वाले उद्यमियो के प्रशिक्षण के लिये कम है

6.5.3. औद्योगिक उत्पादों का वितरण –

अध्ययन क्षेत्र मे लघु तथा कुटीर उद्योगो की बहुलता है जिसमे पूजी निवेश, श्रम और समय अधिक लगता है और उत्पादन लघु स्तर पर होता है।

इनकी गुणक्ता अच्छी न होने से ये उत्पाद उच्च तकनीक द्वारा निर्मित सामानो से प्रतिस्पर्धा मे पिछड जाते है। लघु एव कुटीर उद्योगो द्वारा निर्मित वस्तुओ के विपणन मे सगठित व्यवस्था न होने से उद्यमियो को इनका समुचित लाभ नही मिल पाता है। पूजी तथा समुचित साधनो के अभाव मे उद्यमी अपनी वस्तुओ का विज्ञापन नही करा पाते है। जबकि विज्ञापन प्रचार–प्रसार का एक सशक्त माध्यम है इससे उत्पादित वस्तु की विशिष्टता तथा उपभोक्ता के बीच अर्न्तसम्बन्ध स्थापित हो जाता है। जिसका समुचित लाभ उद्यमी को मिलता है।

6.5.4. ऊर्जा, परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव :–

तहसील में ऊर्जा के रूप मे विद्युत की आपूर्ति रूधौली विद्युत उपकेन्द्र से प्राप्त होती है। विद्युत वितरण प्रणाली न केवल उद्योगो को पूर्ण करने के लिये आवश्यक है बल्कि कृषि तथा कुटीर उद्योग के विकास मे विद्युत उपयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है अब जब कृषि का यन्त्रीकरण हो रहा है तो विद्युत के महत्व को किसी भी दशा मे उपेक्षित नही किया जा सकता है 31–3–2000 तक पूरे जनपद मे दो विद्युतीकरण नगर हो गये थे। 2,642 ग्रामों तथा 929 हरिजन

बस्तियो मे बिजली उपलब्ध करायी गई है। तहसील मे विद्युत केन्द्रो का अभाव पाया जाता है 85% से अधिक गाव विद्युतीकृत हो गये है। किन्तु विद्युत आपूर्ति बहुत अनियमित रहती है। कृषि से सम्बन्धित विभिन्न लघु तथा कुटीर उद्योगो के विकास हेतु ऊर्जा की आवश्यकता हेाती है जिसकी आपूर्ति पूरी नही हो पाती है। किसी भी औद्योगिक क्षेत्र के विकास मे परिवहन मार्गो तथा उन्नत सचार व्यवस्था का होना आवश्यक है परिवहन उद्योग की धमनियो के समान है। अध्ययन क्षेत्र मे दो प्रमुख प्रान्तीय मार्ग है जिनकी लम्बाई लगभग 35 किमी है जिसमे प्रान्तीय मार्ग स0 26 (बस्ती मे डुमरियागज) की लम्बाई तहसील मे लगभग 25 किमी तथा प्रान्तीय मार्ग स0 5 (बस्ती से बासी) की लम्बाई लगभग 10किमी है अध्ययन क्षेत्र मे मात्र 12 किमी लम्बा रेलमार्ग (बस्ती से गोण्डा तक) है। अभी तहसील के अधिकाश ग्राम पक्की सडको से काफी दूरी पर है। जिससे बरसात के मौसम मे वहा आवागमन मे काफी असुविधा होती है। इन गावो तक पहुचने के लिये यातायात के साधनो का पूर्णत अभाव है। पक्की सडको की पूर्ण उपलब्धता न होने से भी यातायात अवरूद्ध होता है। जो औद्योगिक विकास मे बाधक है। अध्ययन क्षेत्र मे मात्र 2 दूर सचार केन्द्र है। मुद्रण की सुविधा न उपलब्ध होने के कारण उद्यमियो के विज्ञापन का प्रचार–प्रसार कम हो पाता है।

6.5.5. साक्षरता का कमी :–

साक्षरता किसी भी क्षेत्र के विकास की प्रथम एव अनिवार्य आवश्यकता है। क्षेत्र की लगभग 65% जनसख्या अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण सरकार द्वारा प्रदत्त औद्योगिक सुविधाओं से अनभिज्ञ होते है, जिससे वे उनका लाभ नही उठा पाते है। सरकार की वित्तीय सुविधाओ को विचौलिये खा जाते हैं। दूरदर्शिता की कमी से उद्यमी उपभोक्ताओं की अभिरुचि तथा बाजार की मांग का अनुमान

नही लगा पाते है। पूजी निवेश के प्रति आशका भी उनके उद्यम को प्रभावित करता है। एक कुशल उद्यमी का गुण है कि वह क्षेत्रीय, प्रादेशिक एव अन्तराष्ट्रीय बाजारो की वर्तमान और भावी मागो का समुचित आकलन करके तदनुरूप उत्पादन करे। यदि भविष्य मे लाभ की आशा है तो तात्कालिक हानि को दरकिनार कर पूजी निवेश उद्यमी को करना चाहिये न कि औद्योगिक इकाई को बन्द कर देना चाहिये। कुशल उद्यमी के गुण किसी साक्षर व्यक्ति से ही आपेक्षित है।

6.5.6. सरकारी नीति :–

औद्योगिक विकास मे सरकारी नीतियॉ महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। सरकार उद्योग की स्थापना हेतु धन उपलब्ध करवाती है किन्तु औद्योगिक इकाइयो के वित्त की आवश्यकता के समय सरकारी औपचारिकताये इसमे बाधक बनती है।

लघु तथा कुटीर उद्यमियो को कभी–कभी उच्च्य ब्याज दर पर व्यक्तिगत ऋण लेना पडता है जिससे उत्पादन लागत बढ जाती है और लाभ भी कम हो जाता है। ग्रामीण जनता का बृहद भाग अशिक्षित है, जबकि सरकारी सुविधाओ की सूचना औद्योगिक विभागो के कार्यालयो तक ही सीमित रहती है। सरकार इसका व्यापक–प्रचार–प्रसार नही करती कि प्रत्येक ग्रामीण को इन सुविधाओं की जानकारी ग्राम स्तर पर ही मिल जाय। इसके लिये सरकारी नीतियॉ ही दोषी है।

इस प्रकार खनिजो का अभाव, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कुशलता का अभाव उत्पादो के विपणन की समस्या, ऊर्जा परिवहन तथा सचार माध्यमो का अभाव, साक्षरता की कमी, दोषी सरकारी नीतिया आदि ऐसे अनेक कारण है जो

अध्ययन क्षेत्र के औद्योगिक विकास मे बाधक है। जिसका परिणाम है कि यह क्षेत्र औद्योगिक रूप से अत्यन्त पिछडा है।

6.6 औद्योगीकरण की अभिनव प्रवृत्तिया एवं औद्योगिक नियोजन :—

स्वतन्त्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र मे बढती हुई गरीबी एव बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से पचवर्षीय योजनाओ मे ग्रामीण औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी गयी और समन्वित ग्रामीण विकास के अर्न्तगत अनेक योजनाओ का कार्यान्वयन कर इसको दूर करने का प्रयास किया गया। निर्धन ग्रामीणो और बेरोजगारो का समुचित सुनियोजन ही इन योजनाओ का प्रमुख आधार रहा है। इसके मुख्य उद्देश्य है।

(1) ग्रामीण क्षेत्रो के गरीबो के आर्थिक विकास को ध्यान मे रखकर, स्थानीय ससाधनो एव आधारभूत सुविधाओ का सृजन करना।

(2) ग्रामीण बेरोजगारो के लिये रोजगार के लाभकारी अवसर उपलब्ध करना।

(3) ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थापित लघु कुटीर उद्योगो की माग की पूर्ति हेतु सामग्रियो तथा बडे उद्योगो के लिये कच्चा माल तैयार करना।

(4) ग्रामीण क्षेत्रो मे ऐसे उद्योग धन्धो का विकास करना जो ग्राम्य आधारित हो तथा ग्रामीणो की आवश्यकता की पूर्ति कर सके।

इन उद्देश्यो की प्राप्ति के लिये आवश्यक है कि स्थानीय संसाधनो का अधिकतम उपयोग किया जाय और उन पर आधारित नयी औद्योगिकीकरण नीति के तहत ग्रामीण सेवा मे नये उद्योग लगाये जाय जो रोजगार परक तथा उनके उन्नयन मे सहायक है। अत. यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा एक निश्चित और विकेन्द्रीकरण नीति अपनायी जाय और उद्योगपतियो को ग्रामीण क्षेत्रों मे उद्योग स्थापन हेतु प्रोत्साहित किया जाय। सरकार लघु उद्योगो के उत्पन्न माल को

विपणन की व्यवस्था करे। छोटे उद्योगो के क्षेत्र मे बडे उद्योगो को लाइसेस न दे। कुछ ग्रामीण समूहो का चयनकर उन्हे समस्त आधारभूत सुविधाए उपलब्ध करायी जाय जिनमे प्रशिक्षण, तकनीकी सुविधा तथा वित्तीय सुविधा आदि शामिल हो।

क्षेत्र मे लघु उद्योगो को जनपद से एक सम्बद्ध श्रृखला के माध्यम से जोडा जाय और उन्हे सरकारी सरक्षण, वित्त, परिवहन तथा सचार साधनो द्वारा जोडा जाय।

यदि इन योजनाओ को अगीकृत किया जाय तो ग्रामीण क्षेत्रो का विकास होगा, रूग्ण उद्योगो मे सुधार होगा ग्रामीण औद्योगिक केन्द्र विकसित होगे, निर्धनता समाप्त होगी। साथ ही उन उद्देश्यो की पूर्ति से स्थानीय ससाधन कच्चे मालो मे परिवर्तित होगे लोगो का जीवन स्तर ऊपर उठेगा, समाज का सम्यक विकास होगा। अत आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इसकी प्राप्ति हेतु सरकारी एजेन्सियो, बैको तथा सहकारी सस्थाओ और विकासखण्डो को उचित सलाह देकर जिला उद्योग केन्द्र को सक्रिय करे।

6 7 औद्योगिक सम्भाव्यता एवं प्रस्तावित उद्योग :–

कच्चे माल की सुलभता, ऊर्जा आपूर्ति एव उच्च यातायात अधिगम्यता आदि ऐसे आधारभूत तत्व है जो किसी क्षेत्र के औद्योगिक विकास के लिये आवश्यक है अध्ययन क्षेत्र की कुल कार्यशील जनसख्या का मात्र 1.7% ही उद्योगो मे सलग्न है। (जनगणना 1991) उद्योगो को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है –

(1) ससाधनो पर आधारित उद्योग।

(2) माग पर आधारित उद्योग।

तहसील मे कच्चेमाल के रूप मे कृषि उत्पाद, वनोत्पाद, पशु उत्पादो, रेह जलोढ मृदा आदि की प्रचुरता है, जिन पर आधारित उद्योग विकसित हो सकते है। स्थानीय माग के आधार पर उर्वरक, कृषि यन्त्र सम्बन्धी, सिलाई कढाई, प्रिन्टिग प्रेस, आदि उद्योगो के सफल होने के पर्याप्त अवसर विद्यमान है। अध्ययन क्षेत्र मे वृहद या मध्यम स्तर की कोई भी इकाई भी नही है। अत क्षेत्र के विकास के लिये आवश्यक है कि यहाँ मध्यम वृहद स्तरीय औद्योगिक अधिष्ठानो की स्थापना की जाय।

6.7.1 कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग :–

भानपुर तहसील के सकल क्षेत्र के दो तिहाई भाग से भी अधिक क्षेत्र पर कृषि की जाती है। तहसील मे चावल, गेहूँ, अरहर, चना, मटर, आलू, गन्ना आदि का उत्पादन पर्याप्त मात्रा मे होता है। इन उत्पादो पर आधारित चावल मिल, दाल मिल, चीनी मिल, तेल मिल, फल सरक्षण एव इनके अनुसगी उद्योगो का विकास अध्ययन क्षेत्र मे तीव्रता से हो सकता है क्योकि कच्चे माल की सुलभता तथा सस्ता श्रम इसके लार्भाजन मे सहायक होगा।

परिवहन विद्युत एव सचार सयोजन तथा भूमि उपलब्धता को ध्यान मे रखते हुये भानपुर मे चीनी मिल, भिरिया मे उर्वरक उद्योग, रामनगर तथा सल्टौवा गोपालपुर मे प्रशीतक गृह, बरगदवा, दसिया तथा सोनहा मे चावल, दाल तथा आटा मिल, दसिया तथा रामनगर मे खाडसारी, पुरैना तथा बरगदवा मे दालमोट उद्योग स्थापित किया जाना चाहिये।

6.7.2. पशु एवं पशु आधारित उद्योग :–

पशुगणना 1988 के अनुसार भानपुर तहसील मे गोजातीय 42,306 महिष जातीय 26,613, भेड 2,379, बकरिया 23,991, घोड़े टट्टू 60, सुअर 3,537 तथा

अन्य पशु 225 थे। पशु उत्पाद के अन्तर्गत मत्स्य, अमिष, अस्थि, बाल श्रम चर्म आदि सम्मिलित किये जाते है। पशु विकास हेतु सतुलित पशु आहार की माग बढ रही है। अत इसकी स्थापना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त कुपोषण से बचाव हेतु तहसील मे प्रचुर मात्रा मे दुग्धापूर्ति आवश्यक है अत शकरपुर, तुषायल, बडोखर आमा, पुरैना मे लघुस्तरीय एव सोनहा तथा सल्टौवा मे बृहदस्तरीय दुग्धोत्पादन इकाइयो को स्थापित करने की आवश्यकता है। पुच्छ एव बाल से तूलिका बनाने, चर्म से बेल्ट, बैग, जूता, चप्पल आदि के विनिर्माण मे तहसील मे सभी आधारभूत सुविधाये सुलभ है। मास निर्यात से भी उद्यमी लाभार्जन कर सकते है।

6.7.3 बनोत्पाद : आधारित उद्योग :—

वनो से हमे शुद्ध वायु औषधियॉ, विभिन्न प्रकार के फल, पुष्प एव कीमती लकडियॉ प्राप्त होती है। इस प्रकार वृक्ष तथा वनस्पतियॉ हमारे जीवन के अग है।

वन, उद्योग के विकास मे सहायक होते है। साथ साथ ये औद्योगीकरण से प्रदूषित पर्यावरण का शुद्धीकरण भी करते है।

अध्ययन क्षेत्र मे बबूल, बास, आम, मछुआ, नीम, शीशम, पीपल, खजूर, ताड, सागौन आदि अनेक प्रकार की झाडियॉ तथा वनस्पतियॉ मिलती है। बास का प्रयोग गृह, कृषि कागज तथा दैनिक उपयोग की वस्तुओ के निर्माण मे होता है। औषधि निर्माण मे विभिन्न वनस्पतियो का योगदान होता है। वृक्षों की लकडियो से फर्नीचर, दरवाजा, चौखट आदि का विनिर्माण होता है।

शिक्षा के प्रति अध्ययन क्षेत्र की जागरूकता से कागज की माग निरन्तर बढती जा रही है। तहसील के आस पास कोई भी कागज निर्माण की इकाई नही है। अत सोनहा मे एक बृहदस्तरीय कागज निर्माण उपक्रम की स्थापना आवश्यक है। इसके लिये कच्चा माल क्षेत्र के प्राकृतिक ससाधनो एव वाल्टरगंज चीनी मिल

से उत्पादित खोई से सुलभ हो जायेगा। अध्ययन क्षेत्र मे प्रस्तावित चीनी मिल के कार्यरत हो जाने पर यह इकाई पूर्णत अपनी तहसील के ससाधनो पर निर्भर हो जायेगी। काष्ठ कला उद्योग के रूप मे कई स्थानो पर कार्यरत है जिनके आधार को विस्तारित करने की आवश्यक है। अगरबत्ती तथा माचिस उद्योग को लघु तथा कुटीर उद्योग के रूप मे प्रत्येक ग्राम पचायत मे प्रचलित किया जाना चाहिये।

6.7.4. मांग पर आधारित उद्योग :–

कुछ उद्योग ऐसे होते हे जिनमे कच्चे माल की तुलना मे स्थानीय माग अधिक महत्वपूर्ण होती है। जैसे कृषियन्त्र, मोमबत्ती, मुद्रण, रेडीमेड वस्त्र उद्योग आदि।

यद्यपि इन उद्योगो हेतु आवश्यक ससाधनो का सम्भरण क्षेत्रीय ससाधनो से पूर्ण नही हो पाता लेकिन तीव्र स्थानीय माग के कारण लागत अधिक होने के बाद भी उद्यमी को प्रर्याप्त लाभ होता है तथा क्षेत्रीय जनता के आवश्यकता की पूर्ति होती है। अध्ययन क्षेत्र मे कृषि यन्त्रो, कृषि रसायनो, विद्युत उपकरणो, पुस्तको चूडियो आदि की माग काफी है। अत इन वस्तुओ के सम्भरण हेतु तहसील मे इनसे सम्बन्धित विविध उपक्रमो की स्थापना अपेक्षित है।

अध्ययन क्षेत्र की त्वरित आर्थिक विकास हेतु आवश्यक है कि उपरोक्त वार्षिक तथा मानचित्र 6.1 मे प्रदर्शित प्रस्तावित औद्योगिक उपक्रमों की शीघ्र स्थापना की जाय। सरकार को चाहिये कि कुटीर उद्योग के साथ–साथ मध्यम एव बृहदस्तरीय उद्योग को प्रोत्साहन दे, क्योकि इससे न केवल क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा अपितु अधिकारिक रोजगार के अवसर सुलभ होंगे। सरकार का यह दायित्व है कि सरकारी प्रक्षत्त सुविधाओ से उद्यमियो को अवगत कराये।

82°35'
45'
TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
PROPOSED INDUSTRIES
5'
5'
Shankapur
Tusial
Ramnagar
Bargadwa
Barokhar
Bhanpur
27°
27°
Sonha
Dasia
Bhiriya Rituraj
Saltaua
55'
55'
Puraina
Ama
Paper Mill
Sugar Mill
Fertilizer
Cold Storage
Rice Mill
Pulse Mill
Flour Mill
Dairy
Agricultural Implements
2 0 2 4
Km

Fig.6.1

6.8. औद्योगिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन :–

औद्योगीकरण का नगरीय एव ग्रामीण क्षेत्रो के सामाजिक परिवर्तन मे महत्वपूर्ण योगदान है। किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु उद्योगो का विकास अनिवार्य है। औद्योगिक विकास से व्यक्ति के आर्थिक सामाजिक, पारिवारिक, सास्कृतिक, राजनीतिक एव धार्मिक क्षेत्रो मे परिवर्तन होता है।

6.8.1 सामाजिक जीवन में परिवर्तन :–

सामाजिक सगठन तथा सामाजिक सम्बन्ध सामाजिक जीवन के अभिन्न अग है। औद्योगीकरण से स्वार्थपरता मे वृद्धि हुई है। भौतिक समृद्धि को बल मिला है।

जाति प्रथा का प्रभाव कम हो गया है इसका स्थान उसकी उपलब्धियो ने ले लिया है। नगरीकरण से गन्दी बस्तियो का विकास हुआ है, जहा सामाजिक अपराध बढ रहे है। औद्योकीकरण से असमानता बढी है तथा जीवन सघर्षपूर्ण हो गया है। औद्योगिक विकास से मानव की कार्यक्षमता एव आयु मे घटोत्तरी हुई है।

6.8.2. पारिवारिक जीवन में परिवर्तन :–

भौतिकता तथा व्यक्ति वादिता मे वृद्धि से सयुक्त परिवार का विघटन हुआ है तथा एकल परिवार की प्रवृत्ति बढी है। पहले जहा माता–पिता भाई–बहन चाचा–चाची सबको सम्मिलित रूप से परिवार माना जाता था वही आज परिवार का अभिप्राय मात्र पति–पत्नी एव बच्चो से हो गया है। स्त्री–पुरूषो मे समानता के अधिकार की प्रवृत्तियो का विकास आर्थिक उच्चता मे परिवर्तित हो गया है। उसकी महत्ता का मापदण्ड उसके अर्थोपार्जन से होता है। पारिवारिक जीवन की अनिवार्यता विवाह है। अत समाज मे परिवार के पारम्परिक संगठन में व्यापक फेरबदल देखने को मिलता है।

6.8.3. धार्मिक जीवन में परिवर्तन :–

उद्योग का प्रभाव धार्मिक विश्वास एव मानवीय मूल्यो पर पड रहा है। धार्मिक रूढिवादिता परम्परागत अन्धविश्वास के स्थान पर तर्क, विवेक एव व्यावहारिकता को प्रश्रय मिला है। वर्तमान विकास के युग मे मानवीय मूल्यो एव नैतिकता मे गिरावट आयी है।

6.8.4. राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन में परिवर्तन :–

औद्योगिक विकसित देशो मे प्रजातात्रिक शासन प्रणाली कार्यरत है। जो सामाजिक समानता का द्योतक है। सास्कृतिक जीवन के महत्वपूर्ण पक्षो–मनोवृत्ति, मनोरजन तथा मानवीय मूल्य पर औद्योगीकरण का व्यापक प्रभाव पडा है। मनोरजन के साधनो का व्यावसायीकरण हो गया है। इनका उद्देश्य स्वस्थ मनोरजन न होकर धनोपार्जन का होता है, जिसका प्रभाव समाज मे अपराधो एव अनैतिकता मे वृद्धि के रूप मे परिलक्षित हो रहा है।

इस प्रकार उद्योग ग्रामीण विकास के विविध तत्वो मे परिवर्तन को अभिप्रेरित करता है औद्योगिक विकास से जहा आर्थिक उन्नति हुई है वही सास्कृतिक तथा मानवीय मूल्यो की अवनति भी हुई है। अत आवश्यकता ऐसे नियोजन की है जिससे भौतिक के साथ–साथ आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास भी हो।

✪✪✪

REFERENCES

Buchanan, N S and Ellıs, H S 1980 Approaches to economıc development, S Chand Co Ltd , New Delhı, p – 105

Tıwarı, S K Rural Development and Socıal change ın Independent Indıa "A case study of Phulpur Tahsıl of Azamgarh Dıstrıct" Unpublıshed D Phıl thesıs of Allahabad Unıversıty, p p. 183-191

साख्यिकीय पत्रिका जनपद बस्ती 2000

साख्यिकीय पत्रिका जनपव बस्ती 1990

भारत 2002, सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, नई दिल्ली

उत्तर प्रदेश 2002, सूचना एव जन सम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश।

जनपदीय सामार्थिक समीक्षा, जनपद बस्ती 2000–2001

बस्ती–विकास 2001–2002 जिला सूचना कार्यालय, बस्ती उ0प्र0 (भारत)।

विकास मार्ग विशेषाक 1996–97 जनपद बस्ती, जिला सूचना कार्यालय, बस्ती द्वारा प्रकाशित

✪ ✪ ✪

अध्याय–7

ग्रामीण विकास की प्रमुख सामाजिक सुविधायें एवं समस्याऐं

प्रस्तावना :–

भोजन वस्त्र एव आवास मानव की मूलभूत आवश्यकताये है, किन्तु मानव केन्द सम्पूर्ण सामाजिक विकास के लिये कुछ आधारभूत सामाजिक सुविधाओ की आवश्यकता होती है। ग्रामीण विकास हेतु आवश्यक सामाजिक सुविधाओ मे शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, आवास जलापूर्ति, सफाई, रोजगार, परिवहन सचार, बैक, विद्युत आपूर्ति आदि प्रमुख है। इन आधारभूत सामाजिक सुविधाओ से सामाजिक क्षेत्र के जीवन स्तर मे सुधार होता है, निर्धनता मे कमी आती है। प्रस्तुत अध्याय मे बस्ती जनपद की भानपुर तहसील मे उक्त प्रमुख सामाजिक सुविधाओ के स्थानिक प्रतिरूप तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास और सामाजिक परिवर्तन मे इनके योगदान को मूल्याकित करने का प्रयास किया गया है तथा शोधार्थी द्वारा क्षेत्र की आवश्यकताओ के अनुसार इसके सम्यक विकास हेतु सुझाव भी प्रस्तुत किये गये है।

7.1 शिक्षा :–

शिक्षा मनुष्य के बौद्धिक और भावानात्मक विकास का एक अनवरत प्रयास है, जिससे उसकी कार्य क्षमता बढ़े, दृष्टिकोण सन्तुलित तथा सकारात्मक बने और वह एक उपयोगी और उत्तरदायी व्यक्ति बनकर समाज, परिवार, समाज और देश के जीवन मे अपनी भूमिका निभा सके। गाधी जी ने कहा "शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे या प्रौढ के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुण का सर्वागीण विकास करना है (कुरूक्षेत्र अक्टूबर 2002 पृ0 17)।

मनुष्य का सर्वागीण विकास करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। यहाँ शिक्षा का अभिप्राय विद्यालयी शिक्षा से है। किसी राष्ट्र की सम्पन्नता या विकास का आकलन राजस्व की प्रचुरता, सार्वजनिक इमारतो की भव्यता से नही होता यह तो इस बात पर निर्भर है कि इसके नागरिक कितने स्वस्थ, कितने शिक्षित और कितने प्रगतिवादी है (ओड– 1986 पृ0 103)।

"स्वस्थ शरीर मे ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है।" अरस्तू का यह कथन स्वास्थ्य और शिक्षा मे पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर करता है। शिक्षा मानव समाज की अमूल्य विधि है। यह न केवल मानव समाज को ज्ञान के प्रकाश पुज से प्रकाशित करती है अपितु यह सम्पूर्ण राष्ट्र एव समाज के सम्यक विकास का परिचायक भी है। शिक्षा देश के आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक तथा राजनैतिक विकास के लिये महत्वपूर्ण साधन है। शिक्षा का प्रभाव कृषि उत्पादकता तथा औद्योगिक विकास मे देखा जा सकता है। शिक्षा से ज्ञान के विकास के साथ ही साथ जीवन की गुणवत्ता तथा सामाजिक सरचना मे सुधार होता रहता है। नवीन, नैतिक, मूल्यो का सरक्षण तथा पुरानी कुरीतियो अधविश्वासो के उन्मूलन मे शिक्षा महत्वपूर्ण साधन का कार्य करती है।

विकास के मजिल की आधारशिला शिक्षा है। अधिकतम मानवीय आवश्यकताओ की पूर्ति का माध्यम शिक्षा ही है प्राचीन काल मे शिक्षा गुरूकुल पद्धति पर आधारित थी जो मुस्लिम काल मे 'मक्तब' के रूप में सामने आयी। स्वतन्त्रता के पश्चात शिक्षा की उन्नति हेतु भारत सरकार ने डा0 एस0 राधाकृष्णन की अध्यक्षता मे विश्वविद्यालय शिक्षा समिति (1948–49), डॉ0 मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53), संस्कृत आयोग (1956–57), स्त्री शिक्षा समिति (1957–59), नैतिक एव धार्मिक शिक्षा समिति

(1959), बाल कल्याण समिति (1961–62), शारीरिक शिक्षा एव राष्ट्रीय सेवा योजना समिति (1964), कन्या शिक्षा समिति, (1963–65), डॉ0 डी0 एस0 कोठारी की अध्यक्षता मे शिक्षा आयोग (1964–66), आदि का गठन किया तथा उनसे प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावो का अनुकरण करने का प्रयास किया (एस0के0 तिवारी 1992)।

7.1.1 वर्तमान शिक्षा का प्रतिरूप :–

अग्रेजो के आगमन के बाद क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था मे आमूल–चूल परिवर्तन हुआ। वर्तमान शिक्षा का प्रतिरूप इसी का परिणाम है जिसके तहत बालक का विद्यालय जाना प्राथमिक शिक्षा से प्रारम्भ होता है और विश्वविद्यालय स्तर पर समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉ0 कोठारी (1964–66) के अनुसार शिक्षा एक भवन है जिसकी तीन मजिले है – प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा का भार प्राथमिक शिक्षा पर है अत सरकार प्राथमिक शिक्षा के विकास पर तथा उसके सुधार पर अधिक ध्यान देती है।

7.1.2 प्राथमिक शिक्षा :–

कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा कहते है जिसे सामान्यत दो स्तरो मे विभाजित किया जाता है जूनियर बेसिक स्कूल (कक्षा 1 से कक्षा 5 तक) और सीनियर बेसिक स्कूल (कक्षा 6 से कक्षा 8 तक) सन 1972 के पूर्व इसका नियन्त्रण स्थानीय निकायो द्वारा होता था। बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नियन्त्रण अपने हाथों में ले लिया। सम्प्रति अध्ययन क्षेत्र मे दो प्रकार के प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है (1) सरकारी विद्यालय (2) स्वायत्तशासी एवं स्थानीय निकायों द्वारा शामिल स्वपोषित विद्यालय। इस समय तहसील मे कुल 190 जूनियर बेसिक स्कूल है जिनमें 100 सल्टौवा

तालिका क्रमांक–7.1
भानपुर तहसील : मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थायें

क्र0 स0	विकास खण्ड	1989–90					2000–01				
		जूनियर स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल		हाईस्कूल एवं इन्टरमीडिएट		जूनियर स्कूल	सीनियर बेसिक स्कूल		हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट	
			कुल	बालिका	कुल	बालिका		कुल	बालिका	कुल	बालिका
1	रामनगर	65	13	2	3	–	90	8	1	4	–
2	सल्टौआ	67	13	4	4	–	100	12	1	5	–
	तहसील भानपुर	132	26	6	7	–	190	20	2	9	–
	जनपद बस्ती	1354	295	65	104	7	1338	171	34	80	7

स्रोत : साख्यिकीय प्रत्रिका जनपद बस्ती, 1990 एव 2000 से सगठित।

गोपालपुर तथा 90 रामनगर विकास खण्ड मे स्थित है। (साख्यिकीय पत्रिका 2000) तहसील मे प्रति जूनियर बेसिक स्कूल द्वारा सेवित जनसख्या (2001 मे) 1589 है। जबकि सल्टौवा विकास खण्ड मे 1590 तथा रामनगर विकास खण्ड मे 1588 जनसख्या सेवित रही है। जूनियर बेसिक स्कूल मे 129 जूनियर बेसिक स्कूल सरकारी (सरकार द्वारा वित्त पोषित) है। जिसमे 83 सल्टौवा विकासखण्ड मे तथा 46 रामनगर विकास खण्ड मे स्थित है जिसका उल्लेख शिक्षण सस्थाओ की सूची मे किया गया है। अन्य जूनियर बेसिक स्कूल स्ववित्त पोषित एव मान्यता प्राप्त है।

तालिका क्रमांक 7.2

भानपुर तहसील : शिक्षण संस्थाओं का विवरण–2002

(1) प्राथमिक शिक्षण सस्थाऐ

(1) (A) जूनियर बेसिक सकूल (प्राइमरी)

रामनगर विकास खण्ड –

(1) परसा कुतुब
(2) चेसार
(3) बसडिलिया
(4) गन्धरिया
(5) चन्दोखवा
(6) कोहडा
(7) बस्ती अलावल
(8) पटवारिया
(9) भैसहिया
(10) मझौवाखास
(11) छितरगावा
(12) अमोडीहा
(13) बेगनी
(14) नरखोरिया
(15) नथवापुर
(16) बडौगी
(17) भिटीमाफी
(18) शकरपुर
(19) पिरैलागरीब
(20) डसावल
(21) इब्राहिम
(22) रामनगर
(23) कुसुम्ही कुँवर
(24) परसा भिवर
(25) नवॉ गॉवा
(26) जमोहना
(27) परसौहिया
(28) नरखोरिया
(29) बनवधिया
(30) उमरझरिया
(31) देईडीहा
(32) सगरा
(33) औसानकुडवा
(34) असनहरा
(35) आदमपुर
(36) धवाय
(37) खैरा
(38) खरियापुर जगल
(39) खांगपुर
(40) बेदौला
(41) करमहिया
(42) परसाकुडवा
(43) छठौडी
(44) भानपुर
(45) बडोखर
(46) बरगदवा

जूनियर बेसिक स्कूल (प्राइमरी)

सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड

(1) सल्टौआ (प्रथम)
(2) बभनगावा
(3) कोठिला
(4) पचमोहनी
(5) परसालगडा
(6) पिटापुर
(7) सिसवॉ
(8) सेहबरा
(9) बस्तिया
(10) चौचवा
(11) शाहपुर
(12) खरहरा
(13) बिशुनपुरवा
(14) अमरौली
(15) देईडीहा
(16) बढया सदरहा
(17) दुर्गापुर
(18) महनुँआ
(19) परसा झुगियॉ
(20) कनेथू
(21) मुडबरा
(22) कोठिला
(23) भिवा
(24) तेनुआ
(25) करमापाठक
(26) बघोडी
(27) बनरही
(28) सेसुइया
(29) सल्टौआ
(30) बाघनवा
(31) नरायनपुर
(32) एकडगवा
(33) रमवापुर
(34) तुरकौलिया
(35) डोरिकाचल
(36) करमा
(37) धवरपारा
(38) कल्यानपुर
(39) घोरियाडीह
(40) पकरी भीखी
(41) भगवानपुर
(42) दसिया
(43) मुनियॉव
(44) पिपराजप्ती
(45) दमया
(46) मझौवाकलॉ
(47) मिऊरा
(48) शिवपुर (आमा)
(49) आमवा
(50) जिनवा
(51) उमरा खास
(52) मझौवा बाबू
(53) बदलापुर घनघटी
(54) बिछियॉव
(55) मझौआ बैकुण्ठ
(56) बहरामपुर
(57) वासापार

(58)	बहादुरपुर	(67)	भादीखुर्द	(76)	डेडवा
(59)	पचरौलिया	(68)	टिनिच शुक्ल	(77)	लक्ष्मणपुर
(60)	परसाखुर्द	(69)	कडही	(78)	परसा
(61)	पडरी	(70)	पुरैना	(79)	सिसवारी
(62)	पडरिया	(71)	बिशुनपुरवा	(80)	चेतरा
(63)	हरदिया दिलौडी	(72)	बखरिया	(81)	बेलौहा
(64)	जगदीशपुर	(73)	मझौवा	(82)	बसडिलिया
(65)	अर्जुनवीरा	(74)	जमलपुर	(83)	हटवा
(66)	बहेरिया	(75)	सुभईराम		

सीनियर बेसिक स्कूल (जू0हा0 स्कूल)

रामनगर		सल्टौआ गोपालपुर	
(1)	नरखोरिया	(1)	कोठिला
(2)	बढोखर	(2)	सल्टौआ
(3)	शकरपुर	(3)	शाहपुर
(4)	भानपुर	(4)	हसनपुर
(5)	कलन्दरनगर	(5)	सल्टौआ
		(6)	दसिया
		(7)	मझौवा बाबू
		(8)	पिपराजप्ती
		(9)	बिछियागज
		(10)	अजगॅवा जगल
		(11)	परसा दमया

(2) माध्यमिक शिक्षण सस्थाये

हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट

रामनगर

(1) किसान इन्टर कालेज, भानपुर

(2) मेहीलाल उच्चत्तर विद्यालय असनहरा

(3) सन्त कबीर राम विलास उ0मा0वि0 मुहम्दाबाद (मुहम्मदनगर)

(4) आदर्श उ0मा0वि0 बरगदवा

सल्टौवा गोपालपुर

(1) जनता उच्चतर मा0वि0 भिरिया ऋतुराज

(2) आदर्श इन्टर कालेज सल्टौवा गोपालपुर

82°35'
40'
45'
TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
EDUCATIONAL FACILITIES
5'N
5'
27°
27°
55'
55'
Mohammdnagar
Asnhara
Bargadwa
Bhanpur
Bhirya-Rituraj
Saltaua Gopapur
PRIMARY SCHOOL
SENIOR BASIC SCHOOL
H.S/INTER COLLEGE
2 0 2 4
Km
82°35'
40'
45'E

Fig. 7·1

तालिका 7 1 से स्पष्ट है कि तहसील मे जूनियर बेसिक स्कूलो की सख्या मे उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। जहा 1989–90 मे तहसील मे कुल 132 जूनियर बेसिक स्कूल थे 2000–01 मे बढकर 190 हो गयी।

अध्ययन क्षेत्र मे कुल सीनियर बेसिक स्कूल की सख्या वर्तमान समय मे 20 है जिसमे 12 सल्टौवा तथा 8 रामनगर विकास खण्उ मे स्थित है। 1989–90 मे सीनियर बेसिक स्कूलो की सख्या 26 थी। इसकी सख्या कम होने का कारण नवीन तहसील का सृजन होना है क्योंकि रामनगर विकास खण्ड मे तहसील के सृजन के पूर्व 11 न्यायपचायते थी। वर्तमान समय मे इनकी सख्या 10 है। परसाइमाद न्यायपचायत डुमरियागज तहसील मे जाने से इसकी सख्या कम हो गयी (मानचित्र सख्या 7 1)

सीनियर बेसिक स्कूलो की कुल सख्या तहसील मे 16 है। जिसमे सल्टौवा गोपालपुर मे 11 तथा रामनगर मे 5 है। जिनका उल्लेख शिक्षण सस्थाओ की सूची (तालिका 7 2) मे किया गया है। तहसील मे बालिका बेसिक स्कूलो की सख्या 2000–01 मे मात्र दो है। ये विद्यालय भी मान्यता प्राप्त नही है। तहसील मे शिक्षा के सम्यक विकास हेतु अभी कुछ नये विद्यालयो की आवश्यकता है।

7.1.3 माध्यमिक शिक्षा :–

प्राथमिक शिक्षा तथा उच्चशिक्षा के मध्य सेतु का कार्य माध्यमिक शिक्षा द्वारा होता है। बालक के विकास की किशोरावास्था से सम्बन्धित होने के कारण यह शिक्षा क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा सास्कृतिक क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करती है। उच्च शिक्षा के लिये माध्यमिक शिक्षा आधार शिला का कार्य करती है। इस शिक्षा के बाद बहुत के छात्र व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते है। माध्यमिक शिक्षा की भूमिका समाज के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण रही

है। 1921 ई0 मे माध्यमिक स्तर की परीक्षा सचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था। 1989–90 मे तहसील मे हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजो की सख्या 7 थी जो 2001 मे बढकर 9 हो गयी। बालिका इण्टरकालेज की एक भी सख्या तहसील मे नही है। वर्तमान समय मे मान्यता प्राप्त सरकारी 6 माध्यमिक विद्यालय है। जिसमे 4 रामनगर तथा 2 सल्टौवा गोपालपुर मे है।

तहसील की जनसख्या तथा शिक्षा के स्तर को देखते हुये इनकी सख्या बहुत कम है। इस प्रकार तहसील मे लगभग 33560 जनसख्या पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है जो कि सल्टौवा गोपालपुर मे 79,350 जनसख्या पर एक माध्यमिक विद्यालय है। जो कि क्षेत्र के शैक्षिक विकास के लिये बहुत कम है। माध्यमिक विद्यालयो का अभाव शिक्षा के स्तर मे गिरावट का मूल्य कारण है। इस प्रकार हम देखते है कि अध्ययन क्षेत्र की अधिकाश विद्यालय को 5 किमी तथा उससे अधिक दूरी पर ही माध्यमिक विद्यालय की सेवा मिल पाती है। इसके अतिरिक्त विद्यालयो मे प्रति शिक्षक पर भारित छात्रो की सख्या भी सामान्य से अधिक है। जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पडता है। अत क्षेत्र के शैक्षणिक विकास हेतु अधिक माध्यमिक स्तरीय बालिकाओ तथा बालको के विद्यालयो की स्थापना की महती आवश्यकता है जिससे शत–प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य सुगमता से प्राप्त किया जा सके। केवल एक बालिका माध्यमिक विद्यालय सोनहा मे प्रस्तावित है। जबकि भानपुर, दसिया मे भी इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु यह आवश्यक है कि सरकार क्षेत्र के समुचित विकास हेतु प्रस्तावित विद्यालयो को स्थापित करे, शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाये।

7.1.4 उच्च शिक्षा :–

उच्च शिक्षा का अभिप्राय महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयी स्तर की शिक्षा से है अध्ययन क्षेत्र मे इसका अभाव है। एक भी उच्च शिक्षा का केन्द्र नही है। जनपद मे 4 डिग्री कालेज है दो जनपद मुख्यालय घर ही है। शोधार्थी ने भानपुर तहसील मुख्यालय पर एक महाविद्यालय की आवश्यकता को महसूस किया है जिसको प्रस्तावित रखा है।

7.1.5. प्राविधिक शिक्षा :–

तकनीकी व व्यासायिक शिक्षा के विकास के सुदृढ आधार पर ही कृषि उद्योग, परिवहन, अभियान्त्रिकी स्वास्थ्य आदि का विकास होता है।

तकनीकी एव व्यावसायिक शिक्षा से ही आर्थिक विपन्नता तथा सामाजिक विषमता को समाप्त किया जा सकता है किन्तु तहसील मे एक भी तकनीकी तथा व्यवसायिक शिक्षा केन्द्र नही है। पूरे जनपद मे एक राजकीय पालीटेक्निक, एक औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान तथा एक शिक्षण प्रशिक्षण सस्थान है। अध्ययन क्षेत्र के सम्यक विकास हेतु इस प्रकार के विद्यालयो की भी नितान्त आवश्यकता है, क्योकि कृषि विकास तथा लघु उद्योग हेतु तकनीशियनो तथा विशेषज्ञो के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

7.1.6. अनुसूचित जाति शिक्षा :–

अध्ययन क्षेत्र मे प्राथमिक स्तर के विद्यालय के कुल छात्रो की सख्या मे अनुसूचित जाति के छात्रो का भाग 13 70 एवं इसी स्तर पर कुल छात्राओ मे अनुसूचित जाति की छात्राओ का अंश 16 32 रहा है। वर्तमान समय मे तहसील मे माध्यमिक स्तर के कुल छात्रो की सख्या 21 70 है जबकि अनुसूचित जाति छात्राओ की सख्या 15 5% है। जबकि सीनियर बेसिक स्कूल में अनुसूचित जाति

के छात्रो की सख्या 36 27% तथा छात्राओ की सख्या 23 90% है। इस प्रकार छात्रो तथा छात्राओ दोनो वर्गो की सख्या सीनियर बेसिक स्कूल मे अधिक है जिसका कारण नजदीक मे विद्यालय की प्राप्ति तथा सरकार द्वारा दी गयी छात्रवृत्ति भी नामाकन की सख्या बढाने मे प्रेरणा का कार्य करती है। अनुसूचित जाति के छात्र नामाकन करवाकर मजदूरी करते है तथा सरकार की छात्रवृत्ति का उपयोग करते है उन्हे ज्ञानार्जन से कुछ नही लाभ होगा। माध्यमिक स्तर की शिक्षा छात्राओ की तो सल्टौवा विकास खण्ड की मात्र 0 52% है जो सबसे कम है। (2001 साख्यिकीय पत्रिका)।

7.1.7 स्त्री शिक्षा :–

स्त्री शिक्षा का अभाव भी ग्रामीण क्षेत्रो के पिछडेपन का एक कारण है। अध्ययन क्षेत्र मे मात्र 31 50% महिलाओ की साक्षरता दर है जो क्षेत्र में स्त्री शिक्षा की निम्नतर स्थिति को प्रदर्शित करती है। सामाकि विकास के लिये स्त्री शिक्षा का अधिक महत्व है।

राजनीतिक तथा रोजगार मे महिलाओ के लिये स्थान आरक्षित किये गये है जिससे महिलाओ का शिक्षा के प्रति झुकाव मे वृद्धि हो परन्तु स्त्री शिक्षा की प्रगति बहुत सन्तोषजनक नही कही जा सकती है। इसका प्रमुख कारण सामाजिक कुरीतियो का समाज मे व्याप्त होना है। अभी भी पर्दाप्रथा का प्रचलन है तथा उनके आवागमन तथा मेल–मिलाप पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रो मे यह जटिलताये कुछ अधिक प्रभावशाली है जिससे स्त्री शिक्षा के पर्याप्त विकास मे बाधा उत्पन्न हो रही है।

विश्वास नहीं होता कि 21वी सदी जिसे शिक्षा का युग कहा जाता है उसमें 21 गावों मे हाईस्कूल उत्तीर्ण महिला नहीं है शिक्षा का यह स्तर जहा

सरकार द्वारा शिक्षा के प्रति चलाये जा रहे अभियानो के लिये एक करारा तमाचा है वही दूसर तरफ वर्ष 2001 मे मनाये गये नारी सशक्तीकरण वर्ष पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है।

विकास खण्ड सल्टौआ गोपालपुर के 21 गावो मे अनुसूचित जाति व पिछडी जाति की कोई भी महिला हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण नही है। यह बात सामने तब आयी जब स्थानीय बाल विकास परियेाजना कार्यालय से आगनबाडी कार्यकत्रियो व सहायिका पद के लिये नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रकाशित किया गया। बाल विकास अधिकारी ने कथनानुसार विकास खण्ड के कोइलसा, हटवा, मुगरहा, शाहपुर, परसा–लगडा, भिरिया ऋतुराज, पचमोहनी, कोठिला, ससारपुर, हरदिया, साडी कलप, बेलवाडाड, पुरैना, पिपराजप्ती, बेलौहा, बसडिलिया, उमराखास, मुनियॉव, बनरही, लप्सी गोरखगाव, मे अनुसूचित जाति, पिछडी जाति मे तीन व सामान्य मे एक पद के लिये कोई भी महिला हाईस्कूल उत्तीर्ण नही मिली। जो बाल विकास परियोजना मे बाधा पहुँचा रही है (28 अगस्त 2002, दैनिक जागरण, बस्ती जनपद)।

7.2. शिक्षा की समस्ंसाए :–

निम्न प्रमुख समस्याऐ है –

7.2.1 बेरोजगारी :–

बेरोजगारी व्यक्ति तथा समाज दोनो के लिये अभिशाप है इससे देश सामाजिक अस्थिरता व अशान्ति को प्रश्रय मिलता है। बेरोजगारो की सख्या मे वृद्धि किसी भी देश की सबसे बडी चुनौती है। शिक्षित बेरोजगारों की बढती सख्या वर्तमान शिक्षा पद्धति की निरर्थकता प्रदर्शित करता है। रोजगार अवसरो मे कमी छात्र को उपाधि हासिल मे वृद्धि के सकेत देते है। नौकरी की लालसा मे

छात्र आर्थिक सकट झेलते रहते है किन्तु स्वरोजगार की दिशा मे कोई प्रयासरत नही करते है। हाल ही मे सरकार ग्रामीण बेरोजगारो के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्थ्था शुरू की है जिसके माध्यम से शिक्षित तथा प्रशिक्षित बेरोजगार स्वय रोजगार ढूढ सके। जवाहर रोजगार योजना का प्रयोग कर भी सरकार बहुत सफल नही हो पा रही है।

इसके लिये आवश्यक है कि शिक्षा पद्धति मे कुछ बुनियादी परिवर्तन किया जाय जिससे नवयुवको मे स्वालम्बन की भावना जागृति हो तथा सरकारी नौकरी का विकल्प निजी व्यवसाय बने। इसके लिये ग्रामीण युवको को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।.

7.2.2. निर्धनता और अवसरों का अभाव :—

प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक परिवार का धन बच्चो पर व्यय होता है। निर्धन परिवारो के बच्चो को शिक्षा कब और कहा मिले यही आज सरकार को जानने की आवश्यकता है। छोटे—छोटे कस्बे से लेकर नगरो तथा महानगरो मे आज पब्लिक स्कूलो के नाम पर शिक्षा के दूकानो की बाढ सी आ गयी है (उपाध्याय 1991 पृ0 20)

ग्रामीण स्कूलो मे आवश्यक साधनो की अनुपलब्धता अभिभावक की निरक्षरता व शिक्षा के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, लडकियो की शिक्षा का विरोध, निर्धनता और जनसख्या मे विशाल वृद्धि मे अनेक ऐसे कारण है जो शिक्षा के स्तर को गिराने मे सहायक सिद्ध होते है।

7.3. ग्रामीण शिक्षा के विकास हेतु नियोजन :—

व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक दोनो रूपो का विकास शिक्षा का कार्य है। इससे व्यक्ति तथा समाज दोनो का उत्कर्ष होता है परन्तु वर्तमान शिक्षा अपने

उद्देश्यो मे असफल रही है इसमे व्यवहारिकता का अभाव है। शिक्षा समाज की आवश्यकताओ के अनुरूप रोजगार परक होनी चाहिये। वर्तमान शिक्षा–प्रणाली का प्रमुख दोष यह है कि इसके निर्धारको का सम्बन्ध तथा उद्देश्य शिक्षा के विकास से कम, राजनीतिक अधिक होता है अध्ययन क्षेत्र के शैक्षणिक उन्नयनार्थ आवश्यक है कि

(1) तहसील की वर्तमान जनसख्या तथा आकार को ध्यान मे रखते हुये प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर के और अधिक विद्यालय स्थापित किये जाय।

(2) उच्च शिक्षा के विकासार्थ तथा रोजगार हेतु कम से कम एक महाविद्यालय (तहसील मुख्यालय पर) तथा औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थान स्थापित किये जाये।

(3) बालिका शिक्षा के विकास हेतु माध्यमिक स्तर के कम से कम तीन बालिका विद्यालयो की स्थापना की जाये।

(4) शिक्षको की सख्या मे वृद्धि की जाये।

(5) गरीब तथा विपन्न प्रतिभाशाली छात्रो को समुचित छात्रवृत्ति प्रदान की जाये।

(6) शिक्षा की सभी योजना मे समाज के सभी वर्गो के प्रबुद्ध लोगो का सहयोग लिया जाय।

ग्रामीण क्षेत्र के औद्योगिक विकास मे समाज के सभी वर्गो का यथोचित सहयोग लिया जाय।

इन सब जैसे कई कार्यो को आगे बढाने की आवश्यकता है शिक्षा का विकास, विकास के सभी स्तर पर पहुँचाने का प्रयास किया जाय तथा क्षेत्र के विकास मे सहयोग करे।

7.4. ग्रामीण स्वास्थ्य की समस्यायें एवं निवारणार्थ सुझाव :-

भारत सरकार ने स्वतन्त्रता के बाद नागरिको की स्वास्थ्य मे सुधार हेतु अनेक कार्यक्रमो द्वारा काफी प्रयत्न किया है तथा ग्रामीण क्षेत्र के नागरिको स्वास्थ्य-वृद्धि अभी तक पूर्ण नही हो पायी है। जिसका कारण आधारभूत सुविधाये माने जा सकते है। अध्ययन क्षेत्र मे स्वास्थ्य-उन्नति एव अवरोधक विविध कारको मे प्रदूषित वातावरण, दूषित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओ की परिमितता, शिक्षा की कमी आदि प्रमुख समस्याये है।

7.4.1. प्रदूषित ग्रामीण पर्यावरण :-

ग्राम्य पर्यावरण मे वह शुद्धता नही रह गयी है जो पहले थी। इस समस्या का प्रमुख कारण अशिक्षा, निर्धनता, वस्तुओ के अनियोजित प्रारूप आदि से है ग्रामीण बस्तियो के सर्वेक्षण के दौरान दृष्टिगोचर हुआ कि ग्रामीणलोग प्राय आवासो के आस-पास कम दूरी पर ही खुले मे मलत्याग कहते है जबकि जल निकास की समुचित व्यवस्था नही होती है। अधिवासो के चतुर्दिक व्याप्त गन्दगी से इन क्षेत्रो मे विविध प्रकार के रोग-सवाहक कीटाणु उदभूत होते है। जिनसे ग्रामीण जनसख्या का एक बडा भाग व्याधिग्रस्त हो जाता है। वातावरण तथा स्वच्छता हेतु ग्रामीण जनता को अत्यधिक शिक्षित किया जाय।

7.4.2. दूषित पेयजल :-

अध्ययन क्षेत्र मे पेयजल के मुख्य क्षेत्र कुये एव हस्तचालित नलकूप और हैण्डपम्प है। भारत सरकार नीदरलैण्ड सरकार के सहयेाग से सम्पूर्ण देश मे शुद्ध जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु 'पाइलट प्रोजेक्ट' चला रही है। जिसके अर्न्तगत उत्तर प्रदेश मे पाइल्ट प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है।

7.4.3. सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवायें :–

किसी भी तरह के विकास के लिये उत्तम स्वास्थ्य आवश्यक है। स्वास्थ्य का अभिप्राय मात्र शारीरिक दुर्बलता एव व्यक्तियो का परिवार ही नही, वरन इसका तात्पर्य शारीरिक और मानसिक क्रियाशीलता से है इस शताब्दी के पूर्वाद्ध मे अध्ययन क्षेत्र विविध प्रकार की व्याधियो, एव चेचक, मलेरिया जैसे अनेक महामारियो से ग्रस्त था। भारत सरकार ने अलमा अटाप्रस्ताव (1978) द्वारा सन् 2000 तक "सबके लिये स्वास्थ्य" का लक्ष्य रखा गया है।

सर्वाधिक प्रचलित चिकित्सा पद्धति 'एलोपैथ' है। सन 1989–90 मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सख्या 8 थी जबकि 2000–01 मे इसकी सख्या 9 हो गयी। समस्त उपलब्ध सेवाओ की सख्या 32 थी जो कि अब 56 पहुॅच गयी है तहसील मे 1989–90 मे परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र मात्र 2 था जबकि परिवार एव मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र 45 थे। डाक्टर की सख्या 6, पैरामेडिकल की सख्या 102 तथा अलग 12 है।

वर्तमान समय मे (2000–01) मे 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 56 उपलब्ध शैयाओ की सख्या, 3 डाक्टर, 90 पैरामेडिकल, 9 अन्य है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केवल एक रामनगर मे है। 2, परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्र है। परिवार एव मात् शिशु सेवा केन्द्र 42 है। इस प्रकार तहसील में उत्तम स्वास्थ्य के लिये चिकित्सा एवम स्वास्थ्य सेवाओ की नितान्त आवश्यकता है क्योकि किसी भी स्थान विशेष के आर्थिक उत्पादन मे वृद्धि उनके निवासियो के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करती है।

अध्ययन क्षेत्र मे स्वच्छ जलापूति हेतु इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प लगाये गये है। प्रत्येक कुंये, तालाब एव तालाब स्थानों मे वर्ष मे कम से कम 3–4 बार

कीटाणु नाशक दवा डाली जाय और प्रत्येक गाव मे दवाओ का नि शुल्क वितरण किया जाय।

7.4.4. नशीले पदार्थो के प्रति बढ़ती अभिरूचि :-

स्वास्थ्य की प्रमुख समस्या है नशीले पदार्थो का सेवन करने वालो सुधारको की तुलना मे अनुषगियो की सख्या मे निरन्तर वृद्धि का होना है। शोघार्थी के द्वारा क्षेत्र के अध्ययन मे विभिन्न आयु वर्ग लोगो से साक्षात्कार के समय उनकी मानसिकता के अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि इसमे 68% लोग सुरापान को आधुनिकता और उच्च मानसिक का प्रतीक मानते है, लगभग 25% लोगो को शारीरिक थकान को दूर करने वाला साधन लगता है।

धुम्रपान करने वालो की सख्या मे निरन्तर वृद्धि हो रही है। 2/3 लोग अनुसूचित जाति एव पिछडी जातियो के होते है। तम्बाकू का सेवन सभी वर्ग तथा जाति के लोग करते है। विगत दशक मे युवा वर्ग की तम्बाकू सेवन की प्रवृत्ति अत्यन्त तीव्रता से बढी है। होली, दीपावली तथा कोई अन्य पर्व पर कुछ लोग उत्तेजक नशीले पदार्थो का सेवन करते है जिसका प्रभाव व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सामाजिक सम्बन्धो, परिवार आदि पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पडता है।

7.4.5. स्वास्थ्य सुविधाओ की कमी :-

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रो की अत्यन्त कमी है इसके अतिरिक्त जो कार्यरत है भी उनमे जीवन रक्षक औषधियो, चिकित्सको, परिचारिकाओ निदान उपकरणो तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधा का अभाव है।

कुशल चिकित्सको की नियुक्ति भी ग्रामीण क्षेत्रो मे नही होती है। सरकारी चिकित्सा सुविधाओ के अभाव मे प्रतिवर्ष मरने वालो की सख्या काफी होती है।

अत अध्ययन क्षेत्र के विकास तथा स्वास्थ्य सुधार हेतु और अधिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रो की आवश्यकता है तथा न्यूनतम खर्च पर ग्रामीण व्यक्ति को यह सुविधा मुहैया करवायी जाय।

7.4.6. ग्रामीण रूढ़िवादिता :–

आधुनिक युग मे भी ग्रामीण समाज का एक भाग आज भी अतिरूढिवादी है। इस प्रकार के लोग भूत, प्रेत, टोना, जादू मे ज्यादा विश्वास करते है। झाड–फूक से अपने आपको अनेक व्याधियो का शिकार बनाते है। बाद मे ये रेाग लाइलाज हो जाते है। अत रूढिवादिता परम्पराओ का शिक्षा तथा उचित मार्गदर्शन द्वारा निवारण अनिवार्य है।

ग्रामीण स्वास्थ्य की प्रथम आवश्यकता ग्रामीण जनसख्या को शिक्षित करके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना है। सरकार द्वारा नवीनतम सुविधा सम्पन्न चिकित्सालय स्थापित किये जाये और तीन–चार माह मे चिकित्सक प्रत्येक ग्राम मे जाकर ग्रामीण जनता को उत्तम सुविधा हेतु सामान्य जानकारी प्रदान करे।

7.5. पेयजल सुविधा :–

जल जीवन का आधार है। जल मानव जीवन तथा समस्त जीवधारियो और वनस्पतियों के लिये परम आवश्यक आधारभूत ससाधन है देश की अर्थव्यवस्था मे भूजल की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूजल का दोहन सीधे उपभोक्ताओ के नियन्त्रण मे होने से यह विभिन्न उपयोगो के लिये प्राथमिक साधन बन गया है। भूजल ने पेयजल तथा सिचाई के साधन के रूप में महत्व अर्जित किया है। विश्व बैक के एक अध्ययन के अनुसार भारतीय सकल घरेलू उत्पाद मे भूजल कर योग 9% है।

जनसख्या वृद्धि के कारण अनियन्त्रित और अन्धाधुन्ध इस्तेमाल तथा सरक्षण के अभाव मे भूजल स्तर मे चार मीटर से अधिक गिरावट आयी है। अध्ययन क्षेत्र मे हैण्ड पम्प इण्डिया मार्क–2 द्वारा पेयजल की सुविधा 65 गावो को मिलती है। इससे तहसील की 59,750 जनसख्या लाभान्वित हो रही है। रामनगर विकासखण्ड मे इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प की सख्या 1,172 है। वही सल्टौआ विकास खण्ड मे कुल हैण्ड पम्पो की सख्या 1,309 है। दोनो विकास खण्डो के लगभग सभी न्याय पचायतो के ग्राम पचायतो मे सरकारी हैण्ड पम्प लगा दिये गये है। सभी आबाद ग्रामो मे पेयजल की उपलब्धता हो गयी है।

7.6. बैंक :–

ग्रामीण क्षेत्रो के आर्थिक एव सामाजिक विकास हेतु भारत सरकार ने 1969 ई0 मे बैको ने राष्ट्रीय कारण के रूप मे महत्वपूर्ण कार्य किया। अध्ययन क्षेत्र मे अनुसूचित व्यावसायिक बैक तथा ग्रामीण बैक शाखाओ की सख्या मे 7 राष्ट्रीयकृत बैक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की संख्या 6 है। जबकि अन्य राष्ट्रीयकृत बैक 2 है अर्थात कुल बैको की सख्या 15 है। इसकी सख्या को तालिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। मानचित्र मे बैको की स्थिति का निरूपण भी किया गया (मानचित्र 7 2)।

तालिका क्रमांक–7.3

जनपद बस्ती – 2002

बैंक शाखाओं की संख्या एक दृष्टि में

			भानपुर
(1)	भारतीय स्टेट बैक	23	2
(2)	पजाब नेशनल बैक	15	5
(3)	सेन्ट्रल बैक आफ इण्डिया	06	–
(4)	इलाहाबाद बैक	02	–
(5)	बैक आफ बडौदा	01	–
(6)	यूनाइटेड बैक आफ इण्डिया	02	–
(7)	यूनियन बैक आफ इण्डिया	01	–
(8)	भूमि विकास बैक	02	–
(9)	बस्ती ग्रामीण बैक	40	6
(10)	जिला सहकारी बैक	17	2
(11)	अरबन कोआपरोटिव बैक	1	
	योग	**110**	**15**

तहसील भानपुर : बैंक शाखाओं की सूची

बैंक	रामनगर	सल्टौवा
(1) भारतीय स्टेट बैक	भानपुर बाबू	पुरैना
(2) पजाब नेशनल बैक	रामनगर, तुषायल	सल्टौवा, लक्ष्मिनपुर भिरिया ऋतुराज
(3) जिला सहकारी बैक	भानपुर बाबू	सल्टौवा
(4) बस्ती ग्रामीण बैक	असनहरा, शकरपुर, सगरा	टिनिच, सोनहा दसिया

स्रोत : भारतीय स्टेट बैक मार्गदर्शी बैक कार्यालय जनपद बस्ती

82°35'
40'
45'E
5'N
5'
27°
27°
55'
55'
TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
BANKING FACILITIES
Tusail
Sagara Khas
Shankar pur
Asnahra
Ramnagar
Bhanpur
Sonha
Dasia
Bhiriya Rituraj
Saltaua
Basdila
Puraina
Laximan pur
Tinich
2 0 2 4
Km
State Bank of India
Punjab National Bank
District Co operative' Bank
Basti Rural Bank
U.P State Co operated Agricultural and R.D Bank

Fig. 7·2

7.7 विद्युत आपूर्ति :–

ग्रामीण विकास के रूप मे ऊर्जा मानव जीवन की बुनियादी आवश्यकता है देश के आर्थिक विकास तथा लोगो के जीवन स्तर मे सुधार के लिये पोषण के बाद ऊर्जा का मुख्य स्रोत विद्युत की आपूर्ति है। विद्युत की आपूर्ति रूघौली विद्युत उपकेन्द्र से पूरी की जाती है। तहसील भानपुर मे विद्युतीकृत ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत बढता रहा है। अध्ययन क्षेत्र मे विद्युतीकृत ग्रामो की कुल सख्या (जसमे एल0टी0 मेन्स लगा दिये गये है) 272 है। विद्युतीकृत अनुसूचित जाति बस्तियो की सख्या तहसील मे 197 है। बहुत से ग्राम ऐसे है जहा अभी भी विद्युत की लाइने नही सुलभ हो पायी है। सर्वेक्षण के दौरान शोघार्थी ने (ग्राम बरडाड नानकार) ग्राम पचायत बाकेचोर बरगदवा रामनगर विकास खण्ड को पाया कि यहा पूरे ग्राम मे विद्युत की आपूर्ति नही है लेकिन फिर भी लोग लगभग सभी भौतिक सुविधाओ (टी0वी0 टेपरिकार्डर तथा ट्राजिस्टर) मनोरजन हेतु रखे हुये है। सल्टौवा विकास खण्ड मे दसिया न्यायपचायत के ग्राम पचायत मुगरहा के राजस्व ग्राम बरगदवा का सर्वेक्षण किया। जहा अभी बिजली की आपूर्ति नही हो पायी है लेकिन लोगो मे जागरूकता रही है तथा मनोरजन के साधनो का प्रयोग लोग बैटरी से कर रहे है। बिजली की आपूर्ति जल्द ही हो जाने की सम्भावना है। सर्वेक्षण के दौरान ग्रामवासियो से पता चला कि बिजली के खम्भे तो काफी दिनो से पास हो गये थे लेकिन लग नही रही थी लेकिन अब खम्भे आ गये है इसलिये बिजली आ जाने की सम्भावना है। ऐसे तहसील मे बहुत ग्राम है। जहा विद्युत आपूर्ति अभी नहीं हो पायी है।

बिजली आपूर्ति ही कृषक के सिचाई का प्रमुख आधार है बिजली आपूर्ति न रहने से ग्रामवासियो का 1/2 समय अधेरे मे रहने से वे अपना कोई भी कार्य सुचारू ढग से नही कर पाते है।

7.8 नागरिक सुरक्षा :–

किसी भी क्षेत्र की सुरक्षा वहा के पुलिस प्रशासन विभाग तथा राज्य सरकार की है। सुरक्षा किसी देश को प्रगति के पथ अग्रसर की प्रेरणा देता है। जो सुरक्षित है वही विकास कर सकता है। तहसील मे मात्र एक पुलिस स्टेशन (थाना) सोनहा मे है जो वर्तमान मे तहसील मुख्यालय है। नागरिक सुरक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है। अध्ययन क्षेत्र मे मात्र एक पुलिस चौकी असनहरा (रामनगर विकास खण्ड) मे है। क्षेत्र के सर्वागीण विकास हेतु सल्टौवा दसिया मे पुलिस चौकी की स्थापना के साथ–साथ पुलिस बल की सख्या मे वृद्धि की आवश्यकता है। सल्टौवा विकास खण्ड के बहुत से ग्राम रूधौली पुलिस स्टेशन (थाना) के अर्न्तगत आते है जिनके विवादो का निस्तारण तथा सुरक्षा का कार्य रूधौली थाना ही करता है, जो रूधौली विकास खण्ड मे है।

7.9 सामाजिक समस्यायें :–

समाज की कुछ परम्पराओ एव मान्यताए होती है इन मान्यताओ मे रूढियॉ, धर्मान्धता, अशिक्षा आदि समाज के विकास मे बाधक है जिन्हे सामाजिक समस्या के रूप मे जाना जाता है। व्यक्तिगत एव सामूहिक दो रूपो मे समस्याये होती है। ग्रामीण समाज रूढिवादी होने के कारण पारम्परिक प्रथाओं पर पूर्णत. अवलम्बित होता है। यह इन प्रथाओ पर औचित्य एव तर्क की अपेक्षा अन्धानुकरण की अपना कर्तव्य एव धर्म समझता है। जिससे ग्रामीण सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है अध्ययन क्षेत्र की कतिपय प्रमुख सामाजिक समस्याये

दहेज प्रथा, जाति व्यवस्था, बाल विवाह, अस्पृश्यता, बालमजदूर पर्दाप्रथा आदि है। जिनके कारण ग्रामीण विकास का चरमोत्कर्ष नही हो सकता है।

7.9.1 दहेज प्रथा :–

दहेज प्रथा अपने आप मे एक अभिशाप है, 'दाइज' देने की परम्परा का विकृत रूप अब दहेज प्रथा के रूप मे हमारी नारीजाति को काल का ग्रास बना रहा है, इसी कुप्रथा के कारण प्रतिवर्ष हजारो स्त्रिया मौत के मुह मे ढकेल दी जाती है। कन्या की शादी मे प्राचीन काल से ही माता–पिता तथा सगे सम्बन्धियो द्वारा आर्थिक सहायता दी जाने की परम्परा रही परन्तु अब धन देने के लिए बर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष को विवश किया जाता है, धन के अभाव मे हमारे समाज की कन्याऐ अयोग्य लोगो के साथ परिणय सूत्र मे बधने के लिए बाध्य होती है। आज दहेज हमारे दोहरे मानसिकता का परिणाम भी दिखाई देता है। एक तरफ तो हम इसकी निन्दा करते है परन्तु अपने लडको की शादी मे हम दहेज लेने से नही चूकेगे, और बहाना ये बताते है कि हमने अपनी लडकियो की शादी मे दहेज दिया है, परन्तु हमको यह नही भूलना चाहिये कि "हम सुधरेगे जग सुधरेगा।" इस क्षेत्र मे लोगो को दहेज के बिना विवाह करके एक आदर्श समाज के सामने रखना होगा ताकि अन्य लोग इससे प्रेरणा ले, यद्यपि कि दहेज प्रथा को (1961), 1984, 1986 के अधिनियम (भारतीय दण्ड सहिता) अर्न्तगत निवारित किया गया है, परन्तु यह सामाजिक समस्या है। समाज स्तर से इसका मुख्य विरोध होना चाहिए और उस प्रत्येक परिवार का विरोध होना चाहिए जिसने भी दहेज लेने का प्रयास किया है। बृहद आर्थिक एव सामाजिक परिवर्तनो के साथ यदि किसी चीज मे तीव्र वृद्धि हुई है तो वह नकद राशि और भौतिक वस्तुओ के रूप मे दहेज की मात्रा है" (कपाडिया 1986)।

दहेज के समबन्ध मे सर्वेक्षण के दौरान शोघार्थी के विभिन्न आयु वर्गो के लोगो से साक्षात्कार करने पर मात्र 5 से 6% लोगो ने ही पुत्र विवाह मे दहेज न लेने का विचार व्यक्त किया। 95% से अधिक लोगो ने कहा कि अपने लडकी की शादी मे दहेज हमको देना पडा है तो हम अपने लडको की शादी मे दहेज अवश्य लेगे। समाज के लोग अब अधिक दहेज लेना परिवार की प्रतिष्ठा से जोडकर देखते है। यही हमारे समाज की बिडम्बना है कि हम अपने को दिखाते कुछ और है परन्तु वास्तविक रूप कुछ और है इसी सब की परिणित इस कुप्रथा को बढावा दे रही है। जिसे रोका जाना हर प्रबुद्ध भारतीय का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए।

7.9.2 जाति व्यवस्था :–

जाति व्यवस्था बुराईयो का एक ऐसा दलदल है जिससे जनसमुदाय मे विलगाव, घृणा, ईर्ष्या, उत्पीडन, शोषण आदि दुर्गुणो का जन्म होता है। जाति प्रथा के कारण ही समाज के लोग दूसरे से अलगाव महसूस करते है जिससे राष्ट्रीय एकता बाधित होती है। जाति–व्यवस्था समुदाय द्वारा सामान्य रूप से स्वीकृत नियमो की एक कार्यात्मक व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत उद्देश्य पूर्ण रूप से सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण किया गया है। (मार्गवेट–1969 पृ0 183)।

जाति व्यवस्था का स्पष्टत उद्देश्य जन्म के आधार पर व्यक्ति की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को निर्धारित करके अपेक्षाकृत एक बन्द समाज का निर्माण करना है। सामाजिक क्षेत्र मे जाति व्यवस्था स्थिरता और सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ समय तक अवश्य उपयोगी रही लेकिन आज यह सामाजिक विघटन और जातीय पदानुक्रम को प्रदत्त अधिकारो के कारण शोषण का एक

प्रतीक बन गयी है जिससे समाज मे जातिवाद की दुर्भावना का विकास हुआ है इससे अध्ययन क्षेत्र भी अछूता नही रहा है।

व्यक्ति के अन्दर जब जातिवाद का बीजारोपण हो जाता है तो वह व्यक्ति परोपकार, सामाजिक भातृत्व तथा न्याय एव समानता के विचारो को त्याग देता है और केवल अपने जाति के लोगो के बारे मे सोचने लगता है। इससे वह अपनी जाति के लोगो को लाभ पहुचाने की प्रक्रिया मे दूसरी जाति के लोगो का नुकसान भी कर बैठता है। राजनैतिक दलो ने विभिन्न जातियो के मध्य पायी जाने वाली प्रतिस्पर्धा की भावना का फायदा उठाया है। चुनाव अब किसी ठोस कार्यक्रम के आधार पर जीते नही जाते बल्कि जातीय समीकरणो के हेर फेर पर जीते जाते है (सेगल – 1982, पृ0 247)। इसी तरह बहुत से नेता चाहे वे केन्द्र के या राज्य के हो अपनी–अपनी जातियो या क्षेत्र के प्रतीक माने जाते है। जाति व्यवस्था द्वारा जन्म से ही व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण कर देने से अध्ययन क्षेत्र की अनेक जातिया दूसरे प्रकार के लाभदायक व्यवसाय करने मे अपने को असमर्थ पाते है जाति के प्रतिबन्धो के कारण ही व्यक्ति अपनी रूचि के अनुसार व्यवसाय नही कर पाते है। जाति व्यवस्था के कारण ही लोग विभक्त होकर छोटे–छोटे समूहो में बट जाते है। जिससे समाज मे भाई–भतीजावाद तथा भ्रष्टाचार का जन्म होता है। इससे समाज को मुक्ति दिलाने के लिए हम सभी भारत वासियो को सार्थक प्रयास करने होगे। आरक्षण पद्धति को समाप्त करके जातिवाद निर्वाचन क्षेत्रो के निर्माण पर प्रतिबध और अर्न्तजातीय विवाहो को बढावा देकर हम समाज मे फैली जाति व्यवस्था नामक बुराई का अन्त कर सकेगे तदुपरान्त हमारा समाज विकास पथ पर आगे बढ़ सकेगा।

7.9 3. अस्पृश्यता :–

अस्पृश्यता हमारे समाज मे एक कोढ के समान व्याप्त है, इसके कारण हमारा धर्म, समाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, यह एक मानव जनित समस्या है, ईश्वर ने मनुष्यो को बनाने मे कोई भेद भाव नही किया और सारे प्राणी उस परम पिता की सन्तान है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम चरित्र मानस मे लिखा है – "अखिल विश्व यह मोर उपाया। सब पर महि बराबरि दाया (उत्तरकाण्ड पृ0 405–574 राम चरित मानस)। फिर ऐसी कौन सी प्रतिष्ठा हम समाज मे आरोपित करते है, जिसके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्व, शूद्र, आपस मे साथ–साथ उठ बैठ नही सकते, खान–पान पर प्रतिबन्ध लगा है। अस्पृश्यता एक ऐसी बुराई है जिस पर निर्मम प्रहार की आवश्यकता है ताकि समाज मे समरसता व्याप्त हो सके, हमारे सविधान के अनुच्छेद 17 मे, अश्पृश्यता पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। फिर भी अपृश्यता जाति व्यवस्था के समान सामाजिक समस्या है "अस्पृश्य जातियॉ वे है जो बहुत सी सामाजिक धार्मिक एव राजनीतिक अयोग्यताओ से पीडित है जिनमे से अधिकाश अयोग्यताओ को परम्परा द्वारा निर्धारित करे सामाजिक रूप से उच्च जातियो द्वारा लागू किया गया है (मजूमदार, 1976)। जातिगत आधार पर अपने को उच्च मानने वाले लोग अनूसुचित जातियो के लोगो के साथ समानता का व्यवहार नही करते है।

इस पर पूर्ण रूप से अकुश नही लग पा रहा है। हमे समय रहते इस बुराई पर विजय प्राप्त करनी है, तभी भारतीय समाज पूर्णत अक्षुण्ण रह पायेगा।

7.9.4. पर्दा प्रथा :–

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने कहा था कि 'वेदो की ओर लौटो" इस कथन का कारण था वैदिक समाज का एक आदर्श समाज होना उस समाज मे

पर्दाप्रथा, बाल विवाह प्रथा, सती प्रथा इत्यादि कुप्रथाऐ नही थी, इस समय हम नारी को सचमुच अर्द्धाग्नी के रूप मे देखते है जब वह शिक्षा, शासन, युद्ध, सामाजिक समारोहो मे पुरूष के साथ–साथ खडी दिखाई देती है परन्तु सूत्र काल के आरम्भ होते ही इस पर्दा रूपी ग्रहण ने हमारी नारी जाति को अपने आगोश मे कर लिया, जिसका रूप क्रमश तुर्कों एव मुगलो के आगमन के साथ और भयकर होता गया इसी कुप्रथा ने नारी जाति के सभी अधिकार छीन लिए और इसको घर की चहारदीवारी मे कैद रहने को बाध्य कर दिया। नारी जाति अब न तो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी और न ही खुले रूप से सामाजिक समारोहो मे भाग ले सकती थी। इसके विरोध मे ब्रम्हसमाज, आर्यसमाज, स्वामी विवेकानन्द, थियोसोफिकल सोसाइटी इत्यादि ने आवाज बुलन्द की तो इस प्रथा का विभीषिका कुछ शान्त सी दिखाई देने लगी।

यह पर्दा प्रथा एक अनिष्ट कारी प्रथा है इसने पुरूष से उसकी आधी शक्ति को छीन लिया है। इसलिए हम सभी का परम कर्तव्य है कि स्वत बनाये गये घेरे से नारी को स्वतन्त्रता प्रदान करे और इस कुप्रथा को समाप्त करके, नारी को इस योग्य बना दे कि आधुनिक भारत मे विकास के पथ पर स्त्री और पुरूष साथ–साथ आगे बढ सके।

अध्ययन क्षेत्र मे उच्च स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने वाली लडकियो की सख्या मे अत्यन्त कमी का मुख्य कारण पर्दा प्रथा के साथ साथ अध्ययन क्षेत्र मे किसी भी महाविद्यालय का न होना भी शामिल है।

7.9.5. बालविवाह :–

बाल विवाह अध्ययन क्षेत्र की एक समस्या है। अध्ययन क्षेत्र में किये गये सर्वेक्षण पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ, उसके अनुसार वंश वृद्धि की उत्कट अभिलाषा

अशिक्षा, दहेजप्रथा, लडके–लडकियो के दुश्चरित्र हो जाने का अभिभावको का भय, सामाजिक दबाव, विवाह को एक भारपूर्ण जिम्मेदारी समझने की मानसिकता आदि बाल विवाह को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारण है। लडकियो के ऊपर अपरिपक्व मातृत्व का भार तथा बाल दम्पत्ति पर बच्चो के पालन पोषण के दायित्व का निर्वाह से उनके व्यक्तित्व का विकास अवरूद्ध हो जाता है। जनसख्या वृद्धि मे बाल विवाह की भी भूमिका होती है। बाल–विवाह पर अकुश सरकारी विधान है किन्तु अपेक्षित अकुश नही लग सका है। सर्वेक्षण के दौरान यह देखने मे आया कि बाल–विवाह अशिक्षित परिवारो मे ही ज्यादा प्रचलित है और जिन परिवारो के सदस्यो की साक्षरता अधिक है उनमे यह कुरीतियॉ नही है।

7.9.6. सामाजिक वर्जनायें :–

ग्रामीण समाज मे सामाजिक प्रथा के रूप मे अनेक वर्जनाये विद्यमान है। ये सामाजिक प्रथाये चूकि समाज के स्वीकृत व्यवहार का स्थायी रूप है, अत समाज भी इसी के अनुकूल कार्य करता है। प्रथाये जनरीतियेा एव रूढियो का वह स्वरूप है जिन्हे समाज व्यावहारिक और अनुभव के आधार पर स्वीकार करता है। ये पीढी दर पीढी स्थानान्तरित होती रहती है। इन्हें ग्रामीण समाज की सास्कृतिक धरोहर कहा जाता है। ये प्रथाये इसलिये मानी जाती है क्योकि ऐसा होता आया है। समाज के रूढिवादी होने का प्रभाव ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक, आर्थिक विकास पर पडता है। ग्रामीण समुदाय अभी भी अन्धविश्वासो, जादू, टोना, झाड–फूंक आदि अनेक वर्जनाओ से ग्रस्त है जिसे सभ्य समाज मान्यता नही देता है।

ये प्रथाऐ ही धर्म, जाति, आवास, वस्त्र भोजन आदि के मानदण्डो का निर्धारण करती है। जन्म से मृत्यु तक के धार्मिक तथा सामाजिक सस्कारो का आयोजन इन्ही मान्यता से प्राप्त है। धार्मिक और सामाजिक परम्पराओ से समाज निर्देशित तथा नियन्त्रित होता है। अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण समाज मे स्त्रियो को पुरूषो के बराबर सामाजिक स्तर नही प्राप्त है। इनकी कोई स्वतन्त्रता नही है। स्त्रियो द्वारा पति को देवरूप मानकर उसके प्रत्येक उचित, अनुचित आदेशो का पालन करना, परिवार के बडे सदस्यों की सेवा करना तथा घर के अन्दर रहना ही उनका परम कर्तव्य माना जाता है। ग्रामीण समाज मे सवर्ण जातियो की बहुये मात्र मायके जाने अथवा चिकित्सकीय उपचार के लिये ही घर की सीमा से बाहर जाती है वह भी किसी पुरुष के सरक्षण मे। समाज मे आज भी विधवाओ को अपशगुन माना जाता है। सन्तानहीन स्त्री को ग्रामीणजन, बॉझ शब्द की सज्ञा देते है। पुरूष प्रधान समाज है।

इस प्रकार ग्रामीण सामाजिक समस्याओ के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इसका मूल कारण अशिक्षा एव निर्धनता है। यदि अध्ययन क्षेत्र की जनता को साक्षर बना दिया जाये और प्रत्येक व्यक्ति (स्त्री, पुरूष, दोनो) को व्यावसायिक तथा उच्च शिक्षा न्यूनतम खर्च मे सुलभ करा दिया जाय तो उपरोक्त सामाजिक समस्याओ का उन्मूलन अपने आप ही हो जायेगा।

✪ ✪ ✪

REFERENCE

Kotharı, D S., 1964 The Indıan Educatıonal Polıcy, The Educational Revıew, Vol 15, Part 1, p 16

Kapadıa, K M 1986 Marraıge and famıly ın Indıa, oxford Unıversıty Press Bombey p 165

Mıshra, R S , 1992 . Rural Development and Socıal change ın Allahabad Dıstrıct, Unpublıshed Thesıs, Allahabad Unıversıty, p 275.

Majumdar, D N 1976 Races and culture of Indıa, Unıversıty Publıcatıon, Delhı p 226

Margaref, H. 1969 A Dictionary of Socıology, Routledge and kegar paul Ltd Londan, p 183

Segal R 1982 Crısıs of Indıa, Publicatıon Department, New Delhi, p 247.

Tıwarı, S K., 1993 Rural Development And Socıal change ın Independent Indıa A case study of Phulpur Tahsil of Azamgarh Dıstrict p. 222

Upadhgaj, D D. 1991 Crıtıcs on new educatıon polıcy, Asia Press, New Delhi p 20.

कुरूक्षेत्र, अक्टूबर 2002 पृ0 117 ग्रामीण विकास मन्त्रालय कृषि भवन नयी दिल्ली।

भारतीय स्टेट बैक, मार्गदर्शी बैक कार्यालय, जनपद बस्ती।

भारत 2002 प्रकाशन विभाग सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय, नयी दिल्ली।

तुलसीदास गोस्वामी . रामचरित मानस उत्तर काण्ड – दोहा संख्या 86 के उपरान्त सॉतवी पक्ति; गीता प्रेस गोरखपुर

✪ ✪ ✪

अध्याय–8

ग्रामीण विकास के स्तर और सामाजिक परिवर्तन

प्रस्तावना :–

मानव अपने आर्थिक विकास के लिये प्राकृतिक ससाधनो का प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप मे निरन्तर प्रयोग करता चला आ रहा है। ससाधनो का उपयोग जितना सुव्यवस्थित और अधिक होता है विकास का स्तर उतना ही उच्च होता है। विकास के उच्चस्तर से समाज मे परिवर्तन आता है। ग्रामीण विकास के स्तर को ज्ञात करने के लिये अनेक प्रयास किये गये है। जिनमे से कुछ व्यक्तिगत तथा कुछ सस्थागत रूप मे रहे है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सस्थान, हैदराबाद सामाजिक व आर्थिक विकास की नीति और कार्यक्रमो की जॉच करता है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र विशेष मे उसके प्रभाव के स्तर को निर्धारित किया जा सकता है। प्रस्तुत अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र के स्वात्न्त्रयोत्तर कालीन ग्रामीण विकास के स्तर को निरूपित करने का प्रयास किया गया है इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रो मे विकास मे विभिन्नता तथा ग्रामीण सामाजिक जीवन मे होने वाले परिवर्तनो का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है।

8.1 ग्रामीण विकास के सूचकांक :–

स्वतन्त्र भारत मे विभिन्न योजना कालो, उत्तर प्रदेश सरकार तथा वित्त आयोगो के गठन के माध्यम से क्षेत्रीय विषमता को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण विकास के लिये किये गये सभी प्रयासों ने सभी क्षेत्रो को एक समान रूप से प्रभावित नही किया है जो क्षेत्र ससाधन तथा तकनीकी दृष्टि से समृद्ध थे वही विकसित हो पाये है, जबकि अन्य क्षेत्रों मे विषमताएं ही बढी है।

अध्ययन क्षेत्र मे इन्ही विषमताओ को इगित करने के लिये न्यायपचायत स्तर पर ग्रामीण विकास के लिये निम्नलिखित पाच प्रमुख अवयवो को आधार मानकर विकास के स्तर का निर्धारण किया गया है।

(1) कृषि

(2) उद्योग

(3) शिक्षा

(4) स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण

(5) परिवहन यातायात एव सचार व्यवस्था

प्रस्तुत तथ्यो के अध्ययन वर्ष 1989–90 और वर्ष 2000–01 के मध्य की अवधि मे ग्रामीण विकास के स्तर को कुछ प्रमुख सूचकाको के सहयोग से निर्धारित किया गया है।

कृषि विकास के सूचकांक

(1) कृषि घनत्व

(2) सकल बोये गये क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत।

(3) शुद्ध सिचित क्षेत्रफल का सकल सिचित क्षेत्रफल से प्रतिशत।

(4) शुद्ध सिचित क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत।

(5) प्रतिहेक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन ।

(6) प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन।

(7) व्यावसायिक फसलो के क्षेत्रफल का शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत।

शैक्षिक विकास के सूचकांक

(1) प्रति 100 किमी क्षेत्र पर जूनियर बेसिक स्कूलो की संख्या।

(2) प्रति 100 किमी क्षेत्र पर सीनियर बेसिक स्कूलो की संख्या।

(3) प्रति 100 किमी क्षेत्र पर हायर सेकेण्डरी/इन्टर कालेजो की सख्या।

(4) प्रति लाख जनसख्या पर सीनियर बेसिक स्कूलो की सख्या।

(5) प्रति लाख जनसख्या पर जूनियर बेसिक स्कूलो की सख्या।

(6) प्रति लाख जनसख्या पर हायर सेकेण्डरी/इन्टर कालेजो की सख्या।

(7) ग्राम से एव 1 किमी से कम दूरी पर जूनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा प्राप्त करने वालो ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत।

(8) ग्राम से एक 1 किमी से कम दूरी पर सीनियर बेसिक स्कूलो की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत।

(9) ग्राम मे एव 1 किमी से कम दूरी पर हायर सेकेण्डरी स्कूल/इन्टर कालेज की सुविधा प्राप्त करने वाले ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत।

(10) साक्षरता

स्वास्थ्य एवं संचार साधनों के विकास के सूचकांक

(1) प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र मे पक्की सडको की लम्बाई।

(2) प्रति लाख जनसख्या पर डाकघरो की सख्या।

(3) पक्की सडको से सयोजित ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत।

(4) ग्राम मे ही बस स्टेशन/रेलवे स्टेशन की सुविधा प्राप्त ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत।

(5) ग्राम मे ही डाकघर की सुविधा प्राप्त ग्रामो का कुल आबाद ग्रामो से प्रतिशत।

(6) प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र पर डाकघरो/डाक एव तारघरों की सख्या।

औद्योगिक विकास के सूचकांक

(1) प्रति 100 वर्ग किमी क्षेत्र पर पजीकृत लघु उद्योगो की इकाइयो की सख्या।

(2) उद्योगो मे रोजगार प्राप्त व्यक्तियो की सख्या।

(3) उद्योगो मे कार्यरत जनसख्या का कुल जनसख्या से प्रतिशत।

(4) उद्योगो मे कार्यरत जनसख्या का कुल कार्यशील जनसख्या से प्रतिशत।

(5) प्रति लाख जनसख्या पर पजीकृत लघु उद्योगो की सख्या ।

इन सूचकाको के माध्यम से अध्ययन क्षेत्र की 21 न्यायपचायतो के वर्ष 1989–90 और वर्ष 2000–01 के विकासात्मक अन्तर को क्रमबद्ध किया गया है। न्यायपचायत की स्वतन्त्रता के बाढ विकास की स्थिति ज्ञात करने के लिये ग्रामीण विकास के उपर्युक्त पाचो अवयवो मे से प्रत्येक के आधार पर प्रत्येक न्यायपचायत की विकासात्मक प्रवृत्ति को ज्ञात किया गया है। इस प्रकार न्यायपंचायतो के विकासात्मक प्रवृत्ति को तीन वर्गो मे तीव्र विकास, मध्यम विकास और न्यून विकास मे विभक्त किया गया है। यह विभाजन 1989–90 और 2000–01 के मध्य हुये विकास अन्तरालो को घटते हुये क्रम के आधार पर श्रेणी बद्ध करके किया गया है। यदि किसी न्यायपचायत मे ग्रामीण विकास की प्रवृत्ति तीव्र है तो इसका अभिप्राय यह है कि अन्य न्यायपचायतो की तुलना मे अमुक न्यायपचायत मे वर्ष 1989–90 एव वर्ष 2000–01 के मध्य की अवधि मे सर्वाधिक विकास हुआ है। इसके विपरीत यदि किसी पंचायत की विकास प्रवृत्ति अतिमन्द है तो इसका आशय है कि उस न्यायपंचायत मे अन्य न्यायपंचायत की तुलना में (वर्ष 1989–90 वर्ष 2000–01 की अवधि मे) न्यूनतम विकास हुआ है। पुन. ग्रामीण विकास के

प्रकार के सूचकाको की प्रवृत्तियो की बारम्बारता के आधार पर प्रत्येक न्याय पचायत का ग्रामीण विकास स्तर निर्धारित किया गया है।

8.2. ग्रामीण विकास के स्तर :–

8.2.1 कृषि–विकास :–

अध्ययन क्षेत्र के विकास का प्रमुख आधार कृषि है। जिस पर जनसख्या का भार सर्वाधिक है। अध्ययन क्षेत्र के कृषि–विकास की प्रवृत्ति को निरूपित करने के लिये कृषि सम्बन्धी सात सूचकाको को अनुप्रयोग करके इनकी बहुलता के आधार पर समस्त न्यायपचायतो को तीन श्रेणियो मे वर्गीकृत किया गया है। कलन्दर नगर, नरखोरिया, सल्टौवा, रामनगर, पचानू, कोठिला खास तथा दसिया न्यायपचायतो मे उर्वरको का अधिक प्रयोग साक्षरता, उच्च शस्य गहनता, आदि कारणो से कृषि विकास की दर तीव्र रही है जबकि सगरा, घोषण, शकरपुर, बडोखर, भानपुर, भिरिया ऋतुराज तथा परसादमया मे कृषि विकास की प्रवृत्ति मध्यम रही है शेष न्यायपचायतो मे कृषि के नवीनतम तकनीको तथा उन्नतशील बीजो एव उर्वर क्षेत्रो की कमी आदि कारणो से कृषि विकास अत्यन्त धीमी गति से हो रहा है।

8.2.2. ग्रामीण शैक्षणिक विकास :–

अध्ययन क्षेत्र में शैक्षणिक विकास की प्रवृत्ति के निर्धारण हेतु 10 सूचकाको को आधार बनाया गया है। विद्यालयो की सुलभता तथा जनपद मुख्यालय के समीप होने के कारण पिपराजप्ती का शैक्षिक विकास सबसे अधिक हुआ इसके साथ ही सल्टौवा, नरखोरिया, परसादमया का शैक्षणिक विकास तीव्रगति से हुआ है। जबकि पुरैना, कोठिला खास, सगराखास, थुम्हवा पाण्डेय दसिया, बडोखर, कलन्दरनगर न्यायपंचायत में मध्यम शैक्षणिक विकास की गति है। शेष 10

न्यायपचायतो में विद्यालयो का अभाव जनचेतना की कमी के कारण शैक्षणिक विकास मन्द है।

8.2.3. ग्रामीण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सुविधाओं का विकास :-

ग्रामीण विकास तथा सामाजिक उन्नति के लिये उत्तम ग्रामीण जन स्वास्थ्य अत्यावश्यक है। किसी भी क्षेत्र का विकास स्तर ज्ञात करने के लिये स्वास्थ्य एव परिवार केन्द्रो एव उपकेन्द्रो की सुविधा का सूचकाक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक होता है। अध्ययन क्षेत्र मे न्यायपचायतो की स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की सुविधाओ के विकास स्तर निर्धारण मे 4 सूचकाको को प्रयोग किया गया है। सल्टौवा, भानपुर, भिरिया ऋतुराज, नरखोरिया, पिपराजप्ती, सगराखास मे स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण सुविधाओ मे तीव्र विकास हुआ है। दसिया, परसादमया, कोठिला खास, तुषायल, पचमोहनी तथा जिनवा न्यायपचायतो मे स्वास्थ्य सुविधाओ मे मध्यम गति से और शेष 9 न्यायपचायतो मे मन्द अथवा अति मन्द से विकास हुआ है। इस प्रकार तहसील के स्वास्थ्य सुविधाओ का विकास सन्तोषजनक नही है।

8.2.4. ग्रामीण यातायात एवं संचार साधनों का विकास :-

यातायात, सचार साधनो के अर्न्तगत सडक मार्ग, डाकघर, तारघर, बसस्टाप और रेलवे से सम्बन्धित 6 प्रकार के सूचकाको का प्रयोग करके सम्पूर्ण क्षेत्र को 3 वर्गो मे विभाजित किया गया है। भानपुर, सल्टौवा, पुरैना, नरखोरिया, आमा, कलन्दरनगर में संचार एव यातायात साधनो का तीव्र विकास हुआ है। दसिया, परसादमया, जिनवा, पचानू भिरिया ऋतुराज, सगराखास न्यायपंचायतो मे यातायात एव सचार के साधनो के विकास की गति मध्यम जबकि शेष 9 न्यायपचायतों की गति मन्द है।

8.2.5 ग्रामीण औद्योगिक विकास :–

ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन में उद्योग काफी सहायक होते हैं क्योंकि इनसे न केवल आर्थिक लाभ होता है अपितु ग्रामीण संसाधनों का अधिकतम उपभोग भी होता है तथा अधिकाधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होता है। ग्रामीण औद्योगिक विकास स्तर का निर्धारण लघु उद्योगों से सम्बद्ध 5 सूचकांकों के आधार पर किया गया है। अध्ययन क्षेत्र में उद्योग नगण्य है। भानपुर नरखोरिया तथा सल्टौवा न्यायपंचायतों में ही कुछ औद्योगिक विकास हुआ है वह भी बहुत छोटे पैमाने पर। बृहद अथवा मध्यम स्तर की कोई इकाई नहीं है ये लघु या कुटीर उद्योग के रूप में माने जा सकते है।

8.3. समेकित ग्रामीण विकास स्तर :–

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अध्ययन क्षेत्र का कुछ क्षेत्र कृषि की दृष्टि से, कुछ शैक्षणिक दृष्टि से, कुछ स्वास्थ्य सुविधाओं तथा यातायात एंव संचार के साधनों के आधार पर विकसित है, किन्तु इससे अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भागों का समेकित विकास स्तर स्पष्ट नहीं होता। अतः न्यायपंचायतों के समेकित विकास स्तर के निर्धारणार्थ ग्रामीण विकास के पाँचों सूचकांकों के विकास स्तरों का योग करके इन्हें क्षेणीबद्ध कर दिया गया। इस प्रकार अध्ययन क्षेत्र के तीन विकास स्तर विकसित क्षेत्र, विकासशील क्षेत्र एवं अविकसित क्षेत्र निर्धारित किये गये है।

अध्ययन क्षेत्र का विकसित क्षेत्र अन्य भागों की तुलना से अपेक्षाकृति सर्वाधिक विकसित है। किन्तु इसे प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तराष्ट्रीय विकास मानक के आधार पर नही माना जाना चाहिये। इसी प्रकार विकासशील तथा अविकसित क्षेत्र भी मात्र क्षेत्रीय अर्थ में है।

THASIL BHANPUR

TRENDS IN LEVEL OF RURAL DEVELOPMENT

-5′N

5′

-27°

27°

-55′

55′

Developed

Developing

Undeveloping

2 0 2 4

Km

82°35′

40′

45′E

Fig. 8-1

8.3.1. विकसित ग्रामीण क्षेत्र

विकसित क्षेत्र के अर्न्तगत अध्ययन क्षेत्र की 8 न्यायपचायते आती है जिसमे सल्टौवा, भानपुर, पिपराजप्ती, नरखोरिया, रामनगर, कलन्दरनगर भिरिया ऋतुराज तथा जिनवा है जो तहसील मे 38% लगभग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार सम्पूर्ण तहसील का एक तिहाई भाग ही विकसित श्रेणी के अर्न्तगत आता है विकास खण्डो मे रामनगर विकास खण्ड सर्वाधिक विकसित है। विकसित श्रेणी के अर्न्तगत समाहित होने वाली न्यायपचायतो मे अन्य न्यायपचायतो के अनुपात मे कृषि, शिक्षा, यातायात एव सचार सम्बन्धी, स्वास्थ्य सेवाओ आदि का अधिक विकास हुआ है (मानचित्र सख्या 8 1)

8.3.2. विकासशील ग्रामीण क्षेत्र :–

अध्ययन क्षेत्र की 8 न्यायपचायते विकासशील है जो तहसील के 35% से अधिक क्षेत्र को आकृष्ट किये हुये है इसमे सल्टौवा गोपालपुर की 5 न्याय पचायते परसादमया, दसिया पुरैना, कोठिला खास तथा पचमोहनी आती है तथा 3 न्यायपचायते सगरा खास, शकरपुर तथा बडोखर राम नगर विकास खण्ड के अर्न्तगत आते है। विकासशील क्षेत्रो मे कुछ सुविधाओ का प्रचुर विकास हुआ है जबकि कुछ ग्रामीण सुविधाओ का अभाव भी पाया गया है।

8.3.3. अविकसित ग्रामीण क्षेत्र :–

अविकसित ग्रामीण क्षेत्र मे ग्रामीण सामाजिक सुविधाओ का सबसे कम उन्नयन हुआ है तहसील के 35% भूभाग को आविष्टित करने वाली तहसील की 5 न्यायपंचायते आती है सल्टौवा गोपालपुर की पचानू तथा आमा न्यायपचायते तथा रामनगर की तुषायल, थुम्हवा पाण्डेय तथा घोषण न्याय पंचायतें आती हैं।

पिपराजप्ती का साक्षरता सबसे अधिक होने के कारण यह विकसित क्षेत्रो के समान है।

उपरोक्त विवरण मे तहसील के कुछ क्षेत्र विकसित श्रेणी के अन्तर्गत आते है। किन्तु यदि विकास के अन्तर्राष्ट्रीय मानक के आधर पर देखा जाय तो सम्पूर्ण अध्ययन प्रदेश पिछडी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो के विकास का प्राथमिकता दी है और सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम चलाये गये है, जिसमे से अधिकाश वर्तमान समय मे कार्यरत है यद्यपि अध्ययन क्षेत्र विकास के स्तर को नही प्राप्त कर सका है जिसका मुख्य कारण साक्षरता मे कमी तथा सरकारी कर्मचारियो की निष्क्रियता है अध्ययन क्षेत्र के सर्वागीण विकास हेतु आवश्यक है कि ग्रामीण जनता को शत प्रतिशत साक्षर बनाया जाय जिससे ये सरकार द्वारा प्राप्त सरकारी सुविधाओ एव सहयोग का अधिकतम सदुपयोग कर सके तथा देश, समाज के विकास मे योगदान कर सके।

8.4. ग्रामीण सामाजिक जीवन में परिवर्तन परिदृश्य :–

स्वतन्त्रता के उपरान्त देश के सर्वागीण विकास हेतु भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रो की उन्नति को अपने विकास कार्यक्रमो का केन्द्र बिन्दु बनाया। योजनाओ के सचालन हेतु सरकार द्वारा पवचवर्षीय योजना पचायती राज, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार आदि जैसी क्रान्तिकारी योजनाओ का क्रियान्वयन किया गया है। स्वतन्त्रता के बाद ग्रामीण क्षेत्रो में साक्षरता मे तीव्रगति से प्रगति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों मे स्पष्ट परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। यह परिवर्तन अध्ययन क्षेत्र मे परिलक्षित हो रहे है। ग्रामीण परिवार की संरचना, वैवाहिक कार्यक्रम रीतिरिवाज

वेशभूषा एव खानपान, आवास व्यवस्था, धार्मिक कार्य, रहन सहन तथा मानव मूल्यो आदि मे निरन्तर परिवर्तन हो रहा है। गतिशील परिवर्तित समाज मे सदैव परिवर्तन होते रहना सतत प्रक्रिया है। परिवर्तन घनात्मक तथा ऋणात्मक दो रूपो मे होता है।

सामाजिक परिवर्तन के दोनो रूपो को अध्ययन क्षेत्र मे देखा जा सकता है जहा एक तरफ ग्रामीण समाज मे साक्षरता, कृषि, उद्योग व्यापार, यातायात सचार खान–पान, आवास व्यवस्था, चिकित्सा आदि सुविधाओ से घनात्मक परिवर्तन हुआ है। ग्राम विकास मे उन्नति हुई है वही दूसरी तरफ इसका कुप्रभाव से भौतिकता तथा व्यक्तिवादिता की प्रवृत्ति मे वृद्धि होने से मानवीय मूल्यो एव नैतिकता मे ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है, जो विकास की उत्तरोत्तर प्रगति मे बाधक सिद्ध होती है।

8 5. सामाजिक जीवन पद्धति में परिवर्तन :–

यातायात सचार तथा कृषि विकास के साधनो मे वृद्धि होने तथा शैक्षणिक सुविधाओ अपर्याप्तता ने ग्रामीण जनसख्या के एक वर्ग को नगरोन्मुख किया है। आज ग्रामीण जनता रेडियो तथा दूरदर्शन एव समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय समाचारो से अवगत हो रहा है जिसका प्रभाव उसके सामाजिक जीवन पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनो रूपो में पड रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक जीवन तथा जीवन पद्धति मे होने वाले प्रमुख परिवर्तन अध्ययन क्षेत्र में दिख रहे। जिसे निम्नलिखित रूप मे देखा जा सकता है।

8.5.1. ग्रामीण पारिवारिक संरचना में परिवर्तन :–

अध्ययन क्षेत्र मे परिवार मूलत संयुक्त परिवार प्रणाली पर आधारित थी जिसमें एक परिवार, एक मकान में एक मुखिया के नेतृत्व में रहते थे। परिवार के

सदस्यो द्वारा अर्जित धन सामूहिक माना जाता था। परस्पर अपनत्व तथा सामुहिक विकास की भावना होती थी परिवार का मुखिया आयु प्रधान होता था। जिसके आज्ञा का पालन प्रत्येक परिवार का कर्तव्य माना जाता था। व्यक्ति की पहचान उस परिवार से होती थी। वर्तमान मे नगरीय सस्कृति तथा सामाजिक परिवर्तन के फलस्वरूप सयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। एकाकी परिवार की प्रवृत्ति बढ रही है। अब परिवार सम्बन्धी कोई भी निर्णय लेने मे मुखिया या वयोवृद्ध के एकाधिकार के स्थान पर युवापीढी तथा महिलाओ का भी सहयोग लिया जाता है। उस प्रकार परिवार मे बच्चो तथा स्त्रियो की भी समाज मे भागीदारी बढ रही है।

8.5.2. वैवाहिक परम्परा में परिवर्तन :–

समाजकी पारस्परिक वैवाहिक परम्परा मे विवाह अपनी जाति के सदस्यो मे ही होते थे किन्तु समगोत्रीय तथा अन्य जाति से विवाह निषिद्ध था। वैवाहिक सम्बन्धो का निर्धारण पूर्णत लडकी के पिता या अभिभावक पर निर्भर करता था कि उसका किस परिवार मे हो। इस सन्दर्भ मे लडकी एव लडके का विचार जानना आवश्यक नही था। वैवाहिक कार्यक्रम कई दिनो तक चलता था। ग्राम नही पूरे क्षेत्र के लोग बाराती होते थे। बारात दो तीन दिन तक कन्या पक्ष के अतिथि के रूप रहती थी। कन्या पक्ष को कन्यादान के साथ–साथ बहुत सारी औपचारिकताये पूरी करनी पडती थी। विवाह के बाद भी लडकी पिता या अभिभावक के घर पर ही रहती थी पुन· लडके के यहा से कुछ दिन बाद बारात आती थी तब लडकी की बिदाई होती थी। (जिसे क्षेत्रीय भाषा में गौना कहा जाता है)।

समाज मे होने वाले व्यापक परिवर्तनो का प्रभाव ग्रामीण वैवाहिक परम्परा पर भी पडा है बाल विवाह की प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है और युवा–विवाह को प्रोत्साहन मिल रहा है। विवाह मे चुनाव (लडकी देखने की) की प्रथा का आविर्भाव हुआ है। विवाह मे लडके लडकियो के भी विचार लिये जा रहे है। उनसे भी विचार विमर्श किया जा रहा है। वैवाहिक कार्यक्रमो के दिनो की सख्या घटकर एक हो गयी है कही कही तो दिन भर मे ही विवाह का कार्य सम्पन्न कर दिया जा रहा है। भौतिकता तथा विवाह के अवसर पर अति प्रर्दशन की भावना से दहेज की प्रवृत्ति बढती जा रही है जो विवाह जैसे पवित्र सम्बन्ध को कलकित कर रही है। अब विवाह मे लडकियो की शिक्षा का महत्व दिनो दिन बढ रहा है।

8.5.3. जाति–व्यवस्था :–

भारत मे जाति व्यवस्था सामाजिक सरचना की आधार शिला है। जातिगत आधार पर व्यवसाय का निर्धारण एव सामाजिक पदानुक्रम अध्ययन क्षेत्र मे दिखाई पडता है जातिगत व्यवसाय करना ही श्रेयस्कर माना जाता था। उच्चजातियो के कुछ अपने विशेषाधिकार होते थे तथा वे निम्नजातियो को अछूत मानते थे। किसी वस्तु के स्पर्श से ही वह वस्तु अपवित्र मान लिया जाता था क्योकि स्पर्श करने वाला व्यक्ति निम्न जाति का है। शिक्षा मे प्रसार, ग्रामीणो की नगरीय जनसंख्या से सम्पर्क, वृद्धि, निरन्तर बढती आवश्यकताओ, सरकारी नीति, आदि विभिन्न कारणों से ग्रामीण जाति व्यवसथा मे काफी परिवर्तन हुआ है। उच्चनिम्न मे सामाजिक विभेद कम हुआ है निम्नवर्ग की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण अध्ययन क्षेत्र के बाजारो, दूकानों पर दृष्टिगोचर होता है जहां सभी वर्ग के लोग एक साथ एक दूकान पर जलपान करते है फिर भी कोई पात्र अपवित्र नही माना जाता है।

व्यवसाय अब व्यक्तिगत हो गया। किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति स्वनिर्णय से व्यवसाय कर सकता है। उदाहरणार्थ – पहले दूकान मात्र वणिक वर्ग का कार्य माना जाता था जो वर्तमान मे ब्राम्हण, क्षत्रिय, जैसी उच्च जातियॉ भी करने लगी है। दुग्धव्यवसाय से लेकर चाय की दुकान तक की व्यवसाय मे विभिन्न जातियो के लोग सलग्न है। जातिगत विभेद तथा पदानुक्रम मे कमी आयी है किन्तु जातिगत आधार पर वोट (चुनाव) की राजनीति ने अध्ययन क्षेत्र मे समाज मे जातीयता की भावना को प्रबल किया है जिससे आपसी वैमनस्य बढ रहा है तथा वर्ग सघर्ष की सम्भावना भी बनी रहती है।

8.5.4. आहार में परिवर्तन :–

समाज मे पहले शाकाहारी भोजन प्रमुख आहार था जिसमे दुग्ध, घी की अधिकता होती थी तथा मासाहारी भोजन निषिद्ध था। ब्राम्हण जाति अपने शाकाहारी आहार के कारण ही समाज मे सम्मान पाता था। समाज मे शाकाहारी लोग समादरणीय होते थे। जबकि मासाहारी हेय तथा अछुत माने जाते थे किन्तु वर्तमान समय मे पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के आहार के समबन्ध मे स्थिति पूर्णत भिन्न हो गयी। आज शाकाहारी लोग सकुचित मानसिकता के माने जाने लगे हे। सर्वोच्च स्थान प्राप्त ब्राम्हण जाति के कुछ लोगो मे मासाहार की प्रवृत्ति बढी है जबकि परम्परागत मासाहारी लोग शाकाहार के प्रति उन्मुख हो रहे है। आहार मे घी तथा दूध की मात्रा कम हो गयी है। पेय पदार्थो मे चाय का सर्वाधिक प्रचलन हुआ है। पहले के जलपान में दूध गुड के शरबत, चना अनाज का स्थान बिस्कुट ने तथा डबल रोटी ने ले लिया है। देशी घी का स्थान वनस्पति घी ने ले लिया। शराब पीना आधुनिकता का प्रतीक माना जा रहा है। आहार प्रकार में वृद्धि हुई है किन्तु प्रति व्यक्ति आहार की मात्रा मे काफी कमी

आयी है। पात्रो मे महत्वपूर्ण बदलाव आया है। स्टील पाउडर कॉच तथा प्लास्टिक निर्मित पात्रो का उपयोग किया जा रहा है।

8.5.5. परिधान में परिवर्तन :–

ग्रामीण सामाजिक सुविधाओ मे उन्नयन का ग्रामीण परिधान पर पूर्ण प्रभाव पडा है। वस्त्रो की निर्माण सामग्री, आकार मे परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है पहले सूती वस्त्रो (रग बिरगे नही) का प्रयोग होता था पुरूष वर्ग सूती धोती, अगरखा तथा काण्ठ निर्मित खडाऊ के स्थान पर टेरीकाट, टेरीउल से बनी पैण्ट, कोट, टाई, और चर्म निर्मित जूतो चप्पलो का अधिक प्रयोग करने लगा है।

पगडी पहनने की प्रथा लगभग समाप्त हो रही है। विभिन्न प्रकार के पाश्चात्य टोपियो का प्रयोग बढ रहा है। सूती कपडा पहनना महिलाये अपना अपमान समझती है, इनके परिधान मे भी पूर्ण परिवर्तन नजर आ रहा है। लडकिया भी लडको की भॉति पैट तथा टी शर्ट का प्रयोग परिधान के रूप मे करने लगी है।

8.5.6. आवास व्यवस्था में परिवर्तन :–

अध्ययन क्षेत्र मे अभी भी मिट्टी के बने कच्चे मकान दिखने को मिलते है लेकिन पक्के आवासो की सख्या मे तीव्रता से वृद्धि हो रही है। आवासो मे ही स्नानघर तथा शौचालय का निर्माण किया जा रहा है जो कि पहले पोखरो तथा खेतो के माध्यम से किया जाता था। नगरीय आवासो के माडल पर ही ग्रामीण आवास बनाये जा रहे है। भवन निर्माण में लोग सुनियेाजित ढग से आवास मानचित्र का प्रयोग कर रहे है।

8.5.7. ग्रामीण सामुदायिक जीवन :–

अध्ययन क्षेत्र की जजमानी प्रथा द्वारा ग्रामीण जातियॉ परस्पर सम्बद्ध रही है यजमान पारिवारिक आधार पर वशानुगत हुआ करते थे जिन्हे यजमानी सेवाओ के यवज मे अस्थायी भूमि तथा जन्म, मृत्यु, विवाह यज्ञ आदि आयेाजनो के अवसरो पर भोजन वस्त्र या द्रव्य दिया जाता था किन्तु वर्तमान समय मे यह प्रथा समाप्त हो रही है। कई पीढियो से यजमानी, कार्य करने वाली जातियो (नाई, धोबी, कहार, लोहार दर्जी आदि) के युवा वर्ग इस प्रथा को अपना अपमान तथा शोषण समझने लगे है। ये यजमान दूकानो के माध्यम से नकद मौद्रिक भुगतान के माध्यम से अपनी प्रथा का निर्वाह कर रहे है यजमानी प्रथा का प्रचलन कम हो रहा है लेकिन कुछ विशेष अवसरो पर यजमानो की उपस्थिति (विवाह मे नाई की) अति आवश्यक मानी जाती है।

8.6. धार्मिक क्रिया कलापों में परिवर्तन :–

समाज मे प्रत्येक कार्य के साथ कोई न कोई धार्मिक अनुष्ठान मान्यता, परम्परा सलग्न है। लगभग प्रत्येक कार्य का शुभारम्भ धार्मिक अनुष्ठान से ही होता है। पहले पूर्वजन्म, परलोक, धर्म, ईश्वर आदि मान्यताओ को दैनिक कृत्यो मे करना आवश्यक माना जाता था जैसे हिन्दू धर्म मे स्नानोपरान्त जल चढाना मन्त्र, पूजा पाठ, मुस्लिमो द्वारा नमाज आदि आवश्यक माना जाता था जो वर्तमान समय मे भी प्रचलित है। युवापीढी अब धार्मिक, अन्धानुकरण के स्थान पर रीति रिवाजो की तार्किक उपादेयता को महत्व दे रही है। यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र मे व्यक्तिगत कारणो से अलग धर्मानुपायियो मे झगडे होते है, किन्तु साम्प्रदायिक झगडो का उल्लेख कही नही मिलता है।

8.7. ग्रामीण मनोवृत्ति एवं सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन :–

कृषि, शिक्षा, उद्योग स्वास्थ्य सेवाओ तथा अन्य सामाजिक सुविधाओ के उतकर्ष, नगरो से सम्पर्क वृद्धि आदि के परिणाम स्वरूप ग्रामीण जनसख्या की मनोवृत्तियो तथा उनके सामाजिक मूल्यो मे व्यापक परिवर्तन हुआ है जो व्यकितगत तथा सामाजिक दोनो क्षेत्रो मे देखा जा सकता है। पहले परोपकार, त्याग, सादा जीवन, सामाजिक आदर्श माने जाते थे जिनका स्थान आज स्वार्थपरता एव भौतिकता ने ले लिया है। पहले लोग पुण्य अर्जित करना जीवन का अन्तिम एव परम लक्ष्य मानते थे वही अब अर्थाजन अन्तिम लक्ष्य हो गया है। मासाहार तथा शराब पीना कुलीन वर्ग तथा आधुनिकता का प्रतीक माना जाने लगा है।

सामाजिक मूल्यो आदर्शो मे परिवर्तन के परिणामस्वरूप ही लडकियो की शिक्षा पर बल दिया जाता है। समानता का अधिकार प्राप्त हो रहा है।

मनोवृत्ति का ही परिणाम है कि कोई भी व्यवसाय जाति विशेष का नही रह गया है समस्त जातियो द्वारा कही भी किया जा सकता है। बाल विवाह मे कमी, छुआछुत की समाप्ति, विधवा विवाह को सामाजिक मान्यता, परिवार नियोजन तथा विकास आदि ग्रामीण सामाजिक मूल्यो एवं प्रवृतियो के परिवर्तन के ही परिणाम है।

यद्यपि मनोवृत्ति मे परिवर्तन मे प्राचीन परम्पराये एव मान्यताये अपने आप अस्तित्व खोती जा रही है किन्तु उनको प्रश्रय देने वाले भी समाज में विद्यमान है इसलिये अध्ययन क्षेत्र मे सभी प्राचीन परम्पराये विद्यमान है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट होता है कि आज अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण जीवन के प्रत्येक पक्ष मे परिवर्तन दिखाई पड रहा है। कुछ परिवर्तन अच्छी दिशा

मे हुये है जिनके परिणामस्वरूप गावो का आधुनिकीकरण हो रहा है किन्तु कुछ परिवर्तन ऐसी भी हुए है, जो गावो के परम्परागत सहयेाग एव सामूहिक जीवन को समाप्त कर रहे है। इसके परिवार स्वरूप स्थिति त्रिशुक जैसे हो रही है। क्योकि ग्रामीणवासी न तो प्राचीन पद्धति को छोड पाये है और न ही आधुनिकता को पूर्णत स्वीकार कर पाये है इस सक्रमण स्थिति मे नैतिक मूल्य पूर्णत प्रभावित हुये है।

8.8 अध्ययन क्षेत्र के उन्नयन हेतु सुझाव :–

शोध कार्य मे अध्ययन क्षेत्र के सर्वेक्षण से प्राप्त अनुभवो तथा सरकारी ऑकडो के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर अध्ययन क्षेत्र की समुन्नति हेतु कतिपय सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे है।

(1) ग्रामीण विकास की योजनाओ के निर्माण का कार्य पचायत, न्यायपचायत, अथवा विकास खण्ड स्तर पर तैयार किया जाना चाहिये। उन येाजनाओ के निर्माण कार्यान्वयन मे ग्रामीण क्षेत्रो के सभी वर्गो की सहभागिता होनी चाहिये। सरकारी कर्मचारी केवल परामर्श एव सहयोग कर्ता के रूप मे कार्य करे।

(2) ग्राम पचायतो के माध्यम से ग्राम के ससाधनो का सर्वेक्षण कर समुचित उपयोग हेतु विकास योजनाये तैयार की जाये।

(3) ग्रामीण युवको को स्वरोजगार हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानो द्वारा विभिन्न व्यवसाय हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

(4) ग्रामीण कच्चे मालो को सशोधित सवर्धित कर घरेलू तथा लघु उद्योगो की स्थापना की जानी चाहिये।

(5) कृषि विकास हेतु कृषको को आसान किस्तो पर ऋण की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये जिसकी अवधि नये फसल काल तक अवश्य होनी चाहिये।

(6) भण्डारण एव विपणन की समुचित व्यवस्था प्रत्येक ग्राम पचायत मे होनी चाहिये।

(7) ग्रामीण बालको तथा बालिकाओ की शिक्षा पर बल दिया जाना चाहिये। सरकार कानून के माध्यम से शिक्षा को अनिवार्य तो कर दी है लेकिन अभिभावक तथा परिवार का कर्तव्य है कि बच्चो की शिक्षा मे समुचित योगदान है।

(8) ग्रामवासियो को स्वच्छता, पर्यावरण, स्वास्थ्य परिवार नियोजन एव कल्याण की जानकारी दी जानी चाहिये।

(9) जनसम्पर्क एव जनसचार माध्यमो से ग्रामो मे ऐसी सामाजिक चेतना को विकास किया जाना चाहिये कि जिससे सामाजिक कुरीतियो तथा पाश्चात्य प्रभावो से गावो की रक्षा की जा सके एव विकासोन्मुख समाज का निर्माण हो।

(10) शीर्षक यातायात एव सचार एव ग्रामीण सेवा केन्द्र मे प्रस्तावित सेवाकार्यो का सचालन उल्लिखित केन्द्रो पर प्रारम्भ किया जाय।

(11) प्रस्तावित उद्योगो की स्थापना की जाय (ग्रामीण औद्योगीकरण)।

(12) ग्रामीण जनता को शत प्रतिशत साक्षर बनाने हेतु सामूहिक प्रयत्न किया जाये।

(13) सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताओ के अनुरूप योजना का निर्माण सरकारी अधिकारियो को करना चाहिये।

(14) ग्राम प्रधान तथा समाज से जुडे प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को चाहिये कि सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओ की जानकारी ग्रामवासियो तक पहुँचाये तथा उनके विकास मे सहयोग दे।

✪ ✪ ✪

REFERENCES

Alam, S M 1974 · The planning Atlas of Andhra Pradesh (Hyderabad Pilot Production plant Survey of India.)

Chauhan, B R 1980 An Indian Village Some question Man in India : Vol 45 No 2 p 126

Chitlongi, B.M 1991 · Conceptual Aspect of Rural Development Kurushetra, Vol 36 No 5, p. 27

Gosal, G S. and Gopal K. 1984 Regional Disparities in Levels of Socio-Economic Development in Punjab, Vishal Publication. p. 225.

Lal. N 1989 Rural Development and planning cough publication Allahabad

Smith, T L 1982 : The Sociology of "Rural life Sociology" Newyark 3rd ed 1982 p 10

Tiwari, R.C 1984 Settlement system in Rural India : A case study of the lower Ganga-Yamuna Doab (Allahabad Geographical Society, Allahabad)

Tiwari, S.K. 1993 : Rural Development and Social change in Independent India · A case study of Phulpur Tahsil of Azamgarh District.

✪ ✪ ✪

अध्याय–9

ग्रामीण विकास नियोजन

प्रस्तावना

यदि भारत मे ग्रामीण विकास कार्यक्रमो व उनके क्रियान्वयन की रणनीति पर दृष्टिपात किया जाये तो स्पष्ट होता है कि समय के साथ ही इसकी अवधारणा भी परिवर्तित होती जा रही है। एक लम्बे समय तक ग्रामीणविकास का तात्पर्य कृषि का विस्तार विकास तथा आधुनिकीकरण से लगाया जाता था यो कहा जा सकता है कि उसे कृषि विकास का पर्याय माना जाता था (तिवारी, आर0सी0 2002)।

शायद इस विचार का आधार यह तथ्य है कि ग्रामीणो का जीवन मूलत कृषि पर ही आधारित होता है। सन् 1952 मे सामुदायिक विकास कार्यक्रमो की शुरूआत के साथ, इस सकल्पना मे परिवर्तन आया क्योकि इसका उद्‌देश्य ग्रामीण परिवेश की पारम्परिक, रूढिवादी परम्पराओ का रूपान्तरण करना तथा उन्हे सविधान प्रदत्त समानता व न्याय का अधिकार दिलाकर जीवन पद्धति सुधारने मे सहायता प्रदान करना था। सही अर्थो मे ग्रामीण विकास के नियोजित प्रयास की शुरूआत 50 के दशक मे सामुदायिक कार्यक्रमो के प्रारम्भ से हो गयी थी। यद्यपि उसमे काफी हद तक सफलता नही प्राप्त हुई थी फिर भी इसने ग्रामीण सेवाओ के विस्तार हेतु प्रेरणा प्रदान किया जो कि 60 के दशक कृषि विकास हेतु आधुनिक तकनीको को अपनाने हेतु जागरूकता पैदा करने मे मददगार साबित हुई। किसानो एव ग्रामीण क्षेत्रो मे हुए सुधार से इन कार्यक्रमो द्वारा होने वाले लाभो का अनुभव किया जा सकता है। इससे प्रादेशिक असमानता

एव गरीब व अमीर के बीच खाई मे वृद्धि ही हुई। इसलिए यह अनुभव किया गया कि समाज के कमजोर व पिछडे वर्ग के लोगो को विकास सबधी कार्यक्रमो से प्रत्यक्षत जोडा जाये। चौथी व पचम पचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय व आर्थिक समानता के लक्ष्य की दृष्टिगत रखकर शुरू की गयी थी।

ग्रामीण विकास हेतु पचवर्षीय योजनाओ मे निम्नलिखित लक्ष्य रखे गये है

(1) कृषि विकास की स्पष्ट रणनीति।

(2) पशुपालन, दुग्ध व मत्स्यन विकास।

(3) कृषि अनुसन्धान एवम् शिक्षा।

(4) वानिकी जिसमे सामाजिक वानिकी सम्मिलित है।

(5) ग्रामीण विकास एवम् गरीबी उन्मूलन।

(6) सिचाई कमान्ड एरिया विकास तथा बाढ नियन्त्रण।

(7) ग्रामीण एवम् लघु औद्योगिक इकाईयॉ।

(8) रोजगार, जन शक्ति नियेाजन एवम् श्रमिक नीति।

(9) सहकारी ऋण।

1 अप्रैल 1978 को अन्य कार्यक्रमो के साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरूआत तो ग्रामीण क्षेत्रो मे की गयी साथ ही गरीबी उन्मूलन एवम् भूमिहीन मजदूरो, सीमान्त कृषको व ग्रामीण शिल्पकारो का आर्थिक रूप से लाभान्वित करने का लक्ष्य भी रखा गया। पॉचवी पचवर्षीय योजना (1980–85) ग्रामीण क्षेत्रो के सामाजिक आर्थिक विकास गरीबी उन्मूलन एव प्रादेशिक असमानता घटाने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। नौवी पचवर्षीय योजना में राज्य के नीतियो मे चार महत्वपूर्ण आयामो पर ध्यान दिया गया–जीवन स्तर मे गुणात्मक सुधार, उत्पादक व्यवसायो तथा रोजगारो का प्रजनन, क्षेत्रीय सतुलन

एवम् आत्मविश्वास मे वृद्धि। क्षेत्रीय ग्रामीण एव रोजगार विकास मत्रालय द्वारा बहुआयामी कार्यक्रमो की शुरूआत से यह उम्मीद की जाती है कि इसके द्वारा रोजगार की प्रचुर उपलब्धता से ग्रामीण परिवेश से गरीबी का पूर्ण उन्मूलन होगा तथा जीवन स्तर मे गुणात्मक सुधार होगा। उस प्रकार ग्रामीण विकास का अर्थ लोगो का आर्थिक सुधार तथा वृहत्तर सामाजिक रूपान्तरण से लिया जा सकता है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम मे अधिकाधिक लोगो की भागीदारी, विकेन्द्रीकरण, भूमि सुधार पर विशेष बल देकर तथा ऋण एव पूँजी उपलब्ध कराकर काफी हद तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारा जा सकता है। लोक कल्याणकारी कार्यक्रमो जैसे स्वास्थ्य एव शिक्षा मे सुधार ग्रामीण विकास का सामाजिक पहलू होगा तथा गरीबी उन्मूलन एव ग्रामीण क्षेत्रो मे रोजगार उत्पादन मे वृद्धि आदि इसके विकास के महत्वपूर्ण पहलू होगे।

'ग्रामीण विकास' का विस्तृत रूप मे शाब्दिक आदि ग्रामीण क्षेत्रो के सर्वागीण विकास से है। यहॉ हमारा अभिप्राय मुख्यत मानव के विकास से है जिससे व्यक्ति, समुदाय व राष्ट्र के बीच उचित सबध स्थापित हो जिसके अर्न्तगत ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओ को ध्यान मे रखकर नियोजन किया जाना चाहिए। विकास का केन्द्र बिन्दु मानव को बनाया जाय ताकि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय व आत्मनिर्भरता स्थापित हो और जिससे गरीब व अछूत लोगो को उच्च प्राथमिकता दी जा सके। यह विश्व बैक की योजना मे स्पष्टत दृष्टिगत होता है जिसमे कहा गया है कि ग्रामीण विकास ग्रामीण गरीबो के सामाजिक एव आर्थिक स्थिति सुधारने की रणनीति है। इनके माध्यम से ग्रामीण परिवेश मे जीवन

यापन करने वाले लोगो को विकास के वृहद अवसर प्राप्त होते है। इस समूह मे सीमान्त कृषक, काश्तकार व भूमिहीन लोग भी सम्मिलित है।

9.1. ग्रामीण विकास नियेाजन हेतु कार्यक्रम :—

परास्वातन्त्रय काल मे ग्रामीण क्षेत्रो के विकास हेतु कई कार्यक्रम बनाये गये। ये कार्यक्रम गॉधीवादी विचारधारा के पुर्ननिर्माण तथा गरीबो के उत्थान पर आधारित थे। कुछ प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रम इस प्रकार है —

9.1.1 **सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952)** :— इस कार्यक्रम के अर्न्तगत देश को अनेक विकास खण्डो मे बॉटा गया। प्रत्येक विकासखण्ड मे कृषि, पशुपालन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगो के विकास हेतु सुविधाये प्रदान की गयी परन्तु इस कार्यक्रम से आशातीत प्रगति नही प्राप्त हो सकी।

9.1.2 **गहन कृषि विकास कार्यक्रम** :— प्रारम्भ मे यह कार्यक्रम गहन कृषि जिला कार्यक्रम के नाम से था जो 1961 मे कृषि विकास हेतु शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक जिले मे नवीन तकनीकी, बाजारो की सुविधा, प्रशासनिक एव सगठनात्मक सुविधाओ मे वृद्धि करके भूमि उत्पादकता बढाना था। गहन कृषि विकास कार्यक्रम वस्तुत सन् 1966 मे देश के अधिकाश जिलो मे लागू किया गया परन्तु यह कार्यक्रम बहुत सफल नही हुआ।

9.1.3 **लघु कृषक विकास कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम सन् 1969 मे शुरू किया गया जिसका उद्देश्य कम जोत वाले किसानो की सहायता करके कृषि उत्पादन मे समुचित वृद्धि करना था।

9.1.4 **सीमांत कृषक एवं कृषिक श्रमिक कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया। यह माना गया था कि सीमान्त कृषक एवं कृषिक श्रमिक अपने आप मे कृषि उत्पादन बढाने में सक्षम नहीं है। अतः इन्हें अलग से मदद की जाय।

9.1.5 **पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम** :— पर्वतीय क्षेत्रो के विकास हेतु सन् 1971 मे अलग कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया जिसके अर्न्तगत आसाम, उत्तर प्रदेश, प0 बगाल क पहाडी क्षेत्रो, पश्चिमी घाट, तामिलनाडु इत्यादि को सम्मिलित किया गया।

9 1 6 **कमाण्ड एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम** :— यह कार्यक्रम सन् 1974—75 मे केन्द्र द्वारा लागू किया गया। इसके तहत प्रत्येक कमाण्ड क्षेत्र मे फील्ड चैनल, भूमि समतलीकरण, नालियो का निर्माण, भूमिगत और सतही जल का समुचित उपयोग, फसल प्रतिरूप निर्धारण, तथा जल प्रबन्धन हेतु कार्यक्रम बनाया जाता है।

9.1.7 **विशिष्ट पशु उत्पादन कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रो मे पशु उत्पाद मे वृद्धि हेतु 1975 मे लागू किया गया। इसका दूसरा अभिप्राय यह भी था कि पशुपालन उत्पादकता मे वृद्धि करके इसमे लगे व्यक्तियो की आय के श्रोत को बढाया जाय।

9.1.8 **कार्य बदले अनाज भोजन कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम सन् 1977 मे लागू किया गया जिसमे कार्य के बदले अनाज देने की व्यवस्था की गयी जिन क्षेत्रो मे रोजगार के अवसर वर्ष के कुछ समय नही उपलब्ध रहते है वहा कुछ स्थायी कार्य कराकर अनाज उपलब्ध करवाया जाता है जिससे उस क्षेत्र का विकास तथा विशिष्ट अवधि मे गरीब लोगो का भरण—पोषण हो सके।

9.1.9 **नकद ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम** :— ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार प्रदान करने हेतु यह कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमे कार्य के बदले नकद रूपये देने की बात कही गयी।

9.1.10 **सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम सन् 1973 मे शुष्क एव अर्धशुष्क क्षेत्रो के विकास हेतु लागू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मृदा एवं नमी

का बेहतर सरक्षण, जल ससाधन का अधिकाधिक वैज्ञानिक उपयोग, वनरोपण तथा चरी, चारागाह विकास और पारिस्थितिकीय सतुलन के माध्मय से शुष्क कृषि उत्पादन मे वृद्धि करना था।

9 1 11 **मरुभूमि विकास कार्यक्रम** :– पचवर्षीय योजना मे (1977–78) मे मरुभूमि के विकास हेतु यह कार्यक्रम पाच राज्यो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू–कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश मे शुष्क किया गया। पूरी सहायता केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थलीय क्षेत्रो को पुन मरुस्थलीकरण से बचाकर स्थानीय ससाधनो (भमि, जल, पशु एव मानव) की उत्पादकता बढाना, मिट्टी एव जल सरक्षण, सुरक्षा पक्तियो कारोपण, चारागाह विकसित करना तथा पारिस्थितिकीय सतुलन बनाये रखना है।

9.1.12. **जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम** :– जनजातियो के विकास हेतु यह कार्यक्रम 1976 मे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय लोगो के रहन–सहन मे सुधार लाना तथा ऐसे क्षेत्रो को अन्य क्षेत्रो के समकक्ष विकसित करना है। जनजातीय विकास कार्यक्रम मध्यप्रदेश, उडीसा, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एव आन्ध्र प्रदेश मे लागू है। इन कार्यक्रमों मे आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनजातियो को प्रशिक्षण सुविधाये उपलब्ध करायी जाती है।

9.1.13 **समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम** :– समन्वित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम सातवी योजना मे 200 विकास खण्डो मे शुरू किया। ये विकास खण्ड विभिन्न कृषि जलवायिक कटिबन्धो मे स्थित है। इसके तहत चुने हुए विकास खण्डो मे वाणिज्यिक ऊर्जा का विस्तार, प्रशिक्षण व्यवस्था तथा ग्रामीा विकास हेतु बनये अन्य विकास कार्यक्रमो से इनको जोडने की बात हुई। आठवी योजना के अर्न्तगत

गॉवो मे प्राथमिक आवश्यकता (भोजन पकाने, गर्मी वास्ते, प्रकाश हेतु) की पूर्ति (खास कर कमजोर वर्गो) हेतु ऊर्जा का प्रावधान किया गया।

9.1 14 **समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम 1976—77 मे 50 विकास खण्डो मे शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न विकास कार्यक्रमो से ग्रामीण जनसख्या को लाभ दिलाना है।

9.1.15 **स्वरोजगार हेतु ग्रामीण नवयुवकों का प्रशिक्षण** :— यह कार्यक्रम गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के नवयुवको की पारम्परिक कला। निपुणता के उन्नयन हेतु सन् 1979 मे लागू किया गया। इसका उद्देश्य नवयुवको को तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार हेतु प्रेरित करना है।

9.1.16 **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम 1980 मे शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सहायता गरीबी की दशा तथा कृषिक श्रमिको, सीमान्त कृषको, और सीमान्त कर्मचारियो की जनसख्या पर दी जाती है।

9.1.17 **ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और बच्चों के लिए विकास कार्यक्रम** :— यह कार्यक्रम 50 जिलों मे 1982—83 मे शुरू किया गया। इसके तहत स्त्रियो के एक समूह को 15000 रूपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिससे वे कुछ कार्य शुरू कर सके। इस बारे मे यह कहा जाता है कि स्त्री समूहो मे सम्मेलन की कमी तथा सही आर्थिक क्रिया के चुनाव न कर पाने के कारण परिणाम उत्साहजनक नही रहा।

9.1.18 **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम** :— यह पूर्णत. केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम है जो सन् 1983 मे शुरू किया। इसका उद्देश्य भी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के समान ही था। लेकिन इसमे भूमिहीनो को

100 दिन की रोजगार गारटी उपलब्ध करायी जाती है। इसके तहत 25% धन सामाजिक वानिकी, 10% सिर्फ अनुसूचित जाति एव जनजाति के लाभ तथा 20% आवास विकास के लिए खर्च किया जाता है।

9 1 19 **जवाहर रोजगार योजना :–** सातवी पचवर्षीय योजना के दौरान 1989 मे यह कार्यक्रम लागू किया गया। इसका उद्देश्य उत्पादक क्रियाओ द्वारा अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम की 80% पूँजी केन्द्र तथा 20% राज्य सरकारे वहन करती है। यह कार्यक्रम देश के सभी गॉवो मे लागू की गयी है। वास्तव मे पहले के ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारटी कार्यक्रम एव राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम को एक मे मिलाकर यह येाजना बनाई गई है।

9.1.20 **इन्दिरा आवास योजना :–** यह योजना सन् 1989 मे शुरू की गयी। इसका उद्देश्य आवास सुविधा उपलब्ध कराना है। राज्य स्तर पर सम्पूर्ण जवाहर रोजगार योजना का 6% धन इस पर खर्च करने का सुझाव दिया गया था।

9.1.21 **मिलियन कुऑ येाजना :–** यह योजना भी सातवी पचवर्षीय येाजना मे लागू की गयी जिसमे जवाहर रोजगार योजना का 20% धन दस लाख कुओ की खुदाई पर खर्च करने के लिए आवटित किया जाय।

9.1.22 **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम :–** गरीबी उन्मूलन हेतु पाचवी पचवर्षीय योजना मे यह कार्यक्रम सन् 1973 मे 35 विकास खण्डों मे शुरू किया गया। इसका मूल उद्देश्य गरीब ग्रामीणों को प्राथमिक सुविधाऐ उपलब्ध कराना है। प्रौढ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण जल आपूर्ति, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण आवास विकास, ग्रामीण घरेलू, ऊर्जा, ग्रामीण सैनिटेशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पोषण इत्यादि इस कार्यक्रम में सम्मिलित है।

9.1.23 राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना :– 15 अगस्त 1995 मे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना शुरू की गयी। इसके तहत 65 वर्ष या अधिक उम्र के गरीब वृद्ध जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नही है उन्हे 75 रू0 प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेशन दी जायेगी। इसी तरह गर्भवती महिलाओ को (गरीबी रेखा के नीचे) भी पोषण हेतु 300 रूपये की सहायता देने का प्रावधान है।

9.2 उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास की अघतन योजनायें :–

उत्तर प्रदेश शासन का एक पिछडा प्रदेश है, यहाँ की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रो मे निवास करती है, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए विगत तीन दशको से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है, ग्रामीणो के उत्थान के लिए सरकार ने अनेक प्रभावी कदम उठाए तथा अनेक ग्रामीण योजनाओ का क्रियान्वयन किया है, इन योजनाओ मे कुछ को तो सफलता मिली, लेकिन कुछ को तो सफलता मिली, लेकिन कुछ के आशानुरूप परिणाम नही निकले, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास के लिए अनेक योजनाओ का क्रियान्वयन किया है इनमे प्रमुख रूप से अद्यतन ग्राम्य विकास योजनाए इस प्रकार है –

9.2.1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :–

गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र मे एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राइसेस, ग्रामीण क्षेत्र मे महिला एव बालोत्थान कार्यक्रम (ड्वाकरा) उन्नत टूल किट योजना, गगा कल्याण योजना, मिलियन वेल विगत दो दशको से सचालित की जा रही थी एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से अनेक जटिलताएँ उत्पन्न हो रही थी इसलिए उपयुर्क्त छः कार्यक्रमो को विलीन कर, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व–रोजगार योजना का सूत्रपात हुआ।

योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का उद्देश्य चयनित स्वरोजगारी को 2–3 वर्ष मे 2000 रू0 प्रतिमाह की शुद्ध आय अर्जित करने के योग्य बनाता है जिससे वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ सके।

योजना का लक्ष्य :–

इस योजना का लक्ष्य सकल चिन्हित गरीब परिवारो मे से 30 प्रतिशत परिवारो को आगामी 5 वर्षो मे गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है।

9.2.2 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना :–

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल 1999, को शुरू की गई ताकि पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके ग्राम स्तर पर ग्रामीण ढॉचागत सुविधाओ के विकास को सुनिश्चित किया जा सके।

जवाहर ग्राम समृद्धि येाजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्राम स्तर पर लोगो की मॉग पर स्थायी परिसम्पत्तियो सहित, सामुदायिक ग्रामीण ढॉचा तैयार करना और ऐसी परिसम्पत्तियो का निर्माण करना है, जिनसे ग्रामीण निर्धनो के लिए रोजगार के स्थायी अवसरो में बढोतरी हो सके, इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे निर्धन बेरोजगारो के लिए मजदूरी रोजगार का सृजन करना है।

यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है और केन्द्र तथा राज्य को 75 25 के अनुपात मे इसका खर्च वहन करना होता है।

9.2.3 ग्रामीण आवास योजना :–

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारो के लिए आवास की समस्या दूर करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अर्न्तगत निम्नलिखित योजनाए क्रियान्वित की जा रही है –

(1) **इन्दिरा आवास योजना** :– भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985–86 से इन्दिरा आवास योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियो तथा मुक्त बॅधुआ मजदूरो को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना है।

(2) **ऋण एवं अनुदान ग्रामीण आवास योजना** :– ग्रामीण आवास सम्बन्धी ऋण–सहसब्सिडी योजना 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई है, योजना का लक्ष्य 32,000 रूपए तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवार है, यद्यपि सब्सिडी 10,000 रू0 तक सीमित है, परन्तु अधिकतम 40,000 रू0 ऋण की राशि प्राप्त की जा सकती है, सब्सिडी, केन्द्र तथा राज्यो द्वारा 75 25 के अनुपात मे वहन की जाती है।

(3) **समग्र आवास योजना** :– समग्र आवास योजना को ऐसे जनपदो मे जिनकी पहचान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भागीदारी दृष्टिकोण कार्यान्वित करने के लिए की गई है, शुरू करने का निर्णय किया गया है।

(4) **ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास के लिए अभिनव योजना**

ग्रामीण क्षेत्रो मे इमारत/मकान क्षेत्रो मे अभिनव किफायती और पर्यावरण अनुकूल समाधानो को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई है।

(5) **ग्रामीण भवन केन्द्र** :– ग्रामीण निर्मित केन्द्र स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य है –

(क) प्रौद्योगिकी हस्तातरण और सूचना का प्रसार।

(ख) प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन।

(ग) किफायती और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों का उत्पादन।

9.2.4 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना –

ग्रामीण क्षेत्रो के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमत्री द्वारा 15 अगस्त, 2000 को प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 6 महत्वपूर्ण योजनाओ के प्रारम्भ करने की घोषण की गई जो अधोलिखित है –

(1) ग्रामीण सडको का निर्माण

(2) ग्रामीण आवास

(3) पुष्टाहार

(4) स्वास्थ्य

(5) पेयजल

(6) बेसिक शिक्षा

9.2.5 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना :–

प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना का राज्य स्तर पर शुभारम्भ 25 दिसम्बर, 2000 को माननीय प्रधानमत्री द्वारा किया गया, प्रधानमत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत अगले 3 वर्षो मे 2003 तक 1000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक ग्रमो को सर्वऋतु योग्य सम्पर्क मार्गो से जोडने की येाजना है तथा 2007 तक 500 से अधिक जनसख्या वाले प्रत्येक ग्राम को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोडा जाएगा।

9.2.6 प्रधानमंत्री ग्रामोदय येाजना (ग्रामीण आवास) :–

ग्रामीण क्षेत्रो में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों मे आवास की कमी को दूर करने तथा इन क्षेत्रो मे पर्यावरण विकास मे मदद करने हेतु इन्दिरा आवास के पैटर्न पर प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास 2000–2001) कार्यान्वित की जा रही है। येाजना के अन्तर्गत लक्ष्य समूह मे ग्रामीण क्षेत्र मे (वी.पी.एल) के

नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बन्धुआ मजदूर वर्ग के जाति/जनजाति तथा बन्धुआ मजदूर वर्ग के लोग है।

9.2.7 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) :—

वित्तीय वर्ष 2000—2001 से प्रधानमत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) सचालित की जा रही है। योजना का कार्यान्वयन जन सहभागिता तथा पचायतो का अधिकतम सहयेाग लेकर जल निगम द्वारा किया जाएगा।

9.2.8 ग्रामीण पेयजल योजना :—

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रो मे तथा प्राथमिक विद्यालयो मे शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है।

9.2.9 अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना :—

ग्रामीण क्षेत्रो मे सतत् रोजगार के अवसर सृजित हो सके इस हेतु पोजेक्ट एप्रोच के आधार पर एक विशेष रोजगार योजना के स्वरूप 25 सितम्बर 1991 से प्रारम्भ की गई जो सम्प्रति अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम से क्रियान्वित है इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रो मे स्थानीय ससाधनो एव आवश्यकताओ को देखते हुए बहुआयामी योजनाओ का निर्माण कर स्थानीय स्तर पर सतत् रोजगार के अवसर सृजित करना है।

9.2.10 रोजगार छतरी योजना :—

प्रदेश मे बढती हुई आबादी के परिणामस्वरूप जनशक्ति को पर्याप्त रोजगार के अवसर सुलभ कराने के लिए बेरोजगार युवक, भूमिहीन मजदूर लघु एव सीमात किसान, ग्रामीण दस्तकार व अन्य ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के लोग जो कार्य करना चाहते उन्हे रोजगार संकल्प के अन्तर्गत चिन्हित रोजगार

कार्यक्रमो व योजनाओ मे लाभान्वित करने के उद्देश्य से रोजगार सकल्प का शुभारम्भ किया गया है।

9.2.11 दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान :–

ग्राम विकास के मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अचल मे रोजगार सुविधाओ को सहज रूप से उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण जनसमुदाय की स्थिति मे परिवर्तन लाने के प्रयासो की ओर ही केन्द्रित है, प्रशिक्षण अनुसधान तथा विकास एक–दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुडे है, अत नीति–निर्माताओ तथा कार्यक्रम सचालको दोनो को शिक्षित करना आवश्यक है।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास सस्थान इसी उद्देश्य के साथ प्रशिक्षण, शोध तथा परामर्शी गतिविधियो के लिए एक प्रादेशिक शीर्ष सस्था के रूप मे कार्य कर रहा है यह लखनऊ मे स्थित है।

9.2.12 पोषण परियोजना :–

उत्तर प्रदेश मे 55 प्रतिशत महिलाएँ एव बच्चे कुपोषित है, प्रदेश मे कुपोषण की स्थिति को देखते हुए, इस दिशा मे सक्रिय सहयेाग करने हेतु राज्य ग्राम्य विकास सस्थान अपने परम्परागत कार्यभार ग्राम्य विकास सम्बन्धित प्रशिक्षणो के सचालन के साथ–साथ अब एक अलग तरह का कार्यक्रम "पोषण परियोजना" को यूनीसेफ के सहयोग का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहभागिता के माध्मय से कुपोषण की दर मे कमी लाना है।

9.3. ग्रामीण विकास नियोजन मे पंचायती राज की भूमिका :–

ग्राम पचायत भारत की प्राचीन लोकतान्त्रिक स्वायत्त शासन की आधारशिला रही है। इसका उल्लेख हमे भारत के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ ऋग्वेद मे "सभा और समिति" के रूप में मिलता है। इतिहास के विभिन्न काल मे

अलग–अलग अवसरो पर केन्द्र (आज के सन्दर्भ मे नही) मे राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद स्वायत्तशासी शासन की यह इकाइयॉ आदिकाल से निरन्तर कार्यरत रही है।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चोल साम्राज्य मे ग्रामीण की स्वायत्ता पर बल दिया गया है। आज की ग्रामीण स्वायत्ता बहुत कुछ चोल ग्रामो से मिलती है क्योकि जिस सवैधानिक व्यवस्था को आज हम ग्रामीणो को देना चाहते है वैसी व्यवस्था चोल साम्राज्य की आधारशिला रही है

9 3.1 73वां संविधान संशोधन अधिनियम :–

भारत सरकार ने 73वा सविधान सशोधन अधिनियम 1992 परित करके पचायती राज सस्थाओ को सवैधानिक दर्जा दिया। अनु0 40 मे उल्लिखित कि राज्य ग्राम पचायत गठन करने और उन्हे ये सभी अधिकार प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए जो उन्हे एक स्वायत्तशासी सरकार की इकाई के रूप मे कार्य करने के लिए आवश्यक है। इसका वर्णन राज्यो के नीति निर्देशको तत्वो मे किया गया है।

9.3.2 विकास पर पंचायती राज का प्रभाव :–

73वा सशोधित अधिनियम लागू होने के पॉच वर्ष मे ग्रामीण सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में पचायती राज सस्थाओ की जडे जमाने की दिशा मे उत्साहजनक प्रगति हुई है। लोकतात्रिक विकेन्द्रीकरण के रूप मे पंचायती राज व्यवस्था ने भारतीय ग्रामीण जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। वर्तमान सदर्भ मे पचायती राज्य सस्थाए देश के सभी भागो मे काम करने लगी है। इस व्यवस्था के अनुसार लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण से सबधित सभी ग्रामीण विकास

कार्यक्रमो को ग्रामीण स्तर पर लागू के लिए पचायती राज एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है।

पचायती राज व्यवस्था की स्थापना से अनुसूचित जातियो एव जनजातियो मे आत्मसम्मान की भावना का सचार हुआ है। इसके अतिरिक्त गावो के अधिक उत्साही तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले व्यक्तियो मे नेतृत्व की नई क्षमताओ का विकास हुआ है। सबद्ध विभिन्न विकास कार्यक्रमो के फलस्वरूप ग्रामीणो के जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय मे भी पर्याप्त सुधार हुआ है। पचायती राज व्यवस्था के प्रभाव से आज ग्रामीण गतिशीलता मे वृद्धि हुई है। यह गतिशीलता सामाजिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रो मे विद्यमान है। पचायते अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से गाव मे स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधाये और शिक्षा के प्रचार मे निर्दिष्ट प्रावधानो के प्रति जागरूकता बनाये हुई है।

अनेक लाभकारी प्रभावो के अलावा पचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण जीवन मे कुछ विघटनकारी प्रवृत्तियो को भी जन्म दिया है, जिनमे गुटबन्दी, सघर्ष तथा व्यक्तिवादिता आदि प्रमुख है। आज गावो मे भी शहरो के समान व्यक्तिवादिता तथा मूल्यो के ह्रास की समस्याएँ उत्पन्न हुई है। कुछ लोगो का विचार है कि ये दुष्परिणाम पचायती राज व्यवस्था के न होकर दोषपूर्ण कार्यान्वयन के है। वास्तविकता यह है कि ये पचायती राज के दुष्परिणमा इससे प्राप्त लाभो की तुलना मे कम है। किसी भी समाज अथवा समुदाय की प्रगति का वास्तविक आधार इसके सदस्यो की सामाजिक और आर्थिक जागरूकता है। पचायती राज व्यवस्था ने ऐसी जागरूकता उत्पन्न करने मे निश्चय ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

9 3.3 मूल्याँकन :–

नई पचायती राज व्यवस्था के कार्यान्वयन को छह वर्ष व्यतीत हो चुके है और ग्रामीण विकास पर इसके प्रभाव भी परिलक्षित होने लगे है। इन 6 वर्षो का मूल्यॉकन किया जाए, तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रामीण विकास की सफलता के लिए जागरूकता एक महत्वपूर्ण शर्त है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी होनी चाहिए कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमो की उसके लिए क्या उपयोगिता है और इन कार्यक्रमो से सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूप से उसे क्या लाभ होगा। पचायती राज के प्रतिनिधि और इससे जुडे कर्मचारी तथा पदाधिकारियो मे भी जागरूकता की कमी पायी जाती है। निर्वाचित पचायती राज प्रतिनिधि का अपने स्वतन्त्र विचारो के आधार पर राजनीतिक दलों के साथ प्रत्यक्ष सबध कम ही रहा है। लेकिन इतना तय है कि पचायती राज का दलीकरण हुआ है। भविष्य मे देश की दलगत राजनीति पर इसके दूरगामी प्रभाव पडने की सभावना है। वित्तीय ससाधनो के सबध मे भी स्थिति सतोषजनक नही है। साधनो की समुचित व्यवस्था के अभाव मे पचायतो को सुचारू ढग से नही चलाया जा सकता। हालॉकि अधिकाश राज्यो मे वित्त आयेाग गठित हो चुके है, फिर भी उनकी कार्यप्रणाली से पचायतो की पर्याप्त लाभ नही मिल रहा है। पचायती राज व्यवस्था का मूल उद्‌देश्य स्थानीय स्तर पर स्वशासी सरकार की स्थापना करना है। इसी आधार पर उन्हे आर्थिक तथा सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ बनाने का अधिकार भी दिया गया है। इसका आशय यह हुआ कि पचायतो को वित्तीय तथा प्रशासनिक स्तर पर स्वायत्त होना चाहिए लेकिन उन्हे किसी भी प्रकार की स्वतत्रता प्राप्त नहीं है।

यदि व्यवहारिक धरातल पर देखा जाए तो पचायतो की हालत काफी दयनीय है। पचायत, विशेषकर ग्राम पचायत, के निर्वाचित प्रतिनिधि लगभग अशिक्षित या अल्प शिक्षित होते है। जिससे पचायत सदस्य को सभाये बुलाने की प्रविधि का ज्ञान नही होता और प्रस्ताव बनाना, पारित करना, बजट बनाना, लेखा तैयार करना, अकेक्षण करना, सरकारी योजनाओ की अनभिज्ञता आदि महत्वपूर्ण कारणो से असफल सिद्ध होते है। अत आवश्यक है कि इन प्रतिनिधियो के लिए सतोषजनक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाएँ।

9 3.4 निष्कर्ष :—

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा मे स्वतन्त्रता के पश्चात से ही अब तक के सतत् प्रयासो मे नि सदेह 73वा सविधान सशोधन अधिनियम सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा गभीर प्रयास है। इस व्यवस्था से लोकतन्त्र सही अर्थो मे गॉव के अन्तिम व्यक्ति तक पहुॅचा है। यदि यह प्रक्रिया निर्विवाद रूप से क्रियान्वित रही, तो पिछडे तथा उपेक्षित ग्रामीण समाज मे सजगते और नवीन चेतना की अभिवृद्धि होगी। अत पचायतो के पास उत्तरदायित्वो के साथ पर्याप्त वित्तीय स्रोत होने चाहिए, तभी "राज हमारा, अधिकार हमारा, शासन का हर द्वार हमारा," का लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा (जून 1999 कुरूक्षेत्र 15, 16)।

✪ ✪ ✪

REFERENCES

Tiwari R C 2002 Geography of India – page 849-851 Prayag Pustak Bhawan

20-A University Raod, Allahabad

भारत 2002 प्रकाशन विभाग, सूचना एव प्रसारण मत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली।

उत्तर प्रदेश 2002 सूचना एव जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश, पृ0 188–201

सिह, महेन्द्र बहादुर एव दूबे, कमलाकान्त प्रादेशिक विकास नियोजन पृ0 265 – 270।

कुरूक्षेत्र, जून 1999 पृ0 15, 16 ग्रामीण विकास मन्त्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।

सारांश तथा निष्कर्ष

यह सर्वथा सत्य है कि ग्रामीण विकास राष्ट्रीय विकास की अनिवार्य शर्त और वर्तमान समय की आवश्यकता है। देश के नियोजित विकास की प्रक्रिया मे ग्रामीण क्षेत्रो के उत्थान और विकास के लिये किये गये सगठित प्रयास का ही परिणाम है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसख्या का प्रतिशत सन् 1961 मे 57% से घटकर 1991 मे 30% हो गया। राष्ट्रीय विकास के लिये ग्रामो मे रहने वाले गरीब एक अमूल्य मानवीय सम्पदा है। यदि इनकी शक्ति का उपयोग प्रगति और नवनिर्माण मे किया जाय तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गतिशील और उत्पादक बनाया जा सकता है।

प्राचीन समय मे गाव मनुष्य की सभ्यता और सस्कृति के जनक थे, परन्तु अब गावो मे न तो उतनी सम्पन्नता है और न ही उतनी सामाजिक सुविधाये है, जितनी नगरो मे उपलब्ध है। गावो मे अमीर तथा गरीब के मध्य उत्पन्न असमानता को दूर करने मे ग्रामीण विकास कहा तक सिद्ध हुआ है, प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इसी के मूल्याकन का एक प्रयास है जिसमे ग्रामीण विकास के अवयवो के साथ–साथ ग्रामीण समाज मे व्याप्त समाजिक समस्याओ तथा समाज के विभिन्न पक्षों मे हुऐ परिवर्तन के विश्लेषण का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध बस्ती जनपद की भानपुर तहसील को प्रतिदर्श मानकर सरकार द्वारा ग्रामीण विकास हेतु अनेक योजनाओ के क्रियान्वयन के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रो के पिछडे पन के कारणो तथा सामाजिक उन्नयन मे बाधक, सामाजिक कुरीतियो तथा क्षेत्रो में प्रस्फुटित नूतन प्रवृत्तियो के विवेचन और इसके आधार पर ग्रामीणोत्कर्ष तथा सामाजिक उन्नयन हेतु कतिपय सुझाव प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। शोध प्रबन्ध की सम्पूर्ण विषय वस्तु 9 अध्यायो मे विभक्त हैं जिसमे विभिन्न संकल्पनाओ की वैधता की जाच के लिये नवीन भौगोलिक तकनीकों तथा विधि तन्त्र का प्रयोग किया गया है।

प्रथम अध्याय मे ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के ऐतिहासिक और सैद्धान्तिक पक्षो को स्पष्ट किया गया है। जिसमे आर्थिक–सामाजिक असमानता को स्पष्ट करने के लिये सूक्ष्म स्तरीय नियोजन पर बल दिया गया है जिससे विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप मे मिल सके तथा ग्रामीण विकास के उद्देश्यो की पूर्ति हो सके। ग्रामीण विकास के नवीन कार्यक्रम सामाजिक परिवर्तन लाने मे कहा तक सफल हुये है इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय ग्रामीण क्षेत्रो के सर्वागीण विकास से है जिसमे कृषि यातायात एव सचार, उद्योग, शिक्षा एव चिकित्सा आदि अनेक तत्व सन्निहित है। ग्रामीण विकास का लक्ष्य देश के निर्धनतम क्षेत्रो का विकास करके उन्हे नगरीय क्षेत्रो के समकक्ष लाना है जिससे सम्पूर्ण देश का समोन्यन हो सके। जैसे–जैसे ग्रामीण क्षेत्रो का आर्थिक वेशभूषा, आवासीय व्यवस्था, सामाजिक क्रियाकलापो आदि मे परिवर्तन होगा। इस प्रकार दोनो मे अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है।

द्वितीय अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र की उपस्थिति, प्रशासनिक सगठन, जलवायु आदि का सामान्य विवेचन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र–भानपुर तहसील, उत्तर प्रदेश राज्य के बस्ती जनपद मे $26^{0}50'15''$ उत्तर से $27^{0}7'20''$ उत्तरी अक्षाशो और $82^{0}34'30''$ पूर्व से $82^{0}48'50''$ पूर्वी देशान्तरो के मध्य अवस्थित है। अध्ययन क्षेत्र का सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल 451 99 वर्ग किमी0 है। जो जनपद बस्ती के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 16 31% है। इसके पूरब मे बस्ती जनपद की बस्ती तहसील एंव दक्षिण पश्चिम मे हरैया तहसील है। उत्तर मे जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर पश्चिम मे जनपद गोण्डा द्वारा इसकी बाह्य सीमा निर्धारित की जाती है।

तहसील की शतप्रतिशत जनसख्या ग्रामीण क्षेत्रो मे निवास करती है। प्रशासनिक दृष्टि से सम्पूर्ण तहसील 2 विकास खण्डो, 21 न्यायपचायतो, 151 ग्राम पचायतो एव 435 ग्रामो मे विभक्त है। जिसमे 409 आबाद ग्राम है तथा 26 गैर आबाद ग्राम है।

सम्पूर्ण अध्याय क्षेत्र समतल मैदानी भूभाग है जिसमे दोमट मिट्टी की बहुलता है। इस क्षेत्र का क्षेत्रीय ढलान उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व का है। तहसील मे कुआनो, आमी, गरैइया, कठिनइया प्रमुख नदियॉ है। कुआनो नदी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा तथा आमी उत्तरी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। बेडवा, रेहावर प्रमुख नाले है। अध्ययन क्षेत्र की जलवायु मानसूनी है। इस क्षेत्र मे ग्रीष्म ऋतु मे न्यूनतम तापमान लगभग 18.5 से0ग्रे0 व अधिकतम 31 66 से0ग्रे0 रहता है। 1995 मे अधिकतम तापमान 45 से0ग्रे0 तक पहुॅच गया जो एक रिकार्ड है। वर्ष 1998–99 मे तहसील मे अधिकतम तापमान लगभग 44 8 से0ग्रे0 तथा न्यूनतम तापमान 5 2 से0ग्रे0 रिकार्ड किया गया। वर्षा 1998–99 मे तहसील मे वास्तविक वर्षा 851 मिमी0 हुई। वर्षा उत्तरी भाग की अपेक्षा दक्षिणी भाग मे अधिक होती है। तहसील की 1999 मे सामान्य वर्ष 1156 मिमी0 रही है।

तृतीय अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र के जनसख्या प्रतिरूप का विवेचन है। स्वातन्त्रयोत्तर काल मे अध्ययन क्षेत्र की जनसख्या मे दो गुनी वृद्धि अंकित की गयी है। सन् 2001 की जनगणना की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट के अनुसार भानपुर तहसील की जनसख्या 302041 है। जिसमे शत–प्रतिशत जनसख्या ग्रामीण है। जबकि 1961 मे तहसील की जनसख्या 1,55,916 थी सन् 1961 मे जनघनत्व 344 व्यक्ति/किमी0^2 था जो सम्प्रति 2001 मे 668 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी हो गया। तहसील की कुल जनसंख्या का मात्र 32 5% जनसख्या ही कार्यशील है। सम्पूर्ण तहसील मे पुरूषों तथा स्त्रियों का अनुपात 1000 . 952 है। अध्ययन क्षेत्र मे ग्रामीण साक्षरता मात्र 38 95% है। जिसमे 52 08% पुरूष एवं 25.16% एव 25 16% स्त्री साक्षर है। क्षेत्र की साक्षरता का प्रतिशत,

प्रादेशिक साक्षरता 57 36% एव राष्ट्रीय साक्षरता 65 38% की तुलना मे कम है। पिपराजप्ती न्यायपचायत (सल्टौवा विकास खण्ड) की साक्षरता सर्वाधिक है। अध्ययन क्षेत्र मे कुल जनसख्या का 17 6% अनुसूचित जाति के लोग निवास करते है। अनुसूचित जनजातिया पूरे तहसील मे केवल ग्राम उकडा (भानपुर न्यायपचायत) मे मिलती है, इनकी कुल सख्या 20 है जिसमे पुरूष 10 तथा महिलाए 5 है।

अनुसूचित जाति की 92% बालिकाओ का शैक्षणिक जीवन जूनियर बेसिक स्कूल के बाद समाप्त हो जाता है। मात्र 6% छात्राये ही माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाती है। तहसील मे 32 5% लोग कार्यरत है तथा 62 3% जनसख्या बेरोजगार है, जबकि सीमात रूप मे कार्य करने वाले लोगो का योगदान 5 7% है। कुल कार्यरत जनसख्या मे 78% कृषक है 13 6% कृषि श्रमिक है। पशुपालन वृक्षारोपण मे सलग्न 18% जनसख्या है।

चतुर्थ अध्याय मे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मेरूदण्ड कृषि का विवेचन किया गया है। अध्ययन क्षेत्र की कृषि–पद्धति पारम्परिक प्रकार की, खाद्यान्न प्रधान है, तहसील मे शुद्ध कृषिकृत भूमि 80 2% चारागाह, वन 42% कृषि योग्य बजर भमि 1 9% वर्तमान परती भूमि 0 8% पुरानी परती 1 0% तथा कृषि आयोग्य भूमि 0 9% है। क्षेत्र मे तीन प्रकार की फसलो–रबी, खरीफ और जायद का उत्पादन होता है। रबी की फसलो मे गेहूँ, चना, मटर एव आलू तथा खरीफ की फसलो मे धान, गन्ना, अरहर और मक्का की प्रमुखता होती है। गन्ना अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख मुद्रादायिनी फसल है। बोये गये सकल क्षेत्रफल के आधार पर अध्ययन क्षेत्र मे गेहूँ प्रथम, धान द्वितीय, गन्ना, तृतीय, मटर चतुर्थ तथा अरहर पचम स्थान पर है। सिचाई के प्रमुख स्रोत राजकीय नलकूप तथा निजी नलकूप है तहसील मे 120 राजकीय नलकूप है जिसमें 73 नलकूप रामनगर विकास खण्ड में है। पूरे

तसहील मे नहरो का निर्माण किया जा रहा है। पक्के कुओ की सख्या 1220 है। उर्वरको मे सर्वाधिक प्रयोग नाइट्रोजन की 80% होता है।

ग्रामीण कृषि विकास और सामाजिक परिवर्तन मे घनिष्ठ सम्बन्ध है चूकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मूलत कृषि पर आधारित है अत कृषि विकास होने पर स्वाभाविक रूप मे आर्थिक समुन्नयन होगा।

शोध प्रबन्ध के पाचवे अध्याय मे ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप मे अध्ययन क्षेत्र की यातायात एव सचार–व्यवस्था का विश्लेषण किया गया है अध्ययन क्षेत्र मे तीन प्रकार के सडक मार्ग है। प्रान्तीय मार्ग, जिला मार्ग तथा ग्रामीण मार्ग।

अध्ययन क्षेत्र मे कोई राष्ट्रीय राजमार्ग नही है। प्रान्तीय मार्ग मात्र 2 है प्रान्तीय मार्ग सख्या 5 (बस्ती–बासी मार्ग) की लम्बाई तहसील मे मात्र 10 किमी0 है। प्रान्तीय मार्ग सख्या 26 (बस्ती–डुमरियागज मार्ग) की तहसील मे लम्बाई 24 किमी0 है। वर्तमान समय (1999–2000) की तहसील मे पक्की सडको की कुल लम्बाई 172 किमी0 है। तहसील के 31 16% आबाद ग्राम पक्की सडको से सयोजित है। तहसील का व्यस्ततम मार्ग प्रान्तीय मार्ग सख्या 5 तथा 26 है। सडक घनत्व प्रति 100 वर्ग किमी0 पर 38 13, तथा प्रति लाख जनसख्या पर 69 45 किमी0 है। तहसील मे 10 किमी0 लम्बी बडी लाइन की रेलमार्ग है। आमा स्टेशन इसी लाइन पर है बडी लाइन मुण्डेरवा से बभनान को जाती है, तहसील मे स्थानीय यातायात के रूप मे इसका विशेष योगदान नही है। सम्प्रति तहसील मे 32 डाकघर, 3 तारघर, 370 टेलीफोन, 12 पब्लिक काल आफिस, 1 रेलवे स्टेशन, (हाल्ट सहित) तथा 17 बस स्टेशन है।

अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक विकास तथा सामाजिक परिवर्तन में यातायात एव सचार माध्यमो ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ग्रामीण जनसख्या का नगरों एवं महानगरो

के मध्य आवागमन में वृद्धि हुई है। वस्तुओं के क्रय विक्रय नौकरी एवं जीविकोपार्जन के साधनों की तलाश तथा उत्पादनातिरेक एवं उत्पादन–न्यूनता वाले क्षेत्रों में वस्तुओं के मूल्यों में संतुलन स्थापित करने में यातायात एवं संचार माध्यमों ने उल्लेखनीय योगदान किया है। संचार माध्यमों द्वारा सामाजिक उन्नयन हेतु प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों से सामाजिक सुधारों पर अंकुश लगाने में सहायता मिलती है।

सेवा केन्द्र अपनी कतिपय विशिष्ट सेवाओं द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। सेवा केन्द्रों के प्रतिरूप का विश्लेषण करने के साथ–साथ क्षेत्रीय विकासार्थ कतिपय सेवा केन्द्रों पर कुछ नूतन सेवा कार्यो को प्रारम्भ करने का सुझाव प्रस्तुत किया गया है। सेवा केन्द्र ऐसे अधिवास या अधिष्ठान होते है जो अपनी सीमान्तर्गत स्थित विभिन्न कार्यो द्वारा एवं तथा परितः स्थित बस्तियों को सेवायें प्रदान करते हैं अध्ययन क्षेत्र में सेवाकेन्द्रों के निर्धारण हेतु 28 केन्द्रीय कार्यो को आधार माना गया है। प्रत्येक सेवा कार्य को 100 अंक का अधिमान देकर प्रति इकाई महत्व का मान निकाला गया है। कुल संख्या से अधिमान को विभाजित किया जाता है जो सेवा केन्द्र का केन्द्रीयता मान होता है। दो प्रमुख सेवा केन्द्र है भानपुर तथा सल्टौवा गोपालपुर। सेवा केन्द्र नगरीय एवं ग्रामीण अंचलों के मध्य सेतु का कार्य करते है सेवा केन्द्र नूतन अविष्कारों, नवाचारों, नवीन तकनीकों आदि द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करके ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में सहायक होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में विकास सम्बन्धी समस्त तत्वों को संचरण सेवा केन्द्रों के माध्यम से ही होता हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है।

शोध प्रबन्ध के छठवें अध्याय में ग्रामीण विकास एवं सामाजिक परिवर्तन में उद्योग एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का निरूपण किया गया है। बृहद एवं मध्य स्तरीय औद्योगिक इकाई–विहीन अध्ययन क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है लघु तथा

कुटीर उद्योग की छोटी छोटी इकाईया है। वर्तमान समय मे विश्व के वही देश अग्रणी है, जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित है क्योकि औद्योगिक सबृद्धि से देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक इत्यादि समस्त क्षेत्रों मे उत्कर्ष होता है। यद्यपि कृषि विकास से देश की खाद्यान्न समस्या का समाधान होता है किन्तु पूर्ण आर्थिक समुन्नति तो औद्योगिक विकास से ही सम्भव है।

सप्तम् अध्याय मे अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख सामाजिक सुविधाये शिक्षण सस्थाओ, स्वास्थ्य केन्द्रो, पेयजल, विद्युतीकरण आदि का उल्लेख किया गया है सम्प्रति तहसील मे 190 प्राइमरी स्कूल, 26 सीनियर बेसिक स्कूल, 9 हाईस्कूल/इन्टर कालेज है। क्षेत्र मे कोई भी डिग्री कालेज, तकनीकी प्रशिक्षण सस्थान एव औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नही है। बालिका विद्यालय (इन्टर कालेज) एक भी नही है, जिसके कारण बालिका शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। तहसील मे लगभग 33,560 जनसख्या पर एक माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। तहसील मे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो की सख्या 9 है परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्रो की सख्या 44 है। पशु चिकित्सालय 4 है। वर्तमान समय मे अध्ययन क्षेत्र मे प्रति लाख जनसख्या पर 1 चिकित्सालय, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1 परिवार एव मातृ शिशु कल्याण केन्द्रो की सुविधा प्राप्त है। अध्ययन क्षेत्र मे बैको की सख्या 15 है जिसमें 7 राष्ट्रीयकृत बैक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैको की सख्या 6 है जबकि 2 अन्य राष्ट्रीयकृत है। अध्ययन क्षेत्र मे विद्युतीकृत ग्रामों की कुल सख्या 272 है। विद्युत की आपूर्ति रूघौली विद्युत उपकेन्द्र से पूरी की जाती है। अध्ययन क्षेत्र मे 1 डाक बगला तथा 1 पुलिस स्टेशन है।

अष्टम अध्यायो मे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण, यातायात एव संचार तथा उद्योग से सम्बन्धित वर्ष 1989–90 और 2000–01 के आंकड़ो से परिगणित विभिन्न सूचकाको के आधार पर अध्ययन क्षेत्र को विकसित विकासशील और अविकसित

तीन श्रेणियो मे वर्गीकृत किया गया है। विकसित क्षेत्र के अर्न्तगत 8 न्यायपचायतो सल्टौआ, भानपुर, पिपराजप्ती, नरखोरिया, रामनगर, कलन्दरनगर, भिरिया ऋतुराज तथा जिनवा है जो तहसील के 38% क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है।

विकासशील क्षेत्र मे 8 न्यायपचायते आती है जिसमे 5 सल्टौवा गोपालपुर तथा 3 रामनगर विकास खण्ड मे है। इसी प्रकार अविकसित श्रेणी के अन्तर्गत 5 न्यायपचायतो आती है। जो तहसील की 35% भूभाग को आवेष्टित किये हुये है।

यद्यपि उर्पयुक्त विवरण मे तहसील मे कुछ क्षेत्र विकसित श्रेणी के अन्तर्गत आते है किन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय मानक के आधार पर परिकलन किया जाय तो सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र एक पिछडी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। ज्ञातव्य है कि अध्ययन क्षेत्र के विकसित, विकासशील क्षेत्र राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नही निरूपित किये गये है। वरन ये मात्र अध्ययन क्षेत्र के अन्य क्षेत्रो की तुलना मे ही विकसित या विकासशील है।

नवम अध्याय मे ग्रामीण विकास नियोजन के परिप्रेक्ष्य मे विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमो का उल्लेख किया गया तथा उत्तर प्रदेश की अद्यतन योजनाओ का वर्णन भी किया गया है। ग्रामीण विकास मे पचायती राज की भूमिका की विवेचना अत मे की गयी है।

स्वतन्त्रता के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक क्षेत्र मे परिवर्तन हुआ है, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग परिवहन एव सचार माध्यमो, प्रमुख सामाजिक सुविधाओ आदि मे वृद्धि के परिणामस्वरूप जहा ग्रामीण क्षेत्रो की आर्थिक उन्नति हुई है वही दूसरी तरफ नैतिक मूल्यो का ह्रास तथा दहेज, दहेज हत्या, की प्रवृत्ति जैसी कतिपय सामाजिक बुराइयो का उद्भव हुआ है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन क्षेत्र नदी निर्मित एक समतल मैदानी भाग है। यहॉ की शत प्रतिशत जनसख्या ग्रामीण है, जिसकी आजीविका का प्रधान स्रोत कृषि है जिसमे परिमाणात्मक एव परिणामात्मक अभिवृद्धि हो रही है।

तहसील की वर्तमान साक्षरता 38 95% है जो कि जनपदीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय दर तीनो की तुलना मे अत्यन्त निम्न है। तहसील मे बालिका विद्यालयो, उच्च शिक्षा सस्थानो तथा व्यावसायिक, औद्योगिक एव प्रशिक्षण सस्थानो का अभाव है।

परिवार एव मातृ–शिशु कल्याण केन्द्रो तथा स्वास्थ्य सुविधाओ का समुचित विकास नही हो सका है।

यातायात, सचार का विकास हुआ है किन्तु इनकी गुणवत्ता के और अधिक विकास की आवश्यकता है।

अध्ययन क्षेत्र मे मात्र लघु तथा अतिलघु स्तरीय औद्योगिक इकाइयॉ ही है। मध्यम और बृहद स्तरीय इकाइयो का पूर्णतया अभाव पाया जाता है।

उच्चस्तरीय सेवा केन्द्रो के अभाव के कारण क्षेत्रीय आवश्यकताओ की पूर्ति स्थानीय सेवा केन्द्रो से नही हो पाती है।

स्वतन्त्रता के पश्चात जाति–व्यवस्था, अस्पृश्यता, पर्दा–प्रथा, बाल–विवाह, जैसी सामाजिक कुरीतियो पर अकुश लगा है। किन्तु दहेज प्रथा तथा अनावश्यक प्रदर्शनों से धन का अपव्यय आदि सामाजिक बुराईयो का पोषण हो रहा है।

आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन के समस्त क्षेत्रो (यथा–परिवार, रीतिरिवाज, खान–पान, वेशभूषा इत्यादि) मे परिलक्षित होता है।

अध्ययन क्षेत्र के स्वातन्त्रोत्तर कालीन ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन सम्बन्धी सकलित समस्त तथ्यो के विश्लेषण एव सश्लेषण तथा सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्षो

के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के आर्थिक तथा सामाजिक विकास हेतु अग्रलिखित सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे है –

(1) बालक के सर्वागीण विकास मे माता की भूमिका विशेष होती है जबकि अध्ययन क्षेत्र मे माध्यमिक बालिका विद्यालय एक भी नही है।

अत स्त्री साक्षरता के विकास को प्रथम लक्ष्य मानकर अध्याय 5 मे प्रस्तावित केन्द्रो पर तदनुरूप बालिका विद्यालयो की स्थापना की जाय तथा साथ ही शत–प्रतिशत साक्षरता हेतु शैक्षणिक सस्थाओ मे परिणामस्वरूप तथा गुणात्मक अभिवृद्धि की जाय।

(2) ग्रामीण विकास की योजनाओ के निर्माण मे ग्रामीण क्षेत्रो से सम्बन्धित लोगो की भागीदारी है।

(3) योजनाओ का क्रियान्वयन ग्राम सभा अथवा अधिकतम न्यायपंचायत स्तर पर किया जाय।

(4) प्रत्येक ग्राम सभा मे एक सार्वजनिक वाचनालय की स्थापना की जाय जहॉ ग्रामीणो के विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओ तथा सरकारी सुविधाओ का पूर्णज्ञान कराने हेतु प्रचुर पाठ्य सामग्री सदैव उपलब्ध रहे।

(5) ग्राम विकास से सम्बन्धित सभी विभागो के अधिकारियो को चाहिये कि सरकारी आकडे पर ही केवल न निर्भर रहे बल्कि स्वय क्षेत्र मे जाकर सर्वेक्षण तथा साक्षात्कार के माध्यमो से सफलता तथा असफलता का अध्ययन करे और ग्रामीणो के आवश्यकतानुसार योजनाओ मे संशोधन करने तथा क्रियान्वयन करने का प्रयास करें।

(6) ग्रामीण विकास और सामाजिक विकास हेतु क्षेत्रीय बुद्धिजीवियो तथा ग्राम प्रतिनिधियो का सहयोग वाछित है।

(7) ग्रामीण क्षेत्रो पर शोध करने वाले छात्रो को सरकारी प्रोत्साहन प्रदान किया जाय तथा उनके द्वारा प्रस्तुत सुझावो पर गम्भीरता पूर्वक विचार करने तथा उनके क्रियान्वयन की आवश्यकता है।

(8) सचार माध्यमो तथा आदर्श प्रसारण के माध्यम से ग्रामीण सामाजिक कुरीतियो के निवारण हेतु कठोर कानून बनाने तथा मानसिकता मे परिवर्तन की आवश्यकता है।

यदि उपरोक्त सभी सुझावो का पूर्णत क्रियान्वयन किया जाय तो निश्चित रूप से अध्ययन क्षेत्र का आर्थिक एव सामाजिक विकास के साथ ही साथ सास्कृतिक विकास तथा उन्नयन भी हो सकता है तथा क्षेत्र की जनता का जीवन स्तर ऊँचा उठ सकता है क्योकि जब इनकी भी भागीदारी राष्ट्र विकास मे होगी तभी राष्ट्र का विकास पूर्ण हो सकता है।

परिशिष्ट

TAHSIL BHANPUR
DISTRICT BASTI
VILLAGE LOCATION MAP
VILLAGES
123 Habited
Inhabited
Km
82°35′
40′
45′
5′N
27°
55′
45′E

Fig. 1

मानपुर तहसील

रामनगर विकास खण्ड

1 शकरपुर न्याय पंचायत

लोकेशन कोड न	गॉव का नाम
1	पिरैला नरहरिया
2	तेन्दुहना
3	छितिरगवॉ
4	खम्हरिया
5	आल्हे कोइयॉ
6	पकरी
7	शकरपुर
8	भोलापुर
9	चन्दोखा
10	आदमपुर

2 नरखोरिया न्याय पंचायत

11	खोरिया
12	कुरथिया
13	बडौगी
14	मझौवा रामप्रसाद
15	चिरई बुजुर्ग
16	डिउई माफी
17	धौरहरा
18	नौवागॉव
19	छपिया खास
20	नरखोरिया
21	मझारी

3 तुसायल न्याय पंचायत

22	बैदौली उर्फ दुबौली
23	गन्धरिया नानकार
24	बरडीहा
25	अतर डीहा
26	कटरिया नानकार
27	कोहडा
28	अहिरौली
29	रामापुर
30	आमारेडीहा
31	काटे खैरा
32	सकतपुर
33	पाटी चक
34	इब्राहिम चक उर्फ शेखपुर
35	तुसायल
36	करौता
37	उमरभरिया
38	पिपरहिया
39	हलुवा हसनपुर

4 सगरा खास न्याय पंचायत

55	तुरकौलिया राय
56	परसोहिया
57	कोल्हुई
58	सगरा खास
59	अहिरौला
60	हरिहरपुर
61	चैसार
62	बढया लालसिह
63	खम्हरिया
64	अतर डीहा
65	पटवरिया
66	मझरिया
67	गन्धरिया बुजुर्ग
68	गन्धरिया खुर्द

5 थुम्हवा पाण्डेय न्याय पंचायत

69	शाह औलिया चक
70	देई डीहा
71	गोपिया
72	बेलगडी
73	ओबरी डीहा
74	टडौठी
75	कुसमही कुवर
76	थुम्हवा पाण्डे
77	सुभिया
78	गदहपुर चक अगया हातिम
79	पिरैला गरीब
80	बैदौलिया
81	सोनबरसा
82	नकथर
83	गगवार
84	सफीपुर उर्फ नौवागॉव
85	बाके चौर
86	बरडाड नानकार

6 घोषण न्याय पंचायत

87	लछिमनपुर
88	सुदई डीहा
89	मझारी
90	परसा कुतुव
91	अचलपुर
92	धोसड
93	सखिया डीह
94	मझौवा लालसिह
95	दिलावल चक
96	मिनहाड चक उर्फ तकिया
97	करायन
98	कौलपुर
99	बरगदवा
100	पटखौली
101	वाजिद जोत
102	कोटिया
103	मनकौरा
104	असुरैना
105	डढ़िया
106	खैरा

7 भानपुर न्याय पंचायत

107	सिसवा बुजुर्ग
108	परसौनिया
109	करहिया
110	बनटिकरा
111	थुम्हवा
112	पेलनी
113	बैदौला
114	कोपा
115	जोगिया
116	निकुरहा
117	भानपुर
118	सिसवा खुर्द
119	उकडा
120	कोनार
121	जमोहना
122	कडजहना
123	जगदीशपुर उर्फ नौगढ
124	बडहरा उर्फ मठिया
125	बहादुरपुर
126	धवाय
127	बडहरा बुजुर्ग

8 रामनगर न्याय पंचायत

128	मोहम्मदनगर
129	बसडिलिया
130	बस्ती नाथू
131	शनिचरा
132	पतरिया
133	माहबानू चक
134	चिरई बान्धा
135	कुतुबपुर
136	हिसामुद्दीन चक
137	असनहरा
138	राफिया चक
139	असनहरी
140	बस्ती अलावल
141	बनगवॉ
142	करौली
143	राढी जोत
144	बेइली
145	टेढी कोइयॉ
146	रिखियॉ
147	हथिअवा
148	पिपरा
149	मलपुरवा
150	तकिया चक
151	पचासी
152	बनवडिया
153	खुटहना
154	रामनगर
155	चेरूइया
156	बाराकोनी

9 कलन्दरनगर न्याय पंचायत

157	इटाहिया
158	शेखापुर चक दोस्त मोहम्मद
159	खाजेपुर
160	अढवा घाट
161	परसा खुर्द बुजुर्ग दरियापुर जगल
162	चेतरा
163	सादुल्लाहपुर
164	मैलानी साहेब वाजिद
165	कटया
166	वाहिद चक
167	जोगिया
168	धौरहरी
169	नकछेद चक उर्फ कलन्दरनगर
170	भैसहिया खुर्द बुजुर्ग

10 बडोखर न्याय पंचायत

171	पान कोइयॉ
172	रूस्तमपुर
173	मैलानी उर्फ बेलवा
174	मैलानी उर्फ हिदूनगर
175	नाथपुर
176	अमखला
177	बरगदहिया
178	सिलवटिया
179	लोढवा
180	पटखौली
181	माधोपुर
182	मनौढी
183	परसा शिवराज
184	पिपरा
185	बडोखर
186	भिगवापार
187	नकछेद चक
188	थरूआपुर
189	परसा खुर्द
190	नरकटहा
191	तुरकौलिया उर्फ करमहिया
192	तेन्दुआ असनहरा

सल्टौवा गोपालपुर विकास खण्ड

11 कोठिला खास न्याय पंचायत

193	बनरही जगल
194	आहर
195	मडक
196	आमा
197	परसा झुगिया
198	सरैनी
199	परसोहिया टप्पा कोठिला
200	परसा लगडा
201	परसोहिया टप्पा उमरा
202	शाहपुर
203	तेनुवा
204	गोपालपुर
205	मुडिला
206	गोविन्दपुर
207	भौखरी
208	भगवानपुर
209	करमहिया
210	फेरसम
211	सोन्हा
212	कोठिला खास
213	करौता उर्फ करलपुर
214	कटक
215	रामपुर
216	रखौलिया
217	कोठिया डीह
218	केवटा खोर
219	बस्ती
220	बिशम्भर चक
221	ड्मरी

12 पचमोहनी न्याय पंचायत

222	महनुआ
223	पकरी मोती
224	मिश्रौलिया
225	डगडोआ
226	कोठिली
227	महुवा डाबर
228	पडरी
229	सेखापुर
230	कोहडी
231	एकडगवा
232	लौकी
233	लपसी
234	पिपरी ठाकुर
235	मधवापुर
236	बरगदवा
237	पचमोहनी
238	बैरिहवा
239	जॅाता
240	करमा

13 दसिया न्याय पंचायत

241	फरेन्दिया
242	कमदा
243	हरिहरपुर
244	सिसवा बरूआर
245	सिहारी सरदहा
246	बढया सरदहा
247	सिहारी खुर्द
248	बसडीला
249	मौरी परासी
250	छनवतिया
251	मुन्डेरवा
252	रामबारी
253	पडरिया
254	परसा पुरई
255	मुगरहा
256	बरगदवा
257	सेखुई
258	बहादुरपुर
259	पिपरा रहीम
260	दसिया
261	सेहमू
262	गोबरहिया

14 परसा दमया न्याय पंचायत

263	केऊवा जप्ती
264	बालेडीहा
265	उमरा खास
266	बसौका
267	परसा दमया
268	बिशुनपुर
269	रतनपुर
270	करहा
271	करही
272	हटवा
273	पडरी चेतसिह
274	मनिकौरा
275	पडरिया धारीघाट
276	मुनियॉव
277	मझौवा बैकुण्ठ
278	मधवापुर
279	बगरिया
280	गोविन्दपुर
281	लेवारपार

15 पुरैना न्याय पंचायत

282	करमा पाठक
283	औराडीह
284	सुभई
285	मझॉवा खजुरी
286	पुरैना
287	बसडीला
288	बसडिलिया
289	दुहवा
290	डडवा
291	पकरी चौबे
292	पोखर भिटवा
293	सिसवारी
294	बिछियागज
295	बिछिया आसरे
296	मुस्ताफाबाद

16 सल्टौवा गोपालपुर न्याय पंचायत

297	कनेथू बुजुर्ग
298	जसोवर
299	रेगी
300	बागडीह उर्फ गायसाथ
301	देई डीहा
302	रूदलपुर
303	परसा खाल
304	कनथुई
305	बढया कलॉ
306	खरहरा जप्ती
307	सल्टौवा गोपालपुर
308	परसा काशी
309	कोईलसा
310	मझौवा खुर्द
311	सिहबरा
312	जोगिया जूडी कुइयॉ
313	सेवई
314	ककरहिया
315	भरवलिया
316	बिशुनपुर

17 पचानू न्याय पंचायत

317	सिकन्दरपुर
318	गोरखर
319	रमवापुर बाबू
320	गोहनिया
321	लेदवा
322	हसनपुर
323	दरहिया बुजुर्ग
324	बघौडी
325	रेहार जगल
326	धौरपारा
327	सूरतगढ
328	मुरादपुर
329	मनवा
330	बधनगाव चौबे
331	पचानू
332	देईपार खुर्द
333	देईपार बुजुर्ग
334	पिपरहिया
335	दरिया पट्टी
336	भितरी पचानू
337	झुलहनिया
338	मेहौरा
339	मझौवा खुर्द
340	भिटिया जालिमसिह
341	गौछा
342	महादेवा
343	पकरी भीखी
344	मोहम्मदपुर
345	धेनकी
346	पिपरी जप्ती
347	भिउरा

18 भिरिया ऋतुराज न्याय पंचायत

348	औड जगल
349	तुरकौलिया
350	पिटउत
351	तेलिया डीह
352	बन्जरिया
353	परसौना
354	द्वारिका चक
355	चौकवा
356	सेखुई
357	भिटिया रितुराज
358	अमरौली शुमाली
359	सेउवा
360	बसथनवा
361	अमरौली जनूबी
362	चौरा

19 आमा न्याय पंचायत

363	ओरवलिया
364	अजगैबा
365	पचलौरिया
366	शिवपुर
367	सुल्तानपुर
368	सगर दिनवा
369	टिनिच शुकुल
370	बेलवा डाउ
371	कैथवलिया
372	बरगवॉ
373	साडी कलॉ
374	साडी हरनाम
375	साडी हिक्छा
376	आमा
377	इमिलिया महिपतसिह
378	बेदौलिया
379	डिगार भारी
380	घुरहूपुर
381	कोदारी
382	भभर गाडा
383	भदाना
384	बारह छतर
385	सबरिहवा
386	शिवगढ
387	बेतउहा
388	खडसरपुर
389	सेवई
390	बनकटा
391	चेतरा
392	बलुआ कुन्ड
393	सिघोनी

21 जिनवा न्याय पंचायत

433	अगया
434	आमा
435	परसा कुसुम
436	बेलहसा
437	खरहरा शुकुल
438	जिनवा
439	नरायनपुर
440	बरहुआ
441	कल्यानपुर
442	पोखर भिटवा
443	रघुनाथपुर
444	धन्नी जीत
445	बहरामपुर
446	निबिया
447	लक्षमनपुर

20 पिपरा जप्ती न्याय पंचायत

394	तबौहा
395	बलुई
396	डडिया खुर्द
397	रेहार बाबू
398	बॉसापारा
399	बानौ
400	छितहा
401	बरहिया दीगर
402	खोरियापुर
403	भनगवा बाबू
404	रमवापुर पाडे
405	जगतपुर
406	बखरिया
407	कोईलरा
408	बेनीपुर
409	कोईलरी
410	लबारापुर
411	भीटा इन्द्रजीतसिह
412	ससारपुर
413	महुआपार
414	जगदीशपुर
415	मझरिया बशराज
416	नेवादा
417	दुबोली
418	पडरी
419	बहेरिया
420	बेलौरी बरगाह
421	बेलौरी शुकुल
422	पिपरा जप्ती
423	सुकरौली
424	अतरा
425	चमरहुआ
426	हाथा खुर्द
427	सिधौनी
428	हर्रेया
429	नियामतपुर
430	करनपुर
431	देवरहरा
432	सकरीला
449	भादी खुर्द
450	मझरिया